[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद और सीमा-शुल्क बोर्ड

अधिससूचना सं0 10/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2017

7 □□□□□, 1939 □□

सा.का.नि.____(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जीएसटी नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जीएसटी (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 है ।

   (2) ये 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 26 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--

"अध्याय 4

प्रदाय के मूल्य का अवधारण

27. माल और सेवाओं की प्रदाय का मूल्य, जहां प्रतिफल धन में नहीं है,- जहां माल या सेवाओं की प्रदाय ऐसे प्रतिफल के लिए है, जो पूर्णत: धन में नहीं है, वहां प्रदाय का मूल्य-

(क) ऐसी प्रदाय का खुला बाजार मूल्य होगा ;

(ख) यदि खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो धन में प्रतिफल की कुल रकम और धन की ऐसी और रकम होगा, जो ऐसे प्रतिफल के समतुल्य है, जो धन में नहीं है, यदि ऐसी रकम प्रदाय के समय ज्ञात है ;

(ग) यदि प्रदाय का मूल्य खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अवधार्य नहीं है, तो उसी प्रकार और उसी क्वालिटी की माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य होगा ;

(घ) यदि मूल्य खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन अवधार्य नहीं है, तो धन में प्रतिफल की कुल राशि और धन में ऐसी और रकम होगा, जो नियम 30 या नियम 31 के लागू किए जाने से उस क्रम में यथा अवधारित ऐसे प्रतिफल के समतुल्य है, जो धन में नहीं है ।

दृष्टांत

(1) जहां किसी फोन की प्रदाय एक पुराने फोन के विनिमय के साथ बीस हजार रुपए में की जाती है और यदि नए फोन की कीमत विनिमय के बिना चौबीस हजार रुपए है, तो नए फोन का खुला बाजार मूल्य चौबीस हजार रुपए है ।

(2) जहां किसी लैपटाप की प्रदाय ऐसे प्रिन्टर की अदला-बदली के साथ चालीस हजार रुपए है, जो कि प्राप्तिकर्ता द्वारा विनिर्मित है और प्रदाय के समय प्रिन्टर का ज्ञात मूल्य चार हजार रुपए है किन्तु प्रिन्टर का खुला बाजार मूल्य ज्ञात नहीं है, वहां लैपटाप की प्रदाय का मूल्य चवालीस हजार रुपए है ।

28. किसी अभिकर्ता के माध्यम से प्रदाय किए जाने से भिन्न विभिन्न या संबंधित व्यक्तियों के बीच माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य- धारा 25 की उपधारा (4) और उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न व्यक्तियों के बीच या जहां अभिकर्ता के माध्यम से किए जाने के भिन्न प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता संबंधित व्यक्ति हैं, वहां माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य-

(क) ऐसी प्रदाय का खुला बाजार मूल्य होगा ;

(ख) यदि खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है तो उसी प्रकार और उसी क्वालिटी के माल या सेवाओं की प्रदाय का मूल्य होगा ;

(ग) यदि मूल्य खंड (क) या खंड (ख) में अवधार्य नहीं है तो उस क्रम में नियम 30 या नियम 31 के लागू किए जाने से यथा अवधारित मूल्य होगा :

परंतु जहां माल का इस रूप में प्राप्तिकर्ता द्वारा आगे और प्रदाय किया जाना आशयित है, वहां मूल्य, प्रदायकर्ता के विकल्प पर प्राप्तिकर्ता द्वारा उसके ऐसे ग्राहक को, जो संबंधित व्यक्ति नहीं है, उसी प्रकार के और उसी क्वालिटी के माल की प्रदाय के लिए प्रभारित कीमत के नब्बे प्रतिशत के समतुल्य रकम होगा :

परन्तु यह और कि जहां प्राप्तिकर्ता पूर्ण इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है, वहां बीजक में घोषित मूल्य को माल या सेवाओं का खुला बाजार मूल्य समझा जाएगा ।

29. किसी अभिकर्ता के माध्यम से माल की, की गई या प्राप्त प्रदाय का मूल्य - प्रधान या उसके अभिकर्ता के बीच माल की प्रदाय का मूल्य -

(क) प्रदाय किए गए माल का खुला बाजार मूल्य होगा, या प्रदायकर्ता के विकल्प पर प्राप्तिकर्ता द्वारा उसके ऐसे ग्राहक को, जो संबंधित व्यक्ति नहीं है, उसी प्रकार के और उसी क्वालिटी के माल की प्रदाय के लिए प्रभारित कीमत के नब्बे प्रतिशत के समतुल्य रकम होगा, जहां उक्त प्राप्तिकर्ता द्वारा माल की आगे और प्रदाय किया जाना आशयित है ;

दृष्टांत : जहां कोई प्रधान, उसके अभिकर्ता को मूंगफली की प्रदाय करता है और अभिकर्ता प्रदाय के दिन उसी प्रकार और उसकी क्वालिटी की मूंगफलियों की प्रदाय पश्चातवर्ती प्रदाययों में पाचं हजार रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर कर रहा है । दूसरा स्वतंत्र प्रदायकर्ता उसी प्रकार और उसी क्वालिटी की मूंगफलियों की प्रदाय उक्त अभिकर्ता को चार हजार पांच सौ पचास रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर कर रहा है, वहां प्रधान द्वारा की गई प्रदाय का मूल्य चार हजार पांच सौ पचास रुपए प्रति क्विंटल होगा या जहां वह विकल्प का प्रयोग करता है, वहां मूल्य पांच हजार रुपए का नब्बे प्रतिशत अर्थात् चार हजार पांच सौ रुपए प्रति क्विंटल होगा :

(ख) जहां प्रदाय का मूल्य खंड (क) के अधीन अवधार्य नहीं है, वहां उसे उस क्रम में नियम 30 या नियम 31 को लागू करके अवधारित किया जाएगा ।

30. माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का लागत पर आधारित मूल्य - जहां माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य इस अध्याय के पूर्ववर्ती किसी नियम द्वारा अवधार्य नहीं है, वहां मूल्य उत्पादन या विनिर्माण की लागत या ऐसे माल के अर्जन की लागत या ऐसी सेवाओं के प्रदान किए जाने की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा ।

31. माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के मूल्य के अवधारण की अवशिष्ट पद्धति - जहां माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य नियम 27 से नियम 30 के अधीन अवधारित नहीं किया जा

सकता, वहां उसे धारा 15 और इस अध्याय के उपबंधों के सिद्धांतों या साधारण उपबंधों के संगत युक्तियुक्त साधनों का प्रयोग करके अवधारित किया जाएगा :

परंतु सेवाओं की प्रदाय की दशा में, प्रदायकर्ता नियम 30 की अवज्ञा करते हुए इस नियम का विकल्प चुन सकेगा ।

32. कतिपय प्रदाययों की बाबत मूल्य का अवधारण- (1) इस अध्याय के उपबंधों में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, नीचे विनिर्दिष्ट प्रदाययों की बाबत मूल्य प्रदायकर्ता के विकल्प पर इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में अवधारित किया जाएगा ।

(2) विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के संबंध में, जिसके अंतर्गत धन की अदला-बदली भी है, सेवाओं की प्रदाय का मूल्य सेवा के प्रदायकर्ता द्वारा निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) किसी मुद्रा के लिए जब उसे भारतीय रुपए से विनिमय किया जाता है, मूल्य, यथास्थिति, क्रय दर या विक्रय दर और उस समय उस मुद्रा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निर्देश दर में अंतर को, मुद्रा की कुल इकाइयों का गुणा किए जाने के बराबर होगा :

परंतु उस दशा में, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की निर्देश दर किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां मूल्य धन की अदला-बदली करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए या प्राप्त किए गए भारतीय रुपए की सकल रकम का एक प्रतिशत होगा :

परंतु यह और कि उस दशा में, जहां विनिमय की जाने वाली कोई भी मुद्रा भारतीय नहीं है, वहां मूल्य दोनों रकमों में से उस कम रकम के एक प्रतिशत के बराबर होगा, जो उस दिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई निर्देश दर पर भारतीय रुपए में दोनों में से किसी मुद्रा को संपरिवर्तित करके धन की अदला-बदली करने वाला व्यक्ति प्राप्त करेगा :

परंतु यह भी कि सेवाओं की प्रदाय करने वाला व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष के लिए खंड (ख) के निबंधनानुसार मूल्य अभिनिश्चित करने के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा और ऐसा विकल्प उस वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जाएगा ।

(ख) सेवाओं के प्रदायकर्ता के विकल्प पर विदेशी मुद्रा की प्रदाय के संबंध में मूल्य, जिसके अंतर्गत धन की अदला-बदली भी है, निम्नलिखित होना समझा जाएगा-

(i) दो सौ पचास रुपए की न्यूनतम रकम के अध्यधीन एक लाख रुपए तक की किसी रकम के लिए विनिमय की गई मुद्रा के सकल रकम का एक प्रतिशत ;

(ii) एक हजार रुपए और एक लाख रुपए से अधिक और दस लाख रुपए तक की रकम के लिए विनिमय की गई मुद्रा की सकल रकम का आधा प्रतिशत ; और

(iii) पांच हजार पांच सौ रुपए तथा छह हजार रुपए की अधिकतम रकम के अध्यधीन दस लाख रुपए से अधिक की रकम के लिए विनिमय की गई मुद्रा की सकल रकम का एक बटा दस प्रतिशत ।

(3) वायुयान द्वारा यात्रा के लिए वायु यात्रा अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई टिकटों की बुकिंग के संबंध में सेवाओं की प्रदाय का मूल्य घरेलू बुकिंग की दशा में, आधार किराए के पांच प्रतिशत की दर से संगणित रकम समझी जाएगी और वायुयान से यात्रा के लिए यात्री की अंतरराष्ट्रीय बुकिंग की दशा में आधार किराए के दस प्रतिशत की दर से संगणित रकम समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए ''आधार किराया'' से वायुयान के किराए का वह भाग अभिप्रेत है, जिस पर एयरलाइन द्वारा वायु यात्रा अभिकर्ता को कमीशन सामान्यतया संदत्त किया जाता है ।

(4) जीवन बीमा कारबार के संबंध में सेवाओं की प्रदाय का मूल्य निम्नलिखित होगा-

(क) किसी पोलिसी धारक से प्रभारित सकल प्रीमियम, जिसमें से विनिधान के लिए आबंटित रकम को घटा दिया जाएगा, होगा या पोलिसी धारक की ओर से बचत होगा, यदि ऐसी रकम की सूचना सेवा की प्रदाय के समय पोलिसी धारक को दे दी गई है ;

(ख) खंड (क) से भिन्न एकल प्रीमियम वार्षिक पोलिसियों की दशा में, पोलिसी धारक से प्रभारित एकल प्रीमियम का दस प्रतिशत ; या

(ग) अन्य सभी मामलों में पहले वर्ष में पोलिसी धारक से प्रभारित प्रीमियम का पच्चीस प्रतिशत और पश्चातवर्ती वर्षों में पोलिसी धारक से प्रभारित प्रीमियम का साढ़े बारह प्रतिशत :

परंतु इस नियम की कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां पोलिसी धारक द्वारा संदत्त संपूर्ण प्रीमियम केवल जीवन बीमा की जोखिम को समाविष्ट करने के लेखे है ।

(5) जहां पुराने माल या उपयोग किए गए माल को उस रूप में या ऐसे मामूली प्रसंस्करण के पश्चात्, जिससे माल की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्रय करने या विक्रय करने में लगे किसी व्यक्ति द्वारा कोई कराधेय प्रदाय उपलब्ध कराई जाती है और जहां ऐसे माल के क्रय पर कोई इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त नहीं किया गया है, वहां प्रदाय का मूल्य विक्रय कीमत और क्रय कीमत के बीच का अंतर होगा और जहां ऐसी प्रदाय का मूल्य नकारात्मक है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा :

परंतु व्यतिक्रमी उधार लेने वाले से, जो उधार या ऋण की वसूली के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत नहीं है, पुन: कब्जे में लिए गए माल का क्रय मूल्य व्यतिक्रमी उधार लेने वाले द्वारा ऐसे माल की क्रय कीमत में क्रय की तारीख और ऐसा पुन: कब्जा करने वाले व्यक्ति द्वारा उसके व्ययन की तारीख के बीच प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत घटाकर समझा जाएगा ।

(6) किसी टोकन या बाउचर या कूपन या स्टांप (डाक स्टांप से भिन्न), जो माल या सेवा या दोनों के विरुद्ध मोचनीय है, का मूल्य ऐसे टोकन, बाउचर, कूपन या स्टांप के विरुद्ध मोचनीय माल या सेवा या दोनों के धनीय मूल्य के बराबर होगा ।

(7) सेवा प्रदाता के ऐसे वर्ग द्वारा उपलब्ध कराई गई कराधेय ऐसी सेवाओं का मूल्य, जो धारा 25 में यथानिर्दिष्ट विभिन्न व्यक्तियों के बीच अनुसूची 1 के पैरा 2 में यथानिर्दिष्ट परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, जहां इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध है, शून्य समझा जाएगा ।

33. केवल अभिकर्ता की दशा में सेवाओं की प्रदाय का मूल्य - इस अध्याय के उपबंधों में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी किसी प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में उपगत व्यय या लागत को प्रदाय के मूल्य से अपवर्जित कर दिया जाएगा, यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी की जाती हैं, अर्थात् :--

(i) प्रदायकर्ता, तब प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, जब वह ऐसे प्राप्तिकर्ता द्वारा दिए गए प्राधिकार पर तीसरे पक्षकार को संदाय करता है ;

(ii) प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की ओर से केवल अभिकर्ता द्वारा किए गए संदाय को सेवा के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता द्वारा जारी बीजक में पृथकतया उपदर्शित किया गया है ; और

(iii) केवल अभिकर्ता द्वारा तीसरे पक्षकार से उपाप्त प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में की गई प्रदाय, उन सेवाओं के अतिरिक्त है, जिनकी प्रदाय वह अपने स्वयं के खाते से करता है ।

स्पष्टीकरण -- इस नियम के प्रयोजनों के लिए ''केवल अभिकर्ता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो-

(क) माल या सेवाओं या दोंनों की प्रदाय के दौरान व्यय या लागत उपगत करने के लिए प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए उसके साथ संविदात्मक करार करता है ;

(ख) प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में इस प्रकार उपाप्त या प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों का कोई भी शीर्षक न तो धारण करने का आशय रखता है, न धारण करता है ;

(ग) इस प्रकार उपाप्त ऐसे माल या सेवाओं का अपने स्वयं के लिए उपयोग नहीं करता है ; और

(घ) ऐसी प्रदाय के लिए प्राप्त रकम के अतिरिक्त, जो वह अपने स्वयं के लेखे उपलब्ध कराता है, ऐसे माल या सेवाएं उपाप्त करने के लिए उपगत केवल वास्तविक रकम ही प्राप्त करता है ।

दृष्टांत : कारपोरेट सेवाएं फर्म क, कंपनी ख के निगमन से संबंधित विधिक कार्य को करने में लगी हुई है । क, ख से उसकी सेवा के लिए फीस से भिन्न, कंपनी रजिस्ट्रार को संदत्त कंपनी के नाम के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस और अनुमोदन फीस भी वसूल करता है, कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा नाम के रजिस्ट्रीकरण और अनुमोदन के लिए प्रभारित फीस अनिवार्य रूप से ख पर उद्गृहीत है । क, उन फीसों के संदाय में मात्र केवल अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है । इसलिए क के ऐसे व्ययों की वसूली एक संवितरण है और क द्वारा ख को की गई प्रदाय के मूल्य का भाग नहीं है ।

34. मूल्य के अवधारण के लिए भारतीय रुपए से भिन्न मुद्रा के विनिमय की दर - कराधेय माल या सेवा या दोनों के मूल्य के अवधारण के लिए विनिमय की दर, अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 12 या धारा 13 के निबंधनानुसार ऐसी प्रदाय की बाबत प्रदाय के समय की तारीख पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अवधारित उस मुद्रा के लिए लागू निर्देश दर होगी ।

35. एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर को मिलाकर प्रदाय का मूल्य- जहां प्रदाय के मूल्य में, यथास्थिति, एकीकृत कर या केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर सम्मिलित हैं, वहां कर की रकम को निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :--

कर की रकम = (करों सहित मूल्य X यथास्थिति, आईजीएसटी या सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के प्रतिशत में कर की दर) » (100+ कर दरों की राशि, जो प्रतिशत में लागू है)

स्पष्टीकरण : इस अध्याय के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए,-

(क) माल, सेवा या दोनों की प्रदाय के "खुले बाजार मूल्य" पद से ऐसा संपूर्ण धनीय मूल्य अभिप्रेत है, जो एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और किसी संव्यवहार में किसी व्यक्ति द्वारा संदेय उपकर को अपवर्जित करने पर आता है, जहां प्रदाय का प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता संबंधित नहीं हैं और उस समय, जब प्रदाय का मूल्य किया जाता है, ऐसी प्रदाय को अभिप्राप्त करने के लिए कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है ;

(ख) ''उसी प्रकार के और उसी क्वालिटी के माल या सेवा या दोनों की प्रदाय'' पद से उन्हीं परिस्थितियों के अधीन माल या सेवा या दोनों की, की गई कोई अन्य प्रदाय अभिप्रेत है, जो पहले उल्लिखित माल या सेवा या दोनों की विशेषता, क्वालिटी, मात्रा, कृत्यकारी संघटक, सामग्रियों और ख्याति के संबंध में माल या सेवाओं या दोनों की उस प्रदाय के प्रकार की या निकटतम अथवा सारत: उसके सदृश्य हैं ।

अध्याय 5

इनपुट कर प्रत्यय

36. इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने के लिए दस्तावेजी अपेक्षाएं और शर्तें (1) इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित किसी दस्तावेज के आधार पर इनपुट सेवा वितरक भी है, अर्थात् :--

(क) धारा 31 के उपबंधों के अनुसार माल या सेवा या दोनों के प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया गया बीजक ;

(ख) कर के संदाय के अध्यधीन धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (च) के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया बीजक ;

(ग) धारा 34 के उपबंधों के अनुसार किसी प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया गया नामे नोट ;

(घ) प्रवेश पत्र या आयातों पर एकीकृत कर के निर्धारण के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अन्य वैसा ही दस्तावेज ;

(ड.) इनपुट सेवा वितरक बीजक या इनपुट सेवा वितरक जमा पत्र अथवा नियम 54 के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार इनपुट सेवा वितरक द्वारा जारी किया गया कोई दस्तावेज ।

(2) इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग केवल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा, यदि उक्त दस्तावेज में अध्याय 6 में यथाविनिर्दिष्ट लागू सभी विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं और उक्त दस्तावेज में यथा अंतर्विष्ट सुसंगत सूचना ऐसे व्यक्ति द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-2** में दी गई हैं ।

(3) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे कर की बाबत इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया जाएगा, जिसका संदाय किसी आदेश के अनुसरण में किया गया है, जहां ऐसी मांग की पुष्टि किसी कपट, जानबूझकर किए गए गलत कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण की गई है ।

37. प्रतिफल के असंदाय की दशा में इनपुट कर प्रत्यय की वापसी - (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवा या दोनों की किसी आवक प्रदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है, किन्तु धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उस पर संदेय कर सहित ऐसी प्रदाय के मूल्य का उसके प्रदायकर्ता को संदाय करने में असफल होता है, बीजक के जारी किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के ठीक पश्चात् वाले मास के लिए, ऐसी प्रदाय, संदत्त नहीं किए गए मूल्य की रकम प्रदायकर्ता को संदत्त नहीं की गई ऐसे रकम के अनुपात में उपभोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम के ब्यौरे **प्ररूप जीएसटीआर-2** में देगा :

परंतु उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिफल के बिना की गई प्रदाय का मूल्य, धारा 16 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट इनपुट कर प्रत्यय की रकम को उस मास के लिए, जिसमें ब्यौरे दिए गए हैं, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा ।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी प्रदाययों पर प्रत्यय का उपभोग करने की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि से उपनियम (2) में यथा उल्लिखित आउटपुट कर दायित्व में जोड़ी गई रकम के संदाय करने की तारीख तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित दर से ब्याज कर संदाय करने का दायी होगा ।

(4) धारा 16 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा अधिनियम के उपबंधों या इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार किसी ऐसे प्रत्यय का पुन: उपभोग करने के लिए लागू नहीं होगी, जिसे पूर्व में वापस कर दिया गया था ।

38. किसी बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय संस्था द्वारा प्रत्यय का दावा - कोई बैंककारी कंपनी या कोई वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत ऐसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है, जो जमा स्वीकार करने या उधार देने या अग्रिम देने के रूप में सेवाओं की प्रदाय में लगी हुई है, जिसने धारा 17 की उपधारा (2) के उपबंधों की उस धारा की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात विकल्प के अनुसार अनुपालना नहीं करने का चुनाव किया है, निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, अर्थात् :--

(क) (i) उक्त कंपनी या संस्था इनपुटों और गैर कारबार प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का उपभोग नहीं करेगी ; और

(ii) **प्ररूप जीएसटीआर-2** में धारा 17 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट प्रदाययों के कारण किए गए प्रत्यय के प्रत्यय का उपभोग नहीं करेगी ।

(ख) उक्त कंपनी या संस्था धारा 17 की उपधारा (4) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट तथा खंड (क) के अधीन नहीं आने वाले इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का उपभोग करेगी ;

(ग) इनपुट कर की शेष रकम का पचास प्रतिशत कंपनी या संस्था को अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय होगा और **प्ररूप जीएसटीआर-2** में दिया जाएगा ;

(घ) खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट रकम को धारा 41, धारा 42 और धारा 43 के उपबंधों के अध्यधीन उक्त कंपनी या संस्था के इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा कर दिया जाएगा ।

39. इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के वितरण की प्रक्रिया - (1) इनपुट सेवा वितरक इनपुट कर प्रत्यय का वितरक निम्नलिखित रीति में और शर्तों के अध्यधीन करेगा, अर्थात् :--

(क) किसी मास में वितरण के लिए उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय को उसी मास में वितरित किया जाएगा और उसके ब्यौरे इन नियमों के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुसार **प्ररूप जीएसटीआर-6** में दिए जाएंगे ;

(ख) इनपुट सेवा वितरक खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार अपात्र इनपुट कर प्रत्यय की रकम को (धारा 17 की उपधारा (5) के उपबंधों के अध्यधीन या अन्यथा पात्र) और पात्र इनपुट कर प्रत्यय की रकम को अलग से वितरित करेगा ;

(ग) केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय को खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार अलग से वितरित किया जाएगा ;

(घ) ऐसा इनपुट कर प्रत्यय, जो प्राप्तिकर्ताओं में किसी एक 'आर1' चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं में से, जिनको इनपुट कर प्रत्यय किया जाना है, जिसके अंतर्गत ऐसे प्राप्तिकर्ता भी हैं, जो छूट प्राप्त प्रदाय करने में लगे हुए हैं या किसी कारण से अन्यथा रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) के उपबंधों के अनुसार वितरित किया जाना अपेक्षित है, "सी1" रकम होगा, जिसे निम्नलिखित सूत्र लागू करके संगणित किया जाएगा,--

$$\textbf{सी}_1 = (\textbf{टी}_1 \div \textbf{टी}) \times \textbf{सी}$$

जहां,

"सी", वितरित किए जाने वाले प्रत्यय की रकम है,

"$टी_1$", $आर_1$ व्यक्ति का, सुसंगत अवधि के दौरान, धारा 20 में यथा निर्दिष्ट आवर्त है, और

"टी", सुसंगत अवधि के दौरान, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं का, जिनके प्रति धारा 20 के उपबंधों के अनुसार इनपुट सेवा निर्धारित की गई है, आवर्त का योग है ;

(ङ) एकीकृत कर के मद्दे प्रत्येक प्राप्तिकर्ता को इनपुट कर प्रत्यय का एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वितरण किया जाएगा ;

(च) केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का,--

(i) उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित प्राप्तिकर्ता के संबंध में, जिसमें इनपुट सेवा वितरक अवस्थित है, वितरण क्रमश: केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के इनपुट कर प्रत्यय के रूप में किया जाएगा ;

(ii) इनपुट सेवा वितरक के राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी प्राप्तिकर्ता के संबंध में, वितरण एकीकृत रूप के रूप में किया जाएगा और इस प्रकार वितरित की जाने वाली रकम केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के इनपुट कर प्रत्यय की रकम के उस योग के बराबर होगी, जो खंड (घ) के अनुसार ऐसे प्राप्तिकर्ता के प्रति वितरण के लिए सीमित है ;

(छ) इनपुट सेवा वितरक, नियम 54 के उपनियम (1) में यथा विहित इनपुट सेवा वितरक बीजक जारी करेगा, ऐसे बीजक में स्पष्टत: उपदर्शित होगा कि इसे केवल इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए जारी किया गया है ;

(ज) इनपुट सेवा वितरक, किसी कारण से पहले वितरित इनपुट कर प्रत्यय को घटाए जाने की दशा में प्रत्यय को घटाए जाने के लिए, नियम 54 के उपनियम (1) में यथा विहित इनपुट सेवा वितरक प्रत्यय नोट जारी करेगा ;

(झ) प्रदायकर्ता द्वारा किसी इनपुट सेवा वितरक को किसी नामे नोट के जारी किए जाने के कारण इनपुट कर प्रत्यय की किसी अतिरिक्त रकम का वितरण खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट रीति में और उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा और किसी प्राप्तिकर्ता के लिए निर्धारित रकम की संगणना खंड (घ) में उपबंधित रीति में की जाएगी और ऐसे प्रत्यय का उस मास में वितरण किया जाएगा, जिसमें नामे नोट को **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 6** में विवरणी में सम्मिलित किया गया है ;

(ञ) प्रदायकर्ता द्वारा इनपुट सेवा वितरक को किसी नामे नोट के जारी किए जाने के कारण घटाए जाने के लिए अपेक्षित कोई इनपुट कर प्रत्यय का प्रभाजन, प्रत्येक प्राप्तिकर्ता के लिए उस अनुपात में किया जाएगा, जिसमें मूल बीजक में अंतर्विष्ट इनपुट कर प्रत्यय का वितरण खंड (घ) के निबंधनानुसार किया गया था और इस प्रकार प्रभाजित रकम को,--

(i) उस मास में, जिसमें **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 6** में विवरणी सम्मिलित किया जाता है, वितरित की जाने वाली रकम में से घटाया जाएगा ; या

(ii) प्राप्तिकर्ता के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा, जहां इस प्रकार प्रभाजित रकम ऐसे वितरण के अधीन, जो समायोजित की जाने वाली रकम से कम है, प्रत्यय की रकम के आधार पर नकारात्मक है ।

(2) यदि किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा वितरित इनपुट कर प्रत्यय की रकम को किन्हीं प्राप्तिकर्ताओं के लिए किसी अन्य कारण से, जिसके अंतर्गत वह कारण भी है, कि इनपुट सेवा वितरक द्वारा दिए गलत प्राप्तिकर्ताओं को वितरित कर दिया गया था, बाद में कम कर दिया जाता है, तो प्रत्यय के घटाए जाने के लिए उपनियम (1) के खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी ।

(3) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, इनपुट सेवा वितरक, उपनियम (1) के खंड (5) में विनिर्दिष्ट इनपुट सेवा वितरक को नामे नोट के आधार पर ऐसे प्रत्यय के लिए हकदार प्राप्तिकर्ता के प्रति एक इनपुट सेवा वितरक बीजक जारी करेगा और इनपुट सेवा वितरक नामे नोट तथा इनपुट सेवा वितरक बीजक को उस मास के लिए, जिसमें ऐसा प्रत्यय नोट और बीजक जारी किया गया था, **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 6** में विवरणी में सम्मिलित करेगा।

40. विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय का दावा करने की रीति–(1) स्टाक में धारित इनपुट या स्टाक में धारित अर्द्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट पर और उक्त उपधारा के खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार पूंजी माल पर दावा किए गए प्रत्यय पर धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दावा किया गया इनपुट कर प्रत्यय निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् :--

(क) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के निबंधनानुसार, पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय का दावा, ऐसे पूंजी माल पर संदत्त कर को, बीजक या ऐसे अन्य दस्तावेजों, जिनके आधार पर कराधेय व्यक्ति द्वारा पूंजी माल प्राप्त किया गया था, की तारीख से, किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए पांच प्रतिशत पाइंट तक कम करने के पश्चात्, किया जाएगा ;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसके धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करने हेतु पात्र होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, इलैक्ट्रानिक रूप से, **प्ररूप जी.एस.टी. आई.टी.सी. 01** में, सामान्य पोर्टल पर, इस प्रभाव की घोषणा करेगा कि वह यथापूर्वोक्त इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करने का पात्र है ;

(ग) खंड (ख) के अधीन घोषणा में स्पष्टत:,--

(i) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन दावे की दशा में, उस तारीख से, जिसको वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर संदाय के लिए दायी हुआ था, ठीक पूर्ववर्ती दिन को ;

(ii) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन दावे की दशा में, रजिस्ट्रीकरण प्रदाय किए जाने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को ;

(iii) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन दावे की दशा में, उस तारीख से, जिसको वह धारा 9 के अधीन कर संदाय के लिए दायी हुआ था, ठीक पूर्ववर्ती दिन को ;

(iv) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन दावे की दशा में, उस तारीख से, जिससे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए प्रदाय कराधेय हुए है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को,

यथास्थिति, स्टाक में धारित इनपुट या स्टाक में धारित अर्द्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट पूंजी माल के संबंध में ब्यौरे विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(घ) यदि केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के मद्दे दावे का कुल मूल्य दो लाख रुपए से अधिक है तो खंड (ख) के अधीन घोषणा में दिए गए ब्यौरे किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित होंगे ;

(ङ) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय को तत्स्थानी प्रदायकर्ता द्वारा, यथास्थिति, **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 1** या **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 4** में, सामान्य पोर्टल पर, दिए गए तत्स्थानी ब्यौरों के अनुसार सत्यापित किया जाएगा ।

(2) धारा 18 की उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के प्रदाय की दशा में, प्रत्यय की रकम, ऐसे माल के लिए बीजक जारी करने की तारीख से, किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए, ऐसे माल पर इनपुट कर को पांच प्रतिशत पांइट तक कम करके, संगणित की जाएगी ।

41. कारबार के विक्रय, विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण पर प्रत्यय का अंतरण--(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी कारण से कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण या परिवर्तन की दशा में, इलैक्ट्रानिक रूप से, सामान्य पोर्टल पर, **प्ररूप जी.एस.टी.आर. आई.टी.सी. 02 में,** अंतरिती के इलैक्ट्रानिक जमा खाते में पड़े हुए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के अंतरण के लिए अनुरोध के साथ कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टे या अंतरण के ब्यौरे देगा :

परंतु निर्विलयन की दशा में इनपुट कर प्रत्यय को निर्विलयन स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट नई इकाइयों की आस्तियों के मूल्य के अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा ।

(2) अंतरक किसी भी व्यवसायरत चार्टर अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा यह प्रमाणित करते हुए कि कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण दायित्वों के अंतरण संबंधी विनिर्दिष्ट उपबंध के अनुसार किया गया है, जारी प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करेगा ।

(3) अंतरिती, सामान्य पोर्टल पर, अंतरक द्वारा इस प्रकार दिए गए ब्यौरों को प्रतिगृहीत करेगा और ऐसे प्रतिग्रहण पर, **प्ररूप जी.एस.टी.आर. आई.टी.सी. 02 में,** विनिर्दिष्ट अनुपयोजित प्रत्यय उसके इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा हो जाएगा ।

(4) इस प्रकार अंतरित इनपुट और पूंजी माल को, अंतरिती द्वारा उसकी लेखा पुस्तक में सम्यक् रूप से हिसाब में लिया जाएगा ।

42. इनपुटों या इनपुट सेवाओं और उनके विपर्यय के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के अवधारण की रीति—(1) ऐसे इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय का, जिन्हें धारा 17 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंध लागू होते हैं, जिनका भागत: उपयोग कारबार के प्रयोजनों के लिए किया गया है और भागत: अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया है या जिनका भागत उपयोग कराधेय प्रदायों को, जिनके अंतर्गत शून्य दर प्रदाय भी हैं, प्रभाव देने के लिए और भागत: छूट प्राप्त प्रदायों को प्रभाव देने के लिए किया गया है, इनपुट कर प्रत्यय निम्नलिखित रीति से कारबार के प्रयोजन के लिए या प्रभावित कराधेय प्रदायों के लिए निर्धारित होगा, अर्थात् :--

(क) किसी कर अवधि में इनपुटों और इनपुट सेवाओं में अंतर्वलित कुल इनपुट कर 'टी' के रूप में द्योतक होगा ;

(ख) 'टी' में से इनपुट कर की रकम, जो कारबार से भिन्न प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए आशयित इनपुटों और इनपुट सेवाओं के लिए निर्धारणीय है, '$टी_1$' के रूप में द्योतक होगी ;

(ग) 'टी' में से इनपुट कर की रकम, जो प्रभावित छूट प्राप्त प्रदायों के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए आशयित इनपुटों और इनपुट सेवाओं के लिए निर्धारणीय है, '$टी_2$' के रूप में द्योतक होगी ;

(घ) 'टी' में से इनपुट कर की रकम, ऐसे इनपुटों और इनपुट सेवाओं के संबंध में, जिन पर धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्यय उपलब्ध नहीं है, '$टी_3$' के रूप में द्योतक होगी ;

(ङ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा इनपुट कर प्रत्यय की रकम 'सी' के रूप में द्योतक होगी और निम्नानुसार संगणित की जाएगी,--

$$\text{सी}_1 = \text{टी} - (\text{टी}_1 + \text{टी}_2 + \text{टी}_3);$$

(च) छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न, किंतु शून्य दर प्रदायों सहित प्रभावित प्रदायों के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए आशयित इनपुटों और इनपुट सेवाओं के लिए निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय की रकम 'टी$_4$' के रूप में द्योतक होगी ;

(छ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, 'टी$_1$', 'टी$_2$', 'टी$_3$' और 'टी$_4$' का अवधारण और उसकी घोषणा **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 02 में** बीजक स्तर पर की जाएगी ;

(ज) खंड (छ) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के निर्धारण के पश्चात् बचे हुए इनपुट कर प्रत्यय को सामान्य प्रत्यय कहा जाएगा, जो 'सी$_2$' के रूप में द्योतक होगी और उसकी संगणना निम्नानुसार की जाएगी,--

$$\text{सी}_2 = \text{सी}_1 - \text{टी}_4\ ;$$

(झ) छूट प्राप्त प्रदायों के मद्दे निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय कर रकम 'डी$_1$' के रूप में द्योतक होगी और निम्नानुसार संगणित की जाएगी,--

$$\text{डी}_1 = (\text{ई} \div \text{एफ}) \times \text{सी}_2\ ;$$

जहां,

'**ई**', कर अवधि के दौरान छूट प्राप्त प्रदायों का कुल मूल्य है, और

'एफ', रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के राज्य में कर अवधि के दौरान कुल आवर्त है :

परंतु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का उक्त कर अवधि के दौरान कोई आवर्त नहीं है या पूर्वोक्त सूचना उपलब्ध नहीं है, वहां 'ई/एफ' के मूल्य की संगणना, उस मास के पूर्व की, जिसके दौरान 'ई/एफ' के उक्त मूल्य की संगणना की जानी है, ऐसी अंतिम कर अवधि के, जिसके लिए ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध है, 'ई' और 'एफ' के मूल्यों को हिसाब में लेते हुए की जाएगी ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त प्रदायों का संकलित मूल्य और कुल आवर्त को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उद्गृहीत शुल्क या कर की रकम में से अपवर्जित किया जाएगा ;

(ञ) गैर कारबार प्रयोजनों के लिए, निर्धारणीय प्रत्यय की रकम को, यदि सामान्य इनपुटों और इनपुट सेवाओं का उपयोग भागत: कारबार के लिए और भागत: गैर कारबार प्रयोजनों के लिए किया जाता है, 'डी$_2$' के रूप में द्योतक होगी और 'सी$_2$' के पांच प्रतिशत के बराबर होगी ;

(ट) शेष सामान्य कर प्रत्यय कारबार के प्रयोजनों के लिए और छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न प्रभावित प्रदायों के लिए, किंतु इसमें शून्य दर प्रदाय सम्मिलित हैं, निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय के लिए उपयुक्त होगा और 'सी$_3$' के रूप में द्योतक होगा, जहां,--

$$\text{सी}_3 = \text{सी}_2 - (\text{डी}_1 + \text{डी}_2);$$

(ठ) केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए रकम 'सी$_3$' की संगणना पृथक् रूप से की जाएगी ;

(ड) 'डी$_1$' और 'डी$_2$' के योग के बराबर रकम को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ा जाएगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जहां इनपुटों और इनपुट सेवाओं से संबंधित इनपुट कर की रकम की, जिसका भागत: उपयोग कारबार से भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया है और भागत: उपयोग प्रभावित छूट प्राप्त प्रदायों के लिए किया गया है, पहचान कर ली गई है और बीजक स्तर पर उसे पृथक् कर दिया गया है, वहां उसे क्रमश: 'टी$_1$' और 'टी$_2$' में सम्मिलित किया जाएगा और ऐसे इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर प्रत्यय की शेष रकम को 'टी$_4$' में सम्मिलित किया जाएगा ।

(2) किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपनियम (1) के अधीन अवधारित इनपुट कर प्रत्यय की अंतिम रूप से संगणना, उस वित्तीय वर्ष के अंत के, जिससे ऐसा कर प्रत्यय संबंधित है, आगामी सितंबर मास में विवरणी देनेके लिए देय तारीख से पूर्व उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी, और,--

(क) जहां 'डी$_1$' और 'डी$_2$' के संबंध में, अंतिम रूप से संगणित संकलित रकमें, 'डी$_1$' और 'डी$_2$' के संबंध में उपनियम (1) के अधीन अवधारित संकलित रकमों से अधिक है, वहां ऐसे आधिक्य को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की, उस मास में के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा, जो ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के, जिससे ऐसा प्रत्यय संबंधित है, आगामी सितंबर मास के अपश्चात् है, और उक्त व्यक्ति, उक्त आधिक्य रकम पर, उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की एक अप्रैल से आरंभ होने वाली संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए धारा 50 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ; और

(ख) जहां 'डी$_1$' और 'डी$_2$' के संबंध में, उपनियम (1) के अधीन अवधारित संकलित रकमें, 'डी$_1$' और 'डी$_2$' के संबंध में अंतिम रूप से संगणित संकलित रकमों से अधिक है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के, जिससे ऐसा प्रत्यय संबंधित है, आगामी सितंबर मास के अपश्चात् किसी मास के लिए उसकी विवरणी में ऐसी आधिक्य रकम का दावा प्रत्यय के रूप में किया जाएगा ।

43. पूंजी माल और कतिपय मामलों में उसके विपर्यन के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के अवधारण की रीति-- (1) धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय, जिसे धारा 17 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध लागू होते हैं, जिनका भागत: उपयोग कारबार के प्रयोजन के लिए और भागत: उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया है या भागत: उपयोग शून्य दर प्रदायों सहित प्रभावित कराधेय प्रदायों के लिए और भागत: प्रभावित छूट प्राप्त प्रदायों के लिए किया गया है, निम्नलिखित रीति में कारबार के प्रयोजनों के लिए या प्रभावित कराधेय प्रदायों के लिए निर्धारित किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) गैर कारबारी प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित या प्रभावित छूट प्राप्त प्रदायों के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर की रकम को **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 02** में उपदर्शित किया जाएगा और उसे उसके इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा नहीं किया जाएगा ;

(ख) छूट प्रास प्रदायों से भिन्न, किंतु शून्य दर प्रदायों सहित प्रभावित प्रदायों के लिए प्रयुक्त या अनन्य रूप से प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर की रकम **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 02** में उपदर्शित की जाएगी और उसे इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किया जाएगा ;

(ग) 'ए' के रूप में द्योतक ऐसे पूंजी माल के संबंध में, जो खंड (क) और खंड (ख) के अधीन नहीं आते हैं, इनपुट कर की रकम को इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किया जाएगा और ऐसे माल का उपयोगी जीवन, ऐसे माल के बीजक की तारीख से पांच वर्ष होगा :

परंतु जहां ऐसे पूंजी माल, जो पहले खंड (क) के अधीन आते थे, बाद में इस खंड के अधीन आते हैं, वहां 'ए' का मूल्य प्रत्येक तीन मास के लिए या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत पाइंट की दर पर इनपुट कर को घटाकर प्राप्त किया जाएगा और 'ए' की रकम को इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किया जाएगा ;

स्पष्टीकरण : खंड (क) के अधीन घोषित पूंजी माल की किसी मद को, उसकी प्राप्ति पर धारा 18 की उपधारा (4) के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि वह पहले इस खंड के अंतर्गत आती है ।

(घ) '$टी_{सी}$' के रूप में घोतक खंड (ग) के अधीन इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की गई 'ए' की संकलित रकमें किसी कर अवधि के लिए पूंजी माल के संबंध में सामान्य प्रत्यय होंगी :

परंतु जहां कोई ऐसा पूंजी माल, जो पहले खंड (ख) के अंतर्गत आता है, वहां प्रत्येक तीन मास या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत पाइंट की दर पर इनपुट कर को कम करके प्राप्त 'ए' के मूल्य को '$टी_{सी}$' के संकलित मूल्य में जोड़ दिया जाएगा ;

(ङ) सामान्य पूंजी माल पर उसके उपयोगी जीवन के दौरान किसी कर अवधि के लिए निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय की रकम '$टी_{एम}$' के रूप में द्योतक होगी और उसकी संगणना निम्नानुसार की जाएगी,--

$$टी_{एम} = टी_{सी} \div 60$$

(च) ऐसे सभी सामान्य पूंजी माल पर, जिसका उपयोगी जीवन कर अवधि के दौरान अतिशेष है, कर अवधि के प्रारंभ पर इनपुट कर प्रत्यय की रकम **$टी_{आर}$** के रूप में द्योतक होगी और वह सभी पूंजी माल के लिए संकलित '**$टी_{एम}$**' होगी ;

(छ) छूट प्राप्त प्रदायों के मद्दे निर्धारणीय समान प्रत्यय की रकम '$टी_{ई}$' के रूप में द्योतक होगी और उसकी संगणना निम्नानुसार की जाएगी,--

$$टी_{ई} = (ई \div एफ) \times टी_{आर}$$

जहां,--

'ई' कर अवधि के दौरान किए गए छूट प्राप्त प्रदायों का संकलित मूल्य है, और

'एफ' कर अवधि के दौरान रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कुल आवर्त है :

परंतु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का उक्त कर अवधि के दौरान कोई आवर्त नहीं है या पूर्वोक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, वहां 'ई/एफ' के मूल्य की संगणना, उस मास से पहले की, जिसके दौरान 'ई/एफ' के उक्त मूल्य की संगणना की जानी है, उस अंतिम कर अवधि के, जिसके लिए ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध हैं, 'ई' और 'एफ' के मूल्यों को हिसाब में लेते हुए की जाएगी ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त प्रदायों का संकलित मूल्य और कुल आवर्त को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उद्गृहीत शुल्क या कर की रकम को अपवर्जित किया जाएगा ;

(ज) संबंधित पूंजी माल के उपयोगी जीवन की प्रत्येक कर अवधि के दौरान लागू ब्याज के साथ रकम '$टी_{ई}$' को, प्रत्यय का ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ा जाएगा ;

(2) केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के लिए रकम $टी_{ई}$ की संगणना पृथक् रूप से की जाएगी ।

44. विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय के विपर्यन की रीति—(1) धारा 8 की उपधारा (4) और धारा 29 की उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए, स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित और परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों और स्टाक में धारित पूंजी माल से संबंधित इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) स्टाक में धारित इनपुटों और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित और परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के लिए इनपुट कर प्रत्यय की संगणना अनुपातत: ऐसे तत्स्थानी बीजकों के आधार पर की जाएगी, जिन पर रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति द्वारा, ऐसे इनपुटों पर प्रत्यय का उपयोग किया गया है ;

(ख) स्टाक में धारित पूंजी माल के लिए, किसी मास में शेष उपयोगी जीवन में अंतर्वलित इनपुट कर प्रत्यय की संगणना उपयोगी जीवन के पांच वर्ष के रूप में ग्रहण करते हुए आनुपातिक आधार पर की जाएगी ।

दृष्टांत :

पूंजी माल चार वर्ष, छह मास और पन्द्रह दिन के लिए उपयोग में रहा है ।

शेष उपयोगी जीवन, महीनों में = पांच मास, उस मास के शेष भाग पर ध्यान न देते हुए

ऐसे पूंजी माल पर लिया गया इनपुट कर प्रत्यय = सी,

शेष उपयोगी जीवन के लिए निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय = 5/60 द्वारा गुणज सी

(2) एकीकृत कर और केंद्रीय कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट रकम का अवधारण पृथक् रूप से किया जाएगा ।

(3) जहां स्टाक में धारित इनपुटों से संबंधित कर बीजक उपलब्ध नहीं है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन रकम का प्राक्कलन, यथास्थिति, धारा 18 की उपधारा (4) या धारा 29 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के घटित होने की प्रभावी तारीख को माल की विद्यमान बाजार कीमत के आधार पर करेगा ।

(4) उपनियम (1) के अधीन अवधारित रकम रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आऊटपुट कर दायित्व का भागरूप होगी और ऐसी रकम के ब्यौरे, जहां ऐसी रकम धारा 18 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के संबंध में है, वहां **प्ररूप जी.एस.टी. आई.टी.सी. 03** में और जहां ऐसी रकम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के संबंध में है, वहां **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 10** में दिए जाएंगे ।

(5) उपनियम (3) के अनुसार दिए गए ब्यौरे किसी व्यवसायरत चार्टर अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित होंगे ।

(6) पूंजी माल के संबंध में धारा 18 की उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अवधारण उसी रीति में किया जाएगा, जो उपनियम (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट है और आई.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. के इनपुट कर प्रत्यय के लिए पृथक् रूप से रकम का अवधारण किया जाएगा ।

परंतुक जहां इस प्रकार अवधारित रकम, पूंजी माल के संव्यवहार मूल्य पर अवधारित कर से अधिक है, वहां अवधारित रकम आऊटपुट कर दायित्व का भागरूप होगी और उसे **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 01** में दिया जाएगा ।

45. छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए इनपुटों और पूंजी माल के संबंध में शर्तें और निर्बंधन-- (1) इनपुटों, अर्ध परिरूपित माल या पूंजी माल, छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को प्रधान द्वारा जारी चालान के साथ भेजा जाएगा, जिसके अंतर्गत ऐसी स्थिति भी है, जहां ऐसा माल किसी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को सीधे भेजा जाता है ।

(2) छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा जारी चालान में नियम 55 में विनिर्दिष्ट ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे ।

(3) तिमाही के दौरान किसी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए माल या छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार से प्राप्त माल या किसी छुटपुट कर्मकार किसी अन्य को भेजे गए के संबंध में चालानों के ब्यौरों को तिमाही से उत्तरवर्ती मास के पच्चीसवें दिन पर या पहले की अवधि के लिए दिए गए **प्ररूप जीएसटी आईटीसी -1** में सम्मिलित किया जाएगा ।

(4) जहां प्रधान को, धारा 143 में नियत समय के भीतर इनपुट या पूंजी माल वापस नहीं किया जाता है, यह समझा जाएगा कि ऐसे इनपुट या पूंजीमाल प्रधान द्वारा छुटपुट कर्मकार को, उस दिन पर जब उक्त इनपुट और पूंजीमाल भेजे गए, प्रदायित किए गए थे और उक्त प्रदाय **प्ररूप जीएसटी आर - 1** में घोषित किया जाएगा और प्रधान कर के साथ लागू ब्याज के संदेय के लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,--

(1) "पूंजी माल" पद के अंतर्गत धारा 17 के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित "संयंत्र और मशीनरी" भी है ;

(2) धारा 17 की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट छूट प्राप्त प्रदाय के मूल्य के अवधारण के लिए,--

(क) भूमि और भवन के मूल्य को उसी रूप में लिया जाएगा, जैसे स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए अंगीकार किया गया है ; और

(ख) प्रतिभूति के मूल्य को, ऐसी प्रतिभूति के विक्रय मूल्य के एक प्रतिशत के रूप में लिया जाएगा ।

अध्याय 6

कर बीजक, प्रत्यय और विकलन टिप्पण

46. कर बीजक – नियम 54 के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धारा 31 में निर्दिष्ट कर बीजक जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं, जारी किए जाएंगे, अर्थात् :-

(क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल या सेवा कर पहचान संख्या;

(ख) चौदह अक्षर से अनदिक क्रमिक क्रम संख्यांक, एक या बहु क्रम में, जिसके अन्तर्गत वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण - हाइफन या डेश या स्लेस प्रतीक जैसे "-"और "/" क्रमशः और उनका कोई संयोजन, वितीय वर्ष के लिए यूनिक होगा

(ग) उसके जारी करने की तारीख;

(घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल और सेवाकर पहचान संख्या या विशिष्ट पहचान संख्या यदि रजिस्ट्रीकृत है;

(ङ) प्राप्तिकर्ता का नाम पता और परिदान का पता, राज्य के नाम और उसके कोड के साथ, यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता अरजिस्ट्रीकृत है और जहां कराधेय प्रदाय का मूल्य पचास हजार रुपये या उससे अधिक है;

(च) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता और परिदान के पते के लिए राज्य का नाम और उसका कोड, यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता अरजिस्ट्रीकृत है और जहां कराधेय प्रदाय का मूल्य पचास हजार रुपए से कम है और प्राप्तिकर्ता प्रार्थना करता है कि ऐसा ब्यौरा कर बीजक में अभिलिखित किया जाए;

(छ) माल और सेवा का नामपद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली;

(ज) मालों और सेवाओं का वर्णन;

(झ) माल और ईकाई या उसके यूनिक मात्रा कोड की दशा में, मात्रा;

(ञ) मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का कुल मूल्य;

(ट) छूट या उपशमन को हिसाब में लेते हुए माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का काराधेय मूल्य;

(ठ) कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर या सेस);

(ड) कराधेय मालों या सेवाओं की बाबत भारित कर की रकम (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या सेस);

(ढ) राज्य के नाम के साथ प्रदाय का स्थान, अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में प्रदाय की दशा में;

(ण) परिदान का पता जहां वह प्रदाय के स्थान से भिन्न है;

(त) क्या कर आरक्षित भार आधार पर देय है; और

(थ) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर:

परन्तु आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा-

(i) माल या सेवाओं के लिए नाम पद्धति कोड की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली की संख्या, जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई ऐसी अवदि के लिए उल्लेख अपेक्षित होगा; और

(ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग जिनसे माल और सेवाओं के लिए नामपद्धति कोड की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई ऐसी अवधि के लिए अपेक्षित नहीं होगा:

परन्तु यह और कि जहां धारा 31 की उप-धारा (3) के खंड (च) के अधीन बीजक जारी किया जाना अपेक्षित है, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन आने वाले प्रदायों के लिए मास के अंत में समेकित बीजक जारी कर सकता है, जब एक दिन में किसी प्रदायकर्ता या सभी प्रदायकर्ताओं से ऐसे प्रदायों का समुचित मूल्य पांच हजार से अधिक है ।

परन्तु, यह कि माल और सेवाओं के निर्यात की दशा में बीजक में 'एकीकृत कर के संदाय पर निर्यात के लिए प्रदाय' या एकीकृत कर के संदाय के बिना बांड या करार या वचनबंध के अधीन निर्यात के लिए प्रदाय' जैसा भी मामला हो पृष्ठांकित होगा, और खंढ (ड) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे के बजाय, निम्नलिखित ब्यौरा अन्तर्विष्ट होगा, अर्थात्:-

(i) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता

(ii) परिदान का पता और

(iii) गंतव्य देश का नाम

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए धारा 31 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) प्राप्तिकर्ता एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं है; और

(ख) प्राप्तिकर्ता से ऐसा बीजक अपेक्षित नहीं होता है और सभी ऐसी प्रदाययों के संबंध में प्रत्येक दिन की समाप्ति पर ऐसी प्रदाय के लिए एकीकृत कर बीजक जारी करेगा ।

47. कर बीजक जारी करने के लिए समय सीमा -नियम 46 में निर्दिष्ट कर बीजक, सेवाओं की कराधेय प्रदाय की दशा में, सेवा की प्रदाय की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर जारी की जाएगी:

परन्तु जहां सेवाओं का प्रदायकर्ता एक बीमाकर्ता है या बैंकिग कंपनी है या वित्तीय संस्थान है जिसके अन्तर्गत एक गैर-बैंकिग वित्तीय संपनी भी है, वह अवधि जिसके भीतर बीजक या उसके बजाय कोई अन्य दस्तावेज जारी किया जाना है, सेवाओं की प्रदाय की तारीख से पैंतालिस दिवस होगी:

परन्तु यह और कि बीमाकर्ता या बैंकिंग कंपनी या एक वित्तीय संस्थान जिसके अन्तर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी है, या एक टेलिकाम प्रचालक या सेवा की प्रदायकर्ता का कोई अन्य वर्ग,

जैसा भी मामला हो, परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा, धारा 25 में विनिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के बीच सेवाओं की कराधेय प्रदाय के लिए, बीजक प्रदायकर्ता द्वारा लेखा बही में उसे अभिलिखित करने से पहले या उस समय या ऐसे त्रिमास की समाप्ति से पूर्व जिसके दौरान प्रदाय की गई थी, जारी कर सकेगा।

48. बीजक जारी करने की रीति.- (1) बीजक तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) मूल प्रति को "प्राप्तिकर्ता के लिए मूल" के रूप में चिह्नित किया जाएगा;

(ख) दूसरी प्रति "परिवाहक के लिए द्वप्रतिक" के रूप में चिह्नित कियाजाएगा; और

(ग) तीसरी प्रति "प्रदायकर्ता के लिए तिहरा" के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

(2) सेवाओं की प्रदाय की दशा में, निम्नलिखित रीति से, बीजक दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) मूल प्रति को "प्राप्तिकर्ता के लिए मूल" के रूप में चिह्नित किया जाएगा; और

(ख) द्वितीय प्रति को "प्रदायकर्ता के लिए द्वप्रतिक" के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

(3) कर अवधि के दौरान जारी बीजकों की क्रम संख्या **प्ररूप जीएसटी आर.11** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से दी जाएगी ।

49. प्रदाय का बिल-धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रदाय का बिल, निम्नलिखित ब्यौरों को अन्तर्विष्ट करते हुए प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया जाएगा, अर्थात्-

(क) प्रदायकर्ता का नाम,पता और माल तथा सेवा कर पहचान संख्या;

(ख) चौदह अक्षर से अनदिक क्रमिक क्रम संख्यांक, एक या बहु क्रम में, जिसके अन्तर्गत वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण - हाइफन या डेश या स्लेस प्रतीक जैसे "-"और "/" क्रमशः और उनका कोई संयोजन, वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा ;

(ग) उसके जारी करने की तारीख;

(घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल और सेवाकर पहचान संख्या या विशिष्ट पहचान संख्या यदि रजिस्ट्रीकृत है;

(ङ) माल और सेवा का नामपद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली

(च) मालों और सेवाओं या दोनों का वर्णन;

(छ) छूट या उपशमन को हिसाब में लेते हुए माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य;

(ज); प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर:

परन्तु नियम 46 का परन्तुक, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित उस नियम के अधीन जारी प्रदाय के बिल को लागू होगा

परन्तु यह और कि किसी गैर-कराधेय प्रदाय की बाबत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन जारी किसी कर बीजक या कोई अन्य समान दस्तावेज इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कर बीजक के रूप में माना जाएगा ।

50. प्राप्ति वाउचर -धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्राप्ति वाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात्

(क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल या सेवा कर पहचान संख्या;

(ख) चौदह अक्षर से अनदिक क्रमिक क्रम संख्यांक, एक या बहु क्रम में, जिसके अन्तर्गत वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण - हाइफन या डेश या स्लेस प्रतीक जैसे "-"और "/" क्रमशः और उनका कोई संयोजन, वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा;

(ग) उसके जारी करने की तारीख;

(घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल और सेवाकर पहचान संख्या या विशिष्ट पहचान संख्या यदि रजिस्ट्रीकृत है;

(ङ) मालों और सेवाओं का वर्णन;

(च) अग्रिम ली गई रकम;

(छ) कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर या सेस);

(ज) कराधेय मालों या सेवाओं की बाबत भारित कर की रकम (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या सेस);

(झ) राज्य के नाम के साथ प्रदाय का स्थान, अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में प्रदाय की दशा में;

(ञ) क्या कर आरक्षित भार आधार पर देय है; और

(ट) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर।

परन्तु अग्रिम की प्राप्ति के समय,--

(i) दर की दर अवधार्य नहीं है, कर 18 प्रतिशत की दर पर संदेय किया जाएगा

(ii) प्रदाय की प्रकृति अवधार्य नहीं है, उसे अन्तरराज्यीय प्रदाय के रूप में माना जाएगा

51. प्रतिदाय वाउचर – धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट प्रतिदाय बाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :--

(क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर ;

(ख) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में 16 से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिह्न-हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमश: "-" और "/" के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा ;

(ग) जारी करने की तारीख ;

(घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर या विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है तो ;

(ङ) नियम 50 के उपबंधों के अनुसार जारी प्राप्ति वाउचर का नंबर और तारीख ;

(च) उन मालों या सेवाओं का विवरण, जिनके संबंध में प्रतिदाय किया गया है ;

(छ) प्रतिदाय की गई रकम ;

(ज) कर की दर (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर) ;

(झ) ऐसे मालों या सेवाओं के संबंध में संदत्त कर की रकम (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर) ;

(ञ) क्या कर विलोम प्रभार आधार पर संदेय है ; और

(ट) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर ।

52. संदाय बाउचर—धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (छ) में निर्दिष्ट संदाय बाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :--

(क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है ;

(ख) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में 16 से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिह्न-हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमश: "-" और "/" के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा ;

(ग) जारी करने की तारीख ;

(घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर ;

(ङ) मालों या सेवाओं का विवरण ;

(च) संदत्त रकम ;

(छ) कर की दर (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर) ;

(ज) कराधेय मालों या सेवाओं के संबंध में कर की रकम (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर) ;

(झ) अंत:राज्य व्यापार या वाणिज्य के प्रक्रम में प्रदाय की दशा में राज्य के नाम के साथ प्रदाय का स्थान और उसका कूट ; और

(ञ) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर ।

53. पुनरीक्षित कर बीजक और प्रत्यय या नामे टिप्पण—(1) धारा 31 में निर्दिष्ट पुनरीक्षित कर बीजक और धारा 34 में निर्दिष्ट प्रत्यय या नामे टिप्पण में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :--

(क) "पुनरीक्षित बीजक" शब्द, जहां लागू होता है वहां उसे स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा ;

(ख) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर ;

(ग) दस्तावेज की प्रकृति ;

(घ) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में 16 से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिह्न-हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमश: "-" और "/" के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा ;

(ङ) दस्तावेज जारी करने की तारीख ;

(च) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर या विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है ;

(छ) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता तथा राज्य और उसके कूट सहित परिदान का पता, यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो ;

(ज) यथास्थिति, तत्स्थानी कर बीजक या प्रदाय के बिल की क्रम संख्या ;

(झ) कराधेय मालों या सेवाओं का मूल्य, कर की दर तथा यथास्थिति, प्रत्यय किए गए या प्राप्तिकर्ता के नामे डाले गए कर की रकम ; और

(ञ) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर ।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे उसे जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की तारीख से पूर्व किसी तारीख से रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है, वह रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से प्रभावी होने वाली कालावधि के दौरान की गई कराधेय आप्रदायों के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख तक पुनरीक्षित कर बीजक जारी कर सकेगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी प्राप्तिकर्ता को, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, को ऐसी अवधि के दौरान की गई सभी कराधेय आप्रदायों के संबंध में एकीकृत पुनरीक्षित कर बीजक जारी कर सकेगा :

परंतु यह और कि अंतराज्य आप्रदायों की दशा में, जहां प्रदाय का मूल्य दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है, एकीकृत पुनरीक्षित बीजक उस राज्य में स्थित सभी प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, पृथक् रूप से जारी किया जा सकेगा ।

(3) धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के उपबंधों के अनुसार संदेय किसी कर के लिए जारी कोई बीजक या नामे टिप्पण में स्पष्ट रूप से **"इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञेय नहीं"** शब्द अंतर्विष्ट होंगे ।

54. विशेष मामलों में कर बीजक—(1) किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा जारी, यथास्थिति, कोई इनपुट सेवा वितरक बीजक या इनपुट सेवा वितरक प्रत्यय टिप्पण में निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे :--

(क) इनपुट सेवा वितरक का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर ;

(ख) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृंखलाओं में 16 से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिह्न-हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्ट होंगे, जिन्हें क्रमश: "-" और "/" के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा ;

(ग) जारी करने की तारीख ;

(घ) प्राप्तिकर्ता, जिसे प्रत्यय वितरित किया गया है, का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर ;

(ङ) वितरित प्रत्यय की रकम ; और

(च) इनपुट सेवा वितरक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर :

परंतु जहां इनपुट सेवा वितरक किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी है, का कार्यालय है तो किसी कर बीजक में उसके स्थान पर कोई दस्तावेज शामिल होगा चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो चाहे क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित हो या नहीं किंतु उसमें यथा उपरोक्त वर्णित सूचना अंतर्विष्ट हो ।

(2) जहां इनपुट सेवा वितरक कोई बीमांकक या कोई बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था है, जिसके अंतर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी है, तो उक्त प्रदायकर्ता उसके स्थान पर कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, चाहे भौतिक रूप से या इलैक्ट्रानिकी रूप से जारी किया गया हो या उपलब्ध कराया गया हो या क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित हो या नहीं और चाहे उसमें कराधेय सेवा के प्राप्तिकर्ता का पता अंतर्विष्ट हो या नहीं किंतु उसमें नियम 46 के अधीन वर्णित अन्य सूचना अंतर्विष्ट हो ।

(3) जहां कराधेय सेवा का प्रदायकर्ता कोई माल परिवहन अभिकरण है, जो किसी माल वाहक में सड़क द्वारा मालों के परिवहन के संबंध में सेवाओं की प्रदाय कर रहा है, उक्त प्रदायकर्ता उसके स्थान पर चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा, जिसमें पारेषण का समग्र भाग, पारेषणकर्ता और पारेषिती का नाम, उस माल वाहक की रजिस्ट्रीकरण संख्या, जिसमें मालों का परिवहन किया जाता है, परिवहन किए जा रहे मालों के ब्यौरे मूल और गंतव्य स्थान के ब्यौरे, कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति, चाहे पारेषक या पारेषिती या माल परिवहन अभिकरण के रूप में, का माल और सेवाकर पहचान नंबर तथा अन्य सूचना, नियम 46 के अधीन यथावर्णित अन्य सूचना भी अंतर्विष्ट होगी ।

(4) जहां कराधेय सेवा का प्रदायकर्ता यात्री परिवहन सेवा की प्रदाय कर रहा है, कर बीजक में किसी भी रूप में टिकट सम्मिलित होगा, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, चाहे क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित

हो और चाहे उसमें सेवा के प्राप्तिकर्ता का पता अंतर्विष्ट हो या नहीं किंतु उसमें नियम 46 के अधीन यथावर्णित अन्य सूचना अंतर्विष्ट होगी ।

(5) उपनियम (2) या उपनियम (4) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित नियम 49 या नियम 50 या नियम 51 या नियम 52 या नियम 53 के अधीन जारी दस्तावेजों को लागू होंगे ।

55. बीजक जारी किए बिना मालों का परिवहन—(1) निम्नलिखित के प्रयोजनों के लिए—

(क) तरल गैस की प्रदाय, जहां प्रदायकर्ता के कारबार के स्थान से उसको हटाए जाने के समय मात्रा ज्ञात नहीं है,

(ख) जो कार्य के लिए मालों का परिवहन,

(ग) प्रदाय से भिन्न कारणों से मालों का परिवहन, या

(घ) ऐसी अन्य प्रदाय, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाए,

के लिए पारेषक परिदान चालान जारी कर सकेगा, जो क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित होगा, जिसमें 16 से अधिक एक या बहुल श्रृंखलाओं में परिवहन के लिए मालों को हटाने के समय करेक्टर नहीं होंगे, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :--

I. परिदान चालान की तारीख और नंबर ;

II. पारेषक का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है ;

III. पारेषिती का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर या पारेषिती की विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है ;

IV. नाम पद्धति कूट और मालों के विवरण की सुव्यवस्थित प्रणाली ;

V. मात्रा (अनंतिम, जहां प्रदाय की जा रही वास्तविक मात्रा ज्ञात नहीं है) ;

VI. कराधेय मूल्य ;

VII. कर दर और कर रकम - केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर, जहां परिवहन पारेषिती को प्रदाय के लिए है ;

VIII. अंत:राज्य संचलन की दशा में प्रदाय का स्थान ; और

IX. हस्ताक्षर ।

(2) निम्नलिखित रीति में मालों की प्रदाय की दशा में परिदान चालान को तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) मूल प्रति को **पारेषिती के लिए मूल** के रूप में चिह्नित किया जाएगा ;

(ख) अनुकृति को **परिवहनकर्ता के लिए** अनुकृति के रूप में चिह्नित किया जाएगा ; और

(ग) तीसरी प्रति को **पारेषणकर्ता के लिए** के रूप में चिह्नित किया जाएगा ।

(3) जहां मालों का परिवहन बीजक के स्थान पर परिदान चालान पर किया जा रहा है, वहां उसे नियम 138 में विनिर्दिष्ट के अनुसार घोषित किया जाएगा ।

(4) जहां परिवहन किए जा रहे मार्ग प्राप्तिकर्ता को प्रदाय के प्रयोजन के लिए हैं, किंतु प्रदाय के प्रयोजन के लिए मालों को हटाने के समय कर बीजक जारी नहीं किया जा सका है तो प्रदायकर्ता मालों के परिदान के पश्चात् कर बीजक जारी करेगा ।

(5) जहां मालों का परिवहन सेमी नाक्ड डाउन या पूर्णतया नाक्ड डाउन स्थिति में किया जा रहा है--

(क) प्रदायकर्ता पहले पारेषण को पारेषित करने से पूर्व पूर्ण बीजक जारी करेगा ;

(ख) प्रदायकर्ता प्रत्येक पश्चातवर्ती पारेषण के लिए बीजक को निर्दिष्ट करते हुए परिदान चालान जारी करेगा ;

(ग) प्रत्येक पारेषण के साथ तत्स्थानी परिदान चालान की प्रतियों के साथ बीजक की सम्यकता भरी हुई प्रति संलग्न होगी ; और

(घ) बीजक की मूल प्रति को अंतिम पारेषण के साथ भेजा जाएगा ।

अध्याय 7

लेखे और अभिलेख

56. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा लेखाओं का रखा--(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 35 की उपधारा (1) में वर्णित विशिष्टयों के अतिरिक्त आयात या निर्यात या प्रदाय किए गए मालों या सेवाओं, जिन पर विपरीत प्रभार पर कर का संदाय आकृष्ट होता है, का सत्य और सही लेखा रखने के साथ सुसंगत दस्तावेज, जिसके अंतर्गत बीजक, प्रदाय के बिल, परिदान चालान, प्रत्यय टिप्पण, नामे टिप्पण, प्राप्ति बाउचर, संदाय बाउचर तथा प्रतिदाय बाउचर हैं, रखेगा और उनका अनुरक्षण करेगा ।

(2) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त किए गए और प्रदाय किए गए मालों के संबंध में स्टॉक के लेखे रखेगा और ऐसे लेखाओं में अतिशेष, प्राप्ति, प्रदाय, खो गए माल, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, बट्टे खाते में डाले या उपहार या नि:शुल्क नमूने के रूप में दिए गए माल तथा स्टॉक के शेष, जिसके अंतर्गत कच्ची सामग्रियां, तैयार माल, स्क्रैप और उनकी छीजन सम्मिलित है, की विशिष्टियां सम्मिलित होंगी ।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्राप्त अग्रिमों, उनका संदाय और समायोजन के पृथक् लेखे रखेगा और उनका अनुरक्षण करेगा ।

(4) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति एक लेखा रखेगा और उसका अनुरक्षण करेगा, जिसमें संदेय कर (धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार संदेय कर सम्मिलित है), संगृहित और संदत्त कर, इनपुट कर, दावा किया गया इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों के साथ कर बीजक का रजिस्टर, प्रत्यय टिप्पण, नामे टिप्पण, किसी कर अवधि के दौरान जारी किया गया या प्राप्त किया गया परिदान चालान अंतर्विष्ट है ।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित की विशिष्टियां रखेगा,--

(क) प्रदायकर्ताओं का नाम और पूरा पता, जिनसे उसने अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य मालों या सेवाओं को प्राप्त किया है ;

(ख) उन व्यक्तियों का नाम और पूरा पता, जिनको उसने मालों या सेवाओं की प्रदाय की है, जहां इस अध्याय के नियमों के अधीन अपेक्षित है ;

(ग) उन परिसरों का पूरा पता, जहां उसके द्वारा मालों का भंडारण किया जाता है, जिसके अंतर्गत स्थानांतरण के दौरान भंडार किए गए माल सम्मिलित हैं, के साथ उनमें भंडार किए गए स्टॉक की विशिष्टियां हैं ।

(6) यदि उपनियम (5) के अधीन घोषित स्थानों से भिन्न किसी स्थान पर किन्हीं विधिमान्य दस्तावेजों के बिना कोई कराधेय माल पाया जाता है तो समुचित अधिकारी ऐसे मालों पर संदेय कर की रकम को ऐसे अवधारित करेगा जैसे ऐसे मालों की प्रदाय रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई है ।

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति लेखा बहियों को और उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित अतिरिक्त कारबार के स्थान से संबंधित लेखा बहियां और ऐसी अन्य लेखा बहियों में किसी इलैक्ट्रानिकी युक्ति में भंडारित डाटा का कोई अन्य प्रारूप सम्मिलित है, कारबार के मूल स्थान पर रखेगा ।

(8) रजिस्टरों, लेखाओं और दस्तावेजों में की गई किसी प्रविष्टि को मिटाया, छिपाया या उसके ऊपर नहीं लिखा जाएगा और लिपिकीय प्रकृति से भिन्न अन्यथा सभी अशुद्ध प्रविष्टियों को सत्यापन के अधीन काट दिया जाएगा तथा तत्पश्चात् सही प्रविष्टि को अभिलिखित किया जाएगा और जहां रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों का अनुरक्षण इलैक्ट्रानिकी रूप में किया जाता है तो संपादित या लोप की गई प्रत्येक प्रविष्टि का लॉग रखा जाएगा ।

(9) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा मैनुअल रूप से रखी गई लेखा बहियों के प्रत्येक खंड को क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित किया जाएगा ।

(10) जब तक कि अन्यथा साबित न हो, यदि किसी दस्तावेज, रजिस्टर या कोई लेखा बही, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से संबंधित है, को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित किसी अन्य परिसर पर पाया जाता है तो यह उपधारणा की जाएगी कि उस परिसर का उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुरक्षण किया जा रहा है ।

(11) धारा 2 के खंड (5) में निर्दिष्ट प्रत्येक अभिकर्ता निम्नलिखित को उपदर्शित करते हुए लेखे रखेगा--

(क) प्रत्येक प्रधान से ऐसे प्रधान के निमित्त मालों या सेवाओं को प्राप्त करने या प्रदाय करने के लिए उसके द्वारा पृथकत: प्राप्त प्राधिकृत करने की विशिष्टियां ;

(ख) विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रधान के निमित्त प्राप्त मालों या सेवाओं का विवरण, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हो), सम्मिलित है ;

(ग) विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रधान के निमित्त पूर्ति किए गए मालों या सेवाओं का विवरण, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हो), सम्मिलित है ;

(घ) प्रत्येक प्रधान को प्रस्तुत लेखाओं के ब्यौरे ; और

(ङ) प्रत्येक प्रधान के निमित्त प्राप्त किए गए या प्रदाय किए गए मालों या सेवाओं पर संदत्त कर ।

(12) मालों का विनिर्माण करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मासिक उत्पादन लेखे रखेगा, जिनमें विनिर्माण में उपयोग की गई कच्ची सामग्रियों या सेवाओं के मात्रात्मक ब्यौरे तथा इस प्रकार विनिर्मित किए गए मालों के मात्रात्मक ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उनकी छीजन और उप उत्पाद हैं, को दर्शित किया जाएगा ।

(13) सेवाओं की प्रदाय करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति लेखाओं को रखेगा, जिसमें सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किए गए मालों के ब्यौरे उपयोग की गई इनपुट सेवाओं के ब्यौरे तथा प्रदाय की गई सेवाओं के ब्यौरे उपदर्शित होंगे ।

(14) कार्य संविदा का निष्पादन करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कार्य संविदा के लिए निम्नलिखित को उपदर्शित करते हुए पृथक् लेखे रखेगा--

(क) उन व्यक्तियों के नाम और पते, जिनके निमित्त कार्य संविदा का निष्पादन किया जाता है ;

(ख) कार्य संविदा के निष्पादन के लिए प्राप्त मालों या सेवाओं का वर्णन, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हों) ;

(ग) कार्य संविदा के निष्पादन के लिए उपयोजित मालों या सेवाओं का वर्णन, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हों) ;

(घ) प्रत्येक कार्य संविदा के संबंध में प्राप्त संदाय के ब्यौरे ; और

(ङ) उन प्रदायकारों के नाम और पते, जिनसे उसने माल और सेवाएं प्राप्त की हैं ।

(15) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अभिलेखों को इलैक्ट्रानिकी प्ररूप में रखा जाएगा और इस प्रकार रखे गए अभिलेखों को डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यमों से अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

(16) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा स्टॉक परिदान, आवक प्रदाय और जावक प्रदाय के संबंध में रखे गए लेखे, सभी बीजकों, प्रदाय बिलों, प्रत्यय और नामे टिप्पण का धारा 36 में यथा उपबंधित कालावधि के लिए परिरक्षण किया जाएगा और जहां ऐसे लेखों और दस्तावेजों का अनुरक्षण मैनुअल रूप से किया जा रहा है वहां उनको रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित कारबार के प्रत्येक संबंधित स्थान पर रखा जाएगा और वह कारबार के प्रत्येक संबंधित स्थान पर पहुंचनीय होंगे, जहां ऐसे लेखाओं और दस्तावेजों का अनुरक्षण डिजीटल रूप से किया जाता है ।

(17) वाहक या समाशोधन और आग्रेषण अभिकर्ता की क्षमता में मालों की अभिरक्षा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निमित्त प्राप्तिकर्ता को उनके परिदान या पारेषण के लिए उसके द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निमित्त हस्तालन किए गए ऐसे मालों के संबंध में सही और सत्य अभिलेख रखेगा तथा समुचित अधिकारी द्वारा जब और जहां अपेक्षा की जाए, उनके ब्यौरों को प्रस्तुत करेगा ।

(18) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मांग किए जाने पर उन लेखा बहियों को प्रस्तुत करेगा जिनकी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखे जाने की उससे अपेक्षा है ।

57. इलैक्ट्रानिकी अभिलेखों का सृजन और अभिरक्षण—(1) अभिलेखों के समुचित इलैक्ट्रानिकी बैक-अप का अनुरक्षण और परिरक्षण ऐसी रीति में किया जाएगा कि ऐसे अभिलेखों के दुर्घटनाओं या प्राकृतिक कारणों से नष्ट हो जाने की दशा में सूचना को युक्तियुक्त कालावधि के भीतर पुन: बहाल किया जा सके ।

(2) इलैक्ट्रानिकी अभिलेखों का अनुरक्षण करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मांग किए जाने पर उसके द्वारा सम्यकत: अधिप्रमाणित सुसंगत अभिलेखों या दस्तावेजों को हार्ड कापी या किसी अन्य इलैक्ट्रानिकी रूप से पठनीय प्ररूप में प्रस्तुत करेगा ।

(3) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लेखाओं और अभिलेखों का इलैक्ट्रानिकी रूप में भंडारण किया जाता है तो वह मांग किए जाने पर ऐसी फाइलों के पासवर्ड के ब्यौरों और पहुंच के लिए, जहां आवश्यक हो, इस्तेमाल किए गए कूटों के स्पष्टीकरण और किसी अन्य सूचना को, जो ऐसी पहुंच के लिए आवश्यक हो, के साथ ऐसी फाइलों में भंडारित सूचना की मुद्रित रूप में नमूना प्रति प्रस्तुत करेगा ।

58. गोदाम या भांडागार के स्वामी और परिवहनकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख–(1) धारा 35 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अभिलेखों और लेखाओं का अनुरक्षण करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति, यदि पहले ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो वह अपने कारबार के संबंध में **प्ररूप जीएसटी इएनआर-01** सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से ब्यौरे प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुत ब्यौरों के विधिमान्यकरण पर एक विशिष्ट नामांकन नंबर सृजित किया जाएगा तथा उक्त व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा ।

(2) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पूर्वोक्त उपनियम (1) के अधीन नामांकित व्यक्ति को राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में नामांकित समझा जाएगा ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपनियम (1) के अधीन नामांकित किया गया है, जहां अपेक्षित हो, **प्ररूप जीएसटी इएनआर-01** में प्रस्तुत ब्यौरों का सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से संशोधन करेगा ।

(4) नियम 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए,--

(क) मालों के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति परिवहन किए गए, परिदान किए गए और वहन के दौरान उसके द्वारा भंडारण किए गए मालों के अभिलेखों के साथ रजिस्ट्रीकृत पारेषक और पारेषिती का उसकी प्रत्येक शाखा में माल और सेवाकर पहचान नंबर के साथ अभिलेख रखेगा ।

(ख) भांडागार या गोदाम का प्रत्येक स्वामी या प्रचालक उस अवधि के संबंध में, जिसमें भांडागार में विशिष्ट माल रहे, की लेखा बहियां रखेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे मालों के पारेषण, संचलन, प्राप्ति और निपटान से संबंधित ब्यौरे हैं ।

(5) गोदाम का स्वामी या प्रचालक मालों का भंडारण ऐसी रीति में करेगा कि उनकी मदवार या स्वामीवार पहचान की जा सके और मांग किए जाने पर समुचित अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए किसी भौतिक सत्यापन को सुकर बनाएगा ।

अध्याय 8

विवरणियां

59. जावक प्रदायों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति—(1) एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 37 के अधीन मालों या सेवाओं की जावक प्रदाययों या दोनों के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित है, वह ऐसे ब्यौरों को इलैक्ट्रानिकी रूप में या **प्ररूप जीएसटी आर-1** में सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ।

(2) मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के **प्ररूप जीएसटी आर-1** में प्रस्तुत ब्यौरों में निम्नलिखित शामिल होंगे–

(क) निम्नलिखित के बीजक-वार ब्यौरे–

(i) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर राज्य और अंत:राज्य प्रदाय ; और

(ii) गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक बीजक मूल्य के साथ की गई अंतर राज्य प्रदाय ;

(ख) निम्नलिखित के एकीकृत ब्यौरे--

(क) प्रत्येक कर दर के लिए गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई अंत:राज्य प्रदाय ; और

(ख) गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को दो लाख पचास हजार रुपए के बीजक मूल्य तक के साथ की गई अंतर राज्य प्रदाय ;

(ग) पूर्व में जारी बीजकों के लिए मास के दौरान जारी नामे और प्रत्यय टिप्पण, यदि कोई हों ।

(3) पूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदाययों के ब्यौरों को इलैक्ट्रानिकी रूप में संबंधित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (प्राप्तिकर्ताओं) को **प्ररूप जीएसटी आर-2क** के भाग क, **प्ररूप जीएसटी आर-4क** और **प्ररूप जीएसटी आर-6क** के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी आर-1** फाइल करने के लिए सम्यक् तारीख के पश्चात् उपलब्ध कराया जाएगा ।

(4) प्राप्तिकर्ता द्वारा उसके धारा 38 के अधीन **प्ररूप जीएसटी आर-2** या धारा 39 के अधीन **प्ररूप जीएसटी आर-4** या **प्ररूप जीएसटी आर-6** में जोड़ी गई, सही की गई या लोप की गई आवक प्रदाययों के ब्यौरों को प्रदायकर्ता को इलैक्ट्रानिकी रूप में **प्ररूप जीएसटी आर-1क** के माध्यम से सामान्य पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसा प्रदायकर्ता प्राप्तिकर्ता द्वारा किए गए उपांतरणों को या तो स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा और प्रदायकर्ता द्वारा पहले प्रस्तुत **प्ररूप जीएसटी आर-1** उसके द्वारा स्वीकृत उपांतरणों के परिमाण तक संशोधित हो जाएगा ।

60. आवक प्रदाययों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति–(1) एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे

धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन किसी कर अवधि के दौरान प्राप्त मालों या सेवाओं की आवक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित है, **प्ररूप जीएसटी आर-2क** के भाग क, भाग ख और भाग ग में अंतर्विष्ट ब्यौरों के आधार पर ऐसे ब्यौरे तैयार करेगा जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है और उन्हें ऐसी अन्य आवक प्रदाययों के ब्यौरों को सम्मिलित करके, यदि कोई हों, जिनकी धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ब्यौरों, यदि कोई हों, जिनकी **प्ररूप जीएसटी आर-2** में इलैक्ट्रानिकी रूप में धारा 38 की उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, प्रस्तुत करेगा ।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति आवक प्रदाययों को, जिनके संबंध में वह या तो पूर्णतया या भागत: पात्र नहीं है, को **प्ररूप जीएसटी आर-2** में इनपुट कर प्रत्यय के लिए विनिर्दिष्ट करेगा जहां ऐसी पात्रता का अवधारण बीजक स्तर पर किया जा सकता है ।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जावक प्रदाययों, जो गैर-कराधेय प्रदाययों से संबंधित हैं या कारबार से भिन्न प्रयोजनों के लिए हैं और जिनका **प्ररूप जीएसटी आर-2** में बीजक स्तर पर अवधारण नहीं किया जा सकता है, पर अपात्र इनपुट कर प्रत्यय की मात्रा को घोषित करेगा ।

(4क) किसी गैर-निवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा नियम 63 के अधीन **प्ररूप जीएसटी आर-5** में उसकी विवरणी में प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरों को **प्ररूप जीएसटी आर-2क** के भाग क में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें **प्ररूप जीएसटी आर-2** में सम्मिलित कर सकेगा ।

(5) किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा नियम 66 के अधीन **प्ररूप जीएसटी आर-6** में उसकी विवरणी में प्रस्तुत बीजकों के ब्यौरों को **प्ररूप जीएसटी आर-2क** के भाग ख में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें **प्ररूप जीएसटीआर-2** में सम्मिलित कर सकेगा ।

(6) किसी स्रोत पर कटौतीकर्ता द्वारा धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन **प्ररूप जीएसटी आर-7** में कटौती किए गए कर के ब्यौरों को **प्ररूप जीएसटी आर-2क** के भाग ग में, जिसकी कटौती की गई है उसको सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें **प्ररूप जीएसटी आर-2** में सम्मिलित कर सकेगा ।

(7) किसी ई-कामर्स प्रचालक द्वारा धारा 52 के अधीन **प्ररूप जीएसटी आर-8** में स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरों को **प्ररूप जीएसटी आर-2क** के भाग ग में संबंधित व्यक्ति को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें **प्ररूप जीएसटी आर-2** में सम्मिलित कर सकेगा ।

(8) **प्ररूप जीएसटी आर-2** में प्रस्तुत मालों या सेवाओं या दोनों की आवक प्रदाययों के ब्यौरों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा–

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों या गैर- रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त अंतर-राज्य और अंत:राज्य प्रदाययों के बीजकवार ब्यौरे ;

(ख) मालों और सेवाओं के किए गए आयात ; और

(ग) प्रदायकर्ता से प्राप्त नामे और प्रत्यय टिप्पण, यदि कोई हो ।

61. मासिक विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति–(1) एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या कोई इनपुट सेवा वितरक या गैर-निवासी कराधेय व्यक्ति या, यथास्थिति, धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट विवरणी **प्ररूप जीएसटी आर-3** में इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन विवरणी के भाग क को इलैक्ट्रानिकी रूप में **प्ररूप जीएसटी आर-1, प्ररूप जीएसटी आर-2** के माध्यम से प्रस्तुत सूचना के आधार पर और पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए अन्य दायित्वों के आधार पर सृजित किया जाएगा ।

(3) उपनियम (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज, शास्ति, फीस या अधिनियम या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही को या इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही को नामे डालकर निर्वहन करेगा और विवरणी के भाग ख में **प्ररूप जीएसटी आर-3** में ब्यौरों को सम्मिलित करेगा ।

(4) धारा 49 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रतिदाय का **प्ररूप जीएसटी आर-3** में विवरणी में भाग ख में दावा कर सकेगा और ऐसी विवरणी को धारा 54 के अधीन फाइल किया गया आवेदन समझा जाएगा ।

(5) जहां धारा 37 के अधीन **प्ररूप जीएसटी आर-1** और धारा 38 के अधीन **प्ररूप जीएसटी आर-2** में ब्यौरों को प्रस्तुत करने की समय-सीमा का विस्तार किया गया है और परिस्थितियां इस प्रकार हैं कि **प्ररूप जीएसटी आर-3** के स्थान पर **प्ररूप जीएसटी आर-3ख** में विवरणी को ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रस्तुत किया जा सकेगा, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाए ।

62. समिश्र प्रदायकर्ता द्वारा त्रैमासिक विवरणियों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति–(1) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति **प्ररूप जीएसटी आर-4क** में अंतर्विष्ट ब्यौरों के आधार पर और जहां अपेक्षित हो, ब्यौरों में जोड़कर, उन्हें सही करके या उनका लोप करके **प्ररूप जीएसटी आर-4** में इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर, ब्याज, शास्ति, फीस या अधिनियम या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय किसी अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का निर्वहन इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही के नामे डालकर करेगा ।

(3) उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणी में निम्नलिखित शामिल होंगे–

(क) रजिस्ट्रीकृत और गैर- रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाययों के अंतर-राज्य और अंत:राज्य के बीजकवार ब्यौरे ;

(ख) की गई जावक प्रदाययों के एकीकृत ब्यौरें ;

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने वित्त वर्ष के आरंभ से धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प लिया है, जहां अपेक्षित हो, उस अवधि से संबंधित आवक और जावक प्रदाययों और नियम 59, नियम 60 और नियम 61 के अधीन विवरणी के ब्यौरे, जिसके दौरान वह व्यक्ति ऐसे ब्यौरे और विवरणियों को पश्चातवर्ती वित्त वर्ष के सितंबर मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख, जो भी पूर्वतर हो, प्रस्तुत करने के लिए दायी था, प्रस्तुत करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए यह घोषित किया जाता है कि व्यक्ति प्रदायकर्ता से उसके द्वारा समिश्र स्कीम का विकल्प लेने से पूर्व अवधि के लिए बीजकों या नामे टिप्पणों पर इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो स्वेच्छा द्वारा समिश्र स्कीम से हटने का विकल्प लेता है या जहां समुचित अधिकारी की पहल पर विकल्प को वापिस ले लिया जाता है वहां आवश्यकता होने पर धारा 9 के अधीन कर के संदाय के लिए **प्ररूप जीएसटी आर-4** में विकल्प लेने से पूर्व अवधि से उत्तरवर्ती वित्त वर्ष के सितंबर मास को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख या पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख, जो भी पूर्वतर हो, तक के ब्यौरों को प्रस्तुत करेगा ।

63. गैर-निवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति—प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत गैर-निवासी कराधेय व्यक्ति सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी आर-5** में विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसके अंतर्गत जावक प्रदाययों और आवक प्रदाययों के ब्यौरे सम्मिलित हैं तथा वह कर, ब्याज, शास्ति, फीस या इस अधिनियम के अधीन या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय किसी अन्य रकम का कर अवधि के अंत से 20 दिन के पश्चात् या रजिस्ट्रीकरण अवधि की विधिमान्यता के अंतिम दिन के पश्चात् 7 दिन के भीतर, जो भी पूर्वत्तर हो, संदाय करेगा ।

64. ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति–भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति कलैंडर मास या उसके भाग के पश्चातवर्ती मास की 20 तारीख को या उससे पूर्व **प्ररूप जीएसटी आर-5क** में विवरणी फाइल करेगा ।

65. इनपुट सेवा वितरक द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति–प्रत्येक इनपुट सेवा वितरक **प्ररूप जीएसटी आर-6क** में अंतर्विष्ट ब्यौरों के आधार पर और जहां अपेक्षित हो, ब्यौरों में जोड़ने के पश्चात् सही करने या ब्यौरों का लोप करने के पश्चात् इलैक्ट्रानिकी रूप में **प्ररूप जीएसटी आर-6** में विवरणी, जिसमें कर बीजकों के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, जिन पर प्रत्यय प्राप्त किया गया है तथा

जिन्हें धारा 20 के अधीन जारी किया गया है, सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

66. ऐसे व्यक्ति से, जिससे स्रोत पर कर की कटौती करने की अपेक्षा है, द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति–(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस नियम में कटौतीकर्ता कहा गया है) **प्ररूप जीएसटी आर-7** में इलैक्ट्रानिकी रूप में सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों को इलैक्ट्रानिकी रूप में **प्ररूप जीएसटी आर-2क** के भाग ग में प्रत्येक प्रदायकर्ता को और सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी आर-4क** में प्ररूप **प्ररूप जीएसटी आर-7** फाइल करने की सम्यक् तारीख के पश्चात् उपलब्ध कराया जाएगा ।

(3) धारा 51 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र को, **प्ररूप जीएसटी आर-7क** के सामान्य पोर्टल द्वारा उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी के आधार पर इलैक्ट्रानिकी रूप में जिसकी कटौती की गई है को उपलब्ध कराया जाएगा ।

67. ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से प्रदायों के विवरण को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति.- (1) धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहीत करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक या तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र से सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में **प्ररुप जीएसटीआर-8** में विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें ऐसे प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदायों के ब्यौरे तथा धारा 52 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार संग्रहीत कर की रकम अन्तर्विष्ट होगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे **प्ररुप जीएसटीआर-8** के फाइल किए जाने की देय तारीख के पश्चात् सामान्य पोर्टल पर **प्ररुप जीएसटीआर-2क** के भाग ग में प्रत्येक प्रदायकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

68. विवरणियों के फाइल न करने वाले व्यक्तियों को सूचना.-प्ररुप जीएसटीआर-3क में सूचना ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की जाएगी जो धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 या 55 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है।

69. इनपुट कर प्रत्यय के दावे का सुमेलीकरण.-आवक प्रदायों, जिनके अन्तर्गत धारा 41 के अधीन अनंतिम रूप से अनुज्ञात आयात भी हैं, पर इनपुट कर प्रत्यय के दावे से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यौरे, **प्ररुप जीएसटीआर**-3 में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख के पश्चात्, धारा 42 के अधीन सुमेलित होंगे-

(क) प्रदायकर्ता की जीएसटी पहचान संख्या;
(ख) प्राप्तकर्ता की जीएसटी पहचान संख्या;
(ग) बीजक या नामे नोट संख्या;
(घ) बीजक या नामे नोट तारीख; और
(ङ) कर रकम:

परंतु जहां धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट **प्ररुप जीएसटीआर-1** और धारा 38 के अधीन विनिर्दिष्ट **प्ररुप जीएसटीआर-2** को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ाई गई है वहां इनपुट कर प्रत्यय के दावे से सम्बन्धित सुमेलीकरण की तारीख भी तद्नुसार बढ़ाई जाएगी:

परंतु यह और कि आयुक्त परिषद की सिफारिशों पर आदेश द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के दावे से सम्बन्धित सुमेलीकरण की तारीख को ऐसी तारीख तक बढ़ा सकेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए यह घोषणा की जाती है कि-

(i) **प्ररुप जीएसटीआर-2** में उन बीजकों और नामे नोटों, जिन्हें संशोधन के बिना **प्ररुप जीएसटीआर-2क** के आधार पर प्राप्तिकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया था, की बाबत इनपुट कर प्रत्यय का दावा सुमेलित माना जाएगा यदि तत्स्थानी प्रदायकर्ता ने विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत की है;

(ii) इनपुट कर प्रत्यय का दावा यथा सुमेलित माना जाएगा जब दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम तत्स्थानी प्रदायकर्ता द्वारा ऐसे कर बीजक या नामे नोट पर संदत्त उत्पादन कर के बराबर है या उससे कम।

70. इनपुट कर प्रत्यय की अन्तिम स्वीकृति और उसकी संसूचना- (1) धारा 42 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी कर अवधि की बाबत इनपुट कर प्रत्यय के दावे की अन्तिम स्वीकृति सामान्य पोर्टल के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1** में ऐसा दावा करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा ।

(2) किसी कर अवधि की बाबत इनपुट कर प्रत्यय का दावा, जिसे बेमेल के रूप में संसूचित किया गया है किन्तु प्रदायकर्ता या प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन के पश्चात्, सुमेलित पाया गया है, अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाएगा और सामान्य पोर्टल के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1** में ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

71. इनपुट कर प्रत्यय के दावे की संसूचना और उसमें विसंगति का परिशोधन तथा इनपुट कर प्रत्यय दावे का उलट दिया जाना.- (1) धारा 42 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट किसी कर अवधि की बाबत इनपुट कर प्रत्यय के दावे में कोई विसंगति तथा ऐसी विसंगति के चालू रहने के कारण उक्त धारा की उप-धारा (5) के अधीन जोड़े जाने के लिए दायी उत्पादन कर के ब्यौरे **प्ररुप जीएसटीआर एमआईएस-1** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसा दावा करने वाले प्राप्तिकर्ता और **प्ररुप जीएसटीआर एमआईएस-2** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदायकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से उस मास, जिसमें सुमेलीकरण किया गया हो, की अन्तिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

(2) ऐसा कोई प्रदायकर्ता, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले जावक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।

(3) ऐसा कोई प्राप्तिकर्ता, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले आवक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।

(4) जहां विसंगति उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन परिशोधित नहीं की जाती है, वहां विसंगति के विस्तार तक रकम उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के उत्तरवर्ती मास के लिए **प्ररुप जीएसटीआर-3** में प्रस्तुत की जाने वाली उसकी विवरणी में प्राप्तिकर्ता के उत्पादन कर दायित्व में जोड़ी जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह घोषणा की जाती है कि-

(i) किसी प्रदायकर्ता द्वारा परिशोधन से उसकी विधिमान्य विवरणी में जावक प्रदाय के ब्यौरों को जोड़ना या संशोधन करना अभिप्रेत है जिससे कि प्राप्तिकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी आवक प्रदाय के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;

(ii) किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन से आवक प्रदाय के ब्यौरों का हटाया जाना या उन्हें संशोधित किया जाना अभिप्रेत है जिससे कि प्रदायकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी जावक प्रदाय के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;

72. एक बार से अधिक उसी बीजक पर इनपुट कर प्रत्यय का दावा:- आवक प्रदायों के ब्यौरों में इनपुट कर प्रत्यय के दावों का दो बार किया जाना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररुप जीएसटीआर एमआईएस-1** में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा।

73. उत्पादन कर दायित्व में कटौती के दावों का सुमेलीकरण:- उत्पादन कर दायित्व में कटौती के दावे से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यौरे **प्ररुप जीएसटीआर-3** में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख के पश्चात् धारा 43 के अधीन सुमेलित किए जाएंगे:-

(क) प्रदायकर्ता की जीएसटीआर पहचान संख्या;
(ख) प्राप्तिकर्ता की जीएसटीआर पहचान संख्या;
(ग) जमा पत्र संख्या;
(घ) जमा पत्र की तारीख; और
(ङ) कर की रकम:

परंतु जहां धारा 37 के अधीन प्ररुप जीएसटीआर-**1** और धारा 38 के अधीन **प्ररुप जीएसटीआर-2** को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ाई गई है वहां उत्पादन कर दायित्व में कटौती के दावे के सुमेलीकरण की तारीख तद्नुसार बढ़ाई जाएगी:

परंतु यह और कि आयुक्त परिषद की सिफारिशों पर आदेश द्वारा उत्पादन कर दायित्व के दावे से सम्बन्धित सुमेलीकरण की तारीख को ऐसी तारीख तक बढ़ा सकेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए यह घोषणा की जाती है कि-

(i) **प्ररुप जीएसटीआर-1** में उन जमा पत्रों, जो **प्ररूप जीएसटीआर-2क** में बिना संशोधन के तत्स्थानी प्राप्तिकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए थे, के जारी किए जाने के कारण उत्पादन कर दायित्व में कटौती का दावा सुमेलित माना जाएगा यदि उक्त प्राप्तिकर्ता ने विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत की है।

(ii) उत्पादन कर दायित्व में कटौती का दावा वहां सुमेलित समझा जाएगा जहां उत्पादन कर दायित्व की रकम दावा की गई कटौती को हिसाब में लेने के पश्चात्, उसकी विधिमान्य विवरणी में तत्स्थानी प्राप्तकर्ता दवारा ऐसे जमा पत्र पर स्वीकृत और उन्मोचित कटौती को हिसाब में लेने के पश्चात्, इनपुट कर दायित्व के दावे के बराबर है या उससे अधिक है।

74. इनपुट कर प्रत्यय की अन्तिम स्वीकृति और उसकी संसूचना- (1) धारा 43 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी कर अवधि की बाबत उत्पादन कर दायित्व में कटौती के दावे के अन्तिम स्वीकृति सामान्य पोर्टल के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1** में ऐसा दावा करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) किसी ऐसी कर अवधि की बाबत उत्पादन कर दायित्व में कटौती का दावा, जिसे बेमेले दावे के रूप में संसूचित किया गया था किन्तु प्रदायकर्ता या प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन के पश्चात् सुमेलित पाया गया है, अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाएगा और सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप कोई **जीएसटी एमआईएस-1** में ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

75. उत्पादन कर दायित्व की कटौती में विसंगति की संसूचना और उसका परिशोधन तथा कटौती के दावे का उलट दिया जाना:- (1) धारा 43 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट उत्पादन कर दायित्व में कटौती के दावे में कोई विसंगति और ऐसी विसंगति के चालू रहने के कारण उक्त धारा की उप-धारा (5) के अधीन जोड़े जाने वाले उत्पादन के कर दायित्व ब्यौरे **प्ररुप जीएसटी एमआईएस-1** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसा दावा करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को और **प्ररुप जीएसटी एमआईएस-2** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्तिकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से उस मास, जिसमें सुमेलीकरण किया गया हो, की अन्तिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

(2) ऐसा कोई प्रदायकर्ता, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले जावक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।

(3) ऐसा कोई प्राप्तिकर्ता, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें ऐसी विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले आवक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।

(4) जहां विसंगति उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन परिशोधित नहीं की जाती है, वहां विसंगति के विस्तार की रकम प्राप्तिकर्ता के उत्पादन कर दायित्व में जोड़ी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में से विकलित की जाएगी तथा उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के उत्तरवर्ती मास के लिए **प्ररुप जीएसटीआर-3** में दर्शायी जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह घोषणा की जाती है कि-

(i) किसी प्रदायकर्ता द्वारा परिशोधन से उसकी विधिमान्य विवरणी में जावक प्रदाय के ब्यौरों का हटाया जाना या संशोधन करना अभिप्रेत है जिससे कि प्राप्तिकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी आवक प्रदाय के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;

(ii) किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन से आवक प्रदाय के ब्यौरों का जोड़ा जाना या उन्हें संशोधित किया जाना अभिप्रेत है जिससे कि प्रदायकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी जावक प्रदाय के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;

76. एक बार से अधिक उत्पादन कर दायित्व में कटौती का दावा:- जावक प्रदायों के ब्यौरों में उत्पादन कर दायित्व में कटौती के लिए दावों का दो बार किया जाना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप जीएसटीआर एमआईएस-1** में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा।

77. उलट दिए गए दावों का पुनः दावा करने पर संदत्त ब्याज का प्रतिदाय- धारा 42 की उप-धारा (9) या धारा 43 की उप-धारा (9) के अधीन प्रतिदाय किए जाने वाले ब्याज का दावा **प्ररूप जीएसटीआर-3** में उसकी विवरणी में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और उसे **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-05** में उसके इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा किया जाएगा तथा जमा की गई रकम ब्याज के लिए किसी भागीदारी के संदाय के लिए उपलब्ध होगी या कराधेय व्यक्ति धारा 54 के अधीन रकम के प्रतिदाय का दावा कर सकेगा।

78. प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों सहित ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों का सुमेलीकरण- प्ररूप जीएसटीआर-8 में यथा घोषित ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से प्रदायों से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रदायकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी ब्यौरों के साथ सुमेलित होंगे-

(क) प्रदाय के स्थान का राज्य; और

(ख) शुद्ध कराधेय मूल्य:

परंतु जहां धारा 37 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-1** प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ाई गई है वहां ऊपर उल्लेखित ब्यौरों के सुमेलीकरण की तारीख तद्नुसार बढ़ाई जाएगी।

परंतु यह और कि आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, आदेश द्वारा सुमेलीकरण की तारीख को उस तारीख तक बढ़ा सकेगा जो इसमें विनिर्दिष्ट की जाए।

79. ई-वाणिज्य प्रचालक और प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों में विसंगति की संसूचना और उसका परिशोधन - (1) प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों में कोई विसंगति और प्रदायकर्ता द्वारा घोषित विसंगति **प्ररूप जीएसटी एमआईएस-3** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदायकर्ता को और **प्ररूप जीएसटी एमआईएस-4** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-वाणिज्य प्रचालक को सामान्य पोर्टल पर उस मास, जिसमें सुमेलीकरण किया गया है, की अन्तिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) ऐसा प्रदायकर्ता, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास के लिए, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, प्रस्तुत किए जाने वाले जावक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।

(3) कोई प्रचालक, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास के लिए, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।

(4) जहां उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन कोई विसंगति परिशोधित नहीं की जाती है, वहां विसंगति के विस्तार तक रकम उस मास, जिसमें विसंगति के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाते हैं, से उत्तरवर्ती मास के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3** में उसकी विवरणी में प्रदायकर्ता के उत्पादन कर दायित्व में जोड़ी जाएगी और उत्पादन कर दायित्व में ऐसा परिवर्धन तथा उस पर संदेय ब्याज **प्ररूप जीएसटी एमआईएस-3** में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदायकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी।

80. वार्षिक विवरणी:-(1) इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटीआर-9** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा:

परंतु धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति **प्ररूप जीएसटीआर-9क** में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रह करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक **प्ररूप जीएसटीआर-9ख** में उक्त धारा की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(3) ऐसा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसकी किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवर्त दो करोड़ रूपये से अधिक है, धारा 35 की उप-धारा (5) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अपने खातों को संपरीक्षित कराएगा और वह प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप जीएसटीआर-9ग** में संपरीक्षित वार्षिक लेखों तथा सम्यकतः प्रमाणित समाधान विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।

81. अन्तिम विवरणी.- धारा 45 के अधीन अन्तिम विवरणी प्रस्तुत करेने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटीआर-10** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा।

82. विशिष्ट पहचान संख्या रखने वाले व्यक्तियों के आवक प्रदायों के ब्यौरे:-(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे विशिष्ट पहचान संख्या जारी की गई है और वह अपने आवक प्रदायों पर संदत्त करों के प्रतिदाय का दावा करता है, या तो प्रत्यक्षतः सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से ऐसे प्रतिदाय दावे के लिए आवेदन के साथ **प्ररूप जीएसटीआर-11** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे संदत्त करों के प्रतिदाय से भिन्न प्रयोजनों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जारी की गई है, कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिनकी कोई **प्ररूप जीएसटीआर-11** में उचित अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करेगा।

83. जीएसटी व्यवसायी से सम्बन्धित उपबंध:- (1) **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-01** में आवेदन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जीएसटी व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशन के लिए या तो प्रत्यक्षतः सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकेगा जो -

(क) (i) भारत का नागरिक है;

(ii) स्वस्थ चित्त का व्यक्ति है;

(iii) दिवाला के रूप में न्यायनिर्णीत नहीं है;

(iv) सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया है;-

(ख) जो किन्हीं निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, अर्थात्:-

(i) वह किसी राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, भारत सरकार का सेवानिवृत्त अधिकारी है, जो सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान, दो वर्ष से अन्यून अवधि तक समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से अनिम्नतर पंक्ति के पद पर कार्य कर चुका था; या

(ii) उसे पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन विक्रय कर व्यवसायी या कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में अभ्यावेशित किया गया है;

(ग) उसने-

(i) स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय से वाणिज्य, विधि, बैंककारी, जिसके अन्तर्गत उच्चतर लेखा परीक्षा या व्यवसाय प्रशासन या व्यवसाय प्रबंधन भी है, में डिग्री रखता हो;

(ii) किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री परीक्षा, जो उप-खंड (i) में उल्लिखित डिग्री परीक्षा के समतुल्य है, उत्तीर्ण की हो; या

(iii) इस प्रयोजन के लिए परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या

(iv) जिसने निम्नलिखित परीक्षाओं में से कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अर्थात्:-

(क) भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान की अन्तिम परीक्षा; या

(ख) भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की अन्तिम परीक्षा; या

(ग) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की अन्तिम परीक्षा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर, इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, या तो आवेदक को जीएसटी व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशित करेगा और **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-02** में उस आशय का प्रमाणपत्र जारी करेगा या जहां यह पाया जाता है कि आवेदक माल या सेवा कर व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशित किए जाने के लिए अर्हित नहीं है वहां उसके आवेदन को नामंजूर करेगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन किया गया अभ्यावेशन उसके रद्द किए जाने तक विधिमान्य होगा:

परंतु जीएसटी व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशित कोई व्यक्ति अभ्यावेशित बने रहने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी अवधियों में और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो परिषद की सिफारिश पर आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाएं, संचालित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है:

परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिस पर उप-धारा (1) के खंड (ग) के उपबंध लागू होते हैं, अभ्यावेशित बने रहने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह नियत तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है।

(4) यदि कोई जीएसटी व्यवसायी इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में अवचार का दोषी पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे अवचार के विरूद्ध उसे **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-03** में कारण बताने की सूचना देने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी पीसीटी-04 में आदेश द्वारा उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् यह निदेश दे सकेगा कि वह अब से आगे जीएसटी व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए धारा 48 के अधीन निरर्हित होगा।

(5) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध उप-नियम (4) के अधीन आदेश किया जाता है, ऐसे आदेश के जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे आदेश के विरूद्ध आयुक्त को अपील कर सकेगा।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने विकल्प पर, **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05** में सामान्य पोर्टल पर किसी जीएसटी व्यवसायी को प्राधिकृत कर सकेगा या, किसी भी समय, **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05** में ऐसे प्राधिकार को वापस ले सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत जीएसटी व्यवसायी ऐसे कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो प्राधिकार की अवधि के दौरान उक्त प्राधिकार में उपदर्शित हो।

(7) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण उसके द्वारा प्राधिकृत जीएसटी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वहां पुष्टि, ई-मेल या एसएमएस पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से मांगी जाएगी और जीएसटी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरण सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा:

परंतु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे विवरण के प्रस्तुत किए जाने की अन्तिम तारीख तक पुष्टि के लिए किए गए अनुरोध का उत्तर देने में असफल रहता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने जीएसटी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरण की पुष्टि कर दी है।

(8) जीएसटी व्यवसायी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से किन्हीं या सभी निम्नलिखित क्रिया-कलापों को आरम्भ कर सकता है, यदि उसे निम्नलिखित को करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो-

(क) जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करना;
(ख) मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या अन्तिम विवरणी प्रस्तुत करना;
(ग) इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में प्रत्यय के लिए निक्षेप करना;
(घ) प्रतिदाय के लिए दावा फाइल करना; और
(ङ) रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल करना:

परंतु जहां प्रतिदाय के लिए दावे से सम्बन्धित कोई आवेदन या रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए कोई आवेदन रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत जीएसटी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वहां पुष्टि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से मांगी जाएगी और उक्त व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत आवेदन सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा तथा ऐसे आवेदन पर तब तक अगली कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके लिए अपनी सहमति नहीं दे देता है।

(9) जीएसटी व्यवसायी के माध्यम से अपनी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विकल्प देने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति-

(च) किसी जीएसटी व्यवसायी को उसकी विवरणी तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05** में अपनी सहमति देगा;
(छ) जीएसटी व्यवसायी द्वारा तैयार किए गए किसी विवरण के प्रस्तुतिकरण को पुष्ट करने से पहले सुनिश्चित करेगा कि विवरणी में उल्लिखित तथ्य सत्य और सही हैं।

(10) जीएसटी व्यवसायी-

(ज) सम्यक तत्परता के साथ विवरण तैयार करेगा; और

(झ) उसके द्वारा तैयार किए गए विवरणों पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर करेगा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने प्रत्यायक का प्रयोग करते हुए सत्यापित करेगा।

(11) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अभ्यावेशित जीएसटी व्यवसायी को उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अभ्यावेशित के रूप में समझा जाएगा ।

84. हाजिरी के प्रयोजनों के लिए शर्तें-(1) कोई व्यक्ति किसी प्राधिकारी के समक्ष किसी रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में जीएसटी व्यवसायी के रूप में उपस्थित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह नियम 83 के अधीन अभ्यावेशित नहीं कर दिया गया हो।

(2) किसी प्राधिकारी के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने वाला जीएसटी व्यवसायी ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, **प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05** में ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्राधिकार की प्रति, यदि अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।

अध्याय-9

कर का संदाय

85. इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर:- (1) धारा 49 की उप-धारा (7) के अधीन विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर सामान्य पोर्टल पर कर, ब्याज, शास्ति, विलम्ब फीस या कोई अन्य रकम का संदाय करने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति के लिए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01** में बनाया रखा जाएगा और उसके द्वारा संदेय सभी रकमें उक्त रजिस्टर में से विकलित की जाएंगी।

(2) व्यक्ति के विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में से निम्नलिखित विकलित किया जाएगा-

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार कर, ब्याज, विलम्ब फीस के लिए संदेय कोई रकम या संदेय कोई अन्य रकम;

(ख) अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुसरण में समुचित अधिकारी द्वारा यथा अवधारित या उक्त व्यक्ति द्वारा यथा अभिनिश्चित संदेय कर, ब्याज, शास्ति की रकम या कोई अन्य रकम;

(ग) धारा 42 या धारा 43 या धारा 50 के अधीन बेमेल के परिमाणस्वरूप संदेय कर और ब्याज की रकम;

(घ) ब्याज की कोई ऐसी रकम, जो समय-समय पर प्रोद्भूत हो।

(3) धारा 49 के अधीन उपबंधों के रहते हुए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसकी विवरणी के अनुसार प्रत्येक दायित्व का संदाय नियम 86 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता या नियम 87 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता में से विकलित करके किया जाएगा और तद्नुसार उसे इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।

(4) धारा 51 के अधीन कटौती की गई रकम या धारा 52 के अधीन संग्रहीत रकम या प्रतिलोम भार आधार पर संदेय रकम या धारा 10 के अधीन संदेय रकम, इस अधिनियम के अधीन ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य रकम नियम 87 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में से विकलित करके संदत्त की जाएगी और तद्नुसार उसे इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।

(5) इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में से विकलित कोई रकम अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए अनुतोष की सीमा तक घटा दी जाएगी और तद्नुसार इलेक्ट्रॉनिक कर दायित्व रजिस्टर में जमा की जाएगी।

(6) अधिरोपित या अधिरोपित किए जाने के लिए दायी शास्ति की रकम, यथास्थिति, भागतः या पूर्णतः घटा दी जाएगी, यदि कराधेय व्यक्ति कारण बताओ सूचना या मांग आदेश में विनिर्दिष्ट कर, ब्याज और शास्ति का संदाय करता है और उसे तद्नुसार इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।

(7) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक दायित्व खाते में किसी विसंगति के दिखाई पड़ने पर उसे **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-04** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी को संसूचित करेगा।

86. इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता- (1) इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता सामान्य पोर्टल पर अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-04** में बनाया रखा जाएगा और इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का प्रत्येक दावा उक्त खाते में जमा किया जाएगा।

(2) इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता धारा 49 के उपबंधों के अनुसार किसी दायित्व के उन्मोचन की सीमा तक विकलित किया जाएगा।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने धारा 54 के उपबंधों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते से किसी अनुपयोजित रकम के प्रतिदाय का दावा किया है वहां दावे की सीमा तक रकम उक्त रजिस्टर में विकलित की जाएगी।

(4) यदि इस प्रकार फाइल किया गया प्रतिदाय, पूर्णतः या भागतः अस्वीकार कर दिया जाता है, अस्वीकृति की सीमा तक उप-नियम (3) के अधीन विकलित रकम **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03** में किए गए आदेश द्वारा समुचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में पुनः जमा की जाएगी।

(5) इस अध्याय के नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, किन्हीं भी परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में प्रत्यक्षतः कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में कोई विसंगति दिखाई पड़ने पर, उसे प्ररूप **जीएसटी पीएमटी-04** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी को संसूचित करेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिदाय नामंजूर समझा जाएगा, यदि अपील अन्तिम रूप से नामंजूर कर दी जाती है या यदि दावाकर्ता समुचित अधिकारी को एक वचन दे देता है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा।

87. इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता -(1) धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-05** में रखा जाएगा जो जमा की गई रकम को जमा करने के लिए और कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए उससे संदाय को विकलित करने के लिए सामान्य पोर्टल पर कर, ब्याज, शास्ति, विलम्ब फीस या किसी अन्य रकम का संदाय करने का दायी है।

(2) कोई व्यक्ति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06** में चालान तैयार करेगा और कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए उसके द्वारा जमा की जाने वाली रकम के ब्यौरे प्रविष्ट करेगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन निक्षेप निम्नलिखित ढंगों में से किसी ढंग के माध्यम से किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग;
(ii) प्राधिकृत बैंक के माध्यम से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड;
(iii) किसी बैंक से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या वास्तविक समय सकल परि-निर्धारण;
(iv) नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा चालान, प्रति कर अवधि दस हजार रुपए तक निक्षेपों के लिए प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से काउंटर संदाय पर:

परंतु काउंटर संदाय पर के मामले में प्रति चालान दस हजार रुपये तक निक्षेप के लिए निर्बंधन निम्नलिखित द्वारा किए जाने वाले निक्षेप को लागू नहीं होगा:-

(क) सरकारी विभागों या व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला कोई अन्य निक्षेप, जो इस निमित्त आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(ख) किसी व्यक्ति से, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, परादेय शोध्यों, जिनके अन्तर्गत जंगम या स्थावर संपत्तियों की कुर्की या विक्रय के माध्यम से की गई वसूली भी है;

(ग) किसी अन्वेषक या प्रवर्तन क्रिया-कलाप के दौरान नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संगृहीत रकमों के लिए या किसी तदर्थ निक्षेप के लिए समुचित अधिकारी या कोई प्राधिकृत अन्य अधिकारी:

परंतु यह और कि सामान्य पोर्टल पर तैयार किए गए **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06** में चालान पन्द्रह दिन की अवधि के लिए वैध होगा।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि चालान में उपदर्शित किसी रकम का संदाय करने के लिए, ऐसे संदाय की बाबत संदेय कमीशन, यदि कोई हो, ऐसा संदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा।

(4) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किया जाने वाला अपेक्षित संदाय सामान्य पोर्टल के माध्यम से तैयार किए गए अस्थायी पहचान संख्या के आधार पर किया जाएगा।

(5) जहां संदाय किसी बैंक से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या वास्तिवक समय सकल निपटान ढंग के माध्यम से किया जाता है वहां अनिवार्य प्ररूप सामान्य पोर्टल पर चालान के साथ तैयार किया जाएगा और उसे उस बैंक को, जहां से संदाय किया जाना है, प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु अनिवार्य प्ररूप चालान किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के लिए वैध होगा।

(6) प्राधिकृत बैंकों में बनाए गए सम्बद्ध सरकारी खाते में रकम के सफल प्रत्यय पर, चालान पहचान संख्या संग्राही बैंक द्वारा तैयार की जाएगी और उसे चालान में उपदर्शित किया जाएगा।

(7) संग्राही बैंक से चालान पहचान संख्या के प्राप्त हो जाने पर उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा कर दी जाएगी जिसकी ओर से निक्षेप किया गया है और सामान्य पोर्टल इस आशय की रसीद उपलब्ध कराएगा।

(8) जहां सम्बद्ध व्यक्ति या उसकी ओर से जमा करने वाले व्यक्ति का बैंक खाते में से विकलन किया जाता है किन्तु कोई चालान पहचान संख्या तैयार नहीं की जाती है या तैयार की जाती है किन्तु सामान्य पोर्टल को संसूचित नहीं की जाती है तो वहां उक्त व्यक्ति सामान्य पोर्टल के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-07** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंक या इलेक्ट्रॉनिक गेटवे को अभ्यावेदन कर सकेगा जिसके माध्यम से निक्षेप की पहल की गई थी।

(9) धारा 51 के अधीन कटौती की गई या धारा 52 के अधीन संग्रहीत की गई और ऐसे रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति से, जिससे, यथास्थिति, उक्त रकम की कटौती की गई थी या संग्रहीत की गई थी, **प्ररूप जीएसटीआर-02** में दावा की गई कोई रकम नियम 87 के उपबंधों के अनुसार उसके इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा की जाएगी।

(10) जहां किसी व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से किसी रकम के प्रतिदाय का दावा किया है, वहां उक्त रकम इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में से विकलित की जाएगी।

(11) यदि इस प्रकार दावा किया गया प्रतिदाय पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया जाता है तो उप-नियम (10) के अधीन विकलित रकम नामंजूर के विस्तार तक **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03** में किए गए आदेश द्वारा समुचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा की जाएगी।

(12) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में कोई विसंगति दिखाई पड़ने पर, उसे **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-04** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी को संसूचित करेगा।

स्पष्टीकरण: प्रतिदाय नामंजूर किया हुआ समझा जाएगा यदि अपील को अन्तिम रूप से नामंजूर कर दिया जाता है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिदाय को नामंजूर किया हुआ समझा जाएगा, यदि अपील को अन्तिम रूप से नामंजूर कर दिया जाता है या यदि दावेदार समुचित अधिकारी को वचन देता है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा।

88. प्रत्येक संव्यवहार के लिए पहचान संख्या.- (1) विशिष्ट पहचान संख्या, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद या प्रत्यय खाते में प्रत्येक विकलन या प्रत्यय के लिए सामान्य पोर्टल पर तैयार की जाएगी।

(2) किसी दायित्व के उन्मोचन से सम्बन्धित विशिष्ट पहचान संख्या इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में तत्स्थानी प्रविष्टि में उपदर्शित की जाएगी।

(3) विशिष्ट पहचान संख्या उप-नियम (2) के अन्तर्गत आने वाले कारणों से भिन्न कारणों के लिए इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में प्रत्येक प्रत्यय के लिए सामान्य पोर्टल पर तैयार की जाएगी।

अध्याय-10

प्रतिदाय

89. कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के प्रतिदाय के लिए आवेदन.-

(1) धारा 55 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के सिवाय, कोई व्यक्ति, जो किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उसके द्वारा संदत्त किसी अन्य रकम के प्रतिदाय से भिन्न भारत के बाहर निर्यातित माल पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है, या तो प्रत्यक्षतः सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन फाइल कर सकेगा:

परंतु धारा 49 की उप-धारा (6) के उपबंधों के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में अतिशेष से सम्बन्धित प्रतिदाय के लिए कोई दावा, यथास्थिति, **प्ररूप जीएसटीआर**-3 या **प्ररूप जीएसटीआर-4** या **प्ररूप जीएसटीआर-7** में सुसंगत कर अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी के माध्यम से किया जा सकेगा:

परंतु यह और भी कि विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को प्रदायों की बाबत, प्रतिदाय के लिए आवेदन-

(क) जोन के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यथा पृष्ठांकित प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए विशेष आर्थिक जोन में ऐसे माल को पूर्णतया स्वीकार किए जाने के पश्चात् माल के प्रदायकर्ता द्वारा;

(ख) जोन के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यथा पृष्ठांकित प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए सेवाओं की प्राप्ति के बारे में ऐसे साक्ष्य के साथ सेवाओं के प्रदायकर्ता द्वारा फाइल किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि निर्यात के रुप में समझे जाने वाले प्रदाय के बाबत, आवेदन निर्यात समझे जाने वाले प्रदाय के प्राप्तकर्ता द्वारा फाइल किया जाएगाः

परन्तु यह भी कि किसी रकम का प्रतिदाय, रजिस्ट्रेशन के समय धारा 27 के अधीन उसके द्वारा जमा किए गए अग्रिम कर में से आवेदक द्वारा संदेय कर के समायोजन के पश्चात उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित अंतिम विवरणी में दावा की जाएगी ।

(2) उप नियम (1) के अधीन आवेदन, **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-01** के उपाबंध-1 में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्यों में जो लागू हो, यह स्थापित करने के लिए कि आवेदक को प्रतिदाय देय है, में से किसी के साथ, होगाः-

(क) आदेश की निर्देश संख्या और प्रतिदाय के रुप में दावा की गई धारा 107 की उप धारा (6) और धारा 112 की उप धारा(8) में विर्निदृष्ट रकम के संदाय की निर्देश संख्या या ऐसी प्रतिदाय जो समुचित अधिकारी या किसी अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण या न्यायालय के आदेश के परिणामिक हो, द्वारा पारित आदेश की प्रति;

(ख) ऐसा कथन जिसमें संख्या और पोत पत्र की तारीख या निर्यात पत्र और सुसंगत निर्यात बीजक की संख्या तथा तारीख होगी, उस दशा में जहां माल के निर्यात के संबंध में प्रतिदाय है;

(ग) ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख तथा यथा स्थिति सुसंगत बैंक वसूली प्रमाण पत्र या विदेश आवक विप्रेषणादेश प्रमाण पत्र हैं, उस दशा में जहां प्रतिदाय सेवाओं के निर्यात के लिए है;

(घ) ऐसा कथन जिसमें नियम 26 में यथा प्रदत्त बीजक की संख्या और तारीख उप धारा(1) के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट पृष्ठाकंन के संबंध में साक्ष्य के साथ है उस दशा में जहां विशेष आर्थिक जोन ईकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को माल के प्रदाय के लिए है;

(ङ) ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख, उप नियम (1) के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट के पृष्ठाकंन के विषय में साक्ष्य तथा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अधीन यथापरिभाषित प्राधिकृत प्रचालकों के लिए प्रदायकर्ता के प्राप्तकर्ता किए गए संदाय का ब्यौरा उसके सबूत के साथ, उस दशा में जहां प्रतिदाय विशेष आर्थिक जोन ईकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को सेवाओं के प्रदाय के लिए है;

(च) इस आशय की घोषणा की विशेष आर्थिक जोन ईकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता ने माल या सेवाओं या दोनो के प्रतिदायकर्ता द्वारा संदत्त करके निवेश कर प्रत्यय को प्राप्त नहीं किया है, उस दशा में प्रतिदाय जहां विशेष आर्थिक जोन ईकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए है;

(छ) ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख इस निमित अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे अन्य साक्ष्य के साथ है, उस दशा में जहां प्रतिदाय निर्यात समझे जाने वाले के बाबत है;

(ज) कोई कथन जिसमें प्राप्त तथा कर अवधि के दौरान जारी बीजकों की संख्या और तारीख है, उस दशा में जहां दावा धारा 54 की उप धारा (3) के अधीन किसी अप्रयुक्त निवेश कर प्रत्यय के संबंध में है और जहां प्रत्यय शून्य दर या पूर्णतः छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न है निर्गम प्रदाय पर कर की दर से उच्चतर होने के कारण निवेश पर कर की दर के लेखा के संबंध में संचित किए जा चुके है;

(झ) अंतिम निर्धारण आदेश की निर्देश संख्या और उक्त आदेश की प्रति उस दशा में जहां प्रतिदाय अनंतिम निर्धारण को अंतिम रुप देने के संबंध में उत्पन्न होता है;

(ञ) अंतर-राज्य प्रदाय के रूप में समझे गए संव्यवहारों के ब्यौरों को दर्शित करता हुआ ऐसा कथन लेकिन जो पश्चातवर्ती रूप से अंतर-राज्य प्रदाय माना गया है ;

(ट) ऐसा कथन जो कर के अधिक संदाय के संबंध में दावे की रकम के ब्यौरे प्रदर्शित करता हो ;

(ठ) इस आशय की घोषणा कि कर का भाग, ब्याज या प्रतिदाय के रूप में दावा की गई कोई अन्य रकम किसी अन्य व्यक्ति को नहींदी गई है, उस दशा में जहां प्रतिदाय की रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं है ;

परंतु यह कि घोषणा धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या (घ) या खंड (च) के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में की जानी अपेक्षित नहीं है ;

(ड) **प्रारुप जीएसटी आरएफडी - 01** के उपाबंध -2 में प्रमाण-पत्र जो किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट या लागत एकाउंटेंट द्वारा इस आशय में जारी किया जाएगा कि कर का भाग, ब्याज या प्रतिदाय के रूप में दावा की गई अन्य कोई रकम किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी गई है उस दशा में जहां दावा किए गए प्रतिदाय की रकम दो लाख रुपए से अधिक हो;

परंतु यह कि घोषणा धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या (घ) या खंड (च) के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में की जानी अपेक्षित नहीं है ;

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनों के लिए –

(i) धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रतिदाय की दशा में पद "बीजक" से धारा 31 के उपबंधों को पुष्ट करने वाला बीजक अभिप्रेत है ;

(ii) जहां कर की रकम प्राप्तकर्ता से वसूल की जा चुकी है तो यह समझा जाएगा कि कर का भार वास्तविक उपभोक्ता पर चला गया है ।

(3) जहां आवेदन निवेश कर प्रत्यय के प्रतिदाय से संबंधित है वहां इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही ऐसे दावा किए गए प्रतिदाय की रकम के बराबर आवेदक द्वारा विकलित किया जाएगा ।

(4) माल या सेवा या दोनों के शून्य-दर प्रदाय की दशा में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में बचन-पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय के बिना निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार प्रदान किया जाएगा ।

प्रतिदाय रकम = माल के शून्य दर प्रदाय का व्यापारआवर्त + सेवा के शून्य दर प्रदाय का व्यापारआवर्त x सकल आई टी सी ÷ समायोजित कुल व्यापारआवर्त

जहां :

(अ) "प्रतिदाय रकम" से अधिकतम प्रतिदाय जो अनुज्ञेय है, अभिप्रेत है ;

(आ) "शुद्ध आईटीसी" से सुसंगत अवधि के दौरान निवेश और आवक सेवाओं पर लिया गया निवेश कर प्रत्यय अभिप्रेत है ;

(इ) "माल के शून्य दर प्रदाय का टर्नओवर" से बचन-पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए माल के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है ;

(ई) सेवा के शून्य दर प्रदाय का व्यापारआवर्त" से बचन-पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए सेवा के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है जो निम्नलिखित रीति में संगणित किया जाएगा अर्थात्,

"सेवा के शून्य दर प्रदाय, सेवा के शून्य दर प्रदाय के लिए सुसंगत अवधि के दौरान प्राप्त किए गए संदायों का योग है और सेवा के शून्य दर प्रदाय जहां प्रदाय पूरा किया जा चुका है जिसके लिए संदाय अग्रिम में किसी अवधि के पूर्व सेवा के शून्य दर प्रदाय के लिए प्राप्त अग्रिमों द्वारा सुसंगत अवधि के लिए कटौती की जा चुकी है जिसके लिए सेवा का प्रदाय उस सुसंगत अवधि के दौरान पूरा नहीं किया गया है;

(उ) "समायोजित कुल व्यापारआवर्त" से धारा 2 की उपधारा (112) के अधीन यथा परिभाषित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सुसंगत अवधि के दौरान शून्य दर प्रदायों से भिन्न छूट प्रदायों के मूल्य को छोड़कर व्यापारआवर्त अभिप्रेत है ;

(ऊ) "सुसंगत अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए दावा किया गया है ।

(5) विपरीत शुल्क ढांचा के संबंध में निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित फार्मूलों के अनुसार प्रदान किया जाएगा

अधिकतम प्रदिदाय रकम :{(व्युतक्रमित दर के माल के प्रदाय की आवर्त) x शुद्ध आईटीसी ÷ समायोजित कुल आवर्त} – ऐसे व्युतक्रमित दर के माल के प्रदाय पर संदेय कर

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए पद "शुद्ध आईटीसी और समायोजित कुल व्यापारआवर्त" से वह अर्थ समनुदेशित है जो उपनियम (4) में उनके लिए हैं।

90. अभिस्वीकृति-- (1) जहां आवेदन ईलैक्ट्रानिक बही से प्रतिदाय के लिए दावे से संबंधित है वहां एक **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-02** में पावती समान पोर्टल ईलैक्ट्रानिक रूप से आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें प्रदिदाय के लिए दावे को फाईल करने की तारीख स्पष्ट रुप से इंगित की जाएगी और धारा 54 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट समय अवधि फाइल करने की ऐसी तारीख से गिनी जाएगी ।

(2) ऐसा प्रतिदाय के लिए आवेदन जो इलैक्ट्रानिक नकद बही से प्रतिदाय के लिए दावे से भिन्न है समुचित अधिकारो के अग्रेषित किया जाएगा जो उक्त आवेदन के फाइल करने की 15 दिन की अवधि में इसकी पूर्णता के लिए आवेदन की संवीक्षा करेगा और जहां नियम 89 में उपनियम (2) (3)और (4) की शर्तों के अनुसार पूर्ण पाया जाता है तो **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-02** में एक पावती आवेदक को समान पोर्टल इलैक्ट्रोनिक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी जिसमें प्रतिदाय का दावा फाइल करने की तारीख स्पष्ट रुप से इंगित की जाएगी और धारा 54 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट अवधि का समय से फाइल करने की ऐसी तारीख़ से गिना जाएगा ।

(3) जहां कोई कमियां संज्ञान में आई है वहां समुचित अधिकारी आवेदक को **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-03** में समान पोर्टल से इलैक्ट्रानिक माध्यम से कमियों को संसूचित करेगा, ऐसी कमियों को सुधारने के बाद नए प्रतिदाय आवेदन को फाइल करने की उससे अपेक्षा करेगा ।

(4) जहां कमियां **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-03** में राज्य जीएसटी नियम के अधीन संसूचित की जा चुकी है वहां उनको उपधारा (3) के अधीन संसूचित कमियों सहित इस नियम के अधीन भी संसूचित किया समझा जाएगा ।

91. अंनतिम प्रतिदाय को प्रदान करना-- (1) धारा 54 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार अनंतिम प्रतिदाय इस दशा के अध्यधीन प्रदान किया जाएगा कि प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति कर अवधि जिससे संबंधित प्रतिदाय का दावा किया है कर तुरंत पूर्ववर्ती पांच वर्ष की किसी अवधि के दौरान इस अधिनियम या ऐसे किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया गया है और जहां कर का अपवंचन दो सौ पचास लाख रुपए से अधिक है ।

(2) समुचित अधिभारी दावो की संविक्षा के पश्चात और उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों तथा प्रथमदृष्या यह समाधान हो जाने पर कि उपनियम (1) के अधीन प्रतिदाय के रुप में दावा की गई रकम और धारा 54 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में आवेदक की शोध्य है, **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-04** में नियम 90 के उपनियम (1) और (2) के अधीन पावती की तारीख से सात दिन से अनधिक अवधि में अनंतिम आधार पर उक्त आवेदक को शोध्य प्रतिदाय की रकम की मंजूरी का आदेश करेगा ।

(3) समुचित अधिकार उपनियम (2) के अधीन मंजूर रकम के लिए **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-05** में संदाय सूचना जारी करेगा और उसको उसके रजिस्ट्रेशन विशिष्टियों के निर्दिष्ट तथा प्रतिदाय के लिए आवेदन में यथा विनिर्दिष्ट आवेदक के किसी बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक रुप से प्रत्यय करेगा।

92. प्रतिदाय मंजूरी आदेश -- (1) जहां आवेदन की परीक्षा करने पर समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है कि धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन प्रतिदाय शोध्य है और आवेदक को संदेय है ; तो वह **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-06** में प्रतिदाय की रकम जिसका वह हकदार है की मंजूरी का आदेश करेगा; यदि कोई, धारा 54 की उपधारा (6) के अधीन अंनतिम आधार पर उसको प्रतिदाय किया जा चुका है तो अधिनियम या अन्य किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध रकम समायोजित की जाएगी और शेष रकम प्रतिदाय योग्य होगी :

परंतु यहकि उस दशा में जहां प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम या अन्य किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध पूर्णतः समायोजित हो गई है तो समायोजन के ब्यौरे का आदेश **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-07** के भाग क में जारी किया जाएगा ।

(3) जहां समुचित अधिकारी लिखित रुप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए समाधान हो गया है, कि प्रतिदाय के रुप में दावा की गई रकम का पूरा या कोई हिस्सा स्वीकार्य नहीं है या आवेदक को संदेय नहीं हैं, वह **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-08** में एक नोटिस आवेदक को जारी करेगा, उस नोटिस की प्राप्ति के पद्रंह दिनों की अवधि के भीतर **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-09** में उत्तर देने की अपेक्षा है और उत्तर पर विचार करने के बाद, **प्ररुप एमजीएसटी आरएफडी-06** में एक आदेश करने के लिए, राशि की मंजूरी पूरे या भाग में वापसी या उक्त वापसी के दावे को खारिज कर दिया है और उक्त आदेश इलैक्ट्रानिक रुप में आवेदक को उपलब्ध कराया जाएगा और उप-नियम (1) के उपबंधों को यथा आवश्यक परिवर्तन के सहित प्रतिदाय की सीमा तक लागू कर आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी

परंतु यह यह कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रतिदाय के लिए कोई आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा ।

(4) जहां समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है कि उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन प्रतिदाय धारा 54 की उप-धारा (8) के अधीन देय है, जो वह **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-06** में आदेश करेगा और **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-95** में संदाय सूचना जारी करेगा तथा उसे उसके रजिस्ट्रीकृत विशिष्टियों विवरण में निर्दिष्ट और प्रतिदाय के लिए यथाविनिर्दिष्ट किसी भी बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक रुप से प्रत्यय किया जाएगा ।

(5) जहां समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है कि उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन प्रतिदाय की रकम धारा 54 के उप-धारा (8) के अधीन आवेदक को देय नहीं है तो वह **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-06** में आदेश करेगा और **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-05** में प्रतिदाय की रकम उपभोक्ता कल्याण कोष में प्रत्यय की जाने की सूचना जारी करेगा।

93. अस्वीकृत प्रतिदाय दावे की रकम का प्रत्यय – (1) जहां नियम 90 की उप-नियम (3) के अधीन किसी भी कमी को सूचित किया गया है, वहां नियम 89 के उप-नियम (3) के अधीन विकलित की गई रकम को इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में पुनः प्रत्यय कर दिया जाएगा ।

(2) जहां किसी प्रतिदाय के रुप में दावा की गई कोई रकम नियम 92 के अधीन या तो पूरी तरह या आंशिक रुप से खारिज कर दी गई है, तो खारिज की सीमा तक विकलित की गई रकम, **प्ररुप जीएसटी पीएमटी-03** में खारिज किए गए आदेश द्वारा इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में पुनः प्रत्यय कर दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण.—इन नियमों के प्रयोजन के लिए कोई प्रतिदाय खारिज या समझा जाएगा यदि अपील अंतिम रूप से खारिज कर दी गई है या दावाकर्ता ने समुचित प्राधिकारी को लिखित में वचनपत्र दे

दिया है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा ।

94. विलंबित प्रतिदायों पर ब्याज मंजूरी आदेश-- जहां धारा 56 के अधीन आवेदक को कोई ब्याज शोध्य है और संदेय योग्य है तो समुचित अधिकारी **प्ररूप जीएसटी आरफडी-05** में संदाय सूचना के साथ एक आदेश जिसमें प्रतिदाय की रकम जो विलंबित है, विलंब की अवधि जिसके लिए ब्याज संदेय है और संदेय ब्याज की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश करेगा तथा ब्याज की ऐसी रकम रजिस्ट्रकरण विशिष्टियों में निर्दिष्ट और प्रतिदाय के लिए आवेदन में यथाविनिर्दिष्ट बैंक के खातों में से किसी को इलैक्ट्रानिक रूप से प्रत्यय किया जाएगा ।

95. कतिपय व्यक्तियों के लिए कर का प्रतिदाय-- (1) धारा 55 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार अपने आंतरिक प्रदायों पर उसके द्वारा संदत्त कर का प्रतिदाय के दावे के लिए पात्र कोई व्यक्ति प्रतिदाय के लिए **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10** में प्रतिदाय के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार समान पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से चाहें सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित साहयता केन्द्र के माध्यम से प्ररूप **जीएसटीआर-11** में माल या सेवाओं या दोनों के आंतरिक प्रदायों के कथन सहित **प्ररूप जीएसटीआर-1** में तत्स्थानी प्रदायकर्ताओं द्वारा आंतरिक प्रदायों के कथन के आधार पर तैयार रूप में आवेदन करेगा ।

(2) प्रतिदाय के लिए आवेदन की प्राप्ति की पावती प्ररूप **जीएसटी आरएफडी-02** जारी की जाएगी ।

(3) आवेदक द्वारा संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध होगा यदि--

(क) माल या सेवा या दोनों के आंतरिक प्रदायों का एक कर बीजक के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त हुआ है और पांच हजार रुपए से अधिक संदत्त कर को छोड़कर यदि कोई है एकल कर बीजक के अधीन आने वाले प्रदाय का मूल्य;

(ख) आवेदक का नाम और माल और सेवाकर संख्यांक या विशिष्ट पहचान संख्यांक कर बीजक में निर्दिष्ट है ; और

(ग) ऐसे अन्य निर्बधंन या दशाएं जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों पूरी करता हो ।

(4) नियम 92 के उपबंध यथाआवश्यक परिवर्तनों के अधीन इस नियम के अधीन प्रतिदाय की मंजूरी और संदाय को लागू होंगे ।

(5) जहां व्यक्त उपबंध संधि या अन्य अंतरराष्ट्रीय करार है जिसमें राष्ट्रपति या भारत सरकार पक्षकार है इस अध्याय के उपबंधों से असंगत है तो ऐसी संधि या अंतरराष्ट्रीय करार लागू होगा ।

96. भारत के बाहर निर्यात किए गए माल पर एकीकृत कर का प्रतिदाय—(1) किसी निर्यातकर्ता द्वारा फाइल किए गए पोतपत्र को भारत के बाहर, निर्यात किए गए माल पर संदत्त एकीकृत प्रतिदाय के लिए आवेदन समझा जाएगा और ऐसा आवेदन केवल तब फाइल किया गया समझा जाएगा जब :--

(क) निर्यात माल का वहन करने वाले प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति सम्यक् रूप से पोत पत्रों या निर्यात पत्रों की संख्या और तारीख वाली कोई निर्यात माल सूची या निर्यात रिपोर्ट फाइल करता है ; और

(ख) आवेदक ने प्ररूप **जीएसटी आर-3** में विधिमान्य विवरणी दी है ।

(2) प्ररूप **जीएसटी आर-1** में अन्तर्विष्टि सुसंगत निर्यात बीजकों के ब्यौरों को सामान्य पोर्टल द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से सीमाशुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम पर परेषित किया जाएगा और उक्त सिस्टम इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल को ऐसी पुष्टि पारेषित करेगा कि उक्त बीजकों के अन्तर्गत आने वाले माल का भारत से बाहर निर्यात किया गया है ।

(3) सामान्य पोर्टल से प्ररूप **जीएसटी आर-3** में विधिमान्य विवरणी देने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर सीमाशुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम प्रतिदाय के दावे के लिए कार्यवाही करेगा और प्रत्येक पोत पत्र या निर्यात पत्र के संबंध में संदत्त एकीकृत कर के बराबर रकम को इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदक के रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में वर्णित और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को यथा सूचित उसके बैंक खाते में जमा की जीएगी ।

(4) प्रतिदाय के दावे को वहां विधारित कर दिया जाएगा, जहां,--

(क) केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता आयुक्त से धारा 54 की उपधारा (10) या उपधारा (11) के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति के प्रति देय संदाय को विधारित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; या

(ख) सीमाशुल्क उचित अधिकारी ने यह अवधारित किया है कि माल का निर्यात सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया है ।

(5) जहां उपनियम (4) के खंड (क) उपबंधों के अनसार प्रतिदाय विधारित किया जाता है वहां सीमाशुल्क स्टेशन का एकीकृत कर उचित अधिकारी आवेदक और यथास्थिति, केन्द्रीय कर अधिकारिता आयुक्त, राज्य कर अधिकारिता आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता आयुक्त को सूचित करेगा और ऐसी सूचना की एक प्रति सामान्य पोर्टल को पारेषित करेगा ।

(6) उपनियम (5) के अधीन सूचना के पारेषण पर, यथास्थिति, केन्द्रीय कर अचित अधिकारी, राज्य कर उचित अधिकारी या संघ राज्यक्षेत्र कर उचित अधिकारी प्ररूप **जीएसटी आरएफडी-07** के **भाग ख** में आदेश पारित करेगा ।

(7) जहां आवेदक उपनियम (4) के खंड (क) के अधीन विधारित रकम के प्रतिदाय का हकदार हो गया है वहां यथास्थिति, संबंधित केन्द्रीय कर अधिकारिता अधिकारी, राज्य कर अधिकारिता अधिकारी या संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता अधिकारी **जीएसटी आरएफडी-06** में आदेश पारित करने पश्चात् प्रतिदाय के लिए कार्यवाही करेगा ।

(8) केन्द्रीय सरकार, माल के ऐसे वर्ग के लिए जो इस निमित्त अधिसूचित किया जाए भुटान को निर्यात पर, भुटान सरकार को एकीकृत कर के प्रतिदाय का संदाय कर सकेगी और भुटान सरकार को ऐसा प्रतिदाय संदत्त किया जाता है वहां निर्यातकर्ता एकीकृत कर के किसी प्रतिदाय का संदाय नहीं करेगा ।

97. उपभोक्ता कल्याण निधि--

(1) उपभोक्ता कल्याण निधि को सभी प्रत्यय नियम 92 के उपनियम (4) के अधीन किए जाएंगे ।

(2) कोई रकम निधि को प्रत्यित किए जाने के लिए आदेशित या समुचित प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी, अपीलीय अधिकरण या न्यायालय के आदेशों द्वारा किसी दावाकर्ता को संदेय के रूप में निदेशित की जा चुकी है, निधि से संदत्त की जाएगी ।

(3) धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन उपभोक्ता कल्याण निधि से रकम का कोई प्रयोग उपभोक्ता कल्याण निधि लेखा से विकलन और खाते जिसमें रकम को प्रयोग के लिए अंतरित किया जाना है, में प्रत्यय द्वारा किया जाएगा ।

(4) सरकार, आदेश द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव और ऐसे अन्य सदस्यों जिनको ठीक समझे, सहित स्थायी समिति का गठन करेगी और समिति उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता कल्याण निधि को विकलित धन के समुचित प्रयोग के लिए सिफारिश करेगी ।

(5) समिति जब आवश्यक हो बैठक करेगी किंतु तीन मास में एक बार से कम नहीं ।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अभिकरण या संगठन जो उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलापों में तीन वर्षों से लगा हुआ है जिसमें ग्राम या मंडल या उपभोक्ताओं के सहकारी स्तर समिति विशेषत: महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में परिभाषित कोई उद्योग जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुशंसित हो और पांच वर्षों से जीव्य और उपयोगी क्रियाकलापों में लगा हुआ है, जिसके द्वारा बहुउपयोग के उत्पादों के लिए मानक चिन्ह के विरचन के महत्वपूर्ण योगदान किया गया है या किया जाना है, सरकार या राज्य सरकार उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान देने के लिए आवेदन करेगी ।

(7) उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान के लिए सभी आवेदन, आवेदक द्वारा सदस्य सचिव को किए जाएंगे लेकिन समिति किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगी जब तक सदस्य सचिव सारभूत ब्यौरों की जांच न कर ले और विचार करने के पश्चात् अनुशंसा न दे दे ।

(8) समिति को शक्तियां होंगी-

(क) किसी आवेदक को अपने समक्ष, सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष ऐसी पुस्तकों, लेखओं, दस्तावेजों, लिखतों या आवेदक की अभिरक्षा या नियंत्रण में माल को जैसा आवश्यक हो आवेदन के समुचित मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी ।

(ख) किसी आवेदक को परिसर जिसमें उपभोक्ता कल्याण के लिए क्रियाकलापों का होने का दावा किया गया है, और किया जाना बताया गया है का सम्यक् रूप से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, यथास्थिति सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी को प्रवेश और निरीक्षण के लिए अनुमति देने की अपेक्षा कर सकेगी ;

(ग) आवेदकों के संपरीक्षित लेखाओं को अनुदान के समुचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए ले सकेगी ;

(घ) किसी आवेदक से किसी चूक के या उसके भाग पर किसी सारभूत सूचना के छिपाने की दशा में समिति को मंजूर अनुदान के एकमुश्त प्रतिदाय के लिए अपेक्षा कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन अभियोजित कर सकेगी ;

(ड) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में किसी आवेदक से शोध्य रकम वसूल कर सकेगी ;

(च) किसी आवेदक या आवेदकों के वर्ग से आवर्तिक रिपोर्ट जो अनुदान के समुचित प्रयोग को दर्शित करती हो को प्रस्तुत करने को कह सकेगी ;

(छ) ताथ्यिक असंगततओं या सारभूत विशिष्टियों में त्रुटि होने पर उसके समक्ष प्रस्तुत किसी आवेदन को खारिज कर सकेगी ;

(ज) किसी आवेदक को अनुदान के द्वारा उसकी वित्तीय प्रास्थिति और उसके काम के अधीन क्रियाकलापों की प्रकृति की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के पश्चात् प्रदत्त वित्तीय सहायता का दुरुउपयोग नहीं होगा न्यूनतम वित्तीय सहायता देने की सिफारिश कर सकेगी ;

(झ) लाभकारी और सुरक्षित सैक्टरों जहां उपभोक्ता कल्याण निधि का विनिधान किया जाना है को पहचान कर तदनुसार सिफारिश करेगी ;

(ञ) किसी आवेदक के उपभोक्त कल्याण क्रियाकलापों की अवधि के लिए अपेक्षित दशाओं को शिथिल करे सकेगी ;

(ट) उपभोक्ता कल्याण निधि के प्रबंधन, प्रशासन और संपरीक्षा के लिए दिशानिर्देश बना सकेगी ।

(9) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् और भारतीय मानक ब्यूरो, माल और सेवाकर परिषद् को उपभोक्ता कल्याण निधि से होने वाले व्यय के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं या प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों की सिफारिश कर सकेगी ।

अध्याय 11

मूल्यांकन और संपरीक्षा

98. अनंतिम मूल्यांकन-(1) धारा 60 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अनंतिम आधार पर कर के संदाय के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किए गए सुविधा केन्द्र के माध्यम से कोमन पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 01** में इलैक्ट्रानिक रूप से अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेजों के साथ आवेदन करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से स्वयं उपस्थित होने या अपने आवेदन की समर्थन में अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने हुए **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 02** में नोटिस जारी करेगा और आवेदक **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 03** में नोटिस का जवाब फाइल करेगा ।

(3) उचित अधिकारी या तो आवेदन अस्वीकृत करने के कारण बताते हुए आवेदन निरस्त करने या अनंतिम आधार पर कर का संदाय अनुज्ञात करते हुए आदेश जारी करेगा जिसमें अनंतिम आधार पर वह मूल्य या दर या दोनों दर्शित करते हुए मूल्यांकन अनुज्ञात किया जाना है तथा वह रकम जिसके लिए बंधपत्र निष्पादित किया जाना है और वह प्रतिभूति जो दी जानी है जो बंधपत्र के अधीन आने वाली रकम के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 60 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 05** में एक बंधपत्र उपधारा (3) के अधीन यथा अवधारित रकम के लिए बैंक प्रत्यभूति के रूप में प्रतिभूति के साथ निष्पादित करेगा :

परन्तु केन्द्रीय/राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उचित अधिकारी को प्रस्तुत किया गया बंध पत्र इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किया गया बंधपत्र समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजनों के लिए "रकम" पद में संव्यवहार के संबंध में संदेय एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर की रकम और उपकर सम्मिलित होगा ।

(5) उचित अधिकारी धारा 60 की उपधारा (3) मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए अपेक्षित जानकारी और अवलेखों को मांगने के लिए **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 06** में नोटिस जारी करेगा जिसमें **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 07** में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय या लौटाए जाने वाली कोई रकम यादि कोई हो, विनिर्दिष्ट होगी ।

(6) आवेदक उपनियम (5) के अधीन आदेश जारी करने के पश्चात् उपनियम (4) के अधीन प्रस्तुत प्रतिभूति को निर्मुक्त करने के लिए **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 08** में आवेदन फाइल कर सकेगा ।

(7) उचित अधिकारी यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट रकम आवेदक द्वारा संदत्त कर दी गई है प्रतिभूति को निर्मुक्त करेगा और उपनियम (6) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 09** में एक आदेश जारी करेगा ।

99. विवरणियों की संवीक्षा-- (1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कोई विवरणी संवीक्षा के लिए चयन की जाती है वहां उचित अधिकारी धारा 61 के उपबंधों के अनुसार उसकी संवीक्षा उसे उपलब्ध जानकारी के संदर्भ अनुसार करेगा और किसी विसंगती की दशा में वह उक्त व्यक्ति को **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 10** में नोटिस जारी करेगा और उसको ऐसी विसंगती के बारे में जानकारी देगा तथा नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर उससे स्पष्टीकरण मांगेगा और कर, ब्याज की रकम और ऐसी विसंगती के संबंध में संदेय अन्य किसी रकम का मात्रांकन करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन जारी नोटिस में वर्णित विसंगती को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति स्वीकृत कर सकेगा और ऐसी विसंगती से उद्भूत कर, ब्याज या किसी अन्य रकम का संदाय करेगा और उचित अधिकारी को **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 11** में विसंगती के लिए स्पष्टीकरण देगा या उसे सूचित करेगा ।

(3) जहां उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत जानकारी या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण स्वीकार्य पाया जाता है वहां उचित अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 12** में तद्नुसार उसे सूचित करेगा ।

100. कतिपय मामलों में मूल्यांकन.-- (1) धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन किया गया मूल्यांकन का आदेश **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 13** में जारी किया जाएगा ।

(2) उचित अधिकारी धारा 63 के उपबंधों के अनुसार कराधेय व्यक्ति को **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 14** में नोटिस जारी करेगा जिसमें वे आधार अन्तर्विष्ट होंगे जो सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर मूल्यांकन में प्रस्तावित हैं और ऐसे व्यक्ति को अपना उत्तर देने के लिए पन्द्रह दिन का समय अनुज्ञात करने के पश्चात् **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 15** में आदेश जारी करेगा ।

(3) धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन संक्षिप्त मूल्यांकन का आदेश **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 16** में जारी किया जाएगा ।

(4) धारा 64 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 17** में संक्षिप्त मूल्यांकन को वापस लेने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा ।

(5) धारा 64 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन के अस्वीकार होने या यथास्थिति, वापस लेने का आदेश **प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 18** में जारी किया जाएगा ।

101. संपरीक्षा (1) धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन संपरीक्षा की अवधि एक वित्तीय वर्ष या उसका गुणक होगी ।

(2) जहां धारा 65 के उपबंधों के अनुसार किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की संपरीक्षा करने का विनिश्चय किया जाता है वहां उचित अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एडीटी - 1** में नोटिस उक्त धारा की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार जारी करेगा ।

(3) उचित अधिकारी जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अभिलेखों और लेखा वहियों की संपरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत है, अधिकारियों की टीम और उसके साथ के पदधारियों की सहायता से वह दस्तावेज सत्यापित करेगा जिसके आधार पर लेखा वहियां अनुरक्षित की जाती हैं और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत विवरणी और कथन, अवर्त की सत्यता, दावा की गई

छूटें और कटौतियां, मालों की प्रदाय या सेवाओं या दोनों के संबंध में लागू कर की दर, उपयोग और उपयोजित इनपुट कर प्रत्यय, दावा किया गया प्रतिदाय और अन्य सुसंगत मुद्दे तथा उसके संपरीक्षा टिप्पणों में अभिलेख और प्रेक्षण प्रस्तुत करेगा ।

(4) उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को विसंगतियां यदि कोई हों के बारे में सूचित कर सकेगा और उक्त व्यक्ति अपना उत्तर फाइल कर सकेगा तथा उचित अधिकारी दिए गए उत्तर पर विचार करने के पश्चात् संपरीक्षा के निष्कर्षों को अंतिम रूप देगा ।

(5) संपरीक्षा के समाप्त होने पर उचित अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एडीटी -2** में धारा 65 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संपरीक्षा के निष्कर्षों के बारे में सूचित करेगा ।

102. विशेष संपरीक्षा (1) जहां धारा 66 के उपबंधों के अनुसार विशेष संपरीक्षा करने की अपेक्षा है वहां उक्त धारा में निर्दिष्ट अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एडीटी - 3** में एक निदेश जारी करेगा जिसमें वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त निदेश में विनर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट द्वारा अभिलेखों की संपरीक्षा करवाने का निदेश देगा ।

(2) विशेष संपरीक्षा के समाप्त होने पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को **प्ररूप जीएसटी एडीटी - 4** में विशेष संपरीक्षा के निर्ष्कर्षों के बारे में सूचित किया जाएगा ।

अध्याय 12

अग्रिम विनिर्णय

103. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्यों की अर्हता और नियुक्ति केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में संयुक्त आयुक्त की पंक्ति के किसी अधिकारी को नियुक्ति करेगी ।

104. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण को आवेदन करने का प्रारूप और रीति—(1) धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी एआरए-1** में किया जाएगा और उसके साथ पांच हजार रुपए की फीस संलग्न होगी जो धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति में जमा की जाएगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, उसमें अंतर्विष्ट सत्यापन और ऐसे आवेदन के साथ संलग्न सभी सुसंगत दस्तावेज नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित होंगे ।

105. प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रतियों का प्रमाणीकरण—अग्रिम विनिर्णय की प्रति को, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के किसी सदस्य द्वारा उसके मूल की सही प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाएगा ।

106. अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण को अपील का प्ररूप और रीति—(1) आवेदक द्वारा, धारा 98 की उपधारा (6) के अधीन जारी अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील सामान्य पोर्टल पर प्ररूप **जीएसटी आरए-2** में की जाएगी और उसके साथ दस हजार रुपए की फीस संलग्न होगी जो धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति में जमा की जाएगी ।

(2) धारा 98 की उपधारा (6) के अधीन जारी अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध अपील सामान्य पोर्टल पर प्ररूप **जीएसटी एआरए-3** में धारा 100 में निर्दिष्ट संबंधित अधिकारी या अधिकारित अधिकारी को कीजाएगी और अपील फाइल करने के लिए उक्त अधिकारी द्वारा कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट अपील, उसमें अंतर्विष्ट सत्यापन और ऐसी अपली के साथ संलग्न सभी सुसंगत दस्तावेजों को,--

(क) संबंधित अधिकारी या अधिकारिता वाले अधिकारी की दशा में, ऐसे अधिकारी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ; और

(ख) किसी आवेदक की दशा में, नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति से,

हस्ताक्षरित होंगे ।

107. प्राधिकारी द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रतियों की प्रमाणीकरण-- अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी द्वारा सुनाए गए और सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित अग्रिम विनिर्णय की प्रति,--

(क) आवेदक और अपीलार्थी को ;

(ख) केन्द्रीय कर और राज्यकर या संघ राज्यक्षेत्र कर के संबंधित अधिकारी को ;

(ग) केन्द्रीय कर और राज्यकर या संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारिता वाले अधिकारी को ; और

(घ) प्राधिकरण को,

अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार भेजी जाएगी ।

अध्याय 13

अपील और पुनरीक्षण

108. अपील प्राधिकारी को अपील.– (1) धारा 107 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी को अपील **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 1** में सुसंगत दस्तावेजों के साथ इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा फाइल की जाएगी जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए और अपीलार्थी को तत्काल अनंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाएगी ।

(2) **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 1** में यथा अन्तर्विष्ट अपील के आधार और सत्यापन का प्ररूप नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(3) **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 1** में अपील की हार्डकापी अपील प्राधिकारी को तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ उपनियम (1) के अधीन अपील फाइल करने के सात दिन के भीतर समर्थक दस्तावेजों के साथ विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति और अंतिम अभिस्वीकृति संलग्न होगी जिसमें अपील संख्या दर्शित होगी और तत्पश्चात् **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 2** अपील प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा :

परन्तु जहां अपील की हार्डकापी और दस्तावेज **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 1** को फाइल करने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख होगी और जहां अपील की हार्डकापी और दस्तावेज सात दिन के पश्चात् प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

स्पष्टीकरण– इस नियम के उपबंधों के लिए, अपील को तभी फाइल किया गया माना जाएगा जब अपील संख्या दर्शित करते हुए अंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाती है ।

109. अपील प्राधिकारी को आवेदन.– (1) अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 3** में अपील प्राधिकारी को आवेदन इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा प्रस्तुत किया जएगा जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

(2) प्ररूप जीएसटी एपीएल - 3 में अपील की हार्डकापी अपील प्राधिकारी को तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ उपनियम (1) के अधीन अपील फाइल करने के सात दिन के भीतर समर्थक दस्तावेजों के साथ विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति और अंतिम अभिस्वीकृति संलग्न होगी जिसमें अपील संख्या दर्शित होगी और अपील प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपील संख्या दी जाएगी ।

110. अपील अधिकरण को अपील.-- (1) धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 5** में सुसंगत दस्तावेज़ के साथ अपील अधिकरण को अपील इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा जैसा रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित किया जाए, सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत किया जएगा और अपीलार्थी को तत्काल अनंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाएगी ।

(2) अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (5) के अधीन **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 6** में अपील अधिकरण को तिर्यक आक्षेपों पर ज्ञापन तीन प्रतियों में रजिस्ट्रार को फाइल किया जाएगा ।

(3) अपील और तिर्यक आक्षेपों पर ज्ञापन नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(4) **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 5** में अपील की हार्डकापी तीन प्रतियों में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ उपनियम (1) के अधीन अपील फाइल करने के सात दिन के भीतर समर्थक दस्तावेजों के साथ विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति और अंतिम अभिस्वीकृति संलग्न

होगी जिसमें अपील संख्या दर्शित होगी और तत्पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 2** में जारी किया जाएगा :

परन्तु जहां अपील की हार्डकापी और दस्तावेज **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 5** को फाइल करने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख होगी और जहां अपील की हार्डकापी और दस्तावेज सात दिन के पश्चात् प्रस्तुत किए जाते हैं वहां अपील फाइल करने की तारीख दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अपील को तभी फाइल किया गया माना जाएगा जब अपील संख्या दर्शित करते हुए अंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाती है ।

(5) अपील फाइल करने या अपील प्रत्यावर्तन करने की फीस प्रत्येक एक लाख रुपए के कर या अन्तर्वलित इनपुट कर प्रत्यय या अन्तर्वलित कर या इनपुट कर प्रत्यय के अन्तर अथवा अपील किए गए आदेश में अवधारित जुर्माना, फीस या शास्ति की रकम के लिए अधिकतम पच्चीस हजार रुपए के अध्याधीन, एक हजार रुपए होगी ।

(6) धारा 112 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट त्रुटियों को सुधारने के लिए अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत आवेदन के लिए कोई फीस नहीं होगी ।

111. अपील अधिकरण को आवेदन.-- (1) धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन **प्ररूप जीएसटी एपीएल-7** में अपील अधिकरण को कोमन पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से अपील की जाएगी ।

(2) प्ररूप जीएसटी एपीएल - 7 में अपील की हार्डकापी तीन प्रतियों में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ उपनियम (1) के अधीन अपील फाइल करने के सात दिन के भीतर समर्थक दस्तावेजों के साथ विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति और अंतिम अभिस्वीकृति संलग्न होगी और रजिस्ट्रार द्वारा अपील संख्या दी जाएगी ।

112. अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना

अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाय, यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान उसे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से भिन्न कोई साक्ष्य चाहे मौखिक हो या दस्तावेजी, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, अर्थात् **:--**

(क) जहां यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी ने साक्ष्य स्वीकार करने से इंकार कर दिया है जो स्वीकृत किए जाने चाहिए थे **;** या

(ख) जहां यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्य मंगवाए गए थे किन्तु अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से उन्हें प्रस्तुत करने में असफल रहा **;** या

(ग) जहां यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने के लिए अपील के आधार पर सुसंगत कोई साक्ष्य मंगवाए गए थे किन्तु अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से उन्हें प्रस्तुत करने में असफल रहा ; या

(घ) जहां यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी ने अपीलार्थी को अपील के आधार पर सुसंगत कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना आदेश किया ।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण अभिलेख में लिखित रूप में उसे स्वीकार करने के कारण अभिलेखबद्ध नहीं करता है ।

(3) उपनियम (1) के अधीन कोई साक्ष्य नहीं लिया जाएगा यदि अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त अवसर अनुज्ञात नहीं किया जाता है :--

(क) अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य या दस्तावेज का परीक्षण या किसी गवाह की प्रतिपरीक्षा ; या

(ख) उपनियम (1) के अधीन अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के खंडन में कोई साक्ष्य या गवाह प्रस्तुत करना ।

(4) इस नियम में अन्तर्विष्ट कोई बात अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण की अपील को निपटाने में उसे समर्थ बनाने के लिए किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या किसी गवाह के परीक्षण को निदेशित करने की उसकी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।

113. **अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण का आदेश**.-- (1) अपील प्राधिकारी धारा 107 की उपधारा (11) के अधीन अपने आदेश के साथ **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 4** में स्पष्ट रूप से दर्शित करते हुए कि मांग की अंतिम रकम की पुष्टि हो गई है, आदेश का संक्षिप्त सार जारी करेगा ।

(2) अधिकारिता अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 4** में स्पष्ट रूप से दर्शित करते हुए कि मांग की अंतिम रकम की पुष्टि अपील अधिकरण द्वारा हो गई है, आदेश का संक्षिप्त सार जारी करेगा ।

114. उच्च न्यायालय को अपील.-- (1) धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय को अपील **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 8** में फाइल की जाएगी ।

(2) प्ररूप जीएसटी एपीएल - 8 में यथा अन्तर्विष्ट अपील के आधार और सत्यापन का प्ररूप नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

115. **न्यायालय द्वारा मांग की पुष्टि**.-- अधिकारिता अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एपीएल - 4** में स्पष्ट रूप से दर्शित करते हुए कि मांग की अंतिम रकम की पुष्टि यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा हो गई है, कथन जारी करेगा ।

116. अपराधिकृत प्रतिनिधि के कदाचरण के लिए निर्हता.-- जहां अधिनियम की धारा 116 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि मामले की जांच करने पर अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में कदाचरण का दोषी पाया जाता है, वहां आयुक्त उसे सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत होने से निर्हरित कर देगा ।

अध्याय 14
संक्रमणकालीन उपबंध

117. नियत दिन पर स्टॉक में रखे माल पर किसी विद्यमान विधि के अधीन कर या शुल्क प्रत्यय का अग्रेषण– (1) धारा 140 के अधीन निवेश कर के प्रत्यय को लेने का अधिकार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर **प्ररूप जीएसटी ट्रान-1** में सम्यक् रूप से हस्ताक्षर कर समान पोर्टल पर जिसमें पृथक रूप से निवेश कर प्रत्यय की रकम जिसका वह उक्त धारा के उपबंधों के अधीन हकदार है पृथक रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए इलैक्ट्रानिक रूप से घोषणा प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह कि आयुक्त परिषद् की सिफारिश पर नब्बे दिन से अनधिक और अवधि द्वारा नब्बे दिन की अवधि की सीमा बढ़ा सकेगा ।

परंतु यह और कि जहां निवेश निर्यात उद्देशयित इकाई या इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिक पार्क में अवस्थित इकाई से प्राप्त हुआ है, वहां प्रत्यय सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 3 का उपनियम (7) में यथाउपबंधित सीमा तक अनुज्ञेय होगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक घोषणा में--

(क) धारा 144 की उपधारा (2) के अधीन दावे की दशा में नियत दिन पर पूंजी माल के प्रत्येक मद की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां पृथक रूप से विनिर्दिष्ट की जाएंगी–

(i) नियत दिन तक प्रत्येक विद्यमान विधि के अधीन निवेश कर प्रत्यय के माध्यम से लभ्य या प्रयुक्त कर या शुल्क की रकम ; और

(ii) नियत दिन तक प्रत्येक विद्यमान विधि के अधीन निवेश कर प्रत्यय के माध्यम से अभी तक लभ्य या प्रयुक्त किए जाने वाले कर या शुल्क की रकम ; और

(ख) धारा 140 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के खंड (ख) या उपधारा (6) या उपधारा (8) के अधीन दावे की दशा में नियत दिन पर रखे स्टॉक का ब्यौरा पृथक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ग) धारा 140 की उपधारा (5) के अधीन दावे की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात् :--

(i) प्रदायकर्ता का नाम, क्रम संख्यांक और प्रदायकर्ता द्वारा बीजक को जारी करने तारीख या कोई दस्तावेज़ जिसके आधार पर निवेश कर का प्रत्यय विद्यमान विधि के अधीन अनुज्ञेय था ;

(ii) माल या सेवा का वर्णन और मूल्य;

(iii) माल की दशा में मात्रा और उस पर इकाई या इकाई मात्रा कोड;

(iv) पात्र कर और शुल्क की रकम यथास्थिति मूल्य वर्धित कर या (प्रवेश शुल्क) जो प्रदायकर्ता द्वारा माल या सेवाओं के बाबत प्रभारित किया गया है ; और

(v) वह तारीख जिसको माल या सेवाओं की रसीद प्राप्तकर्ता के खाते की पुस्तकों में प्रविष्ट की गई है ।

(3) प्ररूप **जीएसटी ट्रान-1** में आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रत्यय की रकम समान पोर्टल पर प्ररूप **जीएसटी पीएमटी-2** में रखे गए आवेदक के इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बहि को प्रत्ययित की जाएगी ।

(4) (क) (i) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, धारा 140 की उपधारा (3) के परंतुक के अनुसरण में नियत दिन पर स्टॉक में रखे माल जिसके बाबत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संदाय करने के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज़ उसके पास नहीं है माल पर निवेश कर प्रत्यय को लेने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा (जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या यथास्थिति सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त सीमा-शुल्क की अतिरिक्त शुल्क उद्ग्रहीत है) ।

(ii) उपखंड (i) में निवेश कर प्रत्यय ऐसे माल पर जिस पर केन्द्रीय कर नौ या अधिक प्रतिशत की दर से है, छह: प्रतिशत की दर से अनुज्ञेय होगा और नियत दिन के पश्चात् ऐसे माल के प्रदाय पर लागू केन्द्रीय कर का अन्य माल पर चालीस प्रतिशत की दर से होगा तथा ऐसे प्रदाय के संदत्त किए जाने पर केन्द्रीय कर के संदाय के पश्चात् प्रत्ययित किया जाएगा ।

परंतु यह कि जहां समेकित कर ऐसे माल पर संदत्त है वहां प्रत्यय की रकम तीस प्रतिशत और उक्त कर के बीस प्रतिशत की दर से क्रमश: अनुज्ञेय होगी ;

(iii) यह स्कीम नियत दिन से छह: कर अवधियों के लिए उपलब्ध होगी ।

(ख) केन्द्रीय कर का प्रत्यय निम्नलिखित दशाओं को पूरा करने के अध्यधीन प्राप्य होंगी, अर्थात्:--

(i) ऐसा माल केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क के संपूर्ण शुल्क से अप्रतिबंध रूप से छूट प्राप्त नहीं होगा या उक्त अनुसूची में शून्य दर नहीं होगा ;

(ii) ऐसे माल के प्रापण के लिए दस्तावेज़ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास उपलबध

है;

(iii) इस स्कीम का लाभ उठाने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में उसके द्वारा रखे माल का ब्यौरा प्ररूप **जीएसटी ट्रान-2** में छह: कर अवधियों के प्रत्येक के अंत पर जिसके दौरान स्कीम कर अवधि के दौरान प्रभावित माल की ऐसे माल के प्रदाय के ब्यौरे इंगित करते हैं कथन प्रस्तुत करेगा ;

(iv) अनुज्ञात प्रत्यय की रकम समान पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी पीएमटी-2 में रखे गए आवेदक के इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बहि को प्रत्ययित की जाएगी ; और

(v) माल का स्टॉक जिसको प्रत्यय उपलब्ध है, इस प्रकार भंडारित है कि यह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है ।

118. धारा 142 की उपधारा (11) के खंड (ग) के अधीन की जाने वाली घोषणा– प्रत्येक व्यक्ति जिस पर धारा 142 की उपधारा (11) के खंड (ग) के उपबंध लागू हैं नियत दिन के नब्बे दिन की अवधि में **प्ररूप जीएसटी ट्रान-1** में प्रदाय का अनुपात जिसको नियत दिन से पूर्व मूल्य वर्धित कर या सेवा कर संदत्त किया जा चुका लेकिन प्रदाय नियत तारीख के बाद किया गया है और उस पर अनुज्ञेय निवेश कर प्रत्यय की घोषणा प्रस्तुत करेगा ।

119. प्रधान और अभिकर्ता द्वारा रखे स्टॉक की घोषणा-- प्रत्येक व्यक्ति जिसको धारा 141 के उपबंध लागू हैं नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर प्ररूप जीएसटी ट्रान-1 में एक घोषणा इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके द्वारा नियत दिन पर रखे निवेश का स्टॉक, अर्ध तैयार माल या तैयार माल जो लागू हो विनिर्दिष्ट करते हुए घोषणा करेगा ।

120. अनुमोदन के आधार पर भेजे माल के ब्यौरे-- प्रत्येक व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन अनुमोदन पर माल भेजना है और जिसको धारा 142 की उपधारा (12) लागू है नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर प्ररूप जीएसटी ट्रान-1 के अनुमोदन पर भेजे गए ऐसे माल के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा ।

121. गलत रूप से प्राप्त किए गए प्रत्यय की वसूली-- नियम 97 के उपनियम (3) के अधीन प्रत्यय की गई रकम सत्यापित की जाएगी और धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्यवाहियां यथास्थिति चाहें वह पूर्णत: या आंशिक रूप से किसी गलत तरीके से प्राप्त किसी प्रत्यय के बाबत शुरु की जाएंगी ।

अध्याय 15

मुनाफाखोरी-रोधी नियम, 2017

122. प्राधिकरण का गठन.-- प्राधिकरण परिषद् द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित से मिलकर बनेगा--

(क) अध्यक्ष जिसने भारत सरकार के सचिव की श्रेणी के समतुल्य पदधारण किया है या किया हो

(ख) चार तकनीकी सदस्य जो राज्य कर आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त है या रहा है या जिसने विद्यमान विधि के अधीन समतुल्य पद धारण किया है या किया हो

123. स्थायी समिति और छानबीन समिति का गठन:--(1) परिष्द्, राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट, ऐसे अधिकारियों से मिलकर मुनाफाखोरी रोधी स्थायी समिति का गठन कर सकेगा ।

(2) राज्य स्तरीय छानबीन समिति राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक राज्य में गठित की जाएंगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

(क) आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया गया, राज्य सरकार का कोई अधिकारी और

(ख) मुख्य आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया गया, केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी ।

124. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधनों और शर्तें:-- (1) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थायी समिति जिसका गठन परिषद्/बोर्ड द्वारा प्रयोजन के लिए किया गया है, की सिफारिशों पर होगी ।

(2) अध्यक्ष को 2,25,000 (नियत) मासिक वेतन संदत्त किया जाएगा और अन्य भत्ते और फायदे यथाग्राहय है जैसे कि केन्द्रीय सरकार में पदधारण किए अधिकारी को समान वेतन में दिए जा रहे हैं ।

परंतुक यह कि जहां कोई सेवानिवृत्त अधिकारी अध्यक्ष के रूप में चयनित होता है उसे रु0 2,25000/- का मासिक वेतन में से पेंशन की रकम घटाकर संदत्त किया जाएगा ।

(3) तकनीकी सदस्य को 2,05,400 (नियत) मासिक वेतन संदत्त किया जाएगा और वह भत्ते निकालने का हकदार होगा जैसे कि भारत सरकार के समूह 'क' पदधारित अधिकारी को समान वेतन में ग्राहय है ।

परंतु यह कि जहां कोई सेवानिवृत्त अधिकारी तकनीकी सदस्य के रूप में चयनित होता है उसे रु0 2,05,400/- का मासिक वेतन में से पेंशन की रकम घटाकर संदत्त किया जाएगा ।

(4) अध्यक्ष, उस तारीख से जिससे उन्होंने कार्यभार संभाला है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा या जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु का नहीं हो जाता, जो भी पहले हो और पुन:नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में चयनित नहीं होगा, यदि उसकी आयु बासठ वर्ष की हो चुकी है ।

(5) प्राधिकरण का तकनीकी सदस्य, उस तारीख से जिससे उन्होंन कार्यभार संभाला है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा या जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु का नहीं हो जाता, जो भी पहले हो और पुन:नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में चयनित नहीं होगा यदि उसकी आयु बासठ वर्ष की हो चुकी है ।

125. प्राधिकरण का सचिव.-- बोर्ड के अधीन रक्षोपाय अपर महानिदेशक, प्राधिकरण का सचिव होगा ।

126. पद्धति और प्रक्रिया अवधारित करने की शक्ति:-- प्राधिकरण यह अवधारण करने के लिए कि क्या माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय पर फायदे, मूल्य में कटौती की अनुरूपता द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्तिकर्ता को पहुंच रहे हैं, पद्धति और प्रक्रिया को अवधारित कर सकता है ।

127. प्राधिकरण के कर्तव्य:-- (1) प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि यह अवधारित करे कि क्या किसी माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर दी दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्य में कटौती की अनुरूपता द्वारा प्राप्तिकर्ता को पहुंच रहे हैं;

(2) प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि वह उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की पहचान करे जो माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर में कटौती के फायदे या ईनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता को नहीं पहुंचा रहा है;

(3) प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि–

(क) वह मूल्यों में कटौती का आदेश दें;

(ख) प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से होने वाली रकम के समकक्ष रकम, उच्च दर पर रकम संग्रहित करने की तारीख से वापिस करने की तारीख तक अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित प्राप्तिकर्ता को वापिस करने का आदेश दे; या वसूली की रकम वापस नहीं की गई है, यथास्थिति उस दशा में जहां पात्र व्यक्ति वापस की गई रकम पर दावा नहीं करता है या पहचान नहीं हुई है और धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में समान रूप से जमा करेगा ।

(ग) अधिनियम के अधीन यथाविहित शास्ति अधिरोपित करना; और

(घ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण को रद्द करना ।

128. स्थायी समिति और छानबीन समिति द्वारा आवेदन का परीक्षण:-- (1) स्थायी समिति, किसी हितबद्ध पक्षकार या आयुक्त या किसी अन्य व्यक्ति से, उनके द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट रूप और रीति में लिखित आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदन में उपबंधित साक्ष्य की यथार्थता और यथायोग्यता का परीक्षण करेगी जिससे यह अवधारित किया जा सके कि क्या आवेदक का दावा कि किसी माल या सेवा के प्रदाय में कर की दर में कटौती या ईनपुट कर प्रत्यय का फायदा, मूल्यों में कटौती की

अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता तक नहीं पहुंच पाया है, दावे के समर्थन के लिए क्या प्रथम दृष्टया साक्ष्य है ।

(2) स्थानीय प्रकृति के मामलों पर हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त सभी आवेदनों का प्रथमत: राज्य स्तरीय छानबीन समिति और छानबीन समिति द्वारा किया जाएगा, यह समाधान होने पर कि प्रदायकर्ता ने धारा 171 के उपबंधों का उल्लंघन किया है, उसकी सिफरिशों सहित आवेदन को स्थायी समिति के पास अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रेषित करेगा ।

129. आरंभ और कार्यवाहियों के परिचालन के सिद्धांत:-- (1) जहां स्थायी समिति ने अपना समाधान कर लिया है कि वहां दिखाने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि प्रदायकर्ता द्वारा माल और सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती का फायदा या ईनपुट कर प्रत्यय का फायदा, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता तक नहीं पहुंच पाया है, मामले को ब्यौरेवार अन्वेषण के लिए रक्षोपाय महानिदेशालय को निर्दिष्ट करेगी ।

(2) रक्षोपाय महानिदेशालय अन्वेषण संचालित करेगा और क्या माल या सेवाओं के किसी प्रदाय पर कर की दर में कोई कटौती या ईनपुट कर प्रत्यय पर फायदा, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता तक पहुंचा है, आवश्यक साक्ष्य संग्रहित करेगा ।

(3) रक्षोपाय महानिदेशालय, अन्वेषण के आरंभ से पूर्व, हितबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित यथायोग्य सूचना अंतर्विष्ट है, अर्थात् :--

(क) माल या सेवाओं का विवरण जिसके संदर्भ में कार्यवाहियां आरंभ की गई है;

(ख) तथ्यों के विवरण का सार जिस पर आरोप आधारित है;

(ग) हितबद्ध व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों को जिनके पास उनके उत्तर के लिए कार्यवाहियों से संबंधित सूचना हो सकती है अनुज्ञात समय-सीमा ।

(4) रक्षोपाय महानिदेशालय ऐसे अन्य व्यक्तियों जो मामले में ऋजु जांच के लिए उपयुक्त समझे गए हैं, को सूचना जारी कर सकेगा ।

(5) रक्षोपाय महानिदेश, उसके समक्ष कार्यवाहियों में भाग ले रही किसी एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा अन्य हिबद्ध पक्षकारों को दिए गए साक्ष्यों को को उपलब्ध करवाएगा

(6) रक्षोपाय महानिदेशालय स्थायी समिति से निर्देश की प्राप्ति से तीन मास की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि जो आगे तीन मास की अवधि से अनधिक हो के लिए स्थायी समिति से यथा अनुज्ञात लिखित में दिए गए कारणों द्वारा अन्वेषण पूर्ण करेगा और अन्वेषण के पूर्व होने पर, सुसंगत अभिलेखों के साथ उनके निष्कर्ष की एक रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंपेगा ।

130. सूचना की गोपनीयता:-- (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 11 के उपबंध, नियम 129 के उपनियम (3) और (5) और नियम 133 के उपनियम (2) में अन्य बातों के साथ अंतर्विष्ट होते हुए भी, किसी जानकारी के सपष्टीकरण को जो सूचना गोपनीयता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी ।

(2) रक्षोपाय महानिदेशालय, पक्षकार जो गोपनीयता के आधार पर जानकारी दे रहे हैं, से गैर-गोपनीय सार देने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि, ऐसी जानकारी देने वाले पक्षकार की यह राय है कि ऐसी जानकारी का सार नहीं किया जा सकता, ऐसे पक्षकार रक्षोपाय महानिदेशालय को, कि क्यों सार करना संभव नहीं है के कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं;

131. अन्य अभिकरणों या कानूनी प्राधिकरणों के साथ सहयोग:-- जहां रक्षोपाय महानिदेशालय ठीक समझे, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी अन्य अभिकरण या कानूनी प्राधिकारण की राय मांग सकता है ।

132. साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को समन करने की शक्ति: (1) रक्षोपाय महानिदेशालय को किसी व्यक्ति को समन करने की शक्ति प्रयोग करने के लिए या धारा 70 के अधीन कोई अन्य चीज़ के लिए आवश्यक है, के लिए उचित अधिकारी समझा जाए और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अधीन सिविल न्यायालय की दशा में यथा उपबंधित, उसी रीति में जांच की शक्ति होगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सभी ऐसी जांच, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 228 और 193 के अर्थ के अंतर्गत "न्यायिक कार्यवाहियां" समझी जाएं ।

133. प्राधिकरण का आदेश.-- (1) प्राधिकरण, रक्षोपाय महानिदेशालय से रिपोर्ट प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अवधारित करेगा कि क्या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के प्रदाय पर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तिकर्ता तक पहुचाऐं हैं ।

(2) जहां ऐसे हितबद्ध पक्षकारों से लिखित में कोई प्रार्थना प्राप्त होती है, प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को सुनने का एक अवसर प्रदान करेगा ।

(3) जहां प्राधिकरण यह अवधारित करता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय को मूल्यों में कटौती की अनुस्पता से प्राप्तिकर्ता नहीं पहुंचाया है, प्राधिकरण :--

(क) मूल्यों में कटौती का आदेश कर सकेगा;

(ख) प्राप्तिकर्ता को, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से होने वाली रकम के समकक्ष रकम, उच्च दर पर रकम संग्रहित करने की तारीख से वापिस करने की तारीख तक अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित, वापिस करने का आदेश दे सकेगा; या

उस दशा में जहां पात्र व्यक्ति वापिस की रकम प्राप्त करने के लिए उपलब्ध नहीं है, खंड (ख) के अधीन वापिस नहीं की गई रकम की वसूली का आदेश दे सकेगा और उसे धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में निक्षेप करेगा ।

(ग) अधिनियम के अधीन यथाविहित शास्ति का अधिरोपण; और

(घ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण ।

134. **बहुमत द्वारा विनिश्चय.--** यदि प्राधिकरण के सदस्यों की राय किसी बिंदु पर भिन्न है, बिंदु बहुमत की राय अनुसार विनिश्चित होगा

135. **रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुपालना.--** इन नियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश की अनुपालना तुरंत रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी, जिसके न होने पर, यथास्थिति एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या अपने-अपने राज्यों के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अनुसार रकम वसूलने की कारवाई आरंभ की जाएगी ।

136. **आदेश की मानीटरी.--** प्राधिकरण, उसके द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिए किसी केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर प्राधिकरण की अपेक्षा कर सकता है ।

137. **प्राधिकरण की अवधि.--**परिषद्, उस तारीख से जब से अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला था, से दो वर्ष के पश्चात् अस्तित्वहीन हो जाएगी, जब तक कि परिषद् अन्यथा सिफारिश न करे ।

स्पष्टीकरण: इस अध्याय के प्रयोजन के लिए,

(क) ''प्राधिकरण'' से नियम 122 के अधीन गठित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) ''समिति'' से नियम 123 के उपनियम (1) के निबंधनों में परिषद् द्वारा गठित मुनाफाखोरी रोधी स्थायी समिति अभिप्रेत है;

(ग) ''हितबद्ध पक्षकार'' जिसके अंतर्गत—

क. कार्यवाहियों के अधीन माल और सेवाओं के प्रदायकर्ता ; और

ख. कार्यवाहियों के अधीन माल और सेवाओं के प्राप्तिकर्ता ;

(घ) "छानबीन समिति" से नियम 123 के उपनियम (2) के निबंधनों में गठित राज्य स्तरीय छानबीन समिति अभिप्रेत है ।

अध्याय 16

ई-वे नियम

138. **ई-वे नियम--** सरकार, ऐसे समय तक जब तक कि ई-वे बिल प्रणाली परिषद् द्वारा विकसित और अनुमोदित नहीं की जाती है, अधिसूचना द्वारा उन दस्तावेजों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिन्हे

उस व्यक्ति द्वारा जो प्रवहण जिसमें माल का परेषण किया जा रहा है, संचलन या अभिवहन भंडारण में माल ले जाने के दौरान अपने पास रखेगा ।

प्ररूप

प्ररूप जीएसटी आईटीसी-01

[नियम 40(1) देखें]

धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के दावे की घोषणा

निम्नलिखित के अधीन दावा	
धारा 18 (1)(क)	☐
धारा 18 (1)(ख)	☐
धारा 18 (1)(ग)	☐
धारा 18 (1)(घ)	☐

1.	जीएसटीआईएन	
2.	विधिक नाम	
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हों	
4.	तारीख जिससे धारा 9(3) और धारा 9(4) को छोड़कर धारा 9 के अधीन कर के संदाय का दायित्व उद्भूत होता है [धारा 18(1)(क) और धारा 18(1)(ग) के अधीन दावे के लिए]	
5.	ऐच्छिक रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख [धारा 18 (1)(ख) के अधीन किए गए दावे के लिए]	
6.	तारीख जिसके माल और सेवाएं कराधेय हुई हैं [धारा 18 (1)(घ) के अधीन किए गए दावे के लिए]	

7. धारा 18 (1) (क) या धारा 18 (1) (ख) के अधीन दावा

ऐसे इनपुट के स्टाक और ऐसे अर्धपरिरूपित माल या परिरूपितमाल में, जिस पर इनपुट टैक्स प्रत्यय का दावा किया गया है, अंतर्विष्ट इनपुट के ब्यौरे

क्रम सं.	प्रदायकर्ता का जीएसटीआई एन/ एन/ सीएक्स/ मूल्य वर्धित कर के अधीन रजिस्ट्रीकरण	बीजक *		स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट का	इकाई परिमाण कोड (यूक्यू सी)	परिमाण	मूल्य** (नामे नोट/जमा खाता द्वारा समायोजित)	दावा किए गए इनपुट कर के प्रत्यय की रकम (रु.)				
		सं.	तारीख					केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर

				विवरण								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 (क) स्टाक में धारित इनपुट												
7 (ख) स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित माल में अतंरविष्ट इनपुट												

***यदि बीजक की पहचान करना संभव नहीं है, पहले प्राप्त बीजक के सिद्धांत का अनुसरण किया जा सकेगा**

8. धारा 18 (1) (ग) या धारा 18 (1)(घ) के अधीन दावा

ऐसे इनपुट के स्टाक, ऐसे अर्धपरिरूपित माल या परिरूपितमाल और पूंजीमाल में, जिन पर इनपुट टैक्स प्रत्यय का दावा किया गया है, अंतर्विष्ट इनपुट के ब्यौरे

क्रम सं.	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन/ सीएक्स/ मूल्य वर्धित कर के	बीजक */ प्रवेश पत्र		स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित	इकाई परिमाण कोड (यूक्यू सी)	परिमाण	मूल्य (नामे नोट/जमा खाता द्वारा समायोजित)	दावा किए गए इनपुट कर के प्रत्यय की रकम (रु.)				
		सं.	तारीख					केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर

	अधीन रजिस्ट्रीकरण			माल में अंतर्विष्ट इनपुट, पूंजी माल का विवरण								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 (क) स्टाक में धारित इनपुट												
8 (ख)) स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित माल में अतंर्विष्ट इनपुट												
8 (ग) स्टाक में धारित पूंजी माल												

*यदि बीजक की पहचान करना संभव नहीं है, पहले प्राप्त बीजक के सिद्धांत का अनुसरण किया जा सकेगा

** पूंजी माल का मूल्य किसी वर्ष की प्रति तिमाही या बीजक की तारीख से उसके किसी भाग के पांच प्रतिशत को घटाकर बीजक मूल्य होगा ।

9. प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउटेंट या लागत लेखापाल की विशिष्टियां [जहां लागू हों]

(क) प्रमाणपत्र जारी करने वाली फर्म का नाम

(ख) प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउटेंट /लागत लेखापाल का नाम

(ग) सदस्यता संख्यांक

(घ) प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख

(ङ) संलग्नक (प्रमाणपत्र अपलोड करने का विकल्प)

10. सत्यापन

मैं ____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर ____

नाम

____

पदनाम/प्रास्थिति _______________________________

तारीख --- दिन/मास/वर्ष

प्ररूप जीएसटी आईटीसी -02

[नियम – 41(1)देखें]

धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन किसी कारबार के विक्रय, विलयन, निर्वलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण की दशा में इनपुट कर प्रत्यय के अंतरण की घोषणा

1.	अंतरक का जीएसटीआईएन	
2.	अंतरक का विधिक नाम	
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हों	
4.	अंतरिती का जीएसटीआईएन	
5.	अंतरिती का विधिक नाम	
6.	व्यापार का नाम, यदि कोई हों	

7. अंतरित किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे

कर	उपलब्ध सुमेलित इनपुट कर प्रत्यय की रकम	अंतरित की जाने वाली सुमेलित इनपुट कर प्रत्यय की रकम

1	2	3
केन्द्रीय कर		
राज्य कर		
संघ राज्यक्षेत्र कर		
एकीकृत कर		
उपकर		

8. प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउटेंट या लागत लेखापाल की विशिष्टियां

(क) प्रमाणपत्र जारी करने वाली फर्म का नाम

(ख) प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउटेंट /लागत लेखापाल का नाम

(ग) सदस्यता संख्यांक

(घ) अंतरक को प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख

(ङ) संलग्नक (प्रमाणपत्र अपलोड करने का विकल्प)

9. सत्यापन

मैं ____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर ____

नाम

____

पदनाम/प्रास्थिति _____________________________

तारीख --- दिन/मास/वर्ष

प्ररूप जीएसटी आईटीसी -03

[नियम – 44(4) देखें]

धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन विपर्यन इनपुट कर प्रत्यय की सूचना /स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित और परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट पर कर के संदाय की घोषणा

<table>
<tr><td>1. जीएसटीआईएन</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2. विधिक नाम</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3. व्यापार का नाम, यदि कोई हों</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">4(क). संरचना स्कीम के विकल्प के लिए फाइल किए गए आवेदन के ब्यौरे
[केवल धारा 18 (4) के लिए लागू]</td><td>(i) आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)</td><td></td></tr>
<tr><td>(ii) फाइल करने की तारीख</td><td></td></tr>
<tr><td>4(ख). तारीख जिससे छूट प्रभावी होगी
[केवल धारा 18 (4) के लिए लागू]</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

5. स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित और परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट और पूंजी माल के स्टाक के ब्यौरे जिन पर धारा 18(4) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का संदाय किया जाना अपेक्षित है

क्रम सं.	प्रदायकर्ता का	*बीजक प्रवेश पत्र	स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में	इकाई परिमाण	परिमाण	मूल्य** (नामे नोट/	दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम (रु.)

	जीएसटी आईएन/ सीएक्स/ मूल्य वर्धित कर के अधीन रजिस्ट्रीकरण	सं.	तारीख	धारित अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट और पूंजी माल का विवरण	कोड (यूक्यूसी)		जमा खाता द्वारा समायोजित)	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 (क) स्टाक में धारित इनपुट (जहां बीजक उपलब्ध है)												
5 (ख) स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित माल में अतंर्विष्ट इनपुट (जहां बीजक उपलब्ध है)												
5 (ग) स्टाक में धारित पूंजी माल (जहां बीजक उपलब्ध है)												
5 (घ) स्टाक में धारित और स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित/परिरूपित माल में यथाअंतर्विष्ट इनपुट (जहां बीजक उपलब्ध नहीं है)												
5 (ङ) स्टाक में धारित पूंजी माल) (जहां बीजक उपलब्ध नहीं है)												

***(1)यदि बीजक की पहचान करना संभव नहीं है, पहले प्राप्त बीजक के सिद्धांत का अनुसरण किया जा सकेगा**

(2) यदि कतिपय इनपुट के लिए बीजक उपलब्ध नहीं है तो मूल्य का प्राक्कलन अधिभावी बाजार कीमत के आधार पर किया जाएगा ।

**पूंजी माल का मूल्य किसी वर्ष की प्रति तिमाही या बीजक की तारीख से उसके किसी भाग के पांच प्रतिशत को घटाकर बीजक मूल्य होगा ।

6. संदेय और संदत्त इनपुट कर प्रत्यय की रकम (सारणी 5 के आधार पर)

क्रम सं.	विवरण	संदेय कर	नकद / जमा खाता द्वारा संदाय	विकलन प्रविष्टि सं.	संदत्त इनपुट कर प्रत्यय की रकम				
					केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	केन्द्रीय कर		नकद खाता						
			जमा खाता						
2.	राज्य कर		नकद खाता						
			जमा खाता						
3.	संघ राज्यक्षेत्र कर		नकद खाता						
			जमा खाता						
4.	एकीकृत कर		नकद खाता						
			जमा खाता						
5.	उपकर		नकद खाता						
			जमा खाता						

7. सत्यापन

मैं ____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर ____

नाम

____

पदनाम/प्रास्थिति __________________________________

तारीख --- दिन/मास/वर्ष

प्रारूप जीएसटी आईटीसी 04

[नियम 45(3) देखें]

कार्य कर्मकार को भेजे गए और वापस प्राप्त माल/पूंजी माल का ब्यौरा

1. जीएसटीआईएन -
2. (क) विधिक नाम -

   (ख) व्यापार नाम, यदि कोई है –

3. अवधि: तिमाही - वर्ष -

4. कार्य-संकर्म के लिए भेजे गए इनपुट/पूंजी माल का ब्यौरा

जीएसटीआईएन/अरजिस्ट्रीकृत कार्य-कर्मकार के मामले में अवस्था	चालान सं0	चालान तारीख	माल का विवरण	यूक्यूसी	परिमाण	कराधेय मूल्य	माल का प्रकार (इनपुट/पूंजी माल)	कर की दर (%)			
								केन्द्रीय कर	राज्य/राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5. कार्य कर्मकार से वापिस प्राप्त या कार्य-संकर्म के कारबार स्थान से बाहर भेजे गए इनपुट/पूंजी माल का ब्यौरा

जीएसटीआईएन/अरजिस्ट्रीकृत कार्य-कर्मकार के मामले में अवस्था	अन्य कार्य कर्मकार से वापिस प्राप्त/भेजा गया/कार्य कर्मकार के परिसर से प्रदायित	मूल चालान सं0	मूल चालान तारीख	यदि अन्य कार्य कर्मकार को भेजा गया था, चालान ब्यौरा			कार्य कर्मकार के परिसर से प्रदायित की दशा में बीजक का ब्यौरा		विवरण	यूक्यूसी	परिमाण	कराधेय मूल्य
				सं0	तारीख	**जीएसटीआईएन /अरजिस्ट्रीकृत कार्य-कर्मकार के मामले में अवस्था**	सं0	तारीख				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

6. सत्यापन

मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

हस्ताक्षर

स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ….……………………

तारीख: पदनाम/प्रास्थिति……………………………………

प्ररूप जीएसटी ईएनआर-01

[नियम 58(1) देखिए]

धारा 35(2) के अधीन नामांकन के लिए आवेदन

[केवल अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए]

1.	(क) विधिक नाम			
	(ख) व्यापार नाम, यदि कोई हो			
	(ग) स्थायी खाता संख्या (पैन)			
	(घ) आधार (केवल संबद्ध स्वत्वधारिता के मामले में लागू)			
2.	नामांकन का प्रकार			
	परिवाहक ◯ गोदाम स्वामी/प्रचालक ◯ भांडागार स्वामी/प्रचालक ◯ शीतागार स्वामी /प्रचालक ◯			
3.	कारबार का गठन (कृपया समुचित चयन करें)			
(i) स्वत्वधारिता	◯	(ii) भागीदारी	◯	
(iii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब	◯	(iv) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	◯	
(v) पब्लिक लिमिटेड कंपनी	◯	(vi) सोसाइटी/क्लब/न्यास/व्यक्तियों का संगम	◯	
(vii) सरकारी विभाग	◯	(viii) पब्लिक सेक्टर उपक्रम	◯	
(ix) असीमित कंपनी	◯	(x) सीमित दायित्व भागीदारी	◯	
(xi) स्थानीय प्राधिकारी	◯	(xii) कानूनी निकाय	◯	
(xiii) विदेशी लिमिटेड दायित्व भागीदारी	◯	(xiv) रजिस्ट्रीकृत विदेशी कंपनी (भारत में)		
(xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	◯			
4.	राज्य का नाम		जिला	
5.	अधिकारिता के ब्यौरे			
	केन्द्र		राज्य	
6.	कारबार प्रारंभ करने की तारीख			
7.	कारबार का मुख्य स्थान की विशिष्टयां			
(क)	पता			

भवन सं0./फ्लैट सं0.		तल सं0.	
परिसर/भवन		सड़क/गली	
शहर/नगर/परिक्षेत्र/ग्राम		जिला	
तलुका/ब्लाक			
राज्य		पिन कोड	
अक्षांश		देशांतर रेखांश	

(ख)	संपर्क सूचना

कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय टेलीफोन नं0	एसटीडी	
मोबाइल नं0		कार्यालय फैक्स नं0	एसटीडी	

(ग)	परिसर का स्वरूप

स्वामित्व	पट्टे पर	किराए पर	सम्मति	अंशित	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

(घ)	ऊपर उल्लिखित परिसर पर किए जा रहे क्रियाकलाप के कारबार की प्रकृति

भांडागार/डिपो	○	गोदाम	○	खुदरा कारबार
कार्यालय/विक्रय कर्मचारी	○	शीतागार	○	परिवहन सेवाएं
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	○			

8.	कारबार के अतिरिक्त स्थान और ब्यौरे	कारबार के अतिरिक्त स्थान (स्थानों) के लिए जोड़े यदि कोई हो (मद 7(क), (ख), (ग) और (घ) के अनुसार वही सूचना भरें)
9.	बैंक खाते के ब्यौरे	

कारबार के संचालन के लिए आवेदक द्वारा अनुरक्षित कुल बैंक खाता संख्या (10 तक बैंक खातों की रिपोर्ट की जाए)	

बैंक खाते का ब्यौरा 1

खाता संख्या														

खाता के प्रकार		आईएफएस सी	
बैंक का नाम			
शाखा का पता	स्वतः भरा जाना चाहिए (संपादकीय रूप में)		

टिप्पण : और खाते जोड़ें

10.	स्वत्वधारी/सभी भागीदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगमों की समिति प्रबंध के सदस्य/न्यासियों के बोर्ड आदि के ब्यौरे ।

विशिष्टियां	पहला नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			

फोटो				
पिता का नाम				
जन्म की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	लिंग		<पुरूष, स्त्री, अन्य>
मोबाइल नं0		ई-मेल पता		
टेलीफोन नं0, एसटीडी सहित				
पदनाम /प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)		
स्थायी खाता संख्या (पैन)		आधार सं0		
क्या आप भारत के नागरिक हैं ?	हां/ नहीं	पासपोर्ट सं0. (विदेशियों के मामले में)		
निवास का पता :				
भवन सं0/फ्लैट सं0		तल सं0		
परिसर/भवन		सड़क/गली		
शहन/नगर/परिक्षेत्र/ग्राम		जिला		
ब्लाक/तलुका				
राज्य		पिन कोड		
देश (केवल विदेशी के मामले में)		जिप कोड		

11.	प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता के ब्यौरे			
विशिष्टियां	पहला नाम	मध्य नाम		अंतिम नाम
नाम				
फोटो				
पिता का नाम				
जन्म की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	लिंग		<पुरूष, स्त्री, अन्य>
मोबाइल सं0		ई-मेल पता		
टेलीफोन सं0, एसटीडी सहित				
पदनाम /प्रास्थिति			निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
स्थायी खाता संख्या (पैन)			आधार सं0	
क्या आप भारत के नागरिक हैं ?	हां/ नहीं		पासपोर्ट सं0. (विदेशियों के मामले में)	

भारत में निवास का पता			
भवन सं0/फ्लैट सं0		तल सं0	

परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली						
ब्लाक/तलुका								
शहन/नगर/परिक्षक्षेत्र/ग्राम		जिला						
राज्य		पिन कोड						

12.	सम्मति
मैं, प्रमाणीकरण के प्रयोजन केलिए यूआईडीएआई से मेरे ब्यौरे अभिप्राप्त करने के "माल और सेवा कर नेटवर्क" के लिए सम्मति दिए गए प्ररूप में उपबंधित आधार संख्या पर आधारित पहले भरे गए आधार संख्या के धारक के ओर से हूं । "माल और सेवा कर नेटवर्क" ने मुझे सूचना दी है कि पहचान आधार घारक के पहचान विधिमान्यता के लिए केवल उपयोगी होगा और प्रमाणांकन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय पहचान डाटा कोष के साथ साझा किया जाएगा ।	

13. अपलोड किए गए दस्तावेजों की संख्या (पहचान और पता की सबूत)

14. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से सही है और इसमें कोई बात छिपाई नही गई है ।

हस्ताक्षर

स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम...........................

तारीख : पदनाम/प्रास्थिति ....

<u>कार्यालय उपयोग के लिए –</u>

नामांकन सं0. .... तारीख ....

प्ररुप जीएसटी आर-1
[नियम 59 *(1)* देखें]

माल और सेवाओं के सार्वजनिक प्रदाय के ब्यौरे

वर्ष				
माह				

1.		जी एस टी आई एन	
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	
	(ख)	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
3.	(क)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्तन	
	(ख)	संकलित आवर्तन – अप्रैल से जून, 2017	

4. सारणी 6 में आने वाली प्रदाय से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (यू आई एन-धारक सहित) को सार्वजनिक कराधेय प्रदाय

(सभी सारणियों के लिए रकम रु0 में)

जीएसटी आईएन/ यूआइएन	बीजक के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	रकम				आपूर्ती का स्थान (राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का नाम)
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4अ. प्रदाय (i) पर्तिवर्ती प्रभार से संबंधी और (ii) ई-वाणिज्य प्रचालन के माध्यम के										
4आ. प्रतिवर्ती प्रभार के आधार पर प्रदाय										
4इ. टीसीएस (प्रचालक वार, दर वार) से संबंधित ई-वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से प्रदाय										
ई-वाणिज्य प्रचालन का जीएसटीआईएन										

5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को सार्वजनिक कराधेय की अंतरराज्यिक प्रदाय, जहाँ बीजक मूल्य 2.5 लाख रुपये से अधिक हो

प्रदाय का स्थान (राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का नाम)	बीजक के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य संख्या	रकम	
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8
5अ. सार्वजनिक प्रदाय (ई-वाणिज्य दर वार के माध्यम से की गई प्रदाय से भिन्न)							
5आ. टीसीएस से संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से की प्रदाय							
ई-वाणिज्य प्रचालन का जीएसटी							

6. शून्य दर से प्रदाय और समझा गया निर्यात

प्राप्तकर्ता का जीएसटी आईएन	बीजक के ब्यौरे			बिल लदान/निर्यात का बिल		एकीकृत कर		
	संख्या	तारीख	मूल्य	संख्या	तारीख	दर	कराधेय मूल्य	रकम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6अ. निर्यात								
6आ. एस ईजेड ईकाई या एस ई जेड विकासकर्ता को की गई प्रदाय								
6इ. समझा गया निर्यात								

7. सारणी 5 में आने वाली प्रदाय से भिन्न अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय प्रदाय (शुद्ध नामे नोट और जमापत्र)

कर की दर	कुल कराधेय मूल्य	रकम			
		एकीकृत	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र	उपकर
1	2	3	4	5	6
7अ. राज्यांतरिक प्रदाय					
7अ (1). एकीकृत दर वार सार्वजनिक प्रदाय [ई-वाणिज्य प्रचालक टीसीएस संबंधी प्रदाय सहित]					
7अ (2) 7 आ (1) में प्रदाय से हर उल्लिखित किया गया, टीसीएस संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से की गई प्रदाय सहित					
ई-वाणिज्य प्रचालन का जी एस टी आई एन					
7आ. अन्तरराज्यिक प्रदाय, जहां बीजक मूल्य 2.5 लाख रु0 तक है (दर वार)					
7आ (1). प्रदाय का स्थान (राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का नाम)					
7आ (2). 7 आ (1) मे उल्लिखित प्रदाय से बाहर, ई-वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से की गई प्रदाय (प्रचालक वार, दर वार)					
ई-वाणिज्य प्रचालन का जी एस टी आई एन					

8. शून्य दर, छूट-प्राप्त और गैर जीएसटी सार्वजनिक प्रदाय

विवरण	शून्य दर प्रदाय	छूट-प्राप्त शून्य दर/गैर जी एस टी से भिन्न प्रदाय	गैर-जीएसटी प्रदाय
1	2	3	4
8अ.रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अन्तरराज्यिक प्रदाय			
8आ.रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को राज्यांतरिक प्रदाय			

8इ.अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अन्तरराज्यिक प्रदाय			
8ई अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को राज्यांतरिक प्रदाय			

9. सारणी **4, 5** और **6** में पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियों में किए गए कराधेय जावक प्रदाय के ब्यौरों का संशोधन (नामे नोट, जमापत्र, चालू अवधि के दौरान जारी गिए गए प्रतिदाय वाउचर और उसका संशोधन)

मूल दस्तावेज के ब्यौरे			दस्तावेज के पुनरीक्षित ब्यौरे या मूलतः नामे नोट/जमापत्र के ब्यौरे या प्रतिदाय वाउचर						दर	कराधेय मूल्य	रकम				प्रदाय का स्थान
जीएसटी आईएन	बीजक संख्या.	बीजक तारीख	जीएसटी आईएन	बीजक		पोत परिवहन पत्र		मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
				संख्या	तारीख	संख्या.	तारीख								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9अ. यदि बीजक /पोत परिवहन पत्र में दिए गए ब्यौरे गलत थे															
9आ. नामे नोट/ जमापत्र/ प्रतिदाय वाउचर(मूलतः)															
9इ. नामे नोट/ जमापत्र/ प्रतिदाय वाउचर(उसके संशोधन)															

10. सराणीय 7 में पूर्व कर अवधियों के लिए अरजिस्टर्ड व्यक्तियों को किए गए कारधेय जावक प्रदायों के संशोधन

कर की दर	कुल कराधेय मूल्य	रकम			
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
कर अवधि जो ब्यौरे के लिए पुनरीक्षित किए जा रहे है	माह				
10अ. राज्यांतरिक प्रदाय (टीसीएस के संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से की गई प्रदाय सहित) (दर वार)					
10अ. (1) 10अ मे उल्लिखित प्रदाय से बाहर, टी सी एस से संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से की गई प्रदाय का मूल्य (प्रचालक वार, दर वार)					
ई-वाणिज्य प्रचालन का जी एस टी आई एन					
10आ. अंतरराज्यिक प्रदाय [टी सी एस से सम्बन्धी ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई प्रदाय सहित] (कर वार)					
प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)					
10आ (1).में उल्लेखित प्रदाय से बाहर टी सी एस से सम्बन्धी ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई प्रदाय का मूल्य (प्रचालक वार, दर वार)					
ई-वाणिज्य प्रचालन का जी एस टी आई एन					

11. आग्रेम प्राप्ति का एकीकृत विवरण/चालू कर अवधि में आग्रेम समायोजन/पूर्वतर कर अवधि में सूचना का संशोधन किया जाना

दर	कुल अग्रिम प्राप्त/समयोजित	प्रदाय (राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का नाम)	रकम			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
I चालू कर अवधि के लिए सूचना						
11अ. कर अवधि में अग्रेम रकम की प्राप्ति जिसके लिए बीजक नहीं जारी किया गया (कर रकम को निवेश कर दायित्व को जाड़ा जाएगा)						
11अ (1). राज्यांतरिक प्रदाय (कर वार)						
11अ (2). अन्तरराज्यिक प्रदाय (कर वार)						
11आ. पूर्वतर कर अवधि में अग्रेम रकम की प्राप्ति और सारणी संख्या 4,5,6 और 7 में दिखायें गये कर अवधि में प्रदाय के विरुद्ध समायोजन						
11आ (1). राज्यांतरिक प्रदाय (कर वार)						
11आ (2). अन्तरराज्यिक प्रदाय (कर वार)						
II पूर्वतर कर अवधि के लिए जी एस टी आर-1 विवरणी में सारणी सं० 11 (1) में दी गई सूचना का संशोधन [पुनरीक्षित सूचना देना]						
माह		क्रम सं० (चयन) में दी गई सूचना से सम्बन्धित संशोधन		11अ(1)	11अ(2)	11आ(1) 11आ(2)

12. जावक प्रदाय का एच एस एन-वार संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	एच एस एन	विवरण (वैकल्पिक,यदि एच एस एन प्रदान किया गया हो)	यू क्यू सी	कुल परिमाण	कुल मूल्य	कुल कराधेय मूल	रकम			
							एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

13. कर अवधि के दौरान जारी किए गये दस्तावेज

क्रम संख्या	दस्तावेज को प्रकृति	क्रम सं०		कुल संख्या	रद्द	शुद्ध जारी किया गया
		से	तक			
1	2	3	4	5	6	7
1	जावक प्रदाय के लिये बीजक					
2	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक प्रदाय के लिए बीजक					
3	पुनरीक्षित बीजक					
4	नामे नोट					
5	जमापत्र					
6	प्राप्ति वाउचर					
7	भुगतान वाउचर					

8	वापसी वाउचर					
9	वापसी वाउचर छुटपुट नाम के लिए वितरण चालान					
10	अनुमोदन पर प्रदाय के लिए वितरण चालान					
11	द्रव गैस के मामले में वितरण चालान					
12	प्रदाय से भिन्न मामलों में वतरण चालान (क्रम सं० 9 से 11 को छोड़कर)					

सत्यापन

मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है और उत्पाद कर पर दायित्व में किसी कटौती की दशा में उसके फायदे प्रदाय करने वाले प्राप्तिकर्ता को पहुंचे/पहुंचाए जाएंगे ।

हस्ताक्षर

स्थान प्राधिकृत का

नाम

पदनाम

हस्ताक्षरी............................

तारीख

प्रास्थिति..

अनुदेश -

1. प्रयुक्त शब्द :

(क) जीएसटीआईएन: माल और सेवा कर पहचान संख्या

(ख) यूआईएन: यूनीक पहचान संख्या

(ग) यूक्यूसी: यूनीक परिमाण कोड

(घ) एचएसएन: नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली

(ड) पीओएस: प्रदाय का स्थान (अपने अपने राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र)

(च) बी से बी: एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्याक्ति को

(छ) बी से सी: रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को

2. जीएसटी आर-1 के ब्यौरे मास की 10 तारीख को उत्तरवर्ती सुसंगत कर अवधि में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

3. करदाता का सम्मिलित आवर्त ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के लिए सारणी 3 की प्रारंभिक सूचना में प्रकाशित किया जाएगा । यह सूचना केवल प्रथम वर्ष में करदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जायेगी । पश्चातवर्ती विवरणियों में तिमाही आवर्त सूचना नहीं आयेगी । पश्चातवर्ती वर्षों में सम्मिलित आवर्त स्वत: वासित कहे जाएंगे।

4. कर अवधि से सम्बंधित बीजक स्तर की सूचना सभी प्रदाय के लिए प्रकाशित होनी चाहिए जो निम्नलिखत है:--

(i) सभी बी से बी प्रदायों के लिए (चाहे अंतरराज्यिक या अंत:राज्यिक हो बीजक स्तर के ब्यौर दर कर, साथ ही साथ प्रतिवर्ती प्रकार संबंधी प्रदाय और ई वाणिज्य प्रचारक से जो प्रावित है सारणी 4 में अपलोड किया जाना चाहिए इन प्रवर्गों में जावक प्रदाय सूचना सारणी प्रथृक दी जाएगी ।

(ii) सभी अंतरराज्यिक बी से सी प्रदाय के लिए, जहां बीजक मूल्य 2,50,000/- रू से आधिक है (बी से सी बृहद बीजक स्तर के ब्यौरे दर-वार सारणी 5 में अपलोड किया जाना चाहिए; और

(iii) सभी बी से सी प्रदाय (चाहे अंतरराज्यिक या अंत:राज्यिक हो जहां बीजक मूल्य 2,50,000 रू तक हो प्रदाय का राज्यवार संक्षिप्त विवरण, दर-वार, सारणी 7 में अपलोड किया जाना चाहिए ।

5. सारणी 4 में जाने वाली सूचना जो बी से बी प्रदाय से सम्बंधित है:

(i) (क) प्रतिवर्ती प्रभार से भिन्न ई-वाणिज्य प्रचारक, दर-वार के माध्यम के किए गऐ प्रदाय सारणी 4क में आएगा

(ख) प्रतिवर्ती प्रभार, दर-वार से समबधी प्रदाय सारणी 4ख में आएगा; और

(ग) इस अधिनियम की धारा 52 के अधीन, कर, सग्रहण से समबधी,प्रचापर के माध्यम से किए गऐ प्रदाय सारणी 4ग में आएगा ।

(ii) यहां वह केवल प्राप्तिकर्ता के स्थान से भिन्न है तो प्रदाय का स्थान होगा ।

6. बी से सी बृहद बीजक की सूचना और सूचना जो सारणी 4 के समरूप होगी वें सारणी 5 में आएंगी इस सारणी में प्रदाय के स्थान का स्तंभ आज्ञापक है ।

7. सारणी 6 में वह सूचना आएगी जो निम्नलिखित से संबंधित है:

(i) भारत से बाहर निर्यात

(ii) विशेष आर्थिक जोन ईकाई और विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को प्रदाय

(iii) समझे गए निर्यात।

8. सारणी 6 में पोत परिवहन पत्र और उसकी तारीख के बारे में सूचना दिया जाना आवश्यक है । यद्यपि कि, यदि पोत परिवहन पत्र उपलब्ध नहीं है, तो भी सारणी 6 में ही सूचना देना होगा । लेकिन उक्त बीजक से संबंधित किसी प्रतिदाय/छूट से पूर्व कर अवधि में, सारणी 9 में संशोधन के संबंध में, जिसके ब्यौरे उपलब्ध हों, सूचना के माध्यम से अद्यतन किया जा सकता है । पोत परिवहन पत्र के ब्यौरे पत्तन कोड (छः अंक) के साथ 13 अकों में दिये जाएंगे, जो पोत परिवहन पत्र की संख्या द्वारा अनुसारित किया जाएगा ।

9. विशेष आर्थिक जोन द्वारा डी टी ए को प्रवेश पत्र के आवरण के बिना किया गया कोई भी प्रदाय, जैसा कि जी एस टी आर-2 में आयातित है, उसके जीएसटी आर-2 में डी टी ए ईकाई द्वारा रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है । सेवाओं के प्रदाय से संबंध में आई जीएसटी के संदाय के लिए दायित्व का सृजन इस सारणी से किया जाएगा ।

10. निर्यात संव्यवहारों के मामले में प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआई एन नहीं होगा, अतः यह रिक्त रहेगा ।

11. निर्यात संव्यवहारों को, जीआईजीएसटी (बंधपत्र/वचनबंध पत्र के अधीन) में संदाय के बिना है, उन्हें सारणी 6अ और 6आ में "0" कर रकम शीर्षक के अधीन रिपोर्ट करना आवश्यक है ।

12. कराधेय प्रदाय के बारे निम्नलिखित सूचना सारणी 7 में दी जाएगी :

(i) बी से सी प्रदाय (चाहे वह अन्तरराज्यिक या अन्तःराज्यिक हो) जिसका बीजक मूल्य 2,50,000 रु0 तक हो ;

(ii) विशिष्ट कर अवधि में बनाये रखे गए नामे नोट/जमापत्र का शुद्ध कराधेय मूल्य और पूर्ववर्ती कर अवधियों से संबंधित सूचना, जिसे पूर्व में रिपोर्ट नहीं किया गाय था, उसे सारणी 10 में रिपोर्ट किया जाएगा । यदि आवश्यक हुआ तो नकारात्मक मूल्य इस सारणी में उल्लिखित किया जा सकता है ।

(iii) इस अधिनियम की धारा 52 के अधीन कर संग्रहण से संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालक से प्रभावित संव्यवहार जिसे प्रचालकवार और दर वार प्रावधानित किया गया है ;

(iv) स्त्रोत पर कर संग्रहण से संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदायों सहित कुल अंतःराज्यिक प्रदाय, दर वार सारणी 7 अ(1) में आते हैं, और कुल प्रदाय से बाहर स्त्रोत पर कर संग्रहण से संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदाय सारणी 7 अ(2) में आते हैं, जो सारणी 7 अ(1) में रिपोर्ट किए जाएंगे ।

(V) स्त्रोत पर कर संग्रहण से संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदायों सहित कुल अंतःराज्यिक प्रदाय, दर वार सारणी 7 आ(1) में आते हैं, और कुल प्रदाय से बाहर स्त्रोत पर कर संग्रहण से संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदाय सारणी 7 अ(2) में आते हैं, जो सारणी 7 आ(1) में रिपोर्ट किए जाएंगे ; और

(VI) राज्य वार और दर वार सूचना सारणी 7आ में आयेगी ।

13. सारणी 9 में निम्नलिखित सूचना आएगी :

(I) सारणी 4 में रिपोर्ट की गई बी से बी प्रदायों का संशोधन, सारणी 5 में रिपोर्ट की गई बी से बी बृहद् प्रदाय और सारणी 6 में रिपोर्ट किए गए निर्यातों/ विशेष आर्थिक जोन ईकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता/ समझे गए निर्यात से सम्मिलित प्रदाय ;

(II) दर वार दी गई सूचना ;

(III) जारी किए गए नामे नोट /जमापत्र की मूलतः सूचना और इसके संशोधन, जो पूर्वतर कर अवधियों में प्रकाशित किए गये थे, भी आते हैं । जब सूचना प्रस्तुत की जा रही हो, तब मूलतः नामे नोट /जमापत्र, बीजक के ब्यौरे प्रथम तीन स्तंभों में उल्लिखित किए जाएगें, जब नामे नोट/ जमापत्र का पुनरीक्षण किया जा रहा हो, तब मूलतः नामे नोट/ जमापत्र के ब्यौरे इस सारणी में प्रथम तीन स्तंभो में उल्लिखित किए जाएंगे ;

(iv) यदि वह केवल प्राप्तकर्ता के स्थान से भिन्न है, तो प्रदान करने का स्थान होगा ;

(v) जारी किए गए बीजकों से संबंधित कोई भी नामे नोट/जमापत्र विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन के पूर्व सारणी में भी प्रकाशित की गई थी; और

(vi) केवल निर्यात संव्यवहार संशोधन के मामले में पोत परिवहन पत्र प्रदान करने के लिए;

14. सारणी 10, सारणी 9 के समरुप है लेकिन बी से सी प्रदायों से संबंधित संशोधन सूचना सारणी 7 में प्रकाशित की गई है

15. कर अवधि में अग्रिम प्राप्तियां, दर कर से संबंधित सूचना और अपने-अपने प्रदाय के स्थान के साथ संदत्त कर सारणी 11 अ में आते हैं । अग्रिम प्राप्ति पर संदत्त कर के समायोजन के लिए और चालू कर अवधि में जारी किए गए बीजकों के लिए पूर्वर्तर कर अवधि में जारी किए गए बीजकों के लिए पूर्वतर कर अवधि में प्रकाशित की गई सारणी 11 ख में सूचना भी सम्मिलित करता है । केवल यदि उसी कर अवधि में, जिसमें अग्रिम प्राप्त किया गया था, बीजक जारी नहीं किया गया है, तो अग्रिम से संबंधित सूचना के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे ।

16. प्रदायों का संक्षिप्त विवरण, जो विशिष्टियां एच एस एन कोड से प्रभावित है, केवल संक्षिप्त विवरण सारणी में प्रकाशित किया जाएगा । ऐसे करदाताओं के लिए जिसकी वार्षिक आवर्त 1.5 करोड़ तक है, उसके लिए यह वैकल्पिक होगा, परंतु उन्हें मालों के विवरण की सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।

17. ऐसे करदाताओं के लिए जिनका पूर्वतर वर्ष में वार्षिक आवर्त 1.5 करोड़ रु0 से 5.00 करोड़ रु0 तक था, उन्हें दो अंकीय स्तर में, और ऐसे करदाताओं के लिए, जिनका वार्षिक आवर्त 5.00 करोड़ रु0 से अधिक था, उन्हें चार अंकीय स्तर में एच एस एन कोड की रिपोर्ट करना आज्ञापक है ।

प्ररूप जीएसटी आर-1क
[नियम 59(4) देखें]

स्वतः प्रारूपित प्रदायों के ब्यौरें
(प्ररूप जी एस टी आर **2**, जी एस टी आर **4** या जी एस टी आर **6**)

वर्ष				
माह				

1.	जी एस टी आई एन		
2.	(अ)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	
	(आ)	व्यापार नाम, यदि कोई हों	

3. सारणी सं 4 में आने वाली प्रदाय से भिन्न प्रतिवर्ती प्रभार सम्बन्धी प्रदाय सहित की गई जावक कराधेय प्रदाय

जी एस टी आई एन/ यू आई एन	बीजक के ब्यौरें			दर	कारधेय मूल्य	रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का नाम)
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3अ. प्रतिवर्ती प्रभार से भिन्न प्रदाय (जी एस टी आर-2 की प्ररूप सारणी 3)										
3आ. प्रतिवर्ती प्रभार से भिन्न प्रदाय (जी एस टी आर-2 की प्ररूप सारणी 4)										

4. विशेष आर्थिक जोन और समझे गये निर्यात के लिए शून्य दर से प्रदाय

प्राप्तकर्ता का जी एस टी आई एन	बीजक के ब्यौरें			एकीकृत कर		
	संख्या	तारीख	मूल्य	दर	कराधेय मूल्य	कर रकम
1	2	3	4	5	6	7
4अ. विशेष आर्थिक जोन ईकाई या विषेश आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई प्रदाय						
4आ. समझे गये निर्यात						

5. **चालू अवधि के दौरान जारी किए गये नाम नोट, जमापत्र (उसके संशोधन सहित)**

मूल दस्तावेज में ब्यौरें			दस्तावेज के पूनरिक्षित ब्यौरें या मूलतः नामे नोट/जमापत्र के ब्यौरें				दर	कराधेय मूल्य	प्रदाय का स्थान (राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का नाम)	कर की रकम			
जी एस टी आई एन	संख्या	तारीख	जी एस टी आई एन	संख्या	तारीख	मूल्य				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

सत्यापन

मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है और उत्पाद कर पर दायित्व में किसी कटौती की दशा में उसके फायदे प्रदाय करने वाले प्राप्तिकर्ता को पहुंचे/पहुंचाए जाएंगे ।

हस्ताक्षर

स्थान प्राधिकृत का

नाम

पदनाम

हस्ताक्षरी............................

तारीख

प्रास्थिति...

प्ररूप जीएसटी आर-2

[नियम 60(1) देखें]

माल और सेवाओं की आवक प्रदाय के ब्यौरें

वर्ष					
माह					

1.	जी एस टी आई एन		
2.	(क)	रजिस्टर्ट व्यक्ति का विधिक नाम	
	(ख)	व्यापाप नाम, यदि कोई हों	

3. प्रतिवर्ती प्रकार प्रभार से सम्बन्धी प्रदाय से सम्बंधी प्रदाय से भिन्न रजिस्टर्ड व्यक्ति से प्राप्त आवक प्रदायों

(सभी सारणियों के लिए रकम रूपये में)

प्रदायकर्ता का जी एस टी आई एन	बीजक के ब्यौरें			दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का नाम)	जहां निवेश या निवेश सेवा/पूंजी माल (संयंत्र और मशीनरी सहित)/ आई टी सी के लिए आपत्र हों	आई टी सी उपलब्ध की रकम			
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

4. प्रतिवर्ती प्रभार संदत्त किये जाने वाले कर की आवक प्रदाय

प्रदायकर्ता का जी एस टी आई एन	बीजक के ब्यौरें			दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का नाम)	जहां निवेश या निवेश सेवा/पूंजी माल (संयंत्र और मशीनरी सहित)/ आई टी सी के लिए आपत्र हों मूल्य	आई टी सी उपलब्ध की रकम			
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4अ. रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से आवक प्रदाय की प्राप्ति (प्रतिवर्ती प्रभार सम्बन्धी)															
4आ. अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से आवक प्रदाय की प्राप्ति															
4इ. सेवा का आयात															

5. विदेश से या विशेष आर्थिक जोन ईकाई से प्रवेश-पत्र के लिए निवेश/पूंजी माल की प्राप्ति

प्रदायकर्ता का जी एस टी आई एन	प्रवेश पत्र के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	रकम		जहां निवेश/पूंजी माल (संयंत्र और मशीनरी सहित) आई टी सी के लिए अपात्र हैं	आई टी सी उपलभ्य की रकम	
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	उपकर		एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5अ. आयात										
5आ. विशेष आर्थित जाने से प्राप्ति										
पत्तन कोड + प्रवेश पत्र की संख्या = 13 अंक						निर्धारणीय मूल्य				

6. सारणी 3, 4 और 5 में पूर्वतर कर अवधियों के लिए विवरणियों में किए गए आवक प्रदाय के ब्यौरें का संशोधन (जारी किए गये (जमापत्र और उसके पश्चात्वर्ती संशोधनों सहित)

मूलतः बीजक/प्रवेश पत्र संख्या के ब्यौरे			बीजक के पुनरीक्षित ब्यौरे				दर	कराधेय मूल्य	रकम				प्रदाय कर स्थान	जहां निवेश या निवेश सेवा/पूंजी माल/आई टी सी के लिए अपात्र है	आई टी सी की उलभ्य रकम			
जी एस टी आई एन	संख्या	तारीख	का जी एस टी आई एन	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर				एकीकृत कर	राज्य/सघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6अ. मालों के आयात या विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त माल से भिन्न प्रदाय [पूर्वतर विवरणियों में सारणी 3 और 4 में दी गई सूचना] यदि दिये गये पूर्वतर ब्यौरे गलत थे																		
6आ. मालों का आयात या विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त माल के रूप में प्रदाय [पूर्वतर विवणियों के सारणी 5 में दी गई सूचना] यदि दिये गये पूर्वतर ब्यौरे गलत थे																		
6इ. नामे नोट/जमापत्र [मूलतः]																		
6ई. नामे नोट/जमापत्र [पूर्वतर कर अवधियों में नामे नोट/साखपत्रों का किया गया संशोधन]																		

7. एकीकृत कराधेय व्यक्ति से प्राप्त प्रदाय और अन्य छूट/शून्य दर/गैर जी एस टी से प्राप्त प्रदाय

विवरण	प्राप्ति से प्रदायों का मूल्य			
	एकीकृत कराधेय व्यक्ति	प्रदाय से छूट	शून्य दल से प्रदाय	गैर जी एस टी प्रदाय
1	2	3	4	5
7अ. अन्तरराज्यिक प्रदाय				
7आ. राज्यांतरिक प्रदाय				

8. प्राप्त आईएसडी प्रत्यय

आईएसडी का जीएसटीआईएन	आईएसडी दस्तावेज विवरण		आईएसडी प्रत्यय				पात्र आईटीसी की रकम			
	संख्या	तारीख	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8अ. आईएसडी बीजक										
8आ. आईएसडी जमापत्र										

8 प्राप्त टीडीएस और टीसीएस प्रत्यय

कटौती कर्ता का जीएसटीआईएन / ई-वाणिज्यिक आपरेटर का जीएसटीआईएन	सकल मूल्य	ब्रिक्री वापसी	कुल कीमत	रकम		
				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7
9अ. टीडीएस						
9आ. टीसीएस						

10. प्रदाय का प्राप्ति के खाते में अग्रिम संदेय /अग्रिम समायोजन का एकीकृत विवरण

दर	सकल अग्रिम संदेय	प्रदाय का स्थान (राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का नाम)	रकम			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
(ऐ) चालू माह की जानकारी						

10अ. संदेय कर में प्रभारीय प्रदाय के उत्क्रम के लिए संदेय अग्रिम रकम (आउटपुट कर दायित्व में जोडा जाने वाला कर की रकम)						
10अ (1). राज्यातरिक प्रदाय (दर वार)						
10अ (2). अंतरराज्यिक प्रदाय (दर वार)						
10आ. अग्रिम राशि जिस पर कर पहले की अवधि में भुगतान किया गया था, लेकिन चालान वर्तमान अवधि में प्राप्त हो गया है (ऊपरसारणी 4 में परिलक्षित)						
10आ (1). राज्यातरिक प्रदाय (दर वार)						
10आ (2). अंतरराज्यिक प्रदाय (दर वार)						
II पूर्व माह मेंसारणी संख्या 10 (1) में तैयार जानकारी का संशोधन (तैयार पुनरीक्षित जानकारी)						
माह		क्र.सं. में तैयार जानकारी से संबंधित संशोधन (चयन)	10अ(1)	10अ(2)	10(आ1)	10आ(2)

11. **इनपुट कर प्रत्यय उल्टाव/वापस लेना**

आईटीसी के उत्क्रमण के लिए विवरण	आउटपुट दायित्व से जोड़ा या कम करने के लिए	आईटीसी की रकम			
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
अ. वर्तमान कर अवधि के लिए जानकारी					
(क) नियम 37(2) के संदर्भ में राशि	जोड़ा जाए				
(ख) नियम 39(1) (ञ) (ii) के संदर्भ में राशि	जोड़ा जाए				
(ग) नियम 42(1) (ड) के संदर्भ में राशि	जोड़ा जाए				
(घ) नियम 43(1)(ड) के संदर्भ में राशि	जोड़ा जाए				
(ङ) नियम 42(2) (क) के संदर्भ में राशि	जोड़ा जाए				
(च) नियम 42(2) (ख) के संदर्भ में राशि	कम किया जाए				
(छ) आईटीसी के उत्क्रमण के बाद भुगतान की गई राशि के कारण	कम किया जाए				
(ज) कोई अन्य दायित्व (विनिर्दिष्ट करें)	......				
ख. किसी पूर्व विवरणी में क्रम संख्या क परसारणी संख्या 11 में तैयार जानकारी का संशोधन					
माह में प्रस्तुत जानकारी के संबंध में संशोधन किया गया है					
जानकारी जो आप संशोधन करना चाहते					

हैं निर्दिष्ट करें) (ड्रॉप डाउन)					

12. बेमेल और अन्य कारकों के लिए सार्वजनिक कर में रकम का घटाया जाना और जोड़ा जाना

विवरण		सार्वजनिक दायित्व से जोड़ा जाना या कम किया जाना	रकम			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1		2	3	4	5	6
(क)	बेमेल / बीजक का डुप्लीकेट / नामेनोट्स पर दावा किया गया आईटीसी	जोड़ना				
(ख)	बेमेल जमापत्र पर कर दायित्व	जोड़ना				
(ग)	बेमेल बीजक / नामेनोट्स के सुधार के कारण पुनः दावा	कम करें				
(घ)	बेमेल जमापत्र के सुधार के कारण पुनः दावा	कम करें				
(ङ)	पिछले कर अवधि से नकारात्मक कर दायित्व	कम करें				
(च)	पूर्व में कर अवधि में अग्रिम पर देय कर और वर्तमान कर अवधि में की गई प्रदाय पर कर के साथ समायोजित	कम करें				

13. **आवक प्रदाय का एचएसएन सारांश**

संख्या	एचएसएन	**विवरण (वैकल्पिक यदि एचएसन**	यूक्यूसी	कुल मात्रा	कुल मूल्य	कुल कर योग्य मूल्य	रकम			
							एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है ।

हस्ताक्षर.................................

स्थानः

अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

....

तारीख:

पदनाम / स्थिति

....

अनुदेश-

1. प्रयोग की गई शर्तें:

(क) जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या

(ख) यूआईएन : विशिष्ट पहचान संख्या

(ग) यूक्यूसी: यूनिट मात्रा कोड

(घ) एचएसएन: नामकरण की प्रणाली

(ङ) स्थिति: (प्रदाय की जगह) संबंधित राज्य

(च) बी से बी: एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति तक

(छ) बी से सी: रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को

2. **सारिणी 3 और 4 की जानकारी प्राप्त करने के लिए**

(i) जीएसटीआर-2क में प्राप्त स्वतः बनाए गए ब्यौरे पर आधारित जीएसटीआर-2 में उपलब्ध किए जाने के लिए जीएसटीआर-1 में प्रदायकर्ता द्वारा रिपोर्ट की गई गई कर की अवधि से संबंधित दर वार बीजक स्तरीय आवक प्रदाय जानकारी

(ii) सारिणी 3 में प्रतिप्रदाय प्रभार को प्रभावित करने वाले के सिवाय आवक प्रदाय को पकडने वाले और प्रतिप्रदाय प्रभार को आवक प्रदाय को पकडने वाला

(iii) प्राप्तकर्ता कर दाता के पास स्वतः जानने वाली जानकारी पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित विकल्प है:

(क) स्वीकार करना,

(ख) अस्वीकार,

(ग) उपान्तंरण (यदि प्रदायकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी गलत है), या

(घ) कार्रवाई के लिए लंबित लेन-देन रखें (यदि सामान या सेवाएं प्राप्त नहीं हुई हैं)

(iv) कार्रवाई करने के बाद, प्राप्तकर्ता करदाता का यह उल्लेख करना होगा कि क्या वह प्रत्यय का लाभ लेने के लिए पात्र है या नहीं और अगर वह प्रत्यय का लाभ लेने के योग्य है, तो बीजक में उल्लिखित कर के खिलाफ पात्र प्रत्यय की राशि दर्ज की जानी चाहिए;

(v) प्राप्तकर्ता करदाता भी बीजक जोड सकता है (प्रतिपक्ष प्रदायकर्ता द्वारा अपलोड नहीं किया है) यदि उसका बीजक पर कब्जा है और माल या सेवाओं का प्राप्त हुआ है;

(vi) सारणी 4 क को स्वतः तैयार किया जाना है;

(vii) प्राप्तकर्ता कर दाता द्वारा बीजक को जोडने के मामले में, प्रदाय (पीओएस) का स्थान प्रदाय के मामले को छोड़कर सदैव रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त है, जहां यह बीजक के स्थान से भिन्न है के लिए अपेक्षिति है ;

(viii) बीजककर्ता के पास प्रतिप्रदाय के प्रभार से होने वाले बीजकों के अतिरिक्त स्वतः बनने वाले बीजक को स्वीकार करने का विकल्प होगा जब अधिनियम की धारा 12 या धारा 13 के निबंधन में प्रदाय के समय उत्पन्न होता है

(ix) प्राप्तकर्ता कर दाता को स्तंभ संख्या 12 में घोषित करना आवश्यक है कि क्या आवक प्रदाय इनपुट या इनपुट सेवाओं या पूंजीगत माल है (पौधे और मशीनरी सहित) है।

3. किसी एसईजेड यूनिट द्वारा प्रदाय किए जाने का साथ-साथ भारत के बाहर माल/पूंजीगत माल के आयात से संबंधित विवरण कोसारणी 5 में प्राप्तकर्ता कर दाता द्वारा रिपोर्ट किया जाता है।

4. प्राप्तकर्ता को बिल की प्रविष्टि की जानकारी प्रदान करने के लिए छह अंक पोर्ट कोड और प्रविष्टि संख्या के सात अंकों का बिल सम्मिलित है।

5. सारणी 5 में कर योग्य मूल्य का अर्थ सीमा शुल्क प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन योग्य मान है जिस पर आईजीएसटी की गणना की जाती है (आईजीएसटी मूल्य के साथ निर्दिष्ट सीमा शुल्क पर लगाया जाता है)। आयात के मामले में, जीएसटीआईएन प्राप्तकर्ता कर दाता का होगा।

6. नामे या जमापत्र की मूल / संशोधित जानकारी के साथ-साथसारणी 3, 4 और 5 में पहले कर की अवधि में दी गई, दर-वार, सूचना संशोधन करने के लिएसारणी 6 में है निर्यात लेनदेन के मामले में जीएसटीआईएन प्रदान नहीं किया जाता है।

7. सारणी 7 सकल मूल्य स्तर पर जानकारी लेता है।

8. सारणी 3 के समानसारणी 8 के समान विकल्प उपलब्ध नहीं है और आईएसडी द्वारा वितरण के रुप में प्रत्यय (चाहे पात्र या अयोग्य) को प्राप्तकर्ता इकाई के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिए पात्रता के साथ-साथ इसे फिर से आईटीसी के रूप में योग्य रकम के साथ-साथ निर्धारित करने की अपेक्षा होगी

9. टीडीएस और टीसीएस प्रत्यय सारणी 9 में स्वतः बनाई जाएगी। बिक्री वापसी और शूद्ध मूल्य कॉलम सारणी 9 में स्रोत पर कर के कटौती के मामले में लागू नहीं हैं।

10. आवक प्रदाय सारणी 3, सारणी 4 और सारणी 8 से पात्र प्रत्यय को प्ररुप जीएसटीआर-3 में अपनी विवरणी की प्रस्तुत करने पर इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता बही में भरी जाएगी ।

11. प्राप्तकर्ता इसके उपयोग पर अर्थात व्यावसायिक उद्देश्य या गैर-व्यावसायिक उद्देश्य के लिए। निर्भर होते हुए एक बीजक पर आईटीसी से कम पर दावा कर सकता है ।

12. प्रतिप्रदाय प्रभार प्रदाय से संबंधित अग्रिम भुगतान की जानकारी और जारी किए गए कर के समायोजन सहित बीजक द्वारा दिया गया कर सारणी 10 में सूचित किया जाना चाहिए।

13. तत्काल पूर्ववर्ती कर अवधि के जीएसटीआर-3 के फाइल करने के कारण बेमेल के सुधार के कारण सार्वजनिक दायित्व में कमी के साथ-साथ बेमेल के कारण अतिरिक्त दायित्व को प्राप्त करने सारणी 12 में दिया जाएगा ।

14. एचएसएन के रिपोर्टिंग का मानदंड जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट के अनुसार होगा।

प्ररुप जीएसटी आर-2क

[**नियम 60(1) देखें**]

स्वतः प्रारुपित प्रदाय के ब्यौरे (**जीएसटी आर 1, जीएसटी आर 5, जीएसटी आर -6 जीएसटी आर -7 और जीएसटी आर -8 से**)

वर्ष				
माह				

1.	जीएसटीआईएन		
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	
	(ख)	व्यापार नाम, यदि कोई हो	

भाग-क

3. **प्रतिवर्ती प्रभार को प्रभावित करने वाले प्रदाय के सिवाय रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त आवक प्रदाय**

(**सभी सारणी के लिए रकम रुपए में**)

प्रदाय कर्ता का जीएसटी आईएन	बीजक के ब्यौरे			दर	कर योग्य मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का नाम)
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

4. **रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर प्रतिप्रदाय प्रभार पर कर देय है**

प्रदायकर्ता जीएसटी आईएन	बीजक के ब्यौरे			दर	कर योग्य मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का नाम)
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मूल दस्तावेज के ब्यौरे			दस्तावेजों के पुनरीक्षित ब्यौरे या मूल अतिशेष के प्रत्यय ब्यौरे				दर	कर योग्य मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)
जीएसटी आईएन	संख्या	तारीख	जीएसटी आईएन	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

5. चालू कर अवधि के दौरान प्राप्त अतिशेष/जमापत्र (उसके संशोधनों सहित)

भाग-ख

6. **प्राप्त आईएसडी प्रत्यय(उसके संशोधनों सहित)**

आईएसडी का जीएसटी आईएन	आईएसडी का दस्तावेज ब्यौरे		अंर्तवलित आईटीसी रकम			
	संख्या	तारीख	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
आईएसडी बीजक –पात्र आईटीसी						
आईएसडी बीजक –अपात्र आईटीसी						
आईएसडी जमापत्र –पात्र आईटीसी						
आईएसडी जमापत्र –अपात्र आईटीसी						

भाग -ग

7. **प्राप्त टीडीएस और टीसीएस प्रत्यय (उसके संशोधनों सहित)**

कटौतीकर्ता का जीएसटी आईएन / ई-वाणिज्यिक आपरेटर का जीएसटीआईएन	प्राप्त रकम/ सकल मूल्य	ब्रिक्री वापसी	कुल कीमत	रकम		
				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7
7अ. टीडीएस						
7आ. टीसीएस						

प्ररुप जीएसटी आर-3

[**नियम 61**(1) **देखें**]

मासिक विवरणी

वर्ष				
मास				

1.	जीएसटी आईएन		
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	Auto Populated
	(ख)	व्यापार नाम यदि कोई हो	Auto Populated

भाग- क (स्वत:वासित के लिए)

(**सभी सारणी के लिए रकम रुपए में**)

3. आवर्त		
.संख्या	आवर्त का प्रकार	रकम
1	2	3
(i)	कर योग्य (शून्य दर के अलावा]	
(ii)	कर के भुगतान पर शून्य दर प्रदाय	
(iii)	कर के भुगतान के बिना शून्य दर प्रदाय	
(iv)	समझा गया निर्यात	
(v)	छूट प्राप्त	
(vi)	शून्य दर	
(vii)	गैर जीएसटी प्रदाय	
	कुल	

4. सार्वजनिक प्रदाय

4.1 अंतरराज्यीय प्रदाय (महीने के लिए शुद्ध प्रदाय)

दर	कर योग्य मूल्य	कर की रकम	
		एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4
अ. कर योग्य प्रदाय) प्रतिवर्ती प्रभार और शून्य दर प्रदाय के सिवाय ((दर कर वार)			
आ. प्रदाय प्राप्तकर्ता द्वारा देय प्रतिवर्ती प्रभार कर को आकर्षित करने वाली प्रदाय			
इ. एकीकृत कर के भुगतान के साथ शून्य दर प्रदाय			
ई. **अ** में उल्लिखित प्रदाय से बाहर, टीसीएस को प्रभावित करने वाले ई-वाणिज्य ऑपरेटर के माध्यम से प्रदाय का			

मूल्य (दर वार)			
- ई-वाणिज्य ऑपरेटर के जीएसटी आईएन			

4.2 अंतर-राज्य की प्रदाय (महीने के लिए शुद्ध प्रदाय)

दर	कर योग्य मूल्य	कर की रकम		
		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5
अ. कर योग्य प्रदाय (प्रतिवर्ती प्रभार) [कर दर के अनुसार]				
आ. प्रतिवर्ती प्रभार को प्रभावित करने वाली प्रदाय- प्रदाय के प्राप्तकर्ता द्वारा देय कर				
इ. ए में उल्लिखित प्रदाय से बाहर, टीसीएस को प्रभावित करने वाले ई-वाणिज्य ऑपरेटर के माध्यम से प्रदाय का मूल्य (दर वार)				
ई-वाणिज्य ऑपरेटर के जीएसटी आईएन				

4.3 सार्वजनिक प्रदाय के संबंध में किए गए संशोधनों का कर प्रभाविता

दर	कुल भिन्नता मूल्य	कर की रकम			
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
(I) राज्यातरिक प्रदाय					
क.कर योग्य प्रदाय (प्रतिवर्ती प्रभार और एकीकृत दरों के भुगतान के साथ शून्य दर प्रदाय के अलावा) (दर वार)					
ख. शून्य दर प्रदाय एकीकृत कर के भुगतान के साथ (दर वार)					
ग. क में उल्लिखित प्रदाय के बाहर, टीसीएस को प्रभावित करने वाले ई-वाणिज्य ऑपरेटर के माध्यम से की जाने वाली प्रदाय का मूल्य					
(II) अंतरराज्यिक प्रदाय					
क. कर योग्य प्रदाय (प्रतिवर्ती प्रभार के अलावा) (दर वार)					
ख. क में उल्लिखित प्रदाय के बाहर, टीसीएस को प्रभावित करने वाले ई-वाणिज्य ऑपरेटर के माध्यम से की जाने वाली प्रदाय का मूल्य					

5. प्रतिवर्ती प्रभार को प्रभावित करने वाली आवक प्रदाय जिसके अंतर्गत आयात सेवाए है (शुद्ध अग्रिम समायोजन)

5अ. आवक प्रदाय जिस पर प्रतिवर्ती प्रभार के आधार पर कर देय है

कर की दर	कर योग्य मूल्य	कर की रकम			
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
(I) आवक अंतरराज्यिक प्रदाय (दर वार)					
(II) आवक राज्यातरिक प्रदाय (दर वार)					

5आ. प्रतिवर्ती प्रभार को प्रभावित करने वाले प्रदाय के संबंध में संशोधनों का कर प्रभाविता

कर की दर	भिन्नता के आधार पर कर योग्य मूल्य	कर की रकम			
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
(I) आवक अंतरराज्यिक प्रदाय (दर वार)					
(II) आवक राज्यातरिक प्रदाय (दर वार)					

6. इनपुट कर प्रत्यय

आवक कर योग्य प्रदाय पर आईटीसी जिसके अंतर्गत आईएसडी से प्राप्त आयात और आईटीसी है (शुद्ध नामे नोट/जमापत्र)

विवरण	कर योग्य मूल्य	कर की रकम				आईटीसी की रकम			
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(I) चालू कर अवधि के दौरान प्राप्त प्रदाय और नामेनोट / जमापत्र के कारण									
(क) इनपुट									
(ख) इनपुट सेवाओं									
(ग) पूजीमाल									
(ii) संशोधनों के कारण (पहले के कर अवधि में प्रस्तुत विवरण)									
(क) इनपुट									
(ख) इनपुट सेवाओं									
(ग) पूजीमाल									

7. बैमेल और अन्य कारणों के लिए सार्वजनिक कर में रकम का जोड़ा जाना और घटाया जाना

विवरण		सार्वजनिक दायित्व से जोड़ा जाना अथवा घटाया जाना	रकम			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1		2	3	4	5	6
(क)	बीजक/नामे नोट के बैमेल/ दोहराव पर दावाकृत आईटीसी	जोड़ना				
(ख)	बेमेल नामे नोट्स पर कर दायित्व	जोड़ना				
(ग)	बेमेल बीजक / नामे नोट्स के सुधार पर पुनः दावा	कम करें				
(घ)	बेमेल जमापत्र के सुधार पर पुनः दावा	कम करें				
(ङ)	पिछले कर अवधि से नकारात्मक कर देयता	कम करें				
(च)	पहले कर अवधि में अग्रिम पर देय कर और चालू कर अवधि में की गई प्रदाय पर कर के साथ समायोजन	कम करें				
(छ)	इनपुट कर प्रत्यय उत्क्रमण / पुनः दावा	जोड़ें / कम				

8. कुल कर देयता

कर की दर	कर योग्य मूल्य	कर की रकम			
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
8अ सार्वजनिक प्रदाय पर					
8आ प्रतिवर्ती प्रभार प्रभावित करने वाला आवक प्रदाय					
8इ इनपुट कर प्रत्यय के कारण प्रतिवर्ती/पुनः दावा					
8ई. बेमेल / सुधार / अन्य कारणों के कारण					

9. टीडीएस और टीसीएस का प्रत्यय

		रकम		
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1		2	3	4
(क)	टीडीएस			
(ख)	टीसीएस			

10. ब्याज दायित्व (------------- तारीख को ब्याज)

निम्नलिखित के स्थान पर	बैमेल पर सार्वजनिक दायित्व	बैमेल बीजक पर दावाकृत आईटीसी	रिवर्सल आईटीसी के कारण	अनुचित आधिक्य दावा या आधिक्य को कम करना धारा 50(3) का निर्देश	बैंमेल के सुधार पर प्रत्यय ब्याज	ब्याज दायित्व को आगे बढाना	कर के देय में बिलंव	कुल ब्याज दायित्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(क) एकीकृत कर								
(ख) केन्द्रीय कर								
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर								
(घ) उपकर								

11. विलंब फीस

निम्नलिखित के स्थान पर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3
विलंब फीस		

भाग-ख

12. देय और संदत्त कर

विवरण	देय कर मूल्य	नगद में देय	आईसीटी के माध्यम से देय				देय कर
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) एकीकृत कर							
(ख) केन्द्रीय कर							
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर							
(घ) उपकर							

13. देय और संदत्त किया जाने वाला ब्याज, बिलंव फीस और अन्य रकम

विवरण	देय रकम	संदत्त रकम
1	2	3
(I) निम्नलिखित के स्थान पर ब्याज		

(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		
(घ) उपकर		
(II) विलंब फीस		
(क) केन्द्रीय कर		
(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

14. इलैक्ट्रानिक रोकड़ खाता से दावाकृत प्रतिदाय

विवरण	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	प्रत्यय प्रविष्टि संख्या
1	2	3	4	5	6	7
(क) एकीकृत कर						
(ख) केन्द्रीय कर						
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
(घ) उपकर						
बैंक खाता विवरण (नीच करें)						

15. कर/देय ब्याज के लिए इलैक्ट्रोनिक रोकड़/प्रत्यय खाता में नामें प्रविष्टियां (कर के संदाय और विवरणी को सौपे जाने के पश्चात बनाया जाना

विवरण	नगद में देय कर	आईटीसी के द्वारा देय कर				ब्याज	बिलंव शुल्क
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर		
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) एकीकृत कर							
(ख) केन्द्रीय कर							
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर							
(घ) उपकर							

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है ।

हस्ताक्षर..................................

स्थानः

अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ....

तारीख:

पदनाम / स्थिति ....

अनुदेशः-

1. प्रयुक्त शब्दः--

(क) जीएसटीआईएम - माल और सेवा कर पहचान संख्या
(ख) टीडीएस - स्रोत पर कर कटौती
(ग) टीसीएस - स्रोत पर कर संग्रहण

2. जीएसटी आर-3 को केवल तभी सृजित किया जा सकेगा जब कर अवधि के जीएसटी आर-1 और जीएसटी आर-2 फाईल कर दिये गये हों ।

3. कर दाता के इलैक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्ट्रर, इलैक्ट्रॉनिक खातें और इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते को कर दाता द्वारा जीएसटी आर के सृजन पर अद्यतन किया जा सकेगा ।

4. जीएसटीआर -1, जीएसटीआर-1अ और जीएसटी आर-2 के आधार पर जो एसटीआर-3 का भाग अ स्वतः ही भर जायेगा ।

5. जीएसटी आर-3 का भाग-आ इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते और नकद खाते में उपलब्ध प्रत्यय के उपयोग द्वारा कर, ब्याज, विलंब फीस आदि के संदाय से संबंधित है ।

6. सारणी 1 में बाह्य प्रदाय से संबंधित कर दायित्व बीजकों, नामें/जमा पत्रों और प्राप्त अग्रिम का शुद्ध है ।

7. सारणी 4.1 में शून्य की दर से कर का संदाय किये बिना किए गए प्रदाय शामिल नहीं होगी ।

8. सारणी 4.3 में प्रतिवर्ती प्रभार के आधार पर किए गए मूल प्रदायों का संशोधन शामिल होगा ।

9. सारणी 5 में आगम प्रदाय पर प्रतिवर्ती प्रभार के कारण कर दायित्व बीजकों, नामें/जमा पत्रों, संदत्त अग्रिम और पूर्व के अग्रिम पर संदत्त कर के समायोजन का शुद्ध है ।

10. निवेश कर प्रत्यय का उपयोग धारा 49 के उपबंधों के अनुसरण में किया जाना चाहिए ।

11. पूर्ण दायित्व के उन्मोचन किये बिना फाईल किये गये जीएसटी आर-3 को विधिमान्य विवरणी के रूप में नहीं माना जायेगा ।

12. यदि करदाता ने एक ऐसी विवरणी फाईल की है जो पूर्व में या उसके बाद विधिमान्य नहीं थी, वह बाकी दायित्व का उन्मोचन करना चाहता है, तो उसे जीएसटी आर-3 के भाग आ को दोबारा फाईल करना पडेगा ।

13. नकद खाते से प्रतिदाय के लिये केवल तभी दावा किया जा सकेगा जब उस कर अवधि के लिय दायित्व संबंधी सभी विवरणीयों का उन्मोचन हो गया हो ।

14. सारणी 14 के माध्यम द्वारा नकद खाते से दावाकृत प्रतिदाय का परिणाम जीएसटी आर-3 फाईल करने पर इलैक्ट्रानिक नकद खाते में किसी नामें की प्रविष्टि होगी ।

प्ररूप जीएसटी आर– 3क

[नियम 68 देखिए)]

संदर्भ सं०:
तारीख:

सेवा में,

________ जीएसटीआईएन

---------------------- नाम

_________________ पता

विवरणी फाइल नऐ करने के लिए धारा 46 के अधीन विवरणी का व्यक्तिक्रम करने वाले को सूचना

कर अवधि- **विवरणी का प्रकार** -

एक रजिस्ट्रीकृत कर दाता होने के कारण आपसे अपेक्षा है कि निर्धारित अवधि तक उपरोक्त कर अवधि के लिए किए गए या प्राप्त किए गए प्रदायों के लिए कर दायित्व के परिणाम स्वरूप उनका उन्मोचन करने के लिए विवरणी प्रस्तुत करें

1. इसलिए आप से निवेदन है कि 15 दिन के अन्दर उक्त विवरणी प्रस्तुत करें जिसके असफल होने पर इस कार्यालय में उपलब्ध संबंधित सामग्री के आधार पर अधिनियम की धारा 62 के अधीन कर दायित्व का निर्धारण किया जाएगा । कृपया नोट करें कि इस प्रकार निर्धारित कर के अतिरिक्त आप अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ब्याज और शास्ति का भी संदाय करने के लिए दायी होगें ।

2. कृपया नोट करें कि दायित्व निर्धारण के लिए ओर कोई संसूचना जारी नहीं की जाएगी ।

3. यदि आप के द्वारा निर्धारण आदेश के जारी होने से पूर्व उपरोक्त निर्देशित विवरणी फाइल कर दी गई है तो सूचना को वापिस लिया माना जाएगा ।

या

रजिस्ट्रीकरण के रद होने पर अन्तिम विवरणी फाइल न करने के लिए धारा 46 के अधीन विवरणी का व्यतिक्रम करने वाले को सूचना

रदकरण आदेश संख्या -- तारीख ---

आवेदन संदर्भ संख्या - तारीख-

आदेश में विनिर्दिष्ट कारणों से रजिस्ट्रेशन को अभ्यर्पित करने के लिए आवेदन या आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आवेदन के फलस्वरूप, आप अधिनियम की धारा 45 के अधीन यथा अपेक्षित जी एस टी आर- 10 के प्ररूप में एक अन्तिम विवरणी देने के अपेक्षित थे।

2. यह नोटिस किया गया है कि आप ने निर्धारित तारीख तक अंतिम विवरणी फाइल नहीं की गई है।

3. इसलिए आप से निवेदन है कि 15 दिन के अन्दर अधिनियम की धारा 45 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अंतिम विवरणी प्रस्तुत करें जिसके असफल होने पर इस कार्यालय में उपलब्ध या संग्रहित संबंधित सामग्री के आधार पर अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में उपरोक्त कर अवधि के लिए के कर दायित्व का अवधारण किया जाएगा। कृपया नोट करें कि इस प्रकार निर्धारित कर के अतिरिक्त आप अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ब्याज और शास्ति का भी संदाय करने के लिए दायी होगें।

4. यदि आप के द्वारा निर्धारण आदेश के जारी होने से पूर्व उपरोक्त विवरणी फाइल कर दी गई है तो सूचना को वापिस लिया माना जाएगा।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्ररूप जीएसटीआर – 3ख

[नियम 61(5) देखें]

वर्ष	
मास	

1.		जीएसटीआईएन	
2.		रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	Auto Populated

3.1 विपर्यय प्रभारों के प्रति दायी जावक प्रदायों और आवक प्रदाय के ब्यौरे

प्रदाय की प्रकृति	कुल कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ	उपकर
1	2	3	4	5	6
(क) जावक कराधेय प्रदाय (शून्य दर पर, शून्यांक दर पर और छूट प्राप्त से भिन्न)					
(ख) जावक कराधेय प्रदाय (शून्यांक दर पर)					
(ग) अन्य जावक प्रदाय (शून्य दर पर, छूट प्राप्त)					
(घ) आवक प्रदाय (विपर्यय प्रभारों के प्रति दायी)					
(ङ) गैर-जीएसटी जावक प्रदाय					

3.2 ऊपर 3.1(क) में दर्शित प्रदायों के लिए, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, सम्मिश्रित कराधेय व्यक्तियों और यूआईएन धारकों को किए गए अन्तरराज्यिक प्रदायों के ब्यौरे

	प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	कुल कराधेय मूल्य	एकीकृत कर की रकम
1	2	3	4
अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किया गया प्रदाय			
सम्मिश्रित कराधेय व्यक्ति को किया गया प्रदाय			
यूआईएन धारक को किया गया प्रदाय			

4.पात्र आईटीसी

ब्यौरे	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5
(अ) उपलब्ध आईटीसी (पूर्ण रूप में या उसका कोई भाग)				
(1) माल का आयात				
(2) सेवाओं का आयात				
(3) विपर्यय प्रभारों के प्रति दायी जावक प्रदाय (उपरोक्त 1 और 2 से भिन्न)				
(4) आईएसडी से आवक प्रदाय				
(5) अन्य सभी आईटीसी				
(आ) विपर्यय आईटीसी				
(1) सीजीएसटी नियम के नियम 42 और नियम 43 के अनुसार				
(2) अन्य				

(इ) उपलब्ध शुद्ध आईटीसी (अ) – (आ)				
(ई) अपात्र आईटीसी				
(1) नियम 17(5) के अनुसार				
(2) अन्य				

5.छूट प्राप्त, शून्यांक दर पर और गैर-जीएसटी आवक प्रदायों का मूल्य

प्रदायों का प्रकृति	अन्तरराज्यिक प्रदाय	अन्तःराज्यिक प्रदाय
1	2	3
सम्मिश्रित स्कीम के अधीन किसी प्रदाय का प्ररूप, छूट प्राप्त और शून्याकं दर पर प्रदाय		
गैर-जीएसटी प्रदाय		

6.1 कर का संदाय

विवरण	संदेय कर	आईटीसी के माध्यम से संदत्त				संदत्त कर टीडीएस/टीसीएस	नकद में संदत्त कर/उपकर	ब्याज	विलम्ब शुल्क
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एकीकृत कर									
केन्द्रीय कर									
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर									
उपकर									

6.2 टीडीएस/टीसीएस प्रत्यय

ब्यौरे	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4
टीडीएस			
टीसीएस			

सत्यापन (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा)

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास सत्य और सही हैं और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

अनुदेश:

1) कराधेय प्रदायों का मूल्य = प्राप्त बीजकों का मूल्य+नामेनोटों का मूल्य-जमापत्रों का मूल्य+अग्रिमों का मूल्य, जिसके लिए उसी मास में बीजक जारी किए गए हैं – बीजकों के लिए समायोजित अग्रिमों का मूल्य

2) अग्रिमों और बीजकों के लिए उसके लिए समायोजन के ब्यौरे, जिन्हें समायोजित किया जाना है और जो पृथक रूप से दर्शित नहीं है

3) समायोजित किए जाने वाले और पृथक रूप से दर्शित नहीं किए गए किन्हीं ब्यौरों का संशोधन।

प्ररूप जीएसटी आर-4

{नियम 62 देखें}

प्रशमन उपग्रहण को चुनने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए तिमाही विवरणी

वर्ष				
तिमाही				

1.		जीएसटीआइएन	
2.	क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	
	ख	व्यापार नाम, यदि कोई हो	
3.	क	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्तन	
	ख	संकलित आवर्तन-अप्रैल से जून, 2017	

4. आवक प्रदाययां जिसमें वें प्रदाययां भी शामिल है जिन पर प्रतिप्रदाय प्रभार पर कर का संदाय किया जाना है

प्रदायकर्ता की जीएसटीआइएन	बीजक के ब्यौरें			दर	कराधेय मूल्य	रकम				**प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)**
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 क- किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्राप्त आवक प्रदाय प्रतिवर्ती प्रभार से संबंधित प्रदायों से भिन्न										
4 ख - (प्रतिवर्ती प्रभार से संबंधित)										
4 ग- किसी अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्राप्त आवक प्रदाय										
4 घ- सेवा का आयात										

5. सारणी 4, में पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियों में किए गये कराधेय आवक प्रदाय के ब्यौरों का संशोधन {नामे नोट, जमा पत्र, चालू अवधि के दौरान जारी किये गये प्रतिदाय वाउचर और उसका संशोधन}

मूल दस्तावेज के ब्यौरें			बीजक के पुनरीक्षित ब्यौरें				दर	कराधेय मूल	रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)
जीएसटी आईएन	संख्या	तारीख	जीएस टीआईएन	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5 क- प्रदायों (पूर्व विवरणी के सारणी 4 में दी गई सूचना) यदि पूर्व मे दिये गये ब्यौरे गलत थे ।													
5 ख - नामें नोट/जमा पत्र/ मूल रूप में													
5 ग- नामें नोट/जमा पत्र [पूर्व कर अवधियों में दिये गय नामे नोट/जमापत्र का संशोधन													

6. जावक प्रदायों पर कर (अग्रिम और वापिस किया गया माल का शुद्ध)

कर की दर	आवर्तन	प्रशमन कर की रकम	
		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4

7. सारणी 6 में पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणी में दिये गय जावक प्रदाय के ब्यौरें में संशोधन

तिमाही	दर	मूल ब्यौरें			पुनरीक्षित ब्यौरें		
		आवर्तन	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	आवर्तन	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर

1	2	3	4	5	6	7	8

8. प्रदाय की प्राप्ति के कारण संदत्त अग्रिम/समायोजित अग्रिम का एकीकृत विवरण

दर	सकल संदत्त अग्रिम	प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)	रकम			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
(I) चालू तिमाही की सूचना						
8अ- कर अवधि में प्रतिवर्ती प्रभार प्रदाय के लिए संदत्त अग्रिम रकम (कर रकम को निर्गम कर दायित्व मे जोडा जायेगा)						
8अ (1). पूरे राज्य में प्रदाय (दर वार)						
8आ (2). अन्तरराज्यीय प्रदाय (दर वार)						
8 आ. अग्रिम रकम जिस पर पूर्व की अवधि कर का संदाय किया गया था परंतु बीजक चालू अवधि (उपरोक्त सारणी 4 में निर्देशित) में प्राप्त हुआ है । (कर रकम को निर्गम के दायित्व में से घटाया जाएगा)						
8 आ (1). पूरे राज्य में प्रदाय (दर वार)						
8 आ (2). अन्तरराज्यीय प्रदाय (दर वार)						
II किसी पूर्व तिमाही के लिए सारणी सं0 8 1 में दी गई सूचना में संशोधन						

वर्ष		तिमाही		धारा सं0 (चुनें) में दी गई सूचना से संबंधित संशोधन	8अ (1)	8आ (2)	8आ (1)	8आ (2)

9. प्राप्त टीडीएस प्रत्यय

जीएसटीआई एन का कटौती कर्ता	सकल मूल्य	रकम	
		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4

10. संदेय और संदत्त कर

विवरण	संदेय कर रकम	संदत्त कर रकम
1	2	3
(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		
(घ) उपकर		

11. संदेय और संदत्त ब्याज, विलंब फीस आदि

विवरण	संदेय कर रकम	संदत्त कर रकम
1	2	3
(I) निम्नलिखित से ब्याज-		
(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		
(घ) उपकर		
(II) विलंब फीस		
(क) केन्द्रीय कर		
(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		

12. इलैक्ट्रानिक नकद खाते से दावाकृत प्रतिदाय

विवरण	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	नामे प्रविष्टि सं0
1	2	3	4	5	6	7
(क) एकीकृत कर						
(ख) केन्द्रीय कर						
(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर						
(घ) उपकर						
बैंक खाता विवरण (नीचे खीचें)						

13. कर/ब्याज संदाय के लिए नकद खाते में नामें प्रविष्टियां

[कर संदेय और विवरणी जमा करने के पश्चात् भरा जाए]

विवरण	नकद में संदत्त कर	ब्याज	विलंब फीस
1	2	3	4
(क) एकीकृत कर			
(ख) केन्द्रीय कर			
(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर			
(घ) उपकर			

सत्यापनः-

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषण करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य और ठीक है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर.............................

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम.............................

पदनाम/पास्थिति.............................

स्थान

तारीख

अनुदेश :-

1. प्रयुक्त शब्द:

   (क) जी एस टी आई एन: माल और सेवा कर पहचान संख्या

   (ख) टी डी एस: स्रोत पर कटौती

2. जी एस टी आर-4 में ब्यौरे संबंधित कर अवधि के उत्तरवर्ती माह कि 11वीं और 18वीं तारीख के बीच दिए जाने चाहिए ।

3. ठीक पूववर्ती वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए कर दाता का संकलित आवर्तन सारणी 3 में प्रारंभिक सूचना में रिपोर्ट किया जाएगा यह सूचना केवल पहले वर्ष में कर दाता द्वारा दी जानी अपेक्षित होगी ओर उत्तरवर्ती वर्षों में स्वत: भरी जाएगी ।

4. सारणी-4, दर वार आवक प्रदायों से संबंधित सूचना का प्रग्रहण :

   (i) सारणी-4अ, प्रतिवर्ती प्रभार से भिन्न रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्त्ताओं से आवक प्रदाय का प्रग्रहण । वह सूचना जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-5 में प्रदायकर्ता द्वारा रिपोर्ट कि गई सूचना से स्वत: भरी जाएगी ।

   (ii) सारणी-4आ, प्रतिवर्ती प्रभार से संबंधित रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्त्ताओं से आवक प्रदाय का प्रग्रहण । वह सूचना जी एस टी आर-1 में प्रदायकर्ता द्वारा रिपोर्ट कि गई सूचना से स्वत: भरी जाएगी ।

   (iii) सारणी-4इ, अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्रदायों के प्रग्रहण के लिए ।

   (iv) सारणी-4ई, सेवा के आयात के प्रग्रहण के लिए

(v) कर प्राप्त करता को स्वत: भरे गए बीजकों/ प्रतिवर्ती प्रभार से संबंधित अतिरिक्त बीजकों को स्वीकार करने का विकल्प केवल तभी होगा जब अधिनियम की धारा 12 या 13 की शर्तों में व्युत्पन्न प्रदाय के समय होगा ; और

(vi) प्रदाय का स्थान (पी.ओ.एस) केवल यदि वह प्राप्तिकर्ता के अवस्थिति से भिन्न है ।

5. सारणी 5, दर-वार, पूर्व कर अवधियों में दी गई सूचना का संशोधन और प्राप्त नामे और जमा पत्र की मूल संशोधित सूचना का प्रग्रहण के लिए है । प्रदाय के स्थान को केवल तभी रिर्पोट किया जाना है जब वह प्राप्तकर्ता की अवस्थिति से भिन्न है । मूल नामें/जमा पत्र की सूचना देते समय बीजक के ब्यौरें का पहले तीन स्तंभो में उल्लेख किया जाएगा । किसी नामें/जमा पत्र का पुनरीण देते समय, मूल नामें/जमा पत्र के ब्यौरें का इस सारणी के प्रथम तीन स्तंभों में उल्लेख किया जाएगा ।

6. सारणी 6, जावक प्रदायों, जिसमें अग्रिम और चालू कर अवधि के दौरान वापिस किये गये माल का शुद्ध भी है, के ब्यौरें के प्रगृहण के लिए है ।

7. सारणी 7, पूर्ववर्त्ती विवरणियों की सारणी 6 में रिपोर्ट किये गये गलत ब्यौरों के संशोधन ब्यौरे के प्रगृहण के लिए है ।

8. प्रतिवर्ती प्रभार प्रदायों से संबंधित संदत्त अग्रिम और इस पर संदत्त कर की सूचना जिसमें जारी बीजकों के सापेक्ष समायोजन भी शामिल है को सारणी 8 में रिर्पोट किया जायेगा ।

9. टीडीएस प्रत्यय सारणी - 9 में स्वतः भरा होगा ।

प्ररूप जीएसटी आर-4क

[*नियम* 59(3) *और 66(2) देखें*]

समझौता उद्ग्रहण का विकल्प चुनने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के स्वप्रारूपित ब्यौरे
(जीएसटी आर-*1*, जीएसटी आर-*5* और जीएसटी आर-*7* से स्वप्रारूपित)

वर्ष				
तिमाही				

1.	जीएसटीआईएन		
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	Auto Populated
	(ख)	व्यापार का नाम, यदि कोई हों	Auto Populated

3. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त आवक प्रदाय जिसके अंतर्गत प्रतिकूल प्रभार वाले प्रदाय भी है

प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)
	सं.	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3अ. रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता (प्रतिकूल प्रभार वाले प्रदायों से भिन्न) से प्राप्त आवक प्रदाय										
3आ. रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता (प्रतिकूल प्रभार वाले) से प्राप्त आवक प्रदाय										

4. चालू अवधि के दौरान प्राप्त नामेनोट/जमा पत्र (इसके अंतर्गत उसके संशोधन भी है)

मूल दस्तावेजों के ब्यौरे			दस्तावेज के पुनरीक्षित ब्यौरे या मूल नामेनोट/जमा पत्र के ब्यौरे				दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)
जीएसटी आईएन	सं.	तारीख	जीएसटी आईएन	सं.	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

5. प्राप्त टीडीएस प्रत्यय

कटौतीकर्ता की जीएसटीआईएन	सकल मूल्य	कर की रकम	
		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4

प्ररूप जीएसटी आर-5

(नियम 63 देखें)

अनिवासी कराधेय व्यक्ति के लिए विवरणी

वर्ष				
मास				

1.	जीएसटीआईएन			
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम		Auto Populated
	(ख)	व्यापार का नाम, यदि कोई हों		Auto Populated
	(ग)	रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्य अवधि		Auto Populated

3. विदेश से प्राप्त इनपुट/पूंजी (माल का आयात)

(सभी सारणियों के लिए रकम रुपए में)

प्रवेशपत्र के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल	रकम		उपलब्ध आईटीसी की रकम	
सं.	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	उपकर	एकीकृत रकम	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4. किसी पूर्ण विवरणी में दिए गए ब्यौरों में संशोधन

मूल ब्यौरे		पुनरीक्षित ब्यौरे									अंतरीय आईटीसी (+/--)	
प्रवेशपत्र		प्रवेशपत्र			दर	कराधेय मूल्य	रकम		उपलब्ध आईटीसी की रकम			
सं.	तारीख	सं.	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	उपकर	एकीकृत कर	उपकर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5. (यूआईएस धारकों सहित) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किए गए जावक प्रदाय

जीएसटीआईएन /यूआईएन	बीजक के ब्यौरे			दर	कराधेय रकम	रकम				**प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)**
	सं.	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6. जहां बीजक का मूल्य दो लाख रुपए से अधिक है वहां अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय जावक अंतरराज्यिक प्रदाय

प्रदाय का स्थान (राज्य)	बीजक के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	रकम	
	सं.	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8

7. सारणी 6 में वर्णित प्रदायों से भिन्न अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय प्रदाय (शुद्ध नामे नोट और जमापत्र)

कर की दर	कुल कराधेय मूल्य	रकम			
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
7अ. अंतःराज्यिक प्रदाय (एकीकृत, दर वार)					
7आ. अंतरराज्यिक प्रदाय जहां बीजक का मूल्य 2.5 लाख रुपए तक हैं (दर वार)					
प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)					

8. सारणी 5 और सारणी 6 में पूर्ववर्ती दर अवधियों के लिए विवरणियों में दिए गए कराधेय जावक प्रदायों के ब्यौरों का संशोधन [जिसके अंतर्गत नामेनोट/जमापत्र और उनके संशोधन भी है]

मूल दस्तावेज के ब्यौरे			दस्तावेज के पुनरीक्षित ब्यौरे या मूल नामेनोट/जमापत्र के ब्यौरे				दर	कराधेय मूल्य	रकम				**प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)**
जीएसटी आईएन	सं.	तारीख	जीएसटी आईएन	सं.	तारीख	मूल्य			एकीकृत रकम	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8अ. यदि पहले दिए गए बीजक ब्यौरे गलत थे													
8आ. नामेनोट/जमापत्र [मूल)]													
8इ. नामेनोट/जमापत्र [पूर्ववर्ती टैक्स कर अवधियों में दिए गए नामेनोट/जमापत्रों का संशोधन]													

9. सारणी 7 में पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए दिए गए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय जावक प्रदायों का संशोधन

कर की दर	कुल कराधेय मूल्य	रकम			
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
कर अवधि जिसके लिए ब्यौरों को पुनरीक्षित किया जाना है					
9अ. अंतःराज्यिक प्रदाय [दर वार]					
9आ. अंतरराज्यिक प्रदाय [दर वार]					
प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)					

10. कुल कर दायित्व

कर की दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम			
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
10अ. जावक प्रदाय के मद्दे					
10आ. सारणी 4 में नकारात्मक होने के कारण अंतरीय आईटीसी के मद्दे					

11. संदेय और संदत्त कर

विवरण	संदेय कर	नकद में संदाय	आईटीसी के माध्यम से संदाय		संदत्त कर
			एकीकृत कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6
(क) एकीकृत कर					
(ख) केन्द्रीय कर					
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
(घ) उपकर					

12. संदेय और संदत्त ब्याज, विलंब फीस और कोई अन्य रकम

विवरण	संदेय रकम	संदत्त रकम
1	2	3
(I) ब्याज के मद्दे		

(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		
(घ) उपकर		
(II) विलंब फीस के मद्दे		
(क) केन्द्रीय कर		
(ख) राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर		

13. इलैक्ट्रानिक जमा खाते से दावा किया गया प्रतिदाय

विवरण	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	विकलन प्रविष्टि सं.
1	2	3	4	5	6	7
(क) एकीकृत कर						
(ख) केन्द्रीय कर						
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
(घ) उपकर						
बैंक खाते के ब्यौरे (नीचे दें)						

14. कर/ब्याज संदाय के लिए इलैक्ट्रानिक नकद/जमाखाते में विकलन प्रविष्टियां [कर का संदाय करने और विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात् बनाया गया]

विवरण	नकद में संदत्त कर	आईटीसी के माध्यम से संदत्त कर		ब्याज	विलंब शुल्क
		एकीकृत कर	उपकर		
1	2	3	4	5	6
(क) एकीकृत कर					
(ख) केन्द्रीय कर					
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
(घ) उपकर					

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर ....

स्थान ....

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ....

तारीख …………….

पदनाम/प्रास्थिति...

अनुदेश **:-**

1. प्रयुक्त किए गए पद:

(क) जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या

(ख) यूआईएन : विशिष्ट पहचान संख्या

(ग) यूक्यूसी : इकाई मात्रा कोड

(घ) एचएसएन : नामपद्धिति सामंजस्यपूर्ण प्रणाली

(ङ) पी ओ एस : प्रदाय का स्थान (संबंधित राज्य)

(च) बी से बी : एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को

(छ) बी से सी : रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को

2. जीएसटी आर-5 अनिवासी कराधेय व्यक्ति को लागू होगा और यह मासिक विवरणी है ।

3. जीएसटी आर-5 में की विवरणियां सुसंगत कर अवधि के उत्तरवर्ती मास की 20 तारीख तक या रजिस्ट्रीकरण की अंतिम तारीख से सात दिन के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, दी जानी होगी ।

4. सारणी-3 में माल के आयात के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे और करदाता को माल के ऐसे आयात पर उपयुक्त आईटीसी की रकम विनिर्दिष्ट करनी होगी ।

5. प्राप्तिकर्ता को छह अंकीय पत्तन कोड सहित प्रवेशपत्र और सात अंकीय प्रवेशपत्र संख्यांक देनी होगी ।

6. सारणी 4 में ऐसे माल के आयात का संशोधन अंतर्विष्ट होगा जिन्हें पूर्ववर्ती कर अवधि की विवरणियों में घोषित किया गया है ।

7. माल और सेवाओं के लिए पृथक् रूप से कर अवधि संबंधित बीजक स्तरीय सूचना दर वार निम्नलिखित रूप में रिपोर्ट की जाएगी :

   i. सभी बी से बी प्रदायों के लिए (चाहे अंतरराज्यिक हो या अंतःराज्यीय), बीजक स्तरीय ब्यौरे सारणी 5 में अपलोड किए जाएंगे ;

   ii. सभी अंतरराज्यिक बी से सी प्रदायों के लिए, जहां बीजक मूल्य रु. 2,50,000/- से अधिक है (बी से सी अधिक है) बीजक स्तरीय ब्यौरे सारणी 6 में दिए जाएंगे ; और

   iii. सभी बी से सी प्रदायों के लिए (चाहे अंतरराज्यिक हो या अंतःराज्यीय) जहां बीजक मूल्य रु. 2,50,000/- प्रदायों का राज्य वार सारांश सारणी 7 में फाइल किया जाएगा ।

8. सारणी 8 में निम्नलिखित के संबंध में संशोधनों के रूप में होगी -

   i. पूर्ववर्ती कर की अवधि में घोषित बी से बी जावक प्रदाय ;

ii. पूर्ववर्ती कर अवधि में रिपोर्ट किए गए बी से सी अंतरराज्यिक बीजक, जहां बीजक मूल्य 2.5 लाख रु. से अधिक है ; और

iii. मूल नामेनोट और जमापत्र और उसके संशोधन ।

9. सारणी 9 के अंतर्गत अंतरराज्यिक प्रदायों से भिन्न बी से सी जावक प्रदायों के संबंध में संशोधन होंगे जहां बीजक मूल्य रु. 250000/- से अधिक है ।

10. सारणी 10 चालू कर अवधि में घोषित जावक प्रदायों के मद्दे और चालू कर अवधि में माल के आयात में संशोधन के मद्दे नकारात्मक आईटीसी कर दायित्व के रूप में होगी ।

जीएसटीआर 5 प्रस्तुत करने पर सिस्टम कर दायित्व की संगणना करेगा और आईटीसी उसे संबंधित खाते में पोस्ट करेगा ।

प्ररूप जीएसटी आर-5क

(नियम 64 देखिए)

ऑनलाइन जानकारी और डाटा बेस अभिगामन का प्रदाय या भारत में और कराधेय व्यक्ति से भारत से बाहर अवस्थित व्यक्ति द्वारा पुन: प्राप्ति सेवाओं के ब्यौरे

1. प्रदायकर्ता का जी एस०टी०आई०एन -

2. (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम-
   (ख) व्यापार का नाम, यदि कोई हो -

3. विवरणी फाइल करने वाले भारत के प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम –

4. अवधि: मास - वर्ष -

5. भारत में उपभोक्ताओं से की गई प्रदाय का कराधेय जावक

(रकम, रुपए में)

प्रदाय का स्थान (रकम/संघ राज्यक्षेत्र)	कर का दर	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5

5क. भारत में गैर कराधेय व्यक्तियों से कराधेय जावक प्रदाय का संशोधन

(रकम, राज्य में)

मास	प्रदाय का स्थान (रकम/संघराज्यक्षेत्र)	कर का दर	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

6. ब्याज, शास्ति या किसी अन्य रकम की संगणना

क्र०. स०.	विवरण	शोध्य कर की रकम	
		एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4
1.	ब्याज		
2.	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		

7. कर, ब्याज, देर से फीस और संदेय और सदत्त कोई अन्य रकम

क्र०. सं०.	विवरण	संदेय रकम		विकलन प्रविष्टि सं०	संदत्त रकम	
		एकीकृत कर	उपकर		एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
1.	कर उत्तरदामित्व (सारणी 5 और 5क पर आधारित)					
2.	ब्याज (सारणी 6 पर आधारित)					
3.	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)					

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इस प्रकार में कोई बात छुपाई नहीं गई है।

हस्ताक्षर

स्थान ....

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

तारीख

पदनाम /प्रास्थिति

प्ररूप जीएसटी आर-6

[नियम 65 देखें]

निवेश सेवा वितरक के लिए विवरणी

वर्ष				
मास				

1.	जीएसटीआईएन		
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	
	(ख)	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	

3. वितरण के लिए प्राप्त निवेश कर मुजरा

(सभी सारणी के लिए रकम रु० में)

प्रदायकर्ता का जी एस टी आई एन	बीजक व्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	कर का रकम			
	सं०	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. कर अवधि के लिए वितरित कुल आई टी सी/पत्र आई टी सी/अपात्र आई टी सी (सारणी सं०**3** से)

विवरण	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5
(क) वितरण के लिए उपलब्ध कुल आई टी सी				
(ख) पात्र आई टी सी० एच० बी० रकम				
(ग) अपात्र आई टी सी की रकम				

5. सारणी **4** में दिए गए निवेश कर मुजरा का वितरण

यदि प्राप्तिकर्ता अरजिस्ट्रीकृत हो तो प्राप्तिकर्ता/राज्य का जी एस टी आई एन	आई एस डी बीजक		आई एस डी द्वारा आई टी सी का वितरण			
	सं०	तारीख	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
5क. पात्र आई सी टी की रकम का वितरण						
5ख. अपात्र आई सी टी की रकम का वितरण						

6. सारणी सं०**3** में पूर्वतर विवरणियों में दी गई जानकारी में संशोधन

आरंभिक ब्यौरे			पुनरीक्षित ब्यौरे									
प्रदायकर्ता का जी एस टी आई एन	सं०	तारीख	प्रदायकर्ता का जी एस टी आई एन	बीजक/नामे नोट/जमापत्र के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	कर का रकम			
				सं०	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6क. किसी पूर्वतर अवधि में सारणी 3 में दी गई गलत जानकारी												
6ख. नामे नोट/प्राप्त जमापत्र [आरंभिक]												
6ग. नामे नोट/जमापत्र [संशोधन]												

7. कर अवधि में वितरित निवेश मुजरा बेमेल और सुधार

विवरण	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उपकर
1	2	3	4	5
7क. निवेश कर मुजरा बेमेल				
7ख. बेमेल के सुधार पर सुधार किए गए निवेश कर मुजरा				

8. सारणी सं० **6** और **7** में दिए गए (**+/-**) निवेश कर मुजरा का वितरण

जी एस टी आई एन प्राप्त कर्ता का	आई एस डी मुजरा सं०		आई एस डी बीजक		निवेश का वितरण आई एस डी द्वारा			
	सं०	तारीख	सं०	तारीख	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8क. पत्र आई टी सी की रकम का वितरण								
8ख. अपत्र आई टी सी की रकम का वितरण								

9. गलत प्राप्तिकर्ता को वितरित आई टी सी का पुन:वितरण

आरंभिक निवेश बीजक ब्यौरा					सही प्राप्तिकर्ता को निवेश कर मुजरा का पुन:वितरण						
आरंभिक प्राप्तिकर्ता का जी	आई एस डी बीजक ब्यौरा		आई एस डी जमापत्र		नया प्राप्तिकर्ता का जी	आई एस डी बीजक		पुन:वितरित निवेश कर मुजरा			
	सं०	तारीख	सं०	तारीख		सं०	तारीख	एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य	उपकर

एस टी आई एन					एस टी आई एन			कर	कर	कर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9क. पात्र आई टी सी की रकम का वितरण											
9ख. अपात्र आई टी सी की रकम का वितरण											

10. देर से फीस

मद्दे	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	नाम प्रविर्ष्टि सं०
1	2	3	4
देर से फीस			

11. इलेक्ट्रोनिक नकद खाता से दावा किया गया प्रतिदाय

विवरण	फीस	अन्य	नामे प्रविष्टि सं०
1	2	3	4
(क) केन्द्रीय कर			
(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर			
बैंक खाते का ब्यौरे (नीचे उतरना)			

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इस प्रकार में कोई बात छुपाई नहीं गई है।

हस्ताक्षर

स्थान ………………………

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

तारीख

पदनाम /प्रास्थिति

अनुदेश **:-**

1. प्रयुक्त शब्द :-

   (क) जी एस टी आई एन :- माल और सेवा कर पहचान संख्या

   (ख) आई एस डी :- इनपुट सेवा वितरक

   (ग) आई टी सी - इनपुट कर प्रत्यय

2. जी एस टी आर-6 उत्तरवर्ती कर अवधि के केवल 10 मास पश्चात् और 13 मास पहले जी एस टी आर-6 फाइल की जा सकती है ।
3. आई एस डी ब्यौरे जी एस टी आर-6 के फाइल किए जाने पर रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ता यूनिट को जी एस टी आर-2क के भाग ख के अनुसार आई एस डी ब्यौरे देने होंगे ।
4. आई एस डी में कोई प्रदाय रद्दकरण प्रभार नहीं देना होगा । यदि आई एस डी प्रदाय रद्दकरण प्रभार लेना चाहता है । तो आई एस डी उस दशा में आई एस डी को सामान्य कर दाता के रूप में अलग से रजिस्टर कराना होगा ।
5. आई एस डी केवल लेट फीस देना होगा और कोई दायित्व नहीं
6. आई एस डी उसी कर अवधि में, जिसमें भावक वितरण प्राप्त किया जाना है अपनी यूनिट से पात्र और अपात्र आई टी सी दोनों की वितरण किया है ।
7. अपात्र आई टी सी की प्रदाय धारा 17(5) के अनुसार की जाएगी ।
8. जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-6 के बीच बेमेल उत्तरदायी को आई एस डी से जोड़ना होगा और आगे आइ एस डी क्ररदाता को अपने अपने रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ता से पूर्वतर वितरित आई टी सी से कम करके आई एस डी जमापत्र जारी करना होगा ।
9. बेमेल उत्तरदायी की बाबत सारणी 7 में पद्धति द्वारा आवदित होगा ।
10. सारणी 11 के माध्यम से नकद खाता से दावाकृत विवरण इलैक्ट्रानिक नकद खाता में एक ऋण प्रविष्टि का परिणाम होगा ।

प्ररूप जीएसटी आर -6क

[नियम 59(3) और 65 देखें]

प्रदाय के स्वत:प्रारूपित प्ररूप के ब्यौरे *(स्वत:प्रारूपित से जीएसटी आर-1)*

वर्ष				
मास				

1.	जीएसटीआईएन		
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	
	(ख)	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	

3. वितरण के लिए प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय

(सभी सारणी के लिए रकम रु० में)

प्रदायकर्ता का जी एस टी आई एन	बीजक ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम			
	सं०	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. नामे नोट/जमापत्र (जिसके अन्तर्गत उसका संसोधन भी है) चालू कर अवधि के दौरान प्राप्त

आरंभिक दस्तावेज के ब्यौरे			दस्तावेज के प्राप्त ब्यौरे या नामे नोट/जमापत्र के ब्यौरे									
प्रदायकर्ता का जी एस टी आई एन	सं०	तारीख	प्रदायकर्ता का जी एस टी आई एन	सं०	तारीख	मूल्य	दर	कराधेय कर	कर की रकम			
									एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्ररूप जीएसटी आर -7

[नियम 66(1) देखें]

स्त्रोत पर काटे गए कर की विवरणी

वर्ष				
मास				

1.	जीएसटीआईएन	
2.	(क) कटौतीकर्ता का विधिक नाम	Auto Populated
	(ख) व्यापार का नाम, यदि कोई हो	Auto Populated

3. स्त्रोत पर काटे गए कर के ब्यौरे

(सभी सारणी के लिए रकम रु० में)

जिसकी कटौती की गई है का जी एस टी आई एन	जिसकी कटौती की गई है की संदत्त रकम जिससे कर काटा गया है।	स्त्रोत पर काटा गया कर की रकम		
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5

4. किसी पूर्वतर कर अवधि की बाबत स्त्रोत पर काटे गए कर के ब्यौरे का संशोधन

आरंभिक ब्यौरे			पुनरीक्षित ब्यौरे				
मास	जिसकी कटौती की गई है का जी एस टी आई एन	जिसकी कटौती की गई है की संदत्त रकम जिससे कर काटा गया है	जिसकी कटौती की गई है का जी एस टी आई एन	जिसकी कटौती की गई है का जी एस टी आई एन	स्त्रोत पर काटा गया कर की रकम		
					एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8

5. स्त्रोत और संदत्त पर कर कटौती

विवरण	कर कटौती की रकम	संदत्त रकम
1	2	3
(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

6. संदेय और संदत्त ब्याज, देर से फीस

विवरण	कर कटौती की रकम	संदत्त रकम
1	2	3
(I) निम्नलिखित की बाबत टी डी एस के मद्दे		
(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		
(II) देर से फीस		
(क) केन्द्रीय कर		
(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

7. इलैक्ट्रानिक नकद खाता में दावाकृत विवरणी

विवरण	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	नामे प्रविष्टि सं०
1	2	3	4	5	6	7
(क) एकीकृत कर						
(ख) केन्द्रीय कर						
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
बैंक खाते का ब्यौरे (नीचे करें)						

8. टीडीएस/ब्याज संदाय के लिए इलैक्ट्रानिकी नकद खाते में नामे प्रविष्टियां [कर संदाय और विवरणी जमा करने के पश्चात् भरा जाए]

विवरण	नकद में कर संदाय	ब्याज	देर से फीस
1	2	3	4
(क) एकीकृत कर			
(ख) केन्द्रीय कर			
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर			

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इस प्रकार में कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

स्थान   प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर............................

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

तारीख   पदनाम /प्रास्थिति

अनुदेश **:-**

1. प्रयुक्त शब्द :-

   (क) जी एस टी आई एन : माल और सेवा कर पहचान संख्या

   (ख) टीडीएस :- स्रोत पर कर कटौती

2. कर कटौती के ब्यौरे को अभिग्रहण करने के लिए सारणी 3 ।
3. सारणी 4 पूर्व कर अवधियों में उपबंधित सूचना के संशोधन को अंतर्विष्ट करेगा ।
4. दायित्व के पूर्ण संदेय के बिना विवरणी फाइल नहीं की जा सकती ।

प्ररूप जीएसटी आर-7क
(नियम 66(3) देखें)
स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र

1. टीडीएस प्रमाणपत्र सं0 -
2. कटौतीकर्ता का जीएसटीआईएन-
3. कटौतीकर्ता का नाम-
4. जिसकी कटौती की गई है का जीएसटीआईएन-
5. (क) जिसकी कटौती की गई है का विधिक नाम
   (ख) व्यापार का नाम, यदि कोई है-
6. कर अवधि जिसमें जीएसटी आर-7 में के लिए लेखा और कर कटौती--
7. कर कटौती की प्रदाय रकम का ब्यौरा—

मूल्य जिस पर कर कटौती है	स्रोत पर कर कटौती की रकम (रुपए में)		
	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
कार्यालय

प्ररुप जीएसटी आर-8

*[**नियम** 67(1) **देखें**]*

स्रोत पर कर संग्रहण के लिए विवरण

वर्ष				
मास				

1.	जीएसटीआईएन		
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	Auto Populated
	(ख)	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	Auto Populated

3.ई-कामर्स आपरेटर के माध्यम से की गई प्रदाय के ब्यौरे

(सभी सारणी के लिए रकम रुपए में)

प्रदायकर्ता का जीएसटी आईएन	संबंधित टीसीएस से की गई प्रदाय के ब्यौरे			स्रोत पर संग्रहीत कर की रकम		
	की गई प्रदाय का सकल मूल्य	प्रदाय वापसी का मूल्य	टीसीएस के लिए दायी निवल रकम	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7
3क. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से की गई प्रदाय						
3ख. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से की गई प्रदाय						

4.किसी पूर्वतर विवरण की बाबत प्रदाय के ब्यौरे का संशोधन

आरंभिक ब्यौरे		पुनरीक्षित ब्यौरे						
मास	प्रदायकर्ता का जीएसटी आईएन	प्रदायकर्ता का जीएसटी आईएन	आकृषित टीसीएस से की गई प्रदाय के ब्यौरे			स्रोत पर संग्रहीत कर की रकम		
			की गई प्रदाय का सकल मूल्य	प्रदाय वापसी का मूल्य	टीसीएस के लिए दायी निवल रकम	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4क. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से की गई प्रदाय								
4ख. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से की गई प्रदाय								

5. ब्याज के ब्यौरे

मद्दे	व्यतिक्रम में रकम	ब्याज की रकम		
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5
टीसीएस रकम का देर से संदाय				

6. संदेय और संदत्त कर

विवरण	संदाय कर	संदत्त रकम
1	2	3
एकीकृत कर		
केन्द्रीय कर		
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

7. संदेय और संदत्त ब्याज

विवरण	संदाय ब्याज की रकम	संदत्त रकम
1	2	3
(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

8. इलैक्ट्रोनिक नकद खाता से दावाकृत प्रतिदाय

विवरण	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	नामे प्रविष्टि संख्या
1	2	3	4	5	6
(क) एकीकृत कर					
(ख) केन्द्रीय कर					
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
बैंक खाते के ब्यौरे (नीचे करें)					

9. संदेय टीसीएस 1 ब्याज के लिए नकद खाता में विद्यमान प्रविष्टि [कर के संदाय और विवरणी को प्रस्तुत करने के पश्चात वासित किया जाए]

विवरण	नकद में संदत्त कर	ब्याज
1	2	3
(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और या घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर ....

स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ....

तारीख: पदनाम/प्रास्थिति

....

अनुदेश: -

1. प्रयुक्त शब्द: -

(क) जीएसटीआईएन :- माल और सेवा कर पहचान संख्यांक

(ख) टीसीएस :- स्रोत पर संग्रहीत

2. कोई ई-कॉमर्स ऑपरेटर केवल तब जीएसटी आर-8 फाइल कर सकेगा जब पूरा टी सी एस दायित्व निर्वहन कर लिया हो ।

3. टी सी एस दायित्व का सारणी 3 और सारणी 4 के आधार पर संगठित की जाएगी।

4. इलैक्ट्रॉनिक नगद खाता से केवल तभी प्रतिदाय का दावा किया जा सकता है जब उस अवधि के लिए सभी टीसीएस उन्मोदित किया गया हो।

5. उक्त खाता से दावाकृत प्रतिदाय के लिए नगद खाता से विकलित की जाएगी।

6. स्रोत पर संग्रहीत कर की रकम जीएसटी आर-8 के फाइल किए जाने पर कर दाता के जीएसटी आर-2क के भाग ग से अनुसरण किया जाएगा।

7. प्रदायकर्ता जीएसटीआर-1 से ब्यौरे का मिलान प्रदायकर्ता के जीएसटीआईएन के स्तर पर किया जाएगा।

प्ररुप जीएसटीआर -11

[नियम 82 देखें]

विशिष्टि पहचान संख्यांक (यूआईएन) वाले व्यक्तियों द्वारा प्रदाय आवक का विवरण

वर्ष				
माह				

1	यू एन आई																
2.	यू एन आई वाले व्यक्ति का नाम	Auto populated															

3. प्राप्त प्रदाय आवक के ब्यौरे

(सभी सारणी के लिए रकम रुपए में)

प्रदायकर्ता का जीएसटी आईएन	बीजक /नामे नोट/जमापत्र के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम			
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3क. प्राप्त बीजक									
3ख. प्राप्त नामे नोट/जमापत्र									

4. प्रतिदाय रकम

एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4
बैंक खाते के ब्यौरे (नीचे करें)			

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और या घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर ....

स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ....

तारीख: पदनाम/प्रास्थिति ....

अनुदेश: -

1. **प्रयुक्त शब्द: -**

(क) जीएसटीआई एन: - माल और सेवा कर पहचान संख्यांक

(ख) यूआईएन :- विशिष्ट पहचान संख्यांक

2. यूआईएन धारक को त्रैमासिक आधार पर प्रतिदाय दावा करने के लिए जीएसटी आर-11 फाइल करना होगा या अन्यथा जब कभी आवश्यक के समुचित अधिकारी द्वारा फाइल करना होगा।

3. जीएसटीआईआर-11 की सारणी 3 जीएसटीआर-1 से आबंटित होगा।

4. यू आई एन धारक को जीएसटी आर-11 में किन्हीं ब्यौरों को जोड़ने या उपांतरण करने की अनुमति नहीं होगी।

प्ररूप जीएसटी पीसीटी - 1

[नियम 83(1) देखें]

माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकन के लिए आवेदन

भाग - अ

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र - ▽ जिला - ▽

(i)	माल और सेवा कर व्यवसायी का नाम (स्थायी खाता संख्या में यथा उल्लेखित)	
(ii)	स्थायी खाता संख्या	
(iii)	ई-मेल पता	
(iv)	मोबाइल नं.	

टिप्पण - उपरोक्त दी गई सूचना भाग - आ को भरने की कार्रवाई से पहले ऑनलाइन सत्यापन के अध्यधीन है ।

भाग - आ

1.	नामांकन प्राधिकारी	केन्द्र ☐ राज्य ☐
2.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	
3.	आवेदन की तारीख	
4	नामांकन की मांग करने वाले :	(1) सी ओ पी धारित चार्टेड अकाउन्टेंट (2) सी ओ पी धारित कंपनी सचिव (3) सी ओ पी धारित लागत और प्रबंधन अकाउन्टेंट (4) अधिवक्ता (5) वाणिज्य में स्नातक या परास्नातक डिग्री (6) बैंकिंग में स्नातक या परास्नातक डिग्री (7) कारबार प्रशासन में स्नातक या परास्नातक डिग्री (8) कारबार प्रबंधन में स्नातक या परास्नातक डिग्री (9) किसी विदेशी विश्वविद्यालय की परीक्षा की डिग्री (10) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारीगण
5.	सदस्यता संख्या	

5.1	सदस्यता का प्रकार (नीचे करने पर चुने गए संस्थान पर आधार में परिवर्तन होगा ।	
5.2	नामांकन/सदस्यता की तारीख	
5.3	सदस्यता की विधिमान्यता अवधि	
6	बार में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता (बार काउंसिल का नाम)	
6.1	बार द्वारा दी गई रजिस्ट्रीकण संख्या	
6.2	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
6.3	तक विधिमान्य	
7	सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारीगण	केन्द्रीय/राज्य सरकार से सेवानिवृत्त
7.1	सेवानिवृत्ति की तारीख	
7.2	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद का पदनाम	ए जी कार्यालय द्वारा जारी किए गए पेंशन प्रमाणपत्र की या सेवानिवृत्त का साक्ष्य देने वाला किसी अन्य दस्तावेज की स्कैन प्रति
8.	आवेदन का ब्यौरा	
8.1	स्थायी खाता संख्या के अनुसार पूरा नाम	
8.2	पिता का नाम	
8.3	जन्म की तारीख	
8.4	फोटो	
8.5	लिंग	
8.6	आधार	<वैकल्पिक>
8.7	स्थायी खाता संख्या	< भाग अ से पूर्व में भरा हुआ>
8.8	मोबाइल नं.	<भाग अ से पूर्व में भरा हुआ >
8.9	लैंडलाइन नं.	
8.10	ई-मेल पता	< भाग अ से पूर्व में भरा हुआ >
9.	वृत्तिक पता	(कोई तीन आवश्यक होंगे)
9.1	भवन सं./फ्लैट सं./द्वार सं.	
9.2	तल सं.	
9.3	परिसर/भवन का नाम	
9.4	सड़क/मार्ग लेन	
9.5	परिक्षेत्र/क्षेत्र/ग्राम	

<table>
<tr><td>9.6</td><td>जिला</td><td></td></tr>
<tr><td>9.7</td><td>राज्य</td><td></td></tr>
<tr><td>9.8</td><td>पिन कोड</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>योग्यता के ब्यौरे</td><td></td></tr>
<tr><td>10.1</td><td>अर्हक डिग्री</td><td></td></tr>
<tr><td>10.2</td><td>विश्वविद्यालय/संस्थान की मान्यता</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">सहमति
मैं, आधार सं. <प्ररूप में उपबंधित आधार सं. पर आधारित पूर्व में भरा हुआ> में धारक की ओर से प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए यू आई डी ए आई से मेरा ब्यौरे प्राप्त करने की "माल और सेवा कर नेटवर्क" को सहमति देता हूं। "माल और सेवा कर नेटवर्क" ने मुझे सूचित किया है कि पहचान सूचना का उपयोग केवल आधार धारक की पहचान की विधिमान्यता के लिए किया जाएगा और केवल प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय पहचान आंकड़ा कोष के साथ साझा किया जाएगा।

सत्यापन
मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।</td></tr>
<tr><td></td><td>स्थान</td><td><डीएससी आवेदनक के ई-हस्ताक्षर/ईवीसी></td></tr>
<tr><td></td><td>तारीख</td><td><आवेदक का नाम></td></tr>
</table>

अभिस्वीकृति

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) -

आपने सफलतापूर्वक आवेदन भर दिया है:

जीएसटीआईएन, यदि उपलब्ध है:

विधिक नाम:

प्ररूप सं. :

प्ररूप विवरण:

फाइल करने की तारीख:

फाइल करने का समय:

केन्द्रीय अधिकारिता:

राज्य अधिकारिता:

जिसके द्वारा फाइल किया गया:

अस्थायी संदर्भ संख्या, (टीआरएन) यदि कोई है:

स्थान:

यह एक संयत्र जनित अभिस्वीकृति है और जिस पर कोई हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है ।

टिप्पण - आवेदन की प्रास्थिति को जीएसटी पोर्टल पर डेस बोर्ड पर "आवेदन प्रास्थिति खोज" के माध्यम से देखा जा सकेगा।

प्ररूप जीएसटी पीसटी - 02

[नियम 83(2) देखें]

माल और सेवा कर व्यवसायी का नामांकन प्रमाणपत्र

1.	नामांकन संख्या	
2.	स्थायी खाता संख्या	
3.	माल और सेवा कर व्यवसायी का नाम	
4.	पता और संपर्क सूचना	
5.	जीएसटीपी के अनुसार नामांकन की तारीख	
तारीख		नामांकन प्राधिकारी का नाम
नाम और पदनाम		
		केन्द्र/राज्य

प्ररूप जीएसटी पीसटी - 03

[नियम 83(4) देखें]

संदर्भ सं. तारीख

सेवा में,

नाम

आवेदक का पता

जीएसटी व्यवसायी की नामांकन सं.

निरर्हता के लिए कारण बताओ सूचना

यह मेरी अवेक्षा में आया है कि आप अवचार के दोषी हैं, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है -

1.

2.

इसलिए आपको कारण बताओ सूचना दी जाती है कि उपरोक्त कथित कारणों के लिए क्यों नहीं आपको प्रदान किया गया नामांकन प्रमाणपत्र नामंजूर कर दिया जाए। आपसे निवेदन है कि अपना जवाब इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से <15> दिनों के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को भेज दें।

☐ (तारीख)…………. (समय)……… पर अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर हों।

यदि आप नियत तारीख के अन्दर उत्तर देने में असफल रहते हों या नियत तारीख और समय पर वयैक्तिक सुनवाई हेतु हाजिर होने में असफल रहते हों, मामले का उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर तथा गुणागुण अनुसार एक पक्षीय रूप से विनिश्चय कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर

नाम

(पदनाम)

प्ररूप जीएसटी पीसटी - 04

[नियम 83(4) देखें]

संदर्भ सं. तारीख-

सेवा में

नाम

पता

नामांकन सं.

जीएसटी व्यवसायी के रूप में नामांकन की नामंजूरी का आदेश

यह, कारण बताओ सूचना ------तारीख के जवाब में आपके उत्तर ---------तारीख के संदर्भ में है।

☐ जहां कारण बताओ सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया गया है; या

☐ जहां आप नियत तारीख पर सुनवाई हेतु हाजिर नहीं हुए हैं; या

☐ जहां अद्योहस्ताक्षरी ने सुनवाई के समय आपके उत्तर के निवेदनों का निरीक्षण कर लिया है और उनकी यह राय है कि निम्नलिखित कारणों से आपका नामांकन रद्द किए जाने का दायी है।

1.

2.

आपके नामांकन रद्दकरण की प्रभावी तारीख --------------- <<दिन/मास/वर्ष >> है।

हस्ताक्षर

नाम

(पदनाम)

प्ररूप जीएसटी पीसीटी - 05

[नियम 83(6) देखें]

माल और सेवा कर व्यवसायी के प्राधिकरण/प्राधिकरण का वापस लिया जाना

सेवा में
प्राधिकृत अधिकारी
केन्द्रीय कर/राज्य कर।

भाग - अ

महोदय/महोदया

मैं/हम(स्वत्वधारी का नाम, /सभी साझीदार/कर्ता प्रबंधन निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंधन समिति के सदस्य/न्यासियों का बोर्ड आदि) -

1. *सत्यनिष्ठापूर्वक प्राधिकृत करते हैं,
2. *<<जीएसटीआईएन>> सम्बन्धित.............(विधिक नाम) की ओर से निम्नलिखित गतिविधियों को करने के लिए धारा 48 के साथ पठित नियम 83 के प्रयोजन के लिए नामांकन.......... से सम्बन्धित............ (माल और सेवा कर व्यवसायी का नाम)............का प्राधिकरण वापस लेते हैं।

क्र. सं.	गतिविधियों की सूची	जांच बॉक्स
1.	जावक और आवक प्रदायों का ब्यौरा प्रस्तुत करना	
2.	मासिक, तिमाही, वार्षिक या अंतिम विवरणी प्रस्तुत करना	
3.	इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में प्रत्यय के लिए निक्षेप करना	
4.	दावे या प्रतिदाय के लिए कोई आवेदन फाइल करना	
5.	रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए कोई आवेदन फाइल करना	

2. ....(माल और सेवा कर व्यवसायी का नाम) की सहमति इसके साथ संलग्न है।*

**जो भी लागू न हो उसे काट दें।*

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

तारीख

स्थान

<u>भाग - आ</u>

माल और सेवा कर व्यवसायी की सहमति

मैं <<माल और सेवा कर व्यवसायी का नाम>> <नामांकन संख्या> केवल जी एस टी आई एन.............(विधिक नाम).....................द्वारा विनिर्दिष्ट गतिविधियों की बाबत जी एस टी आई एन..............(विधिक नाम)..............की ओर से माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में कार्य करने की सत्यनिष्ठापूर्वक सहमित प्रदान करता हूं।

हस्ताक्षर

नाम

तारीख

नामांकन सं.

सितम्बर की विवरणी के फाइल करने के पश्चात् मिलान का परिणाम (20 अक्तूबर तक फाइल किया जाना चाहिए)

		प्रवेश पत्र सं/बीजक/नामेपत्र/जमापत्र			**आई टी सी/निर्गम दायित्व**				**ब्याज**			
		तारीख	**संख्या**	**कराधेय मूल्य**	**एकीकृत**	**केन्द्रीय**	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**उपकर**	**एकीकृत**	**केन्द्रीय**	**राज्य**	**उपकर**
अ.	**अन्तिम रूप से स्वीकृत निवेश कर प्रत्यय**											
अ.1	***सितम्बर माह के उन बीजकों, नामे और जमापत्रों का ब्यौरा, जिनका मिलान किया गया है***											
1	सितम्बर								शून्य			
2	सितम्बर								शून्य			
अ.2	***अगस्त माह के उन बीजकों, नामे और जमापत्रों का ब्यौरा, जो 20 सितम्बर तक फाइल की गई अगस्त माह की विवरणी से बेमेल पाया गया है लेकिन जिसकी 20 अक्तूबर तक फाइल की गई सितम्बर माह की विवरणी में परिशुद्धी कर ली गई थी***											
1	अगस्त								शून्य			
2	अगस्त								शून्य			
अ.3	***जुलाई माह और उससे पहले माह, लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अप्रैल से पूर्व नहीं, के उन बीजकों, नामे और जमापत्रों का ब्यौरा, जो संदेय हो गया है लेकिन युग्मकप्रदायकर्ता/प्रासकर्ता ने 20 अक्तूबर तक फाइल की गई सितम्बर माह तक अपनी विवरणी में तत्सम्बन्धी दस्तावेजों का ब्यौरा शामिल कर लिया है और इसके सुधार को ब्याज के प्रतिदाय के साथ अनुज्ञात किया गया है***											
1	माह								प्रतिदाय			
2	माह								प्रतिदाय			
आ. 2	अक्तूबर तक फाइल की गई विवरणी में दायित्व की वृद्धि की ओर अग्रसर होने वाले बेमेल/अनुप्रतियां											
आ.1	***जुलाई माह के उन बीजकों, नामे और जमापत्रों का ब्यौरा, जो 20 अगस्त तक फाइल की गई जुलाई माह की विवरणी में बेमेल पाए गए हैं लेकिन बेमेल को 20 सितम्बर तक फाइल की गई अगस्त माह की विवरणी में परिशुद्ध नहीं किया था और जो 20 अक्तूबर तक फाइल की जाने वाली सितम्बर माह की विवरणी में संदेय हो गया है***											
1	जुलाई								दो माह			
2	जुलाई								दो माह			
आ.2	***अगस्त माह के उन बीजकों, नामे और जमापत्रों का ब्यौरा, जो अनुकृति के रूप में पाए गए हैं और जो 20 अक्तूबर तक फाइल की जाने वाली सितम्बर माह की विवरणी में संदेय हो गया है***											
1	अगस्त								एक माह			

2	अगस्त								एक माह			

आ.3 ***अगस्त माह के उन बीजकों, नामे और जमापत्रों का ब्यौरा, जहां धारा 42/43 के अतिक्रमण में किया गया सुधार प्रतिवर्तन था और जो 20 अक्तूबर तक फाइल की जाने वाली सितम्बर माह की विवरणी में संदेय हो गया है***

1	अगस्त								एक माह-उच्च			
2	अगस्त								एक माह-उच्च			

इ. 20 नवम्बर तक फाइल की जाने वाली अक्तूबर की विवरणी में दायित्व की वृद्धि की ओर अग्रसर करने वाले बेमेल/अनुप्रतियां

इ.1 ***अगस्त माह के उन बीजकों, नामे और जमापत्रों का ब्यौरा, जो 20 सितम्बर तक फाइल की गई अगस्त माह की विवरणी में बेमेल पाए गए हैं लेकिन बेमेल को 20 अक्तूबर तक फाइल की गई सितम्बर माह की विवरणी में परिशुद्ध नहीं किया गया था और जो 20 नवम्बर तक फाइल की जाने वाली अक्तूबर माह की विवरणी में संदेय होगा***

1	अगस्त								दो माह			
2	अगस्त								दो माह			

इ.2 ***सितम्बर माह के उन बीजकों, नामे और जमापत्रों का ब्यौरा, जो अनुकृति के रूप में पाए गए हैं और जो 20 नवम्बर तक फाइल की जाने वाली अक्तूबर माह की विवरणी में संदेय होंगे***

1	सितम्बर								एक माह			
2	सितम्बर								एक माह			

इ.3 ***सितम्बर माह के उन बीजकों, नामे और जमापत्रों का ब्यौरा, जहां धारा 42/43 के अतिक्रमण में किया गया सुधार प्रतिवर्तन था और जो 20 नवम्बर तक फाइल की जाने वाली अक्तूबर माह की विवरणी में संदेय होंगे***

1	सितम्बर								एक माह-उच्च			
2	सितम्बर								एक माह-उच्च			

ई 20 दिसम्बर तक फाइल की जाने वाली नवम्बर की विवरणी में दायित्व की वृद्धि की ओर अग्रसर करने वाले बेमेल/अनुप्रतियां

ई.1 ***सितम्बर माह के उन बीजकों, नामे और जमापत्रों का ब्यौरा, जो बेमेल पाए गए हैं और 20 नवम्बर तक फाइल की जाने वाली अक्तूबर की विवरणी में बेमेल का परिशुद्ध न किए जाने की दशा में, जो 20 दिसम्बर तक फाइल की गई नवम्बर माह की विवरणी में संदेय हो गए हैं***

1	सितम्बर								शून्य/दो माह			
2	सितम्बर								शून्य/दो माह			

प्ररूप जीएसटी पीएमटी - 01

(नियम 85(1) देखिए)

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर

(भाग 1 : दायित्व से संबंधित विवरणी)

(सामान्य पोर्टल पर रखा जाए)

जीएसटी आईएन

नाम (विधिक)

व्यापार का नाम, यदि कोई हो

..........................कर अवधि

अधिनियम—केन्द्रीय कर /राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर /एकीकृत कर/उपकर/समस्त

(रुपए में रकम)

क्रम सं0	तारीखमाह/ वर्ष	संदर्भ सं0	उन्मोचित दायित्व के लिए खाता	विवरण	संव्यवहार के प्रकार [विकलन (डीआर) (संदेय)]/ [प्रत्यय (सीआर संदत्त)]	विकलित/जमा की गई रकम (केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/कुल)						अतिशेष (केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/कुल)					
						कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

टिप्पण---

1. विवरणी और संदाय देय प्रोद्भूत सभी दायित्व इस खाते में उसी के सामने अभिलिखित किया जाएगा ।

2. उपशीर्ष—दायित्वों के विवरण के अधीन समेकन, रजिस्ट्रीकरण, रद्दीकरण के लिए विकल्प के कारण दायित्व भी इस भाग में पूरा किया जाएगा । कर अवधि के दायित्व रजिस्टर वासित जिसे यथास्थिति, आवेदन या आदेश की तारीख पर आती है ।
3. विवरणी विधिमान्य के रूप में मानी जाएगी मानो अंतिम शेष सकारात्मक है । विकलन (संदेय रकम) से प्रत्यय (रकम संदत्त) कम कर के शेष लिखी जाएगी ।
4. माल सेवा कर (राज्यों के लिए प्रतिकर) अधिनियम, 2017 के अधीन उद्ग्रेहीत उपकर अभिप्रेत है ।

प्ररूप जीएसटी पीएमटी - 01

(नियम 85(1) देखिए)

कराधेय व्यक्ति का इलैक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर

(भाग 2 : दायित्वों से संबंधित विवरणी अन्य से भिन्न)

(सामान्य पोर्टल पर रखा जाए)

जीएसटी आईएन/अस्थायी आईडी

नाम (विधिक)

व्यापार नाम, यदि कोई हो

अवधि............. से ....तक (तारीख/माह/वर्ष)

स्थगन प्रास्थिति/स्थागित/अस्थगित

अधिनियम—केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/समस्त

(रुपए में रकम)

क्रम सं0	तारीख/ माह/वर्ष	संदर्भ सं0	कर अवधि, यदि कोई हो	उन्मोचित दायित्व के लिए खाता	विवरण	संव्यवहार के प्रकार [विकलन (डीआर) (संदेय)]/ [प्रत्यय (सीआर संदत्त प्रतिदाय समायोजित (आसएफ)]	विकलित/जमा की गई रकम (केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/कुल)						अतिशेष संदेय (केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/कुल)						
							कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल	(प्रास्थिति (स्थगन/अस्थगन)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

टिप्पण---

1. सभी दायित्वों में प्रोद्भूत दायित्वों से संबंधित उससे भिन्न विवरण, इस खाते में अभिलिखित किया जाएगा । संव्यवहार का पूरा विवरण तद्नुसार अभिलिखित किया जाएगा ।
2. दायित्वों के प्रतिकूल नकद या प्रत्यय सभी संदाय किए गए तद्नुसार अभिलिखित किया जाएगा । ।
3. अपील का निर्णय, परिशोधन, प्रतिवर्तन, पुनर्विलोकन आदि के कारण रकम संदेय में कमी या वृद्धि यहां प्रतिबिंबित किया जाएगा ।
4. एकल मांग आईडी के लिए भी नकारात्मक अतिशेष आते हैं यदि भी अपील अनुज्ञा की जाती है/भागतः अनुज्ञा दीती है । समस्त अंतिम अतिशेष तक सकारात्मक हो सकेगा ।
5. विशिष्ट मांग आईडी के लिए पूर्व निक्षेप का प्रतिदाय यदि अपील अनुज्ञा यद्यपि भी अनुज्ञा की जाती है समस्त अतिशेष, सकारात्मक तक हो सकता है । प्रतिदाय के समायोजन के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा किसी दायित्व के विषय होगा ।
6. इस भाग में अंतिम अतिशेष विवरण फाइल करने पर प्रभाव नहीं होगा ।
7. अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट के भीतर कारण बताओ सूचना के पश्चात् किया गया संदाय पर आधारित शास्ति की रकम में कमी संदाय पर स्वतः होगा ।
8. प्रत्यय या नकद खाते के माध्यम से संदाय करने पर किसी समय में किया गया संदाय कारण बताओं सूचना या स्वैच्छिक रूप से किया गया कोई अन्य संदाय दर्शित किया जाएगा । विकलन और प्रत्यय की प्रविष्टि एकसाथ सृजित किया जाएगा ।

प्ररूप जीएसटी पीएमटी - 02

(नियम 86(1) देखिए)

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता

(सामान्य पोर्टल पर रखा जाए)

जीएसटी आईएन/अस्थायी आईडी

नाम (विधिक)

व्यापार नाम, यदि कोई हो

अवधि............. से ....तक (तारीख/माह/वर्ष)

अधिनियम—केन्द्रीय /राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र/एकीकृत कर/उपकर/समस्त

(रुपए में रकम)

क्रम सं0	तारीख/ माह/ वर्ष	संदर्भ सं0	कर अवधि, यदि कोई हो	विवरण (प्रत्यय के स्रोत और उपयोगिता का प्रयोजन)	संव्यवहार प्रकार [विकलन (डीआर) [प्रत्यय (सीआर)]	प्रत्यय/विकलन						अधिशेष उपलब्ध					
						केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

अनंतिम प्रत्यय का अतिशेष

क्रम सं0	कर की अवधि	अनंतिम प्रत्यय अतिशेष की रकम					
		केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8

बेमेल प्रत्यय (प्रतिवर्ती से भिन्न)

क्रम सं0	कर की अवधि	असुमेल प्रत्यय का रकम					
		केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8

टिप्पण---

1. विवरणी के अनुसार प्रत्ययों के प्रकार, विलयन के कारण, पूर्व-रजिस्ट्रीकरण उत्पादन आदि के कारण संघटक, स्कीम संव्यवहार आदि से विकल्प के सम्यक् के लिए अभिलिखित होगा ।
2. विवरण प्रत्यय (जीएसटी आर-3, जीएसटी आर 6 आदि) प्रत्यय के स्रोत सम्मिलित होगा और विवरणी या मांग आदि के लिए संबंधित दायित्व के प्रति उपयोगिता है । प्रतिदाय खाते से दावा किए गए प्रतिदाय विकलित किया जाएगा और यदि दावा अस्वीकार किया जाता है तब अस्वीकार की सीमा तक खाते केलिए पीछे प्रत्यायित किया जाएगा ।

प्ररूप जीएसटी पीएमटी - 03

(नियम 86(4) और 87(11) देखिए)

दावा प्रतिदाय की अस्वीकृति पर नकद या प्रत्यय की रकम के पुनःप्रत्यय के लिए आदेश

संदर्भ संख्या. तारीख –

1. जीएसटीआईएन –
2. नाम (विधिक) –
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो
4. पता –
5. अवधि / कर अवधि जिसके लिए प्रत्यय से संबंधित है, यदि कोई हो– ----------- से -----------
6. खाता जिसके विकलन से प्रविष्टि दावा प्रतिदाय के लिए किया गया था-- (नकद / प्रत्यय खाता)
7. विकलन प्रविष्टि संख्या और तारीख –
8. आवेदन संदर्भ संख्या और तारीख –
9. संख्या और आदेश की तारीख द्वारा जिसे प्रतिदाय अस्वीकार किया गया था–
10. प्रत्यय की रकम

क्रम सं0	अधिनियम (केन्द्रीय कर)/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर /उपकर)	प्रत्यय की रकम (रुपए)					
		कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर

नाम

अधिकारी का पद नाम

टिप्पण---

1. "केन्द्रीय कर" का अभिप्राय केन्द्रीय माल और सेवा कर है, "राज्य कर" का अभिप्राय राज्य माल और सेवा कर है, "संघ राज्यक्षेत्र कर" का अभिप्राय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर है और "उपकर" का अभिप्राय माल तथा सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) है ।

प्ररूप जीएसटी पीएमटी - 04

(नियम 85(7), 86(6) और 87(12) देखें)

इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता/नकद खाता/दायित्व रजिस्टर में विभेद की संसूचना के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआईएन			
2.	नाम (विधिक)			
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो			
4.	जिसके लिए विभेद देखा गया है, में खाता/रजिस्टर	☐ प्रत्यय खाता	☐ नकद खाता	☐ दायित्व रजिस्टर
5.	विभेद के ब्यौरे			
	तारीख	कर का प्रकार	विदेभ का प्रकार	अन्तर्वलित रकम
		केन्द्रीय कर		
		राज्य कर		
		संघ राज्यक्षेत्र कर		
		एकीकृत कर		
		उपकर		
6.	कारण, यदि कोई			
7.	सत्यापन मैं सत्यानिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई सूचना सही और पूर्ण है । हस्ताक्षर स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम तारीख : पदनाम/प्रास्थिति			

टिप्पण---"केन्द्रीय कर" का अभिप्राय केन्द्रीय माल और सेवा कर है, "राज्य कर" का अभिप्राय राज्य माल और सेवा कर है, "संघ राज्यक्षेत्र कर" का अभिप्राय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर है और "उपकर" का अभिप्राय माल तथा सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) है ।

प्ररूप जीएसटी पीएमटी - 05

(नियम 87(1) देखिए)

इलैक्ट्रानिक नकद खाता

(सामान्य पोर्टल पर रखा जाए)

जीएसटी आईएन/अस्थायी आईडी

नाम (विधिक)

व्यापार नाम, यदि कोई हो

अवधि............. से ....तक (तारीख/माह/वर्ष)

स्थगन प्रास्थिति/स्थागित/अस्थगित

अधिनियम—केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/समस्त

(रुपए में रकम)

क्रम सं0	निक्षेप की तारीख/ माह/ वर्ष	निक्षेप का समय	रिपोर्ट तारीख (बैंक द्वारा)	संदर्भ सं0	कर का अवधि, यदि कोई हो	विवरण	संव्यवहार प्रकार [विकलन (डीआर) [प्रत्यय (सीआर)]	विकलित/प्रत्यय रकम (केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/कुल)						अतिशेष (केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/ कुल)					
								कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

टिप्पण---

1. संदर्भ संख्या जिसमें बीआरएन (बैंक संदर्भ संख्या)विकलन प्रविष्टि संख्या, आदेश संख्या यदि कोई हो और टीडीएस और टीडीसी प्रत्यय के मामले में विवरणी की अभिस्वीकृति संख्या सम्मिलित है ।
2. कर की अवधि, किसी विकलन केलिए यदि लागू हो, संख्या अभिलिखित किया जाएगा, अन्यथा स्थान छोड़ा जाएगा ।
3. स्रोत पर कटौतीकर्ता का माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटी आईएन), चालान पहचान संख्या (सीआईएन) जिसके प्रतिकूल निक्षेप किया गया है और दायित्व के प्रकार जिसके लिए विकलन किया गया है, शीर्षक "विभेद" के अधीन भी अभिलिखित किया जाएगा ।
4. आवेदन की संख्या, यदि कोई, कारण बताओं सूचना, मांग आईडी, अपील के लिए पूर्व निक्षेप या किसी दायित्व के लिए शीर्षक "विभेद" के अधीन अभिलिखित किया जाएगा ।
5. खाते से दावाकृत प्रतिदाय या कोई विकलन किसी दायित्व के प्रतिकूल अभिलिखित किया जाएगा ।
6. निक्षेप का समय और तारीख, बैंक द्वारा रिपोर्टित के रूप में सीआईए सृजन की तारीख और समय है ।
7. "केन्द्रीय कर" का अभिप्राय केन्द्रीय माल और सेवा कर है, "राज्य कर" का अभिप्राय राज्य माल और सेवा कर अभिप्राय है, "संघ राज्यक्षेत्र कर" का अभिप्राय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर है और "उपकर" का अभिप्राय माल तथा सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) है ।

रूप जीएसटी पीएमटी - 06

(नियम 87(2) देखिए)

माल और सेवा कर के निक्षेप के लिए चालान

सीपीआईएन	<<सूचना प्रस्तुति के पश्चात् स्वतः सृजित	तारीख << चालू तारीख	चालान अवसान की तारीख

जीएसटीआईएन	<<भरा गया/स्वतः वासित>>	ई-मेल पता	<<स्वतः वासित>>
नाम (विधिक)	<<स्वतः वासित>>	मोबाइल न0.	<< स्वतः वासित >>
पता	<< स्वतः वासित >>		

निक्षेप के ब्यौरे (सभी माल रुपए में)							
सरकार	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष					
		कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
भारत सरकार	केन्द्रीय कर (----)						
	एकीकृत कर (----)						
	उपकर (----)						
	उप योग						
राज्य (नाम)	राज्य कर (----)						
संघ राज्यक्षेत्र (नाम)	संघ राज्यक्षेत्र कर (----)						
कुल चालान रकम							

कुल रकम, शब्दों में	
संदाय का ढंग (सुसंगत भाग सक्रिय होगा जब विशिष्ट रूप में चयन किया जाए)	

☐ ई-संदाय
(यह ई-संदाय के सभी ढंग सम्मिलित होगा जैसे सीडी/डीसी और नेट बैंकिंग करदाता इसमें एक चयन करे ।)

☐अतिरेक पटल (ओटीसी)		
बैंक (जहां नकद या लिखत निक्षेप किए जाने के लिए प्रस्तावित है)		
लिखत के ब्यौरे		
☐ नकद	☐ चैक	☐ मांग ड्राफ्ट

☐ नेफ्ट/आरटीजीएस	
प्रेषण बैंक	
फायदाग्राही का नाम	जीएसटी
फायदाग्राही लेखा संख्या (सीपीआईएन)	< सीपीआईएन >
फायदाग्राही का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक
फायदाग्राही बैंक का भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी)	आरबीआई का आईएफएससी
रकम	

टिप्पण : संदाय करते समय व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रभारों के लिए पृथक् रूप से हो ।

निक्षेपकर्ता का विशिष्टियां	
नाम	
पदनाम/ प्रास्थिति (प्रबंधक, भागीदार, आदि)	
हस्ताक्षर	

तारीख	
संदत्त चालान सूचना	
जीएसटीआईएन	
करदाता का नाम	
बैंक का नाम	
रकम	
बैंक अभिस्वीकृति संख्या (बैंक के पटल पर निक्षेपित चैक/ बैंक के डीडी)	
सीआईएन	
संदाय की तारीख	
बैंक अभिस्वीकृति संख्या (बैंक केपटल पर निक्षेपित चैक/बैंक के डीडी)	

टिप्पण–एनईएफटी/आरटीजीएस संदाय के लिए यूनिक संव्यवहार संख्या से अभिप्राय है ।

प्ररूप जीएसटी पीएमटी-07

(नियम 87(8) देखिए)

संदाय से संबंधित सूचना विभेद के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआईएन					
2.	नाम (विधिक)					
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो					
4.	सामान्य पोर्टल से चलान के सृजन की तारीख					
5.	सामान्य पोर्टल पहचान संख्या (सीपीआईएन)					
6.	संदाय का माध्यम (केवल एक को चिह्नित करे)	नेट बैंकिंग ☐	सीसी/डीसी ☐	एनईएफटी/आरटीजीएस ☐	ओटीसी ☐	
7.	लिखत ब्यौरा, केवल ओटीसी संदाय हेतु	चैक/ ड्राफ्ट सं0	तारीख	बैंक/शाखा जिससे निकाला गया		
8.	बैंक का नाम जिसके माध्यम से संदाय किया गया है					
9.	उस तारीख को जिसको विकलन/सुव्यस्थीकरण किया गया है					
10.	संदर्भ बैंक सं0 (बीआरएन)/ यीटीआर संख्या, यदि कोई हो					
11.	संदाय गेटवे का नाम (सीसी/डीसी)					
12.	संदाय विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
13.	सत्यापन (प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा) मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि इस घोषणा में दी गई जानकारी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है ।					

		हस्ताक्षर
	स्थान	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम
	तारीख	पदनाम /प्रास्थिति…...............

टिप्पण –

1. आवेदक करदाता के लिए अर्थ है वहां उसके लेखा से विकलित रकम संदत्त होने के लिए आशयित है किन्तु सीआईएन सामान्य पोर्टल के लिए बैंक द्वारा संप्रेषित किया जाता है किन्तु संबंधी बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया है ।
2. विकलन के 24 घंटे के भीतर आवेदन फाइल किया जा सकेगा, संप्रेषित नहीं किया गया है ।
3. सामान्य पोर्टल संबंध बैंक से परिवाद अग्रेषित करेगा और व्यथित व्यक्ति को सूचना देगा ।
4. "केन्द्रीय कर" का अभिप्राय केन्द्रीय माल और सेवा कर है, "संघ राज्यक्षेत्र कर" का अभिप्राय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर है, "एकीकृत कर" का अभिप्राय एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्राय है और "उपकर" का अभिप्राय माल तथा सेवा कर (राज्यों के प्रतिकर) है ।

प्ररूप – जीएसटी-आरएफडी-01

[नियम 89(1) देखिए]

प्रतिदाय के लिए आवेदन

चयन – रजिस्ट्रीकृत/आकस्मिक/अरजिस्ट्रीकृत/अनिवासी कराधेय व्यक्ति

1. जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी:
2. विधिक नाम :
3. व्यापार नाम, यदि कोई हो :
4. पता :
5. कर अवधि : <दिन/मास/वर्ष> से <दिन/मास/वर्ष>
6. दावा किया गया प्रतिदाय की रकम :

अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
केन्द्रीय कर						
राज्य कर						
संघ राज्यक्षेत्र कर						
एकीकृत कर						
उपकर						
कुल						

7. प्रतिदाय दावा के लिए आधार (नीचे से चयन करें) :

(क) इलैक्ट्रानिक के नकद खाता में अधिक अतिशेष :

(ख) माल/सेवाऔं के निर्यात कर के प्रदाय के साथ :

(ग) निर्यात माल सेवाएं – कर के संदाय के लिएष उदरहणार्थ, निवेश कर प्रत्यय संचित

(घ) निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/कोई अन्य आदेश के कारण—

(i) आदेश के प्रकार, उसका चयन :

निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील आदेश

(ii) निम्नलिखित ब्यौरे उल्लिखित करें,--

1. आदेश संख्या ;
2. आदेश की तारीख <कलेंडर>

3. प्राधिकारी का आदेश जारी करना

4. संदाय संदर्भ संख्या (प्रतिदाय के रूप दावे के लिए रकम)

(यदि आदेश प्रणाली के भीतर जारी किया जाता है, तब 1,2,3,4 स्वतः वासित)

(ङ) विपर्यस्त कर ढांचा के लिए निवेश कर प्रत्यय संचित (धारा 54(3)) के परन्तुक के खंड (ii)

(च) विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता या समझे गए निर्यात प्रापक के लिए गए प्रदाय पर—

(i) प्रदायकर्ता/प्राप्तिकर्ता के प्रकार चयन करें--

1. विशेष आर्थिक जोन इकाई के लिए प्रदायकर्ता

2. विकासकर्ता विशेष आर्थिक जोन के लिए प्रदायकर्ता

3. समझा गया निर्यात की प्राप्ति ।

(छ) प्रदाय पर संदत्त कर जिसे उपबंधित नहीं किया गया है, या तो पूर्णतः या भागतः और जिसके लिए बीजक जारी किया गया है ।

(ज) राज्यांतरिक पर संदत्त कर पर जिसे अन्तराज्यिक और विपर्ययेन धारित किया जाए ।

(*i*) कर की अधिकता संदाय, यदि कोई हो

(झ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

8. बैंक लेखा के ब्यौरे (रजिस्ट्रीकृत करदाता के मामले में आरसी से स्वतः वासित)

(क) बैंक खाता संख्या

(ख) बैंक का नाम

(ग) बैंक खाता प्रकार

(घ) खाता धारक का नाम

(ङ) बैंक शाखा का पता

(च) भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी)

(छ) मैगनेटिक इंक करेक्टर रिकागनाइजेशन (एमआईसीआर)

9. क्या धारा 54(4) के आवेदक द्वारा स्वयं घोषणा है, यदि लागू हो हां ☐ नहीं ☐

घोषणा (धारा 54(3)(ii))

मैं तदनुसार घोषणा करता हूं कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के लिए कोई विषय नहीं है, मैं यह भी घोषणा करता हूं कि माल या सेवाएं दोनों पर कोई प्रतिदाय प्राप्य नहीं है और कि मैने प्रदाय पर संदत्त कर एकीकृत कर जिसकी बाबत प्रतिदाय दावा किया गया है, के प्रतिदाय हेतु दावा नहीं किया है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा (धारा 54(3)(ii))

मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन में किए गए दावा निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय दरों पर शून्य के लिए उपयोजित माल या सेवाओं पर प्राप्य किया था या पूर्णतः छूट जो प्रदाय करता है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

स्वयं-घोषणा (नियम 89 देखें)

मैं/हम...................... (आवेदक) जिसके पास माल या सेवा कर पहचान संख्या/अस्थायी आईडी......... सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और प्रमाणित करता हूं/करते हैं और प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि कर, ब्याज या उसकी अवधि .... से .... तक के लिए कर, ब्याज, यो कोई अन्य रकम के बारे में .... रुपए के लिए उसकी कोटि प्रतियां की बाबत आवेदन प्रतिदाय में दावा किया गया है, ऐसे कर और ब्याज की घटना किसी व्यक्ति द्वारा पारित नहीं किया गया है ।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए यह घोषणा अपेक्षित नहीं है जो साधारण सेवा कर नियम 96 के अधीन जिन्होंने प्रतिदाय के लिए दावा कर रहा है) ।

10 सत्यापन

मैं/हम .... (करदाता का नाम) तदनुसार सत्यानिष्ठा प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और कोई बात छिपाया नहीं गया है ।

मैं घोषणा करता हूं कि इस लेखा पर उसके द्वारा पहले कोई प्राप्त नहीं किया गया है ।

स्थान — प्राधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख — (नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

टिप्पण—माल और सेवा कर प्रतिदाय के नियम 89 के उपनियम (4) के अधीन पृथक कथन फाइल नहीं किया गया है ।

कथन 1:

(टिप्पण–सभी कथन, करदाता विवरणी तत्स्थानी से स्वतः वासित है, भरे जाने के लिए ईजीएम/ईबीआरसी जैसे बीजकों के लिए चयन करें, यदि विवरणी में पहले नहीं भरा गया था)

उपाबंध-1

साधारण सेवा कर नियम *89*(2)(ज) के अधीन संख्या और बीजक की संख्या और तारीख अन्तर्विष्ट करने वाला कथन

आवक प्रदाय के लिए :

जीएसटी आर-2 के अनुसार (सारणी 4) :

........................:कर अवधि

जीएसटी आईएन रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता का नाम	बीजक के ब्यौरे								राज्य (गैर-रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता के मामले में	एकीकृत कर		केन्द्रीय कर		राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर		उपर		स्तंभ 17	स्तंभ. 18	स्तंभ. 19	स्तंभ. 20/21/22/23			
	संख्या	तारीख	मूल्य	माल/ सेवाएं (जी/एस)	एचएसएन	कराधेय मूल्य	यूक्यूसी	क्यूटीवाई		दर (%)	रकम.	दर (%)	रकम	दर (%)	रकम	दर (एनए)	रकम.				एकीकृत कर	कन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	24क	24ख	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

स्तंभ. 17: पीओएस (अभिग्रहक स्थिति से केवल यदि भिन्न हो)

स्तंभ 18: उपदर्शित करे यदि प्रदाय प्रतिवर्ती प्रभार्य आकर्षित किया जाता है । (हां/नहीं)

स्तंभ 19: निवेश कर प्रत्यय की पात्रता जैसे (निवेश/पूंजी माल/निवेश सेवाएं/कोई नहीं)

स्तंभ 20/21/22/23: निवेश कर प्रत्यय की रकम जो उपलब्ध है ।

बाह्य प्रदाय :

जीएसटी आर-2 के अनुसार (सारणी 5) :

................कर अवधि

जीएसटी आईएस/ यूआईएन	बीजक के ब्यौरे								एकीकृत कर		केन्द्रीय कर		राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर		उपकर		स्तंभ 16	स्तंभ 17	स्तंभ 18	स्तंभ 19	स्तंभ 20	स्तंभ 21	स्तंभ 22
	सं0	तारीख	मूल्य	माल/ सेवाएं (जी/एस)	एचएसएन	कराधेय मूल्य	यूक्यूसी	क्यूटीवाई	दर (%)	रकम.	दर (%)	रकम	दर (%)	रकम	दर (एनए)	रकम.							
1	2	3	4	5	6	7	23क	23ख	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

स्तंभ 16: पीओएस (केवल यदि प्राप्तिकर्ता के अवस्थित से भिन्न हो)

स्तंभ 17: क्या विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता के लिए की गई प्रदाय (हां/नहीं)

स्तंभ 18: विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता के लिए की गई प्रदाय हेतु विकल्प (एकीकृत कर के साथ/एकीकृत कर के बिना)

स्तंभ 19: माना गया निर्यात (हां/नहीं)

स्तंभ 20: क्या प्रतिवर्ती प्रभार से संबंधित है (हां/नहीं)

स्तंभ 21: क्या यह बीजक अनंतिम आधार पर कर संदत्त किया है (हां/नहीं)

स्तंभ 22: ई-वाणिज्य प्रचालक (यदि लागू हो) के माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन)

स्थान — प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

तारीख — (नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

कथन 2:

<u>नियम 89 के उपनियम 2(ख) और (ग) के अधीन आवेदन के मामले में कथन :</u>

<u>कर के संदाय के साथ निर्यात :</u>

<u>…………………..: कर अवधि</u>

बीजक								लदान बिल/ निर्यात का बिल			कर संदाय विकल्प		एकीकृत कर		क्या अनंतिम आधारों पर यह बीजक संदत्त कर पर है (हां /नहीं)	ईजीएम के ब्यौरे		बीआरसी/ एफआईआरसी	
सं0	तारीख	मूल्य	माल/ सेवाएं (जी/एस)	एचएसएन	सं0	तारीख	कराधेय मूल्य	पत्तन कोड	सं0	तारीख	एकीकृत कर के साथ	एकीकृत कर के बिना	दर (%)	रकम		संदर्भ सं0	तारीख	सं0	तारीख
1	2	3	4	5	15क	15ख	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15C	15D	15E	15F

(*लदान बिल और ईजीएम जो आज्ञापक है—माल के मामले में ;
बीआरसी/ एफआईआरसी के ब्यौरे, आज्ञापक है—सेवाओं के मामले में)

स्थान — प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

तारीख — (नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

कथन 3:

<u>कर के संदाय के बिना निर्यात :</u>

<u>...............................:कर अवधि</u>

बीजक								लदान बिल/ निर्यात का बिल			कर संदाय विकल्प		एकीकृत कर		क्या बीजक पर कर अनंतिम आधारा पर संदत्त है (हां /नहीं)	**ईजीएम के ब्यौरे**		**बीआरसी/ एफआईआरसी**	
सं0	तारीख	मूल्य	माल/ सेवाएं (जी/एस)	एचएसएन	यूक्यूसी	क्यूटीवाई	कराधेय मूल्य	पत्तन कोड	सं0	तारीख	एकीकृत कर के साथ	एकीकृत कर के बिना	दर (%)	रकम		**संदर्भ सं0**	**तारीख**	सं0	तारीख
1	2	3	4	5	15A	15B	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15C	15D	15E	15F

(*लदान बिल और ईजीएम–माल के मामले में आज्ञापक है;

बीआरसी/ एफआईआरसी के ब्यौरे आज्ञापक है–सेवाओं के मामले में)

स्थान

तारीख

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

कथन **4:**

<u>नियम 89, उपनियम 2(घ) और (ङ) के अधीन आवेदन के मामले में कथन:</u>

<u>विशेष आर्थिक जोन/विकासकर्ता के प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय :</u>

जीएसटीआर-1 सारणी 5

<u>.........................कर अवधि</u>

जीएसटी आईएस/ यूआईएन	बीजक के ब्यौरे								एकीकृत कर		केन्द्रीय कर		राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर		उपकर		स्तंभ 16	स्तंभ 17	स्तंभ 18	स्तंभ 19	स्तंभ 20	स्तंभ 21	स्तंभ 22	एआरआई		प्राप्ति की तारीख	संदाय के ब्यौर	
	सं0	तारीख	मूल्य	माल/ सेवाएं (जी/एस)	एचएसएन	कराधेय मूल्य	यूक्यूसी	क्यूटीवाई	दर (%)	रकम.	दर (%)	रकम	दर (%)	रकम	दर (एनए)	रकम.								सं0	तारीक		संदर्भ सं0	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	23क	23ख	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23ग	23घ	23ङ	23च	23छ

स्तंभ 16: पीओएस (केवल यदि अभिग्राही स्थिति से भिन्न हो)

स्तंभ 17: क्या विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक विकासकर्ता के लिए प्रदाय की गई है (हां/नहीं)

स्तंभ 18: क्या विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक विकासकर्ता (एकीकृत कर केसाथ/एकीकृत कर के बिना) के लिए कर विकल्प प्रदाय किया जाता है ।

स्तंभ 19: समझा गया निर्यात (हां/नहीं)

स्तंभ 20: क्या विपर्यस्त, क्या प्रदाय विपर्यस्त परिवर्तन संबंधी है ।(हां/नहीं)

स्तंभ 21: क्या अनंतिम आधार पर इस बीजक कर पर संदत्त कियागया है ।(हां/नहीं)

स्तंभ 22: ई-वाणिज्य प्रचालक का माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) (यदि लागू)

स्तंभ 23 सी/डी : एआईरआई (निर्यात को हाटने के लिए आवेदन)

स्तंभ 23 ई: विशेष आर्थिक जोन/विकासकर्ता दवारा प्राप्ति की तारीख (गोदाम प्रमाणपत्र के अनुसार)

स्तंभ 23 एफ/जी: संदाय प्राप्ति के ब्यौरे

(* माल के मामले में : विशेष आर्थिक जोन/विकासकर्ता दवारा एआरई और प्राप्ति का तारीख ;

सेवा में प्राप्त संदाय की विशिष्टियां आज्ञापक है)

सेवा के मामले में : प्राप्त किए संदाय की विशिष्टियां आज्ञापक हैं ।

जीएसटीआर 5—सारणी 6

......................कर अवधि

स्तंभ 1	बीजक के ब्यौरे								एकीकृत कर		केन्द्रीय कर		राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर		उपकर		स्तंभ 16	स्तंभ 17	स्तंभ 18	स्तंभ 19	स्तंभ 20	एआरई		प्राप्ति की तारीख	संदाय के ब्यौरे	
	सं0	तारीख	मूल्य	माल/सेवाएं (जी/एस)	एचएसएन	यूक्यूसी	क्यूटीवाई	कराधेय मूल्य	दर (%)	रकम	दर (%)	रकम	दर (%)	रकम	दर (एनए)	रकम						सं0	तारीख		संदर्भ सं0	तारीख
1	2	3	4	5	6	21क	21ख	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21ग	21घ	21ङ	21च	21छ

स्तंभ 1: माल और सेवा कर पहचान संख्या/यूनिक पहचान संख्या/गैर-रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ता (विशेष आर्थिक जोन/विकासकर्ता के लिए प्रदायकर्ता)

स्तंभ 16: पीओएस (केवल यदि प्राप्तिकर्ता की अवस्थिति से विभिन्न)

स्तंभ 17: क्या विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक विकासकर्ता के लिए प्रदाय की गई है (हां/नहीं)

स्तंभ 18: विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक विकासकर्ता (एकीकृत कर केसाथ/एकीकृत कर के बिना) के लिए कर विकल्प प्रदाय किया जाता है ।

स्तंभ 19: समझा गया निर्यात (हां/नहीं)

स्तंभ 20: क्या अनंतिम आधार पर इस बीजक कर पर संदत्त कियागया है ।(हां/नहीं)

स्तंभ 21 सी/डी : एआरई (निर्यात को हाटने के लिए आवेदन)

स्तंभ 21 ई: विशेष आर्थिक जोन/विकासकर्ता (गोदाम प्रमाणपत्र के अनुसार) दवारा प्राप्ति की तारीख

स्तंभ 21 एफ/जी: संदाय प्राप्ति के ब्यौरे

(* माल के मामले में : विशेष आर्थिक जोन/विकासकर्ता दवारा एआरई और प्राप्ति का तारीख ;
सेवा में प्राप्त संदाय की विशिष्टियां आज्ञापक है)

सेवा के मामले में : प्राप्त किए संदाय की विशिष्टियां आज्ञापक हैं ।

स्थान
तारीख

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर
(नाम)
पदनाम/प्रास्थिति

कथन 5:

नियम 89 के उपनियम (2)(छ) के अधीन आवेदन के मामले में कथन :

समझे गए निर्यातों की ईओयू/प्रासकर्ता द्वारा प्रतिदाय :

......................:कर अवधि

जीएसटीआईएस/ गैर-रजिस्ट्रीकृत प्रदाय का नाम	बीजक के ब्यौरे								राज्य (गैर-रजिस्ट्रीकृत के मामले में)	एकीकृत कर		केन्द्रीय कर		राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर		उपकर		स्तंभ 16	स्तंभ 17	स्तंभ 18	स्तंभ 20/21/22/23				एआईई		प्राप्ति की तारीख
	सं0	तारीख	मूल्य	माल/ सेवाएं (जी/एस)	एचएसएन	कराधेय मूल्य	यूक्यूसी	क्यूटीवाई		दर (%)	रकम	दर (%)	रकम	दर (%)	रकम	दर (एनए)	रकम				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	सं0	तारीख	
1	2	3	4	5	6	7	24क	24ख	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24ग	24घ	24ङ

स्तंभ 17: पीओएस (केवल यदि प्रासकर्ता की अवस्थिति से भिन्न हो)

स्तंभ 18: उपदर्शित करे यदि प्रदाय प्रतिवर्ती परिवर्तन से संबंधित है (हां/नहीं)

स्तंभ 19: निवेश कर प्रत्यय की पात्रता जैसे (निवेश/पूंजी माल/निवेश सेवाएं/कोई नहीं)

स्तंभ 20/21/22/23: निवेश कर प्रत्यय की रकम उपलब्ध

स्तंभ 24 सी/डी : एआईरआई (निर्यात हटान के लिए आवेदन)

स्तंभ 24 ई: विशेष आर्थिक जोन/विकासकर्ता (गोदाम प्रमाणपत्र के अनुसार) दवारा प्राप्ति की तारीख

(* माल के मामले में : एआरई और विशेष आर्थिक जोन/विकासकर्ता दवारा प्राप्ति जो आज्ञापक हो ;)

स्थान

तारीख

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

कथन 6:

नियम 89(2)(त्र) के अधीन फाइल किए गए आवेदन के मामले में

[धारा 77(1) के अधीन प्रतिदाय - अनुचित संग्रहीत कर और संदत्त]

आदेश ब्यौरे (धारा 77(1) और (2) के अनुसरण में जारी: ______ आदेश सं0: ______ आदेश तारीख:

जीएसटी आईएस/ यूआईएन (बी 2सी के मामले में)	राज्यांतरित/अन्तरराज्यिक पूर्व के रूप में संव्यवहार अच्छादित के ब्यौरे									संव्यवहार जिसके लिए अन्तरराज्यिक/राज्यांतरिक प्रदाय पश्चातवर्ती धारित किए गए थे				
	बीजक के ब्यौरे				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	प्रदाय का स्थान (केवल यदि प्राप्तिकर्ता से भिन्न की प्रास्थिति)	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	प्रदाय का स्थान (केवल यदि प्राप्तिकर्ता से भिन्न की प्रास्थिति)
	सं0	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम	रकम	रकम	रकम		रकम	रकम	रकम	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

कथन:7

नियम 89(2)(ट) के अधीन फाईल किया आवेदन के मामले में कथन

कर के अधिक संदाय खाते पर प्रतिदाय

क्रम सं.	कर अवधि	विवरणी का संदर्भ सं0	विवरणी फाइल करने की तारीख	दायित्व रजिस्टर में उपलब्ध अधिक रकम			
				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8

उपाबंध-2

(नियम 89(2)(ड) देखें)

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ....कर अवधि के लिए..........................माल और सेवा कर पहचान संख्या/अस्थायी आई डी, मैसर्स..................................... (आवेदक का नाम) द्वारा ....(शब्दों में) आई एन आर दावे के प्रतिदाय के संबंध में कर और ब्याज का आपतन किसी अन्य व्यक्ति ने पारित नहीं किया है । यह प्रमाणपत्र आवेदन द्वारा विशेष रुप से अनुरूक्षण दिए गए लेखा पुस्तकों और अन्य संबंधित अभिलेखों और विवरणियों के परीक्षण के आधार पर है ।

चार्टर्ड आकाऊन्टेंट/लागत लेखाकार के हस्ताक्षर:

नाम:

सदस्य संख्या:

स्थान:

तारीख:

यह प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (ड.) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय दावा दिया जाना अपेक्षित नहीं है ।

प्ररुप जीएसटी आरएफडी- -02

[नियम 90(2) और 95(2) देखें]

अभिस्वीकृति

प्रतिदाय के लिए आपका आवेदन का<आवेदन संदर्भ संख्या> के विरुद्ध अभिस्वीकृत कर लिया गया है।

अभिस्वीकृति संख्या :

अभिस्वीकृति की तारीख:

जी एस टीआई एन /यू आई एन/ अस्थायी आई डी, यदि उपलब्ध है:

आवेदक का नाम:

प्ररुप सं. :

प्ररुप विवरण:

अधिकारिता (समुचित निशान लगाएं) :

केन्द्रीय राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र :

द्वारा भरा गया

प्रतिदाय आवेदन ब्यौरा	
कर अवधि	
फाइल करने की तारीख और समय	
प्रतिदाय के लिए कारण	

दावाकृत प्रतिदाय की रकम

	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
केन्द्रीय कर						
राज्य कर						
यू टी कर						
एकीकृत कर						
उपकर						
कुल						

टिप्पण 1: आवेदन की प्रास्थिति जी एस टी प्रणाली पोर्टल पर ट्रैक आवेदन प्रास्थिति <प्रतिदाय > के माध्यम से आवेदन संदर्भ संख्या दर्ज करने से देखी जा सकती है ।

टिप्पण 2: यह एक प्रणाली उत्पन्न अभिस्वीकृति है और इसमें हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है ।

प्ररुप जीएसटी आरएफडी 03

[नियम 90(3) देखें]

ऊनता का ज्ञापन

संदर्भ सं. : तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में

___________ (माल और सेवा कर पहचान संख्या/यूनिक पहचान संख्या /अस्थायी आई डी)

___________ (नाम)

____________ (पता)

विषय: प्रतिदाय आवेदन संदर्भ सं. (ए आर एन…………तारीख ……….<दिन /मास /वर्ष >............ के संबंध में

महोदय/महोदया

यह अधिनियम की धारा 54 के अधीन फाइल किए गए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के संदर्भ में है । आपके आवेदन की संवीक्षा करने पर, निम्नलिखित कतिपय कमियां नोटिस की गई हैं .-

क्रम सं.	विवरण (प्रतिदाय आवेदन के छूटने के कारण को चयन करें ।
1.	<बहुचयन विकल्प >
2.	
	अन्य<टेक्सट बुक > { कारण मास्टर’ से चयनित कारण के सिवाय कोई अन्य कारण}

आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त कमियों के शुद्दिकरण के पश्चात, एक नया प्रतिदाय आवेदन फाइल करें ।

तारीख: हस्ताक्षर (डी एस सी):

स्थान: उचित अधिकारी का नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

प्ररुप जीएसटी आरएफडी- -04

[नियम 91(2) देखें]

मंजूरी आदेश सं. : तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में

___________ (माल और सेवा कर पहचान संख्या

___________ (नाम)

____________ (पता)

अनंतिम प्रतिदाय आदेश

प्रतिदाय आवेदन संदर्भ सं. (ए आर एन)…………तारीख ……… तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

अभिस्वीकृति सं.......................तारीख.................. <दिन /मास /वर्ष >

महोदय /महोदया,

प्रतिदाय के लिए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के संदर्भ में, निम्नलिखित रकम अनंतिम आधार पर आपको स्वीकृत की जाती है :

क्रम सं.	विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्य क्षेत्र कर	ऐकीकृत कर	उपकर
(i)	दावाकृत प्रतिदाय की रकम					
(ii)	दावाकृत रकम का 10% प्रतिदाय के रुप में (बाद में स्वीकृत					

	किया जाएगा)					
(iii)	बकाया रकम (i-ii)					
(iv)	स्वीकृत प्रतिदाय की रकम					
	बैंक विवरण					
(v)	आवेदन के अनुसार बैक खाता संख्या					
(vi)	बैंक का नाम					
(vii)	बैक /शाखा का पता					
(viii)	आई एफ एस सी					
(ix)	एम आई सी आर					

तारीख: हस्ताक्षर (डी एस सी):

स्थान: नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-05

[नियम 91*(3)*, 92(4), *92(5)* और 94 देखें]

संदाय सलाह

संदाय सलाह सं. तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में, <केन्द्रीय> पी ए ओ /खजाना / आई बी आई / बैंक

प्रतिदाय स्वीकृति आदेश सं.. ……………

आदेश तारीख……<दिन /मास /वर्ष >……….

जी एस टीआई एन /यू आई एन/ अस्थायी आई डी <>

नाम: <>

प्रतिदाय रकम (आदेश के अनुसार) :

	केन्द्रीय कर	राज्य कर	यू टी कर	एकीकृत कर	उपकर
नेट स्वीकृत प्रतिदाय रकम					
विलंब प्रतिदाय पर ब्याज					
कुल					

	बैंक का ब्यौरा	
(i)	आवेदन के अनुसार बैंक खाता संख्या	
(ii)	बैंक का नाम	
(iii)	बैंक /शाखा का नाम और पता	
(iv)	आई एफ एस सी	
(v)	एम आई सी आर	

तारीख: हस्ताक्षर (डी एस सी):

स्थान: नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

सेवा में

.....................................(जी एस टी आई एन /यू आई एन/ अस्थायी आई डी)

................................(नाम)

.....................................(पता)

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-06

[नियम 92 (1), *92(3)*, 92(4), 92(5) और 96(7) देखें]

आदेश सं. तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में,

.... (जी एस टीआई एन /यू आई एन/ अस्थायी आई डी)

.................................(नाम)

..............................(पता)

कारण बताओ नोटिस संख्या (यदि लागू हो)

अभिस्वीकृति संख्या .... तारीख:……<दिन /मास /वर्ष >……….

स्वीकृत प्रतिदाय/ अस्वीकृत आदेश

महोदय/महोदया,

यह अधिनियम की धारा 54 के अधीन प्रतिदाय के लिए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के संदर्भ में /*प्रतिदाय पर ब्याज*/ आपके आवेदन का परीक्षण करने पर आपको मंजूर प्रतिदाय की रकम बकाया (जहां लागू है) के समायोजन के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित है :-

क्रम सं.	विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य कर	यू टी कर	एकीकृत कर	उपकर
(i)	दावाकृत प्रतिदाय/ब्याज* की रकम					
(ii)	अनंतिम आधार पर मंजूर प्रतिदाय (आदेश सं...........तारीख........) (यदि लागू हों)					
(iii)	प्रतिदाय रकम अग्राह्य >> <कारण उल्लेख कीजिए> <बहु-कारण अनुज्ञेय है>					

(iv)	संदाय किए जाने वाली सकल रकम(1-2-3)					
(v)	विद्यमान विधि के अधीन या अधिनियम के अधीन बकाया मांग के विरुद्ध (यदि कोई हो) समायोजित रकम मांग आदेश सं...............तारीख.........अधिनियम अवधि <पंक्ति के साथ बहु पंक्तियों को संभव हो जोड़ें >					
(vi)	नेट संदाय की जाने वाली रकम					

*जो लागू *न हो उसे काट दें।*

&1. मैं, अधिनियम@ की धारा 56 के अधीन /अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन माल और सेवा कर पहचान संख्या रखने वाले मैसर्स............................को आई एन आर............की रकम की मंजूरी देता हूं ।

@जो लागू न हो उसे काट दें।

(क) और रकम को उसके द्वारा उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट बैंक खाता में संदाय किया गया है

(ख) रकम को उपरोक्त तालिका के क्रम संख्यां 5 पर विनिर्दिष्ट बकाया की वसूली को समायोजित किया गया है ।

(ग) ....रुपए की रकम को उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट बकाया की वसूली को समायोजित किया है और शेष................रुपए की रकम को उसके द्वारा उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट बैंक खाता में संदाय कर दिया गया है ।

#जो लागू न हो उसे काट दें ।

या

&2 मैं, अधिनियम की धारा (.....) की उपधारा (.....) के अधीन उपभोक्ता कल्याण निधि को आई एऩ आर.....................की रकम जमा करता हूं ।

&3 मैं, अधिनियम की धारा (............) की उपधारा (.....) के अधीन माल और सेवा कर पहचान संख्या रखने वाले मैसर्स..........................को आई एन आर............की रकम को निरस्त करता हूं ।

[&] जो लागू न हो उसे काट दें ।

तारीख:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

स्थान:

नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-07

[नियम 92(1), 92(2), 96(6) देखें]

संदर्भ सं. तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में,

.... (माल और सेवा कर पहचान संख्या /यूनिक पहचान संख्या /अस्थायी आई डी सं.)

..................................नाम

................................(पता)

अभिस्वीकृति संख्या .... तारीख:……<दिन /मास /वर्ष >……….

मंजूरी प्रतिदाय के पूर्ण समायोजन के लिए आदेश

भाग - क

महोदय/महोदया,

उपरोक्त यथानिर्दिष्ट आपके प्रतिदाय आवेदन के संदर्भ में और आपको मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम के विरुद्ध और दी गई सूचना या फाइल किए गए दस्तावेज बकाया मांग के विरुद्ध पूर्ण रूप से समायोजित कर दिया गया है जो ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित है :-

	प्रतिदाय गणना	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	यू टी कर	उपकर
(i)	दावाकृत प्रतिदाय की रकम					
(ii)	अनंतिम आधार पर नेट मंजूर प्रतिदाय					
(iii)	अस्वीकृत अग्राह्य प्रतिदाय रकम <<कारण उल्लेख कीजिए >>					
(iv)	प्रतिदाय अनुज्ञेय (i-ii-iii)					
(v)	विद्यमान विधि के अधीन या इस विधि के अधीन बकाया मांग (आदेश सं...........के अनुसार) के विरुद्ध समायोजित प्रतिदाय					

	मांग आदेश सं........... तारीख.......... <बहु-पंक्तियों में दी जा सकती है>					
(vi)	प्रतिदाय रकम का शेष	शून्य	शून्य			शून्य

मैं, यह आदेश देता हूं कि उपरोक्त यथादर्शित दावाकृत अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम के अधीन विद्यमान विधि के अधीन बकाया मांग के विरुद्ध पूर्ण रुप से समायोजित कर ली जाए । इस आवेदन का निपटारा अधिनियम की धारा (.......) की उपधारा (.....) के अधीन उपबंधों के अनुसार जारी किया गया है ।

या

भाग- ख

प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश

उपरोक्त यथानिर्दिष्ट आपके प्रतिदाय आवेदन के संदर्भ में और आपको मंजूर किए गए प्रतिदाय रकम के विरुद्ध और दी गई सूचना या फाइल किए गए दस्तावेज निम्नलिखित कारणों से रोक दिए गए है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

प्रतिदाय आदेश सं. :						
आदेश दारी करने की तारीख:						
	प्रतिदाय गणना	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	यू टी कर	उपकर
i.	मंजूर प्रतिदाय की रकम					
ii.	रोके गए प्रतिदाय की रकम					
iii.	अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम					

प्रतिदाय रोकने के लिए कारण

<<पाठ>>

मैं, यह आदेश देता हूं कि उपरोक्त यथादर्शित दावाकृत अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम के अधीन उपरोक्त वर्णित कारणों के लिए रोक दी गई । यह आदेश इस अधिनियम की धारा (.......) उपधारा (.....) के अधीन उपबंधों के अनुसार जारी किया गया है

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-08

[नियम 92(3) देखें]

प्रतिदाय के लिए आवेदन अस्वीकार करने के लिए नोटिस

एस सी एन सं. तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में,

.... (माल और सेवा कर पहचान संख्या /यूनिक पहचान संख्या /अस्थायी आई डी सं.)

.................................नाम

...............................(पता)

अभिस्वीकृति संख्या .... तारीख:……<दिन /मास /वर्ष >……….

आवेदन संदर्भ संख्या ....

यह अधिनियम की धारा 54 के अधीन फाइल किएगए प्रतिदाय के लिए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन का संदर्भ है । परीक्षण करने पर, यह पाया गया है कि, प्रतिदाय आवेदन निम्नलिखित कारणों के कारण अस्वीकार करने योग्य है :-

क्रम सं.	विवरण (उल्लेख छोड़े जाने से प्रतिदाय का अग्राह्य के कारणों का चयन)	अग्राह्य रकम
(i)		
(ii)		
(iii)	अन्य{ 'कारण मास्टर' में उल्लिखित कारणों को छोड़ कर कोई अन्य कारण}	

आपको उन कारणों को बताए जाने के लिए कहा गया है जो उपरोक्त विनिर्दिष्ट रकम के परिमाण उपरोक्त कथित कारणों के लिए आपके प्रतिदाय दावे को अस्वीकार क्यों न कर दिया जाए ।

- आपको यह निदेशित किया जाता है कि इस नोटिस के तामील होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर इस नोटिस का उत्तर दिया जाए ।

- आपको यह भी निदेशित किया जाता है कि आप तारीख/मास वर्ष समय ……… पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों ।

यदि आप नियत तारीख के भीतर उत्तर दिए जाने में असफल होते हो या नियत तारीख और समय पर निजी सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असफल होने की दशा में उपलब्ध अभिलेखों और गुणागुण के आधार पर एक तरफा विनिश्चय किया जाएगा ।

तारीख: हस्ताक्षर (डी एस सी):

स्थान: नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-09

[नियम 92(3) देखें]

कारण बताओं नोटिस का उत्तर

तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

1.	नोटिस का संदर्भ संख्या		जारी करने की तारीख	
2.	जी एस टी-आई एन / यू आई एन			
3.	कारबार का नाम, (विधिक)			
4.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो			
5.	नोटिस का उत्तर			
6.	अपलोड दस्तावेजों की सूची			

7.	सत्यापन मैं,......................................सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है । **प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर** नाम............................ पदनाम / प्रास्थिति........................ स्थान तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

स्थान:

तारीख: प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम / प्रास्थिति

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-10

[नियम 95(1) देखें]

संयुक्त राष्ट्र का कोई विशिष्ट अभिकरण या कोई बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

1. यूनिक पहचान संख्या :

2. नाम :

3. पता :

4. कर अवधि (तिमाही) : दिन /मास /वर्ष से ....तक <दिन /मास /वर्ष >

5. दावा प्रतिदाय की रकम <आई एन आर ><शब्दों में>

	रकम
केन्द्रीय कर	
राज्य कर	
संघ राज्य क्षेत्र कर	
एकीकृत कर	
उपकर	
कुल	

6. बैंक खाते का ब्यौरा:

(क) बैंक खाता संख्या

(ख) बैंक खाते का प्रकार

(ग) बैंक का नाम

(घ) खाता धारक / संचालक का नाम

(ङ) बैंक शाखा का पता

(च) आई एफ एस सी

(छ) एम आई सी आर

7. संदर्भ संख्या और दिए गए प्ररुप जी एस टी आर-11 की तारीख

8. सत्यापन

मैं, ...>दुतावास /अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम> का प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणी करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नही गया है ।

यह कि हम सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास कोई अन्य व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तियों का वर्ग के रुप में ऐसे प्रतिदाय दावा के पात्र हैं ।

स्थान:

तारीख: प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम / प्रास्थिति

प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-01

{नियम 98(1) देखें}

धारा 60 के अधीन अंनतिम निर्धारण के लिए आवेदन

1. जीएसटीआईएन
2. नाम
3. पता

4. उस वस्तु/सेवा का विवरण/जिसके लिए कर की दर/मूल्यांकन का अवधारण किया जाना है ।								
क्र.सं.	**एचएसएन**	**वस्तु का नाम**	**कर की दर**				**मूल्यांकन**	**मासिक औसत**
			केन्द्रीय कर	**राज्य/सं.शा. राज्यक्षेत्र कर**	**एकीकृत कर**	**उपकर**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. अनंतिम निर्धारण कर की मांग करने के लिए कारण								
6. फाईल किये गये दस्तावेज								

7.सत्यापन-

मैं------सत्यनिष्ठा पूर्वक यह कथन करता हूँ और घोषणा करता हू कि यहां उपरोक्त में दी गई सूचना मेरे ज्ञान विश्वास से सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

तारीख--------------------

प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-02

{नियम 98(2) देखें}

संदर्भ सं0 तारीखः

सेवा में

जीएसटी आईएन--------------------

नाम------------------

पता-------------------

आवेदन संदर्भ सं0------------------------- तारीख ------------------

अंनतिम निर्धारण के लिए अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण/दस्तावेजो को मांगने हेतू सूचना ।

कृपया उपरोक्त संदर्भित आवेदन का संदर्भ ले । अंनतिम निर्धारण के लिए आपकी प्रार्थना का निरिक्षण करते समय यह पाया गया है कि निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज इस प्रक्रिया के लिए अपेक्षित है -

<< पाठ >>

अतः आप से निवेदन है कि इस सूचना की तामील की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर सूचना/दस्तावेज का उपबंध करें जिससे कि यह कार्यालय इस मामलें में कोई विनिश्चय करने में समर्थ हो सकें । कृपया नोट करें कि यदि नियत तारीख तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो आपका आवेदन, आपको और संदर्भ किए बिना नामंजूर किए जाने का दायी होगा ।

आप से निवदेन है कि << तारीख-----समय------स्थल >> पर व्यैक्तिक सुनवाई के लिए अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत हों ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्ररूप जीएसटी एएसएमटी- 03

{नियम 98(2) देखें}

अतिरिक्त सूचना मांगने के लिए सूचना का उत्तर

<table>
<tr><td>1. जीएसटीआईएन</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2. नाम</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3. उस सूचना का विवरण जिसके द्वारा अतिरिक्त सूचना मांगी गई</td><td>सूचना सं0</td><td>सूचना तारीख</td></tr>
<tr><td colspan="3">4. उत्तर</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">5. फाईल किये गये दस्तावेज</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
</table>

6. सत्यापन

मैं------सत्यनिष्ठापूर्वक यह कथन करता हूँ और धोषणा करता हू कि यहां उपरोक्त में दी गई सूचना मेरे ज्ञान विश्वास से सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

तारीख-------

प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-04

{नियम 98(3) देखें}

संदर्भ सं0 तारीख

सेवा में

जीएसटी आईएन-----------------
नाम-----------------------
पता---------------------

आवेदन संदर्भ सं0------------------------- तारीख ------------------

अंनतिम निर्धारण का आदेश

यह अंनतिम निर्धारण के आपके निवेदन के समर्थन में सूचना/दस्तवेजों को प्रस्तुत करने, उपरोक्त लिखित आवेदन तथा उत्तर तारीख--------- के संदर्भ में है । आपके आवेदन और उत्तर का निरिक्षण करने पर, अंनतिम निर्धारण को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञात किया गया है -

<< पाठ >>

अंनतिम निर्धारण-----तारीख तक और विहित रूप विधान में बंधपत्र---------(माघ्यम) के प्ररूप में ------रूपये की रकम की प्रतिभूति देने के अध्यधीन अनुज्ञात किया जाता है ।

कृपया नोट करें कि यदि बंधपत्र और प्रतिभूति नियम तारीख के भीतर नहीं दी जाती है, अंनतिम निर्धारण आदेश को अकृत और शून्य माना जाएगा जैसे कि ऐसा कोई आदेश पारित ही न हुआ हो ।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-05

{नियम 98(4) देखें}

प्रतिभूति देना

<table>
<tr><td colspan="3">1. जीएसटीआईएन</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2. नाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">3. आदेश जिसके द्वारा प्रतिभूति को विहित किया गया है</td><td>आदेश सं0</td><td colspan="2">आदेश की तारीख</td></tr>
<tr><td colspan="6">4. दी गई प्रतिभूति का विवरण</td></tr>
<tr><td>क्र.सं.</td><td>माध्यम</td><td>संदर्भ सं0/लिए नगद संदाय के लिए नामे प्रविष्टि सं0</td><td>तारीख</td><td>रकम</td><td>बैंक का नाम</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

टिप्पणः बैंक गारंटी और बंधपत्र की हाई प्रति आदेश में वर्णित तय तारीख को या उससे पूर्व जमा करनी होगी ।

5. घोषणा--

(i) ऊपर वर्णित बैंक गारंटी उन माल और सेवाओं के प्रदाय पर अंतरीय कर को सुरक्षित करने के लिए दी गई है जिसकी बाबत मुझे अंनतिम आधार पर कर संदाय करने को अनुज्ञात किया गया है ।

(ii) मैं बैंक गारंटी का इसके अवसान से पहले नवीनीकरण कराने का वचन देता हूँ । यदि मैं/हम ऐसा करने में असफल रहते है तो विभाग को बैंक से बैंक गांरटी के विरूद्ध संदाय प्राप्त करने की छूट होगी ।

(iii) यदि हम अंनतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए सुकर बनाने में अपेक्षित दस्तावेज/सूचना देने में असफल रहते है, विभाग को अंनतिम निर्धारण का आच्छेदन करने के लिए हमारे द्वारा उपबंधित बैंक गारंटी को अवलंब करने की छूट होगी ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

तारीख-------

अंनतिम निर्धारण के लिए बंधपत्र
(नियम देखें)

मैं/हम....................इसमें इसके पश्चात् बाध्यताधारी कहा जाएगा, भारत के राष्ट्रपति (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् "राष्ट्रपति" कहा गया है)/(राज्य) के ....राज्यपाल (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है) के प्रति.....................रू0 ....की रकम का राष्ट्रपति/राज्यपाल को संदाय करने के लिए वचनबद्ध और दृढ़तापूर्व आबद्ध हूं/हैं इसका संदाय पूर्णत: और सही रूप में किए जाने के लिए मैं/हम संयुक्त रूप से और पृथकत: स्वयं को/ अपने आप को और अपने वारिसों/निष्पादकों/प्रशासकों/विधिक प्रतिनिधियों/उत्तरवर्तियों को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूं/करते हैं/तारीख..............को इस पर हस्ताक्षर किए गए ।

ऊपर आबद्धकर बाध्यताधारी द्वारा प्रदाय किए गए..........................(माल/सेवाओं या दोनों–एचएसएन............) पर एकीकृत कर/केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर का समय-समय पर अंतिम निर्धारण, उनको लागू कर के मूल्य या दर के संबंध में पूरी जानकारी नहीं होने के कारण नहीं हो सका है;

और बाध्यताधारी यह वांछा करता है कि धारा 60 के उपबंधों के अनुसार अनंतिम निर्धारण किया जाए ।

और आयुक्त, बाध्यताधारी से राष्ट्रपति/राज्यपाल के पक्ष में पृष्ठांकित.........................रूपए रकम की बैंक प्रतिभूति देने की अपेक्षा करता है और जबकि बाध्यताधारी को आयुक्त के पास ऊपर उल्लिखित बैंक प्रतिभूति जमा करके ऐसी प्रतिभूति देनी है ।

इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी और उसका प्रतिनिधि, धारा 60 के अधीन अनंतिम निर्धारण के संबंध में अधिनियम के सभी उपबंधों का पालन करें;

और यदि ऐसे एकीकृत कर/केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर या अन्य प्रभारों का जो अंतिम निर्धारण के पश्चात् मांग योग्य होंगे सम्यक् रूप से उक्त अधिकारी द्वारा लिखित में की गई उसकी मांग की तारीख से तीस दिन के भीतर ब्याज, यदि कोई हो, के साथ संदाय कर दिया गया है तो यह बाध्यता शून्य होगी;

अन्यथा और इस शर्त के किसी भाग के भंग या असफल होने के आधार पर उसका पूर्ण बल और आधार होगा ।

और राष्ट्रपति/राज्यपाल, अपने विकल्प पर, बैंक प्रतिभूति की रकम से या ऊपर लिखित बंधपत्र के अधीन अपने अधिकारों का पृष्ठांकन करके या दोनों से सभी हानि और नुकसानों को पूरा करवाएंगे ।

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि यह बंधपत्र, किसी ऐसे कृत्य के अनुपालन के लिए, जिसमें सार्वजनिक हित है, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के आदेश सं0 बनाया गया है;

इसके साक्ष्य स्वरूप बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) द्वारा इसमें इसके पूर्व तारीख को इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों के हस्ताक्षर)
तारीख :
स्थान :

साक्षी
(1) नाम और पता व्यापार
(2) नाम और पता व्यापार
तारीख :
स्थान :

साक्षी

(1) नाम और पता व्यापार
(2) नाम और पता व्यापार

मैं, ...तारीख..........................(मास) ....(वर्ष)
का ....(पदनाम)
को उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति/(राज्य)...........राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हैं ।

प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-06
{नियम 98(5) देखें}

संदर्भ सं0 तारीख

सेवा में

जीएसटी आईएन-----------------
नाम-----------------------
पता---------------------

आवेदन संदर्भ सं0------------------------- तारीख ------------------
अनंतिम निर्धारण आदेश सं0 (तारीख---------------------)

अतिंम निर्धारण के लिए अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण/दस्तावेजों को मांगने के लिए सूचना

कृपया उपरोक्त संदर्भित अंनतिम निर्धारण आदेश और आपके आवेदन का संदर्भ लें । निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज अंनतिम निर्धारण को अतिंम रूप देने के लिए अपेक्षित है -

<< पाठ >>

अतः आप से निवेदन है कि इस सूचना की तामीन की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर सूचना/दस्तावेज का उपबंध करें जिससे कि यह कार्यालय इस मामलें में कोई विनिश्चय करने में समर्थ हो सकें । कृपया नोट करें कि यदि नियत तारीख तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो आपका आवेदन, उसको और संदर्भ किए बिना नामंजूर किए जाने का दायी होगा ।

आप से निवदेन है कि << तारीख-----समय------स्थल >> पर व्यैक्तिक सुनवाई के लिए अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत हों ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-07

{नियम 98(5) देखें}

संदर्भ सं0 तारीख ------------------

सेवा में

जीएसटी आईएन-----------------
नाम-----------------------
पता---------------------

आवेदन संदर्भ सं0------------------------- तारीख ------------------

अंतिम निर्धारण आदेश

प्रस्तावना << मानक >>

ऊपर संदर्भित अंनतिम निर्धारण आदेश के क्रम में और उपलब्ध सूचना/प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर अतिंम निर्धारण आदेश निम्नलिखित रूप में जारी किया जाता है :-

संक्षिप्त तथ्य
आवेदक द्वारा निवेदन
चर्चा और निष्कर्ष
निर्णय और आदेश

आदेश के अनुपालन के पश्चात कोई आवेदन फाईल पर प्रयोजन के लिए दी गई प्रतिभूति को वापिस लिया जा सकेगा ।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-08

{नियम 98(6) देखें}

प्रतिभूति वापिस लेने के लिए आवेदन

<table>
<tr><td colspan="4">1. जीएसटीआईएन</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">2. नाम</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">3. वह विवरण जिसके द्वारा प्रतिभूति दी गई</td><td>एआरएन</td><td>तारीख</td></tr>
<tr><td colspan="6">4. वापिस ली जाने वाली प्रतिभूति का विवरण</td></tr>
<tr><td>क्र.सं.</td><td>माध्यम</td><td>संदर्भ सं0(नगद संदाय के लिए) नामे प्रविष्टि सं0</td><td>तारीख</td><td>रकम</td><td>बैंक का नाम</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

5. सत्यापन--

मैं------सत्यनिष्ठापूर्वक यह कथन करता हूँ और धोषणा करता हू कि यहां उपरोक्त में दी गई सूचना मेरे ज्ञान विश्वास से सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

तारीख-------

प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-09

{नियम 98(7) देखें}

संदर्भ सं0 तारीख ------------------

सेवा में

जीएसटी आईएन-----------------

नाम-----------------------

पता---------------------

आवेदन संदर्भ सं0------------------------- तारीख ------------------

प्रतिभूति के निर्मोचन या आवेदन को नामंजूर करने का आदेश

यह प्रतिभूति की रकम-----------रू (----------रू0 शब्दों में) के निर्मोचन के संबंध में ऊपर वर्णित आपके आवेदन के संदर्भ में है । आपके आवेदन का निरिक्षण किया गया है और उसे सही पाया गया । पूर्वोक्त प्रतिभूति को निर्मोचित किया जाता है ।

या

प्रतिभूति के निर्मोचन संबंधी ऊपर संदर्भित आपके आवेदन का निरिक्षण किया गया लेकिन उसे निम्नलिखित कारणों से सही नहीं पाया गयाः-

<< पाठ >>

इसलिए प्रतिभूति के निर्मोचन के लिए आवेदन को नामंजूर किया जाता है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

तारीख-------

प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-10
{नियम 99(1) देखें}

संदर्भ सं0
तारीख

सेवा में

जीएसटी आईएन-----------------
नाम-----------------------
पता---------------------

कर अवधि-------------------------   वि0 वर्ष------------------

सविंक्षा के पश्चात विवरणी में फर्क को सूचित करने के लिए आवेदन

यह सूचित किया जाता है कि ऊपर संदर्भित कर अवधि के लिए विवरणी की सविंक्षा के दौरान निम्नलिखित फर्क अवेक्षित किये गये है -

<< पाठ >>

आपको,-------तारीख तक फर्को के लिए कारणों की व्याख्या का निदेश दिया जाता है । यदि उपरोक्त तारीख तक कोई व्याख्या प्राप्त नहीं होती है, यह समझा जाएगा कि आपको मामलें में कुछ नहीं कहना है और इस संबंध मे आपको और संदर्भ किय बिना आपके विरूद्ध विधि के अनुसरण में कार्रवाई की जाएगी ।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-11

{नियम 99(2) देखें}

धारा 61 के अधीनविवरणी में फर्क को सूचित करने के लिए जारी सूचना का उत्तर

<table>
<tr><td colspan="2">1. जीएसटीआईएन</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2. नाम</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3. सूचना का विवरण</td><td>संदर्भ सं0</td><td>तारीख</td></tr>
<tr><td colspan="2">4. कर अवधि</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">5. फर्कों के लिए उत्तर</td></tr>
<tr><td>क्रम सं.</td><td>फर्क</td><td colspan="2">उत्तर</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

6. स्वीकृत रकम और संदत्त, यदि कोई हो -

अधिनियम	कर	ब्याज	अन्य	कुल

7. सत्यापन

मैं------सत्यनिष्ठापूर्वक यह कथन करता हूँ और धोषणा करता हू कि यहां उपरोक्त में दी गई सूचना मेरे ज्ञान विश्वास से सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

तारीख-------

जीएसटी एएसएमटी प्ररुप-12

[नियम 99(3) देखें]

संदर्भ सं.: तारीख:

सेवा में,

जीएसटीआईएन

नाम

पता

कर अवधि - वित्तीय वर्ष

ए. आर.एन. - तारीख

धारा 61 के अधीन जारी किए गए नोटिस के विरुद्ध प्रतिग्रहण आदेश का उत्तर

यह, संर्दभ सं.......................तारीख..................द्वारा जारी किए गए नोटिस के जवाब में आपके उत्तर तारीख.......................के संदर्भ में है । आपका उत्तर संतोषजनक पाया गया है और इस मामले में आगे की कार्रवाई की जानी अपेक्षित है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

जीएसटी एएसएमटी प्ररुप-13

[नियम 100(1) देखें]

संदर्भ सं.: तारीख:

सेवा में,

जीएसटीआईएन

नाम

पता

कर अवधि - वित्तीय वर्ष विवरणी प्रकार

नोटिस संर्दभ सं. तारीख

धारा 62 के अधीन निर्धारण आदेश

उद्देशिका- << मानक >>

उक्त कर अवधि के लिए विवरणी न भरे जाने के लिए अधिनियम की धारा 46 के अधीन आपको जारी किए गए उपरोक्त नोटिस का संदर्भ लें । विभाग के पास उपलब्ध अभिलेख से यह नोटिस किया गया है कि आपने आज तारीख तक उक्त विवरणी नहीं दी है ।

अतः विभाग के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर आपके द्वारा निर्धारण और देय राशि निम्नलिखित है

प्रस्तावना

जमा किया गया, यदि कोई हो

चर्चा और निष्कर्ष

निष्कर्ष

निर्धारित और देय राशि (ब्यौरे उपाबंध पर) :

(राशि रुपयों में)

क्रम संय	कर अवधि	अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल							

कृपया नोट करें कि आदेश पारित करने की तारीख तक ब्याज की गणना की गई है । भुगतान करते समय, आदेश की तारीख और भुगतान की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज आदेश में वर्णित बकाया राशि के साथ लिखी जाएगी और भुगतान किया जाएगा ।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप आदेश के तामिल होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर विवरणी दे देते हैं तो आदेश वापस लिया गया समझा जाएगा, अन्यथा, उपर्युक्त अवधि के पश्चात् आपके विरुद्ध बकाया राशि वसूल करनी की कार्यवाहियां शुरू की जाएगी ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

जीएसटी एएसएमटी प्ररुप-14

[नियम 100(2) देखें]

संदर्भ सं.: तारीख:

सेवा में,

नाम

पता

कर अवधि - वित्तीय वर्ष

धारा 63 के अधीन निर्धारण के लिए कारण बताओ नोटिस

मेरी जानकारी में यह आया है कि यद्यपि आप /आपकी कंपनी/ फर्म अधिनियम की धारा ....के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए उत्तरदायी है, रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असफल रहा है और उक्त अधिनियम के अधीन कर और अन्य दायित्वों को चुकाने में असफल रहा है जो कि निम्नलिखित ब्यौरे में दी गई है :-

संक्षिप्त तथ्य -

आधार –

निष्कर्ष –

या

मेरी जानकारी में यह आया है कि आपका रजिस्ट्रीकरण तारीख ....से धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन रद्द किया गया है और आप उपरोक्त दर्शित अवधि के लिए कर अदा करने के दायी है ।

अतः आपको यह निदेशिक किया जाता है कि आप कारण बताएं कि क्यों रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होने के बावजूद रजिस्ट्रीकरण के बिना कारबार संचालन के लिए आपके विरुद्ध क्यों न ब्याज सहित कर दायित्व और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण के लिए क्यों न शास्ति अधिरोपित की जाए ।

इस संबंध में, आपको निदेशित किया जाता है कि आप तारीख.................को समय............. पर हस्ताक्षरित के समक्ष उपस्थित हों।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

जीएसटी एएसएमटी प्ररुप-15

[नियम 100(2) देखें]

संदर्भ सं.: तारीख:

सेवा में,

अस्थायी पहचान पत्र

नाम

पता

कर अवधि - वित्तीय वर्ष

एस सी एन संदर्भ सं.

धारा 63 के अधीन निर्धारण आदेश

उद्देशिका- << मानक >>

आपको जारी किए गए उपरोक्त नोटिस के संदर्भ में वह कारण बताएं कि अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत दायित्व होने के बावजूज, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रुप में कारबार संचालन चलाये रखा गया ।

या

आपको जारी किए गए उपरोक्त नोटिस के संदर्भ में वह कारण बताएं कि तारीख ....से धारा 29 के उपधारा (2) के अधीन आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द हो गया था, ... अवधि के लिए क्यों कर नही दिया जाना चाहिए ।

जबकि, आपके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है या आपका उत्तर तारीख ....को आयोजित कार्यवाही के दौरान विचारणीय नहीं था।

विभाग के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर/कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत अभिलेख में आपके द्वारा निर्धारित और देय राशि निम्नलिखित है:-

प्रस्तावना

जमा किया गया, यदि कोई हो

निष्कर्ष (छोड़ी गई कार्यवाही या सृजित मांग)

निर्धारण और दायी राशि :- (ब्यौरे उपाबंध पर)

(राशि रुपयों में)

क्रम संय	कर अवधि	अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल							

कृपया ध्यान दें कि आदेश पारित करने की तारीख तक ब्याज की गणना की गई है। भुगतान करते समय, आदेश की तारीख और भुगतान की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज आदेश में वर्णित बकाया राशि के साथ लिखी जाएगी और भुगतान किया जाएगा ।

आपको यह निदेशित किया जाता है कि भुगतान तारीख ....तक कर दिया जाए जिसके न हो सकने पर आपके विरुद्ध बकाया राशि वसूल करने की कार्यवाहियां शुरु की जांएगी।

हस्ताक्षर

नाम

जीएसटी एएसएमटी प्ररुप-16

[नियम 100(3) देखें]

संदर्भ सं.: तारीख:

सेवा में,

जीएसटीआईएन/पहचान सं0

नाम

पता

कर अवधि - वित्तीय वर्ष

धारा 64 के अधीन निर्धारण आदेश

उद्देशिका- << मानक >>

मेरे यह संज्ञान में लाया गया है कि गोदाम.................(पता) के स्टॉक में या..........(पता और यान के ब्यौरे) पर आस्थित यान में बेहिसाब माल पड़ा हुआ है और आप इस माल का लेखा देने में या माल का ब्यौरे दर्शित करने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ थे ।

अत: मैं ऐसे माल पर देय कर के निर्धारण के लिए निम्नानुसार कार्यवाही करता हूं:

प्रस्तावना

विचार विमर्श और निष्कर्ष

निर्णय

निर्धारित और संदेय रकम (ब्यौरे उपाबंध में हैं)

(राशि रुपयों में)

क्रम संय	कर अवधि	अधिनियम	कर	ब्याज यदि कोई हो	शास्ति	अन्य	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल							

योग							

कृपया ध्यान दें कि आदेश पारित करने की तारीख तक ब्याज की संगणना की गई है। संदाय करते समय, आदेश की तारीख और संदाय की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज का भी परिकलन किया जाएगा और उसे आदेश में वर्णित बकाया राशि के साथ संदत्त किया जाएगा ।

आपको......................तारीख यह निदेशित किया जाता है कि भुगतान तारीख ....तक कर दिया जाए जिसके न हो सकने पर आपके विरुद्ध बकाया राशि वसूल करने की कार्यवाहियां शुरु की जांएगी।

हस्ताक्षर

नाम

प्ररुप जीएसटी एएसएमटी -17

[नियम 100(4) देखें]

धारा 64 के अधीन जारी किए गए निर्धारण आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन

1. जी एस टी आई एन/आई डी		
2.नाम		
3. आदेश का विवरण	संदर्भ सं.	आदेश जारी होने की तारीख
4. कर अवधि, यदि कोई हो		
5. वापस लेने का आधार		

6. सत्यापन

मैं____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम ___________

पदनाम/प्रास्थिति -------

तारीख-

प्ररुप जीएसटी एएसएमटी -18
[नियम 100(5) देखें]

संदर्भ सं.: तारीखः

जीएसटीआईएन/आई डी

नाम

पता

ए आर एन- तारीख–

धारा 64(2) के अधीन दिए गए आवेदन का प्रतिग्रहण या अगृहित करना ।

उपरोक्त निर्दिष्ट आपके आवेदन द्वारा दिए गए उत्तर को विचार में लिया गया और अनुक्रम में पाया गया है तथा निर्धारण आदेश सं............तारीख................को वापस ले लिया गया है ।

या

उपरोक्त निर्दिष्ट आपके आवेदन द्वारा दिए गए उत्तर निम्नलिखित कारणों के लिए अनुक्रम में नहीं पाए गए हैं :

<<पाठ >>

अतः आपके द्वारा आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन को निरस्त किया जाता है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्ररुप जीएसटी एडीटी-01

[नियम 101(2) देखें]

संदर्भ सं.: तारीख:

सेवा में

....
जी एस टी आई एन.............................
नाम.......................................
पता...................................
अवधि-वित्तीय वर्ष (वर्षों) - ....

लेखा परीक्षा आयोजित करने का नोटिस

जहां यह विनिश्चय किया गया है कि धारा 65 के उपबंधों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष (वर्षों)..........................से............................के लिए आपकी लेखा और अभिलेखों पुस्तकों का लेखा परीक्षा किया जाएगा । मैं उक्त लेखा परीक्षा को मेरे कार्यालय/ आपके कारबार स्थान पर आयोजित करने का प्रस्ताव करता हूं ।

और जहां आपको अपेक्षित हो:-

(i) इस संदर्भ में यथा अपेक्षित लेखा और अभिलेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन की आवश्यक सुविधाएं हस्ताक्षरित को सुविधानजक उपलब्ध कराएं, और

(ii) यथा अपेक्षित ऐसी सूचनाओं को देना और लेखा परीक्षा को समय पर पूरा करने के लिए सहायता करना ।

आप को यह निदेशित किया जाता है कि हस्ताक्षरित के समक्ष.....................(स्थान) पर तारीख ....को व्यक्तिगत रुप से या प्रधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो और लेखा परीक्षा के लिए यथा अपेक्षित पूर्वोक्त वित्तीय वर्ष (वर्षों) के लिए आपकी लेखा और अभिलेखों पुस्तकों को प्रस्तुत करें ।

इस नोटिस के अनुपालन न करने की दशा में, यह समझा जाएगा कि ऐसी लेखा पुस्तकें आपके कब्जें में नहीं हैं और इस संबंध में पत्राचार किए बिना आपके विरुद्ध इस

अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाहियां शुरु करने योग्य समझी जा सकेंगी ।

हस्ताक्षर................

नाम.....................

पदनाम...................

प्ररुप जीएसटी एडीटी -02

[नियम 101(5) देखें]

संदर्भ सं.: तारीख:

सेवा में

....

जीएसटीआईएन.............................

नाम.......................................

पता..................................

लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं..................................

धारा 65(6) के अधीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष.....................के लिए आपकी लेखा और अभिलेखों पुस्तकों का परीक्षण किया गया और आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी/दिए गए दस्तावेजों के आधार पर यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है और निष्कर्ष निम्नलिखित है :-

कम संदाय का	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
कर				
ब्याज				
कोई अन्य रकम				

[*लेखा परीक्षा अवलोकन अंतर्विष्ट पी डी एफ फाइल अपलोड)*

आपको निदेशित किया जाता है कि अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार इस संबंध में आप अपने कानूनी दायित्वों को पूरा करें, जिसके न हो सकने पर अधीनियम के उपबंधों के अधीन आपके विरुद्ध कार्यवाहियां शुरु की गई समझी जा सकेगी ।

हस्ताक्षर................

नाम.....................

पदनाम...................

प्ररुप जीएसटी एडीटी -03

[नियम 102(1) देखें]

संदर्भ सं.: तारीख:

सेवा में

....

जीएसटीआईएन.............................

नाम.......................................

पता..................................

कर अवधि-वित्तीय वर्ष (वर्षों) - ....

धारा 66 के अधीन विशेष लेखा परीक्षा के आयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से पत्र व्यवहार ।

जहां विवरणी /जाच /अंवेषण /................कार्यवाहियों की संविक्षा चल रही हो;

और जहां यह महसूस किया गया है कि आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित..............(नाम) चार्टर्ड अकाऊन्टेंट /लागत लेखाकार द्वारा आपके लेखा और अभिलेखों पुस्तकों की परीक्षण और लेखा परीक्षा करवाना आवश्यक है ।

आपको निदेशित किया जाता है कि उक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट /लागत लेखाकार द्वारा आपके लेखा और अभिलेखों पुस्तकों का लेखा परीक्षा करवा लें ।

हस्ताक्षर................

नाम.....................

पदनाम...................

प्ररुप जीएसटी एडीटी -04

[नियम 102(2) देखें]

संदर्भ सं.: तारीख:

सेवा में

....
जीएसटीआईएन..............................
नाम.......................................
पता..................................

विशेष लेखा परीक्षा पर निष्कर्ष की सूचना

वित्तीय वर्ष.....................के लिए आपकी लेखा और अभिलेखों पुस्तकों का परीक्षण (चार्टर्ड आकाऊन्टेंट /लागत लेखाकार)......द्वारा किया गया है और आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी/दिए गए दस्तावेजों के आधार पर यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है और निष्कर्ष विसंगति निम्नलिखित है :-

कम संदाय का	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/यू टी कर	उपकर
कर				
ब्याज				
कोई अन्य रकम				

[*लेखा परीक्षा अवलोकन अंतर्विष्ट पी डी एफ फाइल अपलोड)*

आपको निदेशित किया जाता है कि अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार इस संबंध में आप अपने कानूनी दायित्वों को पूरा करें, जिसके न हो सकने पर अधीनियम के उपबंधों के अधीन आपके विरुद्ध कार्यवाहियां शुरु की गई समझी जा सकेगी ।

हस्ताक्षर.................

नाम......................

पदनाम...................

प्ररूप जीएसटी एआरए -01

[*नियम* 104(1) *देखें*]

अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन प्ररूप

<table>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">जीएसटीआएन सं. यदि कोई हो/ उपभोक्ता पहचान</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">आवेदक का विधिक नाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">आवेदक के व्यापार का नाम (वैकल्पिक)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">आवेदक की प्रास्थिति [रजिस्ट्रीकृत / अरजिस्ट्रीकृत]</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="2">रजिस्ट्रीकृत पता/ उपभोक्ता पहचान प्राप्त करने के समय दिया गया पता</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">पत्राचार का पता, यदि ऊपर से भिन्न हों</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">मोबाइल नंबर [एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ]</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="2">टेलीफोन नंबर [एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ]</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="2">ई-मेल पता</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="2">अधिकारिता वाला प्राधिकारी</td><td colspan="3"><<नाम, पदनाम, पता>></td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="2">i. प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम</td><td colspan="3">वैकल्पिक</td></tr>
<tr><td></td><td>ii. मोबाइल नंबर</td><td></td><td>iii. ई-मेल पता</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="5">कार्यकलाप(कार्यकलापों) की प्रकृति (प्रस्तावित / वर्तमान) जिनके संबंध में अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">अ. प्रवर्ग</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">कारखान / विनिर्माण</td><td colspan="2">थोक व्यापार</td><td>खुदरा व्यापार</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">भांडागार/डिपो</td><td colspan="2">बंधित भांडागार</td><td>सेवा उपबंध</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">कार्यालय/विक्रय कार्यालय</td><td colspan="2">पट्टा कारोबार</td><td>सेवा प्राप्तिकर्ता</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">ईओयू/ एसटीपी/ ईएचटीपी</td><td colspan="2">विशेष आर्थिक जोन</td><td>इनपुट सेवा वितरण</td></tr>
</table>

			(आईएसडी)
	कार्य संविदा		
	आ. विवरण (संक्षेप में)	(**संलग्नक भी फाइल करने के लिए उपबंध**)	
13.	विवाद्यक/विवाद्यकों जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है (जहां कहीं लागू हों, चिन्हित करें) :-		
	(i) माल और/या सेवा या दोनों का वर्गीकरण	☐	
	(ii) अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना का लागू होना	☐	
	(iii) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के समय और मूल्य का अवधारण	☐	
	(iv) संदत्त कर या संदत्त किए जाने के लिए समझा गया कर के इनपुट कर की ग्राह्यता	☐	
	(v) किसी माल या सेवा या दोनों पर कर के संदाय के दायित्व का अवधारण	☐	
	(vi) क्या अपीलार्थी के लिए अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित है	☐	
	(vii) क्या किसी माल और/या सेवाओं और दोनों के संबंध में आवेदक द्वारा कोई ऐसी विशिष्ट बात की गई है जो माल और/या सेवाओं और दोनों उसके निबंधनों के अर्थांतर्गत आते है या उनके परिणामस्वरूप है	☐	
14.	प्रश्न जिसके (जिनके) लिए अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है		
15.	उद्भूत प्रश्न (प्रश्नों) के संबंध में सुसंगत तथ्यों का विवरण		
16.	पूर्वोक्त प्रश्न (प्रश्नों) के संबंध में (अर्थात् और ऐसे विवादयकों पर अनुरोध जिन पर अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है) आवेदक का, यथास्थिति, विधि और/या तथ्यों के निर्वचन वाला कथन		
17.	मैं यह घोषणा करता हूं कि आवेदन में उद्भूत प्रश्न (चिन्हांकित करें) -		
	क. अधिनियम के उपबंधों में किसी उपबंध के अधीन आवेदक के मामले में किसी कार्यवाही में पहले से लंबित नहीं है ख. अधिनियम के उपबंधों में किसी उपबंध के अधीन आवेदक के मामले में किन्हीं कार्यवाहियों में से पहले विनिश्चित नहीं की गई है		
18.	संदाय के ब्यौरे	चालान पहचान संख्या (सीआईएन) – तारीख -	

सत्यापन

मैं, ____________________ (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री___________________ सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर संलग्नक (संलग्नकों), जिसके अंतर्गत दस्तावेज भी हैं, में जो कथन किया गया है मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है । मैं यह आवेदन ___________________ (पदनाम) के रूप में अपनी हैसियत से कर रहा/रही हूं और मैं यह आवेदन करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं ।

हस्ताक्षर

स्थान _______________________ आवेदक /प्राधिकृत

हस्ताक्षरी का नाम

तारीख _______________________ पदनाम/प्रास्थिति

प्ररूप जीएसटीए आरए -02

[*नियम 106(1) देखें*]

अग्रिम विनिर्णय के लिए अपील प्राधिकारी को अपील

क्रम सं.	**विशिष्टियां**	**टिप्पण**
1	अग्रिम विनिर्णय सं.	
2	अग्रिम विनिर्णय संसूचित करने की तारीख	दिन/मास/वर्ष
3	अपीलार्थी की जीएसटीआईएन / उपभोक्ता पहचान	
4	अपीलार्थी का विधिक नाम	
4	अपीलार्थी का विधिक नाम	
5	अपीलार्थी के व्यापार का नाम (वैकल्पिक)	
6	अपीलार्थी का पता जिस पर सूचनाएं भेजी जा सकेंगी	
7	अपीलार्थी का ई-मेल पता	
8	अपीलार्थी का मोबाइल नंबर	
9	अधिकारिता रखने वाला अधिकारी / संबंधित अधिकारी	
10	अधिकारिता रखने वाला अधिकारी / संबंधित अधिकारी का पदनाम	
11	अधिकारिता रखने वाला अधिकारी / संबंधित अधिकारी का ई-मेल पता	
12	अधिकारिता रखने वाला अधिकारी / संबंधित अधिकारी का मोबाइल नंबर	
13	क्या अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की वांछा रखता है	हां/नहीं

14.	मामले के तथ्य (संक्षेप में)	
15.	अपील का आधार	
16.	संदाय के ब्यौरे	चालान पहचान सं. (सीआईएन) – तारीख -

प्रार्थना

पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए आदरपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय अपील प्राधिकारी (स्थान) :

क. जैसी ऊपर प्रार्थना की गई है अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित अग्रिम विनिर्णय को अपास्त/उपांतरित करने की कृपा करें ;

ख. व्यक्तिगत सुनवाई की करने की करें; और

ग. कोई ऐसा (ऐसे) और या अन्य आदेश पारित करने की कृपा करें जो वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ठीक और उचित समझे ;

और इस कृपापूर्ण कार्य के लिए अपीलार्थी प्रार्थना करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ है ।

सत्यापन

मैं, ____________________ (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री___________________ सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर संलग्नक (संलग्नकों), जिसके अंतर्गत दस्तावेज भी हैं, में जो कथन किया गया है मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है । मैं यह आवेदन ___________________ (पदनाम) के रूप में अपनी हैसियत से कर रहा/रही हूं और मैं यह आवेदन करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं ।

हस्ताक्षर

स्थान _______________________ आवेदक /प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

तारीख _______________________

पदनाम/प्रास्थिति

प्ररूप जीएसटी एआरए -03

[*नियम 106(2) देखें*]

अग्रिम विनिर्णय के लिए अपील प्राधिकारण को अपील

क्रम सं.	विशिष्टियां	टिप्पण
1	अग्रिम विनिर्णय सं.	
2	अग्रिम विनिर्णय संसूचित करने की तारीख	दिन/मास/वर्ष
3	जीएसटीआईएन, यदि कोई है/व्यक्ति का पहचान पत्र जिसने अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की है	
4	क्रम संख्या 3 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति का विधिक नाम	
5	अधिकारिता अधिकारी/संबद्ध अधिकारी का नाम और पदनाम	
6	अधिकारिता अधिकारी/संबद्ध अधिकारी का ई-मेल पता	
7	अधिकारिता अधिकारी/संबद्ध अधिकारी का मोबाईल नं0	
8	क्या अधिकारिता अधिकारी/संबद्ध अधिकारी की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की वांछा रखता है	हां/नहीं
10	अपील का आधार **प्रार्थना** पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए आदरपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय अपील प्राधिकारी (स्थान) : क. जैसी ऊपर प्रार्थना की गई है अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित अग्रिम विनिर्णय को अपास्त/उपांतरित करने की कृपा करें ; व्यक्तिगत सुनवाई की करने की करें ; और कोई ऐसा (ऐसे) और या अन्य आदेश पारित करने की कृपा करें जो वह मामले के तथ्यों परिस्थितियों के आधार पर ठीक और उचित समझे ;	

सत्यापन

मैं, ____________________ (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री____________________ सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर संलग्नक (संलग्नकों), जिसके अंतर्गत दस्तावेज

भी हैं, में जो कथन किया गया है मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है । मैं यह आवेदन ____________________ (पदनाम) के रूप में अपनी हैसियत से कर रहा/रही हूं और मैं यह आवेदन करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं ।

हस्ताक्षर

स्थान ________________________

संबद्ध अधिकारी/अधिकारी
अधिकारिता का नाम और पदनाम

तारीख ________________________

प्ररूप जीएसटी एपीएल - 01

[नियम 108(1) देखें]

अपील प्राधिकारी को अपील

1. जीएसटीआईएन/ अस्थायी पहचान/यूआईएन –
2. अपीलार्थी का विधिक नाम -
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हों –
4. पता -
5. आदेश सं. - आदेश की तारीख -
6. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम और पता -
7. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की संसूचना की तारीख -
8. प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम -
9. विवादित मामले के ब्यौरे -

(i) विवादित मामले के संक्षिप्त विवाद्यक -

(ii) विवादग्रस्त माल/ सेवाओं का विवरण और वर्गीकरण-

(iii) विवाद की अवधि-

(iv) विवाद के अधीन रकम :

विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
क) कर/ उपकर				
ख) ब्याज				
ग) शास्ति				
घ) फीस				
ङ) अन्य प्रभार				

(v) अभिगृहीत माल का बाजार मूल्य

10. क्या अपीलार्थी व्यक्तिगत सुनवाई की वांछा रखता है – हां / नहीं

11. तथ्यों का कथन:-

12. अपील के आधार:-

13. प्रार्थना:-

14. सृजित, स्वीकृत और विवादित मांग की रकम

<table>
<tr><td rowspan="16">मांग/ प्रतिदाय की विशिष्टियां</td><th colspan="2">विशिष्टियां</th><th>केन्द्रीय कर</th><th>राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर</th><th>एकीकृत कर</th><th>उपकर</th><th colspan="2">कुल रकम</th></tr>
<tr><td rowspan="5">सृजित मांग की रकम (अ)</td><td>क) कर/ उपकर</td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td><कुल></td><td rowspan="5">< कुल ></td></tr>
<tr><td>ख) ब्याज</td><td><कुल></td></tr>
<tr><td>ग) शास्ति</td><td><कुल></td></tr>
<tr><td>घ) फीस</td><td><कुल></td></tr>
<tr><td>ङ) अन्य प्रभार</td><td><कुल></td></tr>
<tr><td rowspan="5">स्वीकृत मांग की रकम (आ)</td><td>क) कर/ उपकर</td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td><कुल></td><td rowspan="5">< कुल ></td></tr>
<tr><td>ख) ब्याज</td><td><कुल></td></tr>
<tr><td>ग) शास्ति</td><td><कुल></td></tr>
<tr><td>घ) फीस</td><td><कुल></td></tr>
<tr><td>ङ) अन्य प्रभार</td><td><कुल></td></tr>
<tr><td rowspan="5">विवादित मांग की रकम (इ)</td><td>क) कर/ उपकर</td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td><कुल></td><td rowspan="5">< कुल ></td></tr>
<tr><td>ख) ब्याज</td><td><कुल></td></tr>
<tr><td>ग) शास्ति</td><td><कुल></td></tr>
<tr><td>घ) फीस</td><td><कुल></td></tr>
<tr><td>ङ) अन्य प्रभार</td><td><कुल></td></tr>
</table>

15. स्वीकृत रकम और पूर्व निक्षेप के संदाय के ब्यौरे :-

(क) **अपेक्षित संदाय के ब्यौरे**

<table>
<tr><th colspan="2">विशिष्टियां</th><th></th><th>केन्द्रीय कर</th><th>राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर</th><th>एकीकृत कर</th><th>उपकर</th><th colspan="2">कुल रकम</th></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="5">क) स्वीकृत रकम</td><td>कर / उपकर</td><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td><कुल></td><td rowspan="6">< कुल ></td></tr>
<tr><td>ब्याज</td><td><कुल></td></tr>
<tr><td>शास्ति</td><td><कुल></td></tr>
<tr><td>फीस</td><td><कुल></td></tr>
<tr><td>अन्य प्रभार</td><td><कुल></td></tr>
<tr><td>ख) पूर्व निक्षेप (विवादित कर का 10 प्रतिशत)</td><td>कर/ उपकर</td><td><कुल></td></tr>
</table>

(ख) स्वीकृत रकम और पूर्व निक्षेप के संदाय के ब्यौरे (विवादित कर और उपकर का दस प्रतिशत पूर्व निक्षेप)

क्रम सं.	विवरण	संदेय कर	नकद/ जमा खाते के माध्यम से संदाय	विकलन प्रविष्टि सं.	संदत्त कर की रकम			
					केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सं.	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एकीकृत कर		नकद खाता					
			जमा खाता					
2.	केन्द्रीय कर		नकद खाता					
			जमा खाता					
3.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र		नकद खाता					
			जमा खाता					

	कर							
4.	उपकर		नकद खाता					
			जमा खाता					

(ग) संदाय और संदत्त ब्याज, शास्ति, विलंब शुल्क और कोई अन्य रकम

क्रम सं.	विवरण	संदेय रकम				विकलन प्रविष्टि सं.	संदत्त रकम			
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ब्याज									
2.	शास्ति									
3.	विलंब शुल्क									
4.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									

16. क्या विहित अवधि के पश्चात् अपील फाइल की गई है - हां / नहीं

17. यदि मद 17 में 'हां' है –

(क) विलंब की अवधि –

(ख) विलंब के कारण -

सत्यापन

☐

मैं, < ____________________________ >, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

स्थान:

तारीख: **<हस्ताक्षर>**

आवेदक का नाम:

प्ररूप जीएसटी एपीएल – 02

[**नियम** 108(3) **देखें**]

अपील प्रस्तुत करने की पावती

<अपीलार्थी का नाम><जीएसटीआईएन/अस्थायी पहचान/यूआईएन/तारीख सहित संदर्भ संख्या>

....के विरुद्ध आपकी अपील सफलतापूर्वक फाइल हो गई है < आवेदन संदर्भ सं. >

1. संदर्भ संख्या-
2. फाइल करने की तारीख-
3. फाइल करने की समय-
4. फाइल करने का स्थान-
5. अपील फाइल करने वाले व्यक्ति का नाम-
6. पूर्व निक्षेप की रकम -
7. अपील के प्रतिग्रहण/नामंजूर करने की तारीख-
8. हाजिर होने की तारीख — तारीख : — समय:
9. न्यायालय सं./ न्यायपीठ — न्यायालय : — न्यायपीठ :

स्थान *:*

तारीख *:*

< हस्ताक्षर>

नाम*:*

पदनाम**:**

अपील प्राधिकारी/अपील अधिकरण/आयुक्त/अपर या संयुक्त आयुक्त की ओर से

प्ररूप जीएसटी एपीएल - 03

[नियम 109(1) देखें]

धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन अपील प्राधिकारी को आवेदन

1. अपीलार्थी का नाम और पदनाम
   नाम-
   पदनाम-
   अधिकारिता-
   राज्य/केन्द्र-
   राज्य का नाम-
2. जीएसटीआईएन/ अस्थायी पहचान /यूआईएन-
3. आदेश सं. तारीख-
4. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम और पता -
5. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, के संसूचना की तारीख-
6. विवादित मामले के ब्यौरे-

   विवादाधीन मामले के संक्षिप्त विवाद्यक

   विवादित माल/ सेवा का विवरण और वर्गीकरण-

   विवाद की अवधि-

   विवादाधीन रकम-

विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
क) कर/ उपकर				
ख) ब्याज				
ग) शास्ति				

घ) फीस				
ङ) अन्य प्रभार				

7. तथ्यों की कथन-

8. अपील के आधार-

9. प्रार्थना-

10. विवादित मांग की रकम, यदि कोई हों -

<table>
<tr><th>मांग/ प्रतिदाय की विशिष्टियां</th><th colspan="2">विशिष्टियां</th><th>केन्द्रीय कर</th><th>राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर</th><th>एकीकृत कर</th><th>उपकर</th><th colspan="2">कुल रकम</th></tr>
<tr><td rowspan="9"></td><td rowspan="5">सृजित मांग की रकम (अ)</td><td>क) कर/ उपकर</td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5"></td><td>< कुल ></td><td rowspan="5">< कुल ></td></tr>
<tr><td>ख) ब्याज</td><td>< कुल ></td></tr>
<tr><td>ग) शास्ति</td><td>< कुल ></td></tr>
<tr><td>घ) फीस</td><td>< कुल ></td></tr>
<tr><td>ङ) अन्य प्रभार</td><td>< कुल ></td></tr>
<tr><td rowspan="4">विवादित मांग की रकम (आ)</td><td>क) कर/ उपकर</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td>< कुल ></td><td rowspan="4">< कुल ></td></tr>
<tr><td>ख) ब्याज</td><td>< कुल ></td></tr>
<tr><td>ग) शास्ति</td><td>< कुल ></td></tr>
<tr><td>घ) फीस</td><td>< कुल</td></tr>
</table>

							>	
		ङ) अन्य प्रभार					< कुल >	
		घ) फीस					< कुल >	
		ङ) अन्य प्रभार					< कुल >	

तारीख :

< हस्ताक्षर>

आवेदक अधिकारी का नाम :

पदनाम :

अधिकारिता :

प्ररूप जीएसटी एपीएल – 04

[नियम 113(1) और 115 देखें]

अपील प्राधिकारी, अधिकरण या न्यायालय द्वारा आदेश जारी करने के पश्चात् मांग सारांश

आदेश सं. - आदेश की तारीख -

1. जीएसटी आईएन/ अस्थायी पहचान/यूआईएन -
2. अपीलार्थी का नाम-
3. अपीलार्थी का पता-
4. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है- संख्या- तारीख-
5. अपील सं. तारीख-
6. व्यक्तिगत सुनवाई –
7. संक्षेप में आदेश-
8. आदेश की प्रास्थिति- पुष्टि/उपांतरित/नामंजूर
9. पुष्ट मांग की रकम :

विशिष्टियां	केन्द्रीय कर		राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		एकीकृत कर		उपकर		कुल योग	
	विवादित रकम	**अवधारित रकम**	**विवादित रकम**	**अवधारित रकम**	**विवादित रकम**	**अवधारित रकम**	**विवादित रकम**	**अवधारित रकम**	**विवादित रकम**	**अवधारित रकम**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क) कर										
ख) ब्याज										
ग) शास्ति										
घ) फीस										
ङ) अन्य										
च) प्रतिदाय										

स्थान :

तारीख :

< हस्ताक्षर>

< अपील प्राधिकारी/अधिकरण/अधिकारिता अधिकारी का नाम>

पदनाम :

अधिकारिता :

प्ररूप जीएसटी एपीएल – 05

[नियम 110(1) देखें]

अपील अधिकरण को अपील

1. जीएसटीआईएन/ अस्थायी पहचान /यूआईएन -

2. अपीलार्थी का नाम -

3. अपीलार्थी का पता –

4. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है - संख्या- तारीख-

5. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता -

6. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की संसूचना की तारीख -

7. प्रतिनिधि का नाम -

8. विवादाधीन मामले के ब्यौरे :

    (i) विवादाधीन मामले के संक्षिप्त विवाद्यक

    (ii) विवादित माल/ सेवाओं का विवरण और वर्गीकरण

    (iii) विवाद की अवधि

    (iv) विवादाधीन रकम:

विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
क) कर/ उपकर				
ख) ब्याज				
ग) शास्ति				
घ) फीस				
ङ) अन्य प्रभार				

(V) अभिगृहीत माल का बाजार मूल्य

9. क्या अपीलार्थी व्यक्तिगत सुनवाई की वांछा रखता है ?

10. तथ्यों का कथन

11. अपील का आधार

12. प्रार्थना

13. सृजित विवादित और स्वीकृत मांग के ब्यौरे

मांग की विशिष्टियां	विशिष्टियां		केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल रकम	
	मांग/नामंजूर की गई रकम, यदि कोई हों (**अ**)	क) कर/ उपकर					< कुल >	< कुल >
		ख) ब्याज					< कुल >	
		ग) शास्ति					< कुल >	
		घ) फीस					< कुल >	
		ङ) अन्य प्रभार					< कुल >	
	विवादित मांग की रकम (**आ**)	क) कर/ उपकर					< कुल >	< कुल >
		ख) ब्याज					< कुल >	
		ग) शास्ति					< कुल >	
		घ) फीस					<	

							कुल >	
		ङ) अन्य प्रभार					< कुल >	
	स्वीकृत मांग की रकम (इ)	क) कर/ उपकर					< कुल >	< कुल >
		ख) ब्याज					< कुल >	
		ग) शास्ति					< कुल >	
		घ) फीस					< कुल >	
		ङ) अन्य प्रभार					< कुल >	

14. स्वीकृत रकम और पूर्व निक्षेप के संदाय के ब्यौरे :-

(क) संदेय रकम के ब्यौरे

विशिष्टियां			**केन्द्रीय कर**	**राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर**	**एकीकृत कर**	**उपकर**	**कुल रकम**	
	क) स्वीकृत रकम	कर / उपकर					< कुल >	< कुल >
		ब्याज					< कुल >	
		शास्ति					< कुल >	
		फीस					< कुल >	
		अन्य प्रभार					< कुल >	

	ख) पूर्व निक्षेप (विवादित कर का 20 प्रतिशत)	कर/ उपकर					< कुल >	

(ख) स्वीकृत रकम और पूर्व निक्षेप के संदाय के ब्यौरे (विवादित कर और उपकर का बीस प्रतिशत पूर्व निक्षेप)

क्रम सं.	विवरण	संदेय कर	नकद/ जमा खाते के माध्यम से संदाय	विकलन प्रविष्टि सं.	संदत्त कर की रकम			
					केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सं.	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एकीकृत कर		नकद खाता					
			जमा खाता					
2.	केन्द्रीय कर		नकद खाता					
			जमा खाता					
3.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		नकद खाता					
			जमा खाता					
4.	उपकर		नकद खाता					
			जमा खाता					

(ग) संदेय और संदत्त ब्याज, शास्ति, विलंब फीस और कोई अन्य रकम

क्रम	विवरण	संदेय रकम	विकलन	संदत्त रकम

सं.		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	प्रविष्टि सं.	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ब्याज									
2.	शास्ति									
3.	विलंब शुल्क									
4.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									

सत्यापन

☐ मैं, < ________________________ >, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

स्थान:

तारीख:

<हस्ताक्षर>

आवेदक का नाम :

पदनाम/प्रास्थिति :

प्ररूप जीएसटी एपीएल – 06

[नियम 110(2) देखें]

अपील अधिकरण के समक्ष प्रति आक्षेप

धारा 112 की उपधारा (5) के अधीन

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th colspan="5">विशिष्टियां</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="5">अपील सं. - फाईल करने की तारीख -</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="5">जीएसटी आईएन/ अस्थायी पहचान/यूआईएन-</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="5">अपीलार्थी का नाम-</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="5">अपीलार्थी का स्थायी पता-</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="5">पत्राचार का पता-</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">आदेश सं.</td><td colspan="3">तारीख-</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="5">आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित करने वाला अधिकारी का नाम और पता-</td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="5">आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की संसूचना की तारीख</td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="5">प्रतिनिधि का नाम-</td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="5">विवादाधीन मामले के ब्यौरे-</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td colspan="5">विवादाधीन मामले के संक्षिप्त विवाद्यक-</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="5">विवादाधीन माल/ सेवाओं का विवरण और वर्गीकरण-</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td colspan="5">विवाद की अवधि-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(iv)</td><td>विवादाधीन रकम</td><td>केन्द्रीय कर</td><td>राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर</td><td>एकीकृत कर</td><td>उपकर</td></tr>
<tr><td>क) कर</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	ख) ब्याज				
	ग) शास्ति				
	घ) फीस				
	ङ) अन्य प्रभार (विनिर्दिष्ट करें)				
(v)	अभिगृहीत का बाजार मूल्य-				
11	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र और कमीशनरी जिसमें आदेश या विनिश्चय पारित किया गया था, (अधिकारिता के ब्यौरे)-				
12	यथास्थिति, अपीलार्थी/राज्य/केन्द्रीय कर/संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अपील अधिकरण में फाइल की गई अपील या आवेदन के सूचना की प्राप्ति की तारीख				
13	क्या ऐसे विनिश्चय या आदेश में, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रदाय के स्थान से संबंधित कोई प्रश्न अंतर्वलित है - हां नहीं				
14	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर/ केन्द्रीय कर आयुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए प्रति आक्षेपों के मामले				
	(i) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का नाम- (ii) आदेश संख्या और आदेश की तारीख- (iii) जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायी पहचान- (iv) अंतर्वलित रकम :				

शीर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	प्रतिदाय	कुल
एकीकृत कर					
केन्द्रीय कर					

	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
	उपकर					
15	संदाय के ब्यौरे					
	शीर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	प्रतिदाय	कुल
	एकीकृत कर					
	केन्द्रीय कर					
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
	उपकर					
	एकीकृत कर					
	कुल योग					
16	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर/ केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा फाइल किए गए प्रति आक्षेपों के					

	मामले में :		
	(i)	विवाद की अवधि के लिए मांगे गए कर की रकम को कम करना या घटाया जाना	
	(ii)	विवाद की अवधि के लिए ब्याज की रकम को कम करना या घटाया जाना	
	(iii)	विवाद की अवधि के लिए मंजूर किए गए या अनुज्ञात किए गए प्रतिदाय की रकम	
	(iv)	क्या शास्ति के रूप में रकम अधिरोपित नहीं की गई है या कम अधिरोपित की गई है	
		कुल योग	
17	प्रति आक्षेपों के ज्ञापन में दावा किए गए अनुतोष		
18	प्रतिआक्षेप के आधार		
	स त्या प न मैं,________________________________प्रत्यर्थी यह घोषणा करता हूं कि जो कुछ ऊपर कथन किया गया है मेरे जानकारी और विश्वास में सत्य है । आज तारीख ....मास.........20.... को सत्यापित किया गया । हस्ताक्षर :		

	तारीख : <हस्ताक्षर> आवेदक/ अधिकारी के हस्ताक्षर : आवेदक/ अधिकारी का पदनाम/ प्रास्थिति:

प्ररूप जीएसटी एपीएल – 07

[**नियम** 111(1) **देखें]**

धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन अपील अधिकरण को आवेदन

1. अपीलार्थी का नाम और पदनाम — नाम :

पदनाम

अधिकारिता

राज्य/केन्द्र

राज्य का नाम :

2. जीएसटीआईएन/ अस्थायी पहचान /यूआईएन-

3. अपील आदेश सं. — तारीख-

4. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित करने वाले अपील प्राधिकारी का पदनाम और पता -

5. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की संसूचना की तारीख

6. विवादाधीन मामले के ब्यौरे :

(i) विवादाधीन मामले के संक्षिप्त विवाद्यक

(ii) विवादित माल/ सेवाओं का विवरण और वर्गीकरण

(iii) विवाद की अवधि

(iv) विवादाधीन रकम:

विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
क) कर/ उपकर				
ख) ब्याज				
ग) शास्ति				
घ) फीस				

ङ) अन्य प्रभार				

7. तथ्यों का कथन

8. अपील के आधार

9. प्रार्थना

10. मांगी गई, विवादित और स्वीकृत रकम

मांग की विशिष्टियां, यदि कोई हों	विशिष्टियां		केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल रकम	
	सृजित मांग की रकम, यदि कोई हों (अ)	क) कर/ उपकर					< कुल >	< कुल >
		ख) ब्याज					< कुल >	
		ग) शास्ति					< कुल >	
		घ) फीस					< कुल >	
		ङ) अन्य प्रभार					< कुल >	
	विवादाधीन रकम (आ)	क) कर/ उपकर					< कुल >	< कुल >
		ख) ब्याज					< कुल >	
		ग) शास्ति					< कुल >	
		घ) फीस					< कुल >	
		ङ) अन्य					< कुल	

		प्रभार					>	

स्थान :

तारीख :

< हस्ताक्षर >

अधिकारी का नाम **:**

पदनाम **:**

अधिकारिता :

प्ररूप जीएसटी एपीएल-8

(नियम 114(1) देखें)

धारा 117 के अधीन उच्च न्यायालय को अपील

1. .... कराधेय व्यक्ति/................ सरकार द्वारा फाइल अपील
2. जीएसटीआईएन/अस्थाई आईडी/युआईएन
   अपीलार्थी/अधिकारी .... का नाम --
3. अपीलार्थी का स्थाई पता, यदि लागू हो :
4. संसूचना का पता :
5. विरुद्ध अपील किया गया आदेश ...... संख्या ....तारीख
6. विरुद्ध अपील किए गए आदेश को पारित करने वाले अपीलीय अधिकरण का नाम और पता :
7. विरुद्ध अपील किए गए आदेश की संसूचना की तारीख :
8. प्रतिनिधि का नाम :
9. विवादित मामले के ब्यौरे :
   i. सिनोप्सेस के साथ विवादित मामले का संक्षिप्त विवाध्यक :
   ii. विवादित मालों/सेवाओं का विवरण और वर्गीकरण :
   iii. विवाद की अवधि :
   iv. विवादित रकम :

विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य/यूटी कर	एकीकृत कर	उपकर
(क) कर/उपकर				
(ख) ब्याज				
(ग) शास्ति				
(घ) फीस				
(ङ) अन्य प्रभार				

(v) जब्त किए गए मालों का बाजार मूल्य :

10. तथ्यों का कथन
11. अपील के आधार
12. प्रार्थना
13. अपील के आधारों से संबंधित उपाबंध (उपाबंधों) :

सत्यापन

मैं... सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

प्ररूप जीएसटी ट्रान-1
(नियम 117(1), 118, 119 और 120 देखें)

संक्रमणकालीन आईटीसी/स्टॉक विवरण

1. जीएसटीआईएन -
2. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम -
3. व्यापार नाम, यदि कोई है -

4. क्या नियत दिन से तुरंत पूर्ववर्ती छह: मास की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां दी गई हैं:-- हां/नहीं

5. विद्यमान विधि के अधीन फाइल की गई विवरणी में कर प्रत्यय की अग्रनीत रकम:

(क) केन्द्रीय कर धारा 140(1) और धारा 140(4)क के रूप में इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से अग्रनीत सेनवेट प्रत्यय की रकम

क्रम सं0	विद्यमान विधि (केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर) के अधीन रजिस्ट्रीकरण सं0	कर अवधि जिसके लिए संबंधित विद्यमान विधि के अधीन फाइल की गई	स्तंभ सं0 3 में विनिर्दिष्ट विवरणी फाइल करने की तारीख	उक्त अंतिम विवरणी में अग्रनीत सेनवेट प्रत्यय का अतिशेष	संक्रमणकालीन उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय कर के आईटीसी के रूप में ग्राह्य सेनवेट प्रत्यय
1	2	3	4	5	6
	कुल				

(ख) प्राप्त कानूनी प्ररूपों के ब्यौरे जिसके लिए प्रत्यय अग्रनीत किया जाना है

अवधि: 1st अप्रैल 2015 से 30th जून 2017

जारीकर्ता का टीआईएन	जारीकर्ता का नाम	प्ररूप की क्रम संख्यां	रकम	उपलब्ध मूल्य वर्धित कर की दर
सी-प्ररूप				
कुल				
एफ-प्ररूप				
कुल				
एच/आई-प्ररूप				
कुल योग				

(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर के रूप में इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से अग्रनीत कर प्रत्यय की रकम (उसी राज्य में और उसी स्थायी खाता संख्या पर सभी रजिस्ट्रीकरण के लिए)

विद्यमान विधि में रजिस्ट्रीकरण सं0	अंतिम विवरणी में आईटीसी के मूल्य वर्धित कर [प्रविष्टि कर] का	सी प्ररूप		एफ प्ररूप		[(3) और] (5) से संबंधित आईटीसी उतक्रमण	एच/आई प्ररूप		संक्रमण 2-(4+6-7+9)
		आर्वत जिसके लिए प्ररूप लंबित है	कर संदेय (3) पर अंतर	आर्वत जिसके लिए प्ररूप लंबित है	कर संदेय (5) पर अंतर		आवर्त जिसके लिए प्ररूप लंबित है	(7) पर कर संदेय	

	अधिशेष								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6. विद्यमान विधि के अधीन पूंजीमाल जिसके लिए अनुपभुक्त प्रत्यय अग्रनीत नहीं किए गए हैं, का ब्यौरा (धारा 140(2)) ।

(क) केन्द्रीय कर के रूप में इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से अग्रनीत पूंजी माल के संदर्भ में अनुपभुक्त सेनवेट प्रत्यय का ब्यौरा

क्र0 सं0	बीजक/दस्तावेज सं0	बीजक/दस्तावेज तारीख	विद्यमान विधि के अधीन प्रदाय कर्ता की रजिस्ट्रीकरण सं0	विद्यमान विधि के अधीन प्राप्तिकर्ता की रजिस्ट्रीकरण सं0	पूंजी माल का ब्यौरा जिस पर प्रत्यय आंशित रूप से उपभुक्त किया गया है			विद्यमान विधि के अधीन कुल पात्र सेनवेट प्रत्यय	विद्यमान विधि के अधीन उपभुक्त सेनवेट प्रत्यय	विद्यमान विधि के अधीन अनुपभुक्त कुल सेनवेट (केन्द्रीय कर के आईटीसी के रूप में ग्राह्य (9-10)
					मूल्य	शुल्क और संदत्त कर				
						ईडी/सीवीडी	एसएडी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		कुल								

(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर के रूप में इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से अग्रनीत अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय की रकम (एक ही राज्य में और एक ही स्थायी खाता संख्या पर सभी रजिस्ट्रीकरण के लिए)

क्र.सं0	बीजक/दस्तावेज सं0	बीजक/दस्तावेज तारीख	विद्यमान विधि के अधीन प्रदाय कर्ता की रजिस्ट्रीकरण सं0	विद्यमान विधि के अधीन प्राप्तिकर्ता की रजिस्ट्रीकरण सं0	पूंजी माल का ब्यौरा जिस पर प्रत्यय आंशित रूप से उपभुक्त किया गया है		विद्यमान विधि के अधीन कुल पात्र मूल्य वर्धित कर [और ईटी] प्रत्यय	विद्यमान विधि के अधीन कुल मूल्य वर्धित कर [और ईटी] उपभुक्त प्रत्यय	विद्यमान विधि के अधीन कुल मूल्य वर्धित कर [और ईटी] अनुपभुक्त प्रत्यय (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के आईटीसी के रूप में ग्राह्य)(8-9)
					मूल्य	कर संदत्त मूल्य वर्धित कर [और ईटी]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Total							

7. धारा 140(3), 140(4)(ख), 140(5) और 140(6) के निबंधनों में स्टॉक में धारित इनपुट का ब्यौरा

(क) सारणी 5(क) के अधीन प्रत्यय के रूप में दावा किए गए इनपुट जिसके अंतर्गत दावा किया गया प्रत्यय नहीं है पर शुल्क और कर की रकम (धारा 140(3), 140(4)(b) और 140(6) के अधीन)

क्रम सं0	**स्टॉक में धारित अर्द्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट स्टॉक या इनपुट में धारित इनपुट का ब्यौरा**				
	एचएसएन (6 अंकीय स्तर पर)	इकाई	परिमाण	मूल्य	ऐसे इनपुट पर संदत पात्र शुल्क
1	2	3	4	5	6

7क **जहां शुल्क संदत्त बीजक उपलब्ध हैं**					
इनपुट					
अर्द्धपरिरूपित और परिरूपित में अंतर्विष्ट इनपुट					
7ख जहां शुल्क संदत्त बीजक उपलब्ध नहीं है (विनिर्माता या सेवा प्रबंधक से भिन्न व्यक्तियों को केवल लागू)-नियम **117(4)** के निबंधनों में प्रत्यय					
इनपुट					

(ख) धारा 140(5) के अधीन इनपुट या इनपुट सेवाओं के संदर्भ में पात्र शुल्क और कर/मुल्य वर्धित कर/[ईटी]:

प्रदायकर्ता का नाम	बीजक संख्या	बीजक तारीख	विवरण	परिमाण	यूक्यूसी	मूल्य	पात्र शुल्क और कर	मूल्य वर्धित कर/[ईटी]	तारीख जिस पर प्राप्तिकर्ता के बहिखाता में प्रविष्टि की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(ख) मूल्य वर्धित कर की रकम और इनपुट पर संदत्त प्रवेश कर बीजक/दस्तावेज द्वारा समर्थित है, धारा 140(3), 140(4)(b) और 140(6) के अधीन एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के रूप में इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से अग्रनीत संदत्त कर का साक्षी है

स्टॉक में इनपुट का ब्यौरा	पूर्व विधि के अधीन	पूर्व विधि के अधीन कुल	**एसजीएसटी/यूटीजीएसटी**

विवरण	इकाई	परिमाण	मूल्य	**मूल्य वर्धित कर** [और प्रवेश कर संदत्त]	कुल दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय	दावा किए गए छूट प्राप्त विक्रय से संबंधित इनपुट कर प्रत्यय	**के रूप में कुल ग्राह्य इनपुट कर प्रत्यय**
1	2	3	4	5	6	7	8
इनपुट							
अर्द्धपरिरूपित और परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट							

(घ) माल का स्टॉक जो बीजक/दस्तावेज द्वारा समर्थित नहीं है कर संदेय के साक्षी हैं (नियम 117(4) के निबंधनों में प्रत्यय)) (केवल उन्ही राज्यों में जिनमें एकल बिंदु पर मूल्य वर्धित कर है)

स्टॉक में इनपुट का ब्यौरा				
विवरण	इकाई	परिमाण	मूल्य	कर संदत्त
1	2	3	4	5

इनपुट/इनपुट सेवाओं का विवरण और परिमाण के साथ-साथ माल या सेवाओं की प्राप्ति की तारीख (बहि खातों में यथाप्रविष्ट) का ब्यौरा

8. विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसके पास केन्द्रीयकृत रजिस्ट्रीकरण है के लिए सेनवेट प्रत्यय के अंतरण का ब्यौरा (धारा **140(8)**)

क्रम.सं.	विद्यमान विधि	विद्यमान विधि के	स्तंभ 3 में	उक्त अंतिम	केन्द्रीय कर के आईटीसी	वितरण दस्तावेज/बीजक	केन्द्रीय कर का

	के अधीन रजिस्ट्रीकरण सं0 (केन्द्रीयकृत)	अधीन कर अवधि जिसके लिए अंतिम विवरणी फाईल की गई	विनिर्दिष्ट विवरणी के फाइल करने की तारीख	विवरणी में अग्रनीत सेनवेट प्रत्यय का पात्र अधिशेष	के प्राप्तिकर्ता (समान स्थाई खाता संख्या) के जीएसटीआईएन	सं.	तारीख	आईटीसी अंतरित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कुल							

9. धारा 141 के अधीन मूल की ओर से कार्य कर्मकार को भेजे गए और उसके स्टॉक में धारित माल का ब्यौरा

क. धारा 141 के अधीन कार्य कर्मकार को मूल के रूप में भेजे गए माल का ब्यौरा

क्र. सं0	चालान सं0	चालान तारीख	माल का प्रकार (इनपुट/अर्द्धपरिरूपित/ परिरूपित)	कार्य कर्मकार के पास माल का ब्यौरा				
				एचएसएन	विवरण	इकाई	परिमाण	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कार्य कर्मकार का जीएसटीआईएन, यदि उपलब्ध हो								
	कुल							

ख. धारा 141 के अधीन मूल की ओर से कार्य कर्मकार के रूप में स्टॉक में धारित माल का ब्यौरा

क्र. सं0	चालान सं0	चालान तारीख	माल का प्रकार	कार्य कर्मकार के पास माल का ब्यौरा

			(इनपुट/अर्द्धपरिरूपित/ परिरूपित)	एचएसएन	विवरण	इकाई	परिमाण	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विनिर्माता का जीएसटीआईएन								
	कुल							

10. राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 142 (14) के अधीन मूल की ओर से अभिकर्ता के रूप में स्टॉक में धारित माल का ब्यौरा

क. मूल की ओर से अभिकर्ता के रूप में धारित माल का ब्यौरा

क्र. सं0	मूल का जीएसटीआईएन	अभिकर्ता के पास माल का ब्यौरा				
		विवरण	इकाई	परिमाण	मूल्य	लिया जाने वाला इनपुट कर
1	2	3	4	5	6	7

ख. अभिकर्ता द्वारा धारित माल का ब्यौरा

क्र. सं0	मूल का जीएसटीआईएन	अभिकर्ता के पास माल का ब्यौरा				
		विवरण	इकाई	परिमाण	मूल्य	लिया जाने वाला इनपुट कर
1	2	3	4	5	6	7

11. धारा 142 (11) (ग)के निबंधनों में अनुपभुक्त प्रत्यय का ब्यौरा

क्र.सं.	मूल्य वर्धित कर की रजिस्ट्रीकरण सं0	सेवा कर की रजिस्ट्रीकरण सं0	बीजक/दस्तावेज सं0	बीजक/दस्तावेज तारीख	कर संदत्त	मूल्य वर्धित कर एसजीएसटी प्रत्यय के रूप में संदत्त/लिया या केन्द्रीय कर प्रत्यय के रूप में सेवा कर संदत्त
1	2	3	4	5	6	7
			कुल			

12. नियत दिन से छह: मास पूर्व अनुमोदन आधार पर भेजे गए माल का ब्यौरा (धारा 142(12))

क्रम. सं.	दस्तावेज सं0	दस्तावेज तारीख	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन सं0 (यदि लागू हो)	प्राप्तिकर्ता का नाम और पता	अनुमोदन आधार पर भेजे गए माल का ब्यौरा				
					एचएसएन	विवरण	इकाई	परिमाण	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	कुल								

सत्यापन (प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा)

मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

हस्ताक्षर

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ....

तारीख

पदनाम/प्रास्थिति..

प्ररूप जीएसटी ट्रान-2

(नियम 117(4) देखें)

1. जीएसटीआईएन -
2. कराधेय व्यक्ति का नाम
3. कर अवधि : मास……. वर्ष………
4. नियत दिन पर स्टॉक में धारित इनपुट के संदर्भ में जिसका कोई बीजक/दस्तावेज इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते से अग्रनीत कर संदाय के साक्ष्य के रूप में कब्जे में नहीं है का ब्यौरा

कर अवधि का आरंभिक स्टॉक			किया गया जावक प्रदाय					बंद अधिशेष
एचएसएन (6 अंकीय स्तर पर)	इकाई	परिमाण	परिमाण	मूल्य	केन्द्रीय कर	एकीकृत कर	आईटीसी अनुज्ञात	परिमाण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. ऊपर 4 में उल्लिखित स्टॉक पर राज्य कर पर प्रत्यय (केवल उन्ही राज्यों में जिनमें मूल्य वर्धित कर एकल बिंदु पर है)

कर अवधि का आरंभिक स्टॉक			किया गया जावक प्रदाय					बंद अधिशेष
एचएसएन (6 अंकीय स्तर पर)	इकाई	परिमाण	परिमाण	मूल्य	केन्द्रीय कर	एकीकृत कर	आईटीसी अनुज्ञात	परिमाण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

सत्यापन (प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा)

मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

हस्ताक्षर

स्थान — प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ....

तारीख — पदनाम/प्रास्थिति.......................................

[फा0 सं0 349/58/2017-जीएसटी(Pt)]

(डा0 श्रीपार्वती एस.एल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 को सा.का.नि.संख्यांक 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्यांक 644(अ), तारीख 27 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 7/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 27 जून, 2017 में अंतिम संशोधन हुआ था ।